इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic. in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 सितम्बर 2015—भाद्र 13, शक 1937

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)

संसद के अधिनियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2015

क्र. 4180-क-इक्कीस-अ-विस-2015.—भारत के राष्ट्रपति के प्राधिकार से भारत का राजपत्र, असाधारण, दिनांक 18 फरवरी 2014, भाग 2, अनुभाग 1क, खण्ड 1 सं. 1 में प्रकाशित निम्नलिखित अधिनियम :—

1. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका–विज्ञान संस्थान, बंगलौर अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्यांक 38) ;
2. धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2013 का अधिनियम संख्यांक 2) ;
3. विधिविरूद्ध क्रिया–कलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2012 (2013 का अधिनियम संख्यांक 3);
4. वित्त अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 17);
5. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 19);
6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 20);
7. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 22);
8. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 24);

9. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 25);
10. राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 26);
11. वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 27);
12. संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 28);
13. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 29).

के हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा पुनः प्रकाशित किए जाते है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
परितोष कुमार तिवारी, उपसचिव.

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर अधिनियम, 2012 (2012 का 38) .....
The National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore Act, 2012.

धन-शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2013 का 2) .....
The Prevention of Money-laundering (Amendment) Act, 2012.

विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2012 (2013 का 3) .....
The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2012.

वित्त अधिनियम, 2013 (2013 का 17) .....
The Finance Act, 2013.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का 19).....
The National Highways Authority of India (Amendment) Act, 2013.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) .....
The National Food Security Act, 2013.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का 22) .....
The Securities and Exchange Board of India (Amendment) Act, 2013.

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का 24) .....
The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2013.

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) .....
The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013.

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (2013 का 26) .....
The Rajiv Gandhi National Aviation University Act, 2013.

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का 27) .....
The Wakf (Amendment) Act, 2013.

संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2013 (2013 का 28) .....
The Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2013.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2013 (2013 का 29) .....
The Representation of the People (Amendment and Validation) Act, 2013.

रजिस्ट्री सं० डी० — 221 REGISTERED NO. D-221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2 —अनुभाग 1क
PART II — Section 1A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18, 2014/ माघ 29, 1935 (शक) [खंड 1
No. 1] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 18, 2014/ MAGHA 29, 1935 (SAKA) [Vol. 1

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2014/29 माघ, 1935 (शक)

दि नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो-साईंसेज, बंगलौर ऐक्ट, 2012; (2) दि प्रिवेंशन ऑफ मनी-लान्डरिंग (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2012; (3) दि अनलाफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2012; (4) दि फाइनेंस ऐक्ट, 2013; (5) दि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2013; (6) दि नेशनल फूड सिक्योरिटी ऐक्ट, 2013; (7) दि सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2013; (8) दि कान्स्टीट्यूशन (शिडयूल्ड ट्राईब्स) आर्डर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2013; (9) दि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लायमेंट एज़ मैन्युल स्केवेंज़र एंड दियर रिहेबिलिटेशन ऐक्ट, 2013; (10) दि राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 2013; (11) दि वक्फ (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2013; (12) दि पार्लियामेंट (प्रिवेंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2013; और (13) दि रिप्रेजेन्टेशन ऑफ दि पीपुल (अमेंडमेंट एंड वेलीडेशन) ऐक्ट, 2013 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, February 18, 2014/*Magha* 29, 1935 (*Saka*)

The translation in Hindi of the following namely:—

The National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore, Act, 2012; (2) The Prevention of Money-laundering (Amendment) Act, 2012; (3) The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2012; (4) The Finance Act, 2013; (5) The National Highways Authority of India (Amendment) Act, 2013; (6) The National Food Security Act, 2013; (7) The Securities and Exchange Board of India (Amendment) Act, 2013; (8) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2013; (9) The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013; (10) The Rajiv Gandhi National Aviation University Act, 2013; (11) The Wakf (Amendment) Act, 2013; (12) The Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2013; and (13) The Representation of the People (Amendment and Validation) Act, 2013 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर अधिनियम, 2012

(2012 का अधिनियम संख्यांक 38)

[13 सितंबर, 2012]

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर नामक संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और उसके निगमन तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर अधिनियम, 2012 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया जाना।

2. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर के उद्देश्य ऐसे हैं, जो उसे एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाते हैं, अतः, यह घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था है।

परिभाषाएं।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''निधि'' से धारा 17 में निर्दिष्ट संस्थान की निधि अभिप्रेत है;

(ख) ''शासी निकाय'' से संस्थान का शासी निकाय अभिप्रेत है;

(ग) ''संस्थान'' से इस अधिनियम के अधीन निगमित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर नामक संस्था अभिप्रेत है;

(घ) ''सदस्य'' से संस्थान का सदस्य अभिप्रेत है;

(ङ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(च) ''विनिर्दिष्ट'' से इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है।

संस्थान का निगमन।

4. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर को, जो कर्नाटक सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 के अधीन 27 दिसंबर, 1974 को रजिस्ट्रीकृत एक संस्थान है, पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय गठित किया जाता है और उस निगमित निकाय के रूप में उसका शाश्वत् उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा। 1960 का कर्नाटक अधिनियम सं॰ 17

संस्थान की संरचना।

5. (1) संस्थान में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, पदेन;

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (आयुर्विज्ञान शिक्षा), कर्नाटक सरकार, पदेन;

(ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या विभाग में सचिव, भारत सरकार, पदेन;

(घ) संस्थान का निदेशक, पदेन;

(ङ) व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में सचिव, भारत सरकार या उसका नामनिर्देशिती (जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो), पदेन;

(च) उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सचिव, भारत सरकार या उसका नामनिर्देशिती (जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो), पदेन;

(छ) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, भारत सरकार, पदेन;

(ज) कुलपति, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, पदेन;

(झ) मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार या उसका नामनिर्देशिती, जो उस सरकार में सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो;

(ञ) सात व्यक्ति, जिनमें से एक व्यक्ति भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाला गैर-चिकित्सा वैज्ञानिक होगा और किसी विश्वविद्यालय से जैविक, व्यावहारिक और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का एक-एक ख्यातिप्राप्त व्यक्ति होगा, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो विहित की जाए;

(ट) भारतीय विश्वविद्यालयों के आयुर्विज्ञान संकायों के चार प्रतिनिधि, जिनमें से एक व्यक्ति राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान से होगा, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो विहित की जाए;

(ठ) तीन संसद् सदस्य, जिनमें से दो सदस्य लोक सभा सदस्यों द्वारा अपने में से और एक सदस्य राज्य सभा सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे।

(2) इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि संस्थान के सदस्य का पद उसके धारक को संसद् के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने या होने से निरर्हित नहीं करेगा।

सदस्यों की पदावधि और रिक्तियां।

6. (1) इस धारा में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, किसी सदस्य की पदावधि उसके नामनिर्देशन या निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष की होगी।

(2) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ठ) के अधीन निर्वाचित किसी सदस्य की पदावधि, जैसे ही वह मंत्री या राज्य मंत्री या उप मंत्री या लोक सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या राज्य सभा का सभापति या उप सभापति बनता है या उस सदन का जिससे वह निर्वाचित हुआ था, सदस्य नहीं रहता है, उसी क्षण समाप्त हो जाएगी।

(3) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी, जब तक वह उस पद को, जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य है, धारण किए रहता है।

(4) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित किसी सदस्य की पदावधि, उस सदस्य की शेष पदावधि तक बनी रहेगी, जिसके स्थान पर वह नामनिर्देशित या निर्वाचित हुआ है।

(5) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ठ) के अधीन निर्वाचित किसी सदस्य से भिन्न कोई पद छोड़ने वाला सदस्य, उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने तक या तीन मास की अवधि के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद पर बना रहेगा:

परंतु केन्द्रीय सरकार पद छोड़ने वाले सदस्य के स्थान पर किसी सदस्य को तीन मास की उक्त अवधि के भीतर नामनिर्देशित करेगी।

(6) पद छोड़ने वाला कोई सदस्य पुन: नामनिर्देशन या पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा।

(7) कोई सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, किंतु वह उस सरकार द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार किए जाने तक पद पर बना रहेगा।

(8) सदस्यों के बीच रिक्तियां भरे जाने की रीति वह होगी, जो विहित की जाए।

अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य।

7. (1) संस्थान का एक अध्यक्ष होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा संस्थान के निदेशक से भिन्न सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो इस अधिनियम में अधिकथित किए गए हैं या जो विहित किए जाएं।

संस्थान का उपाध्यक्ष।

8. संस्थान का एक उपाध्यक्ष होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा संस्थान के निदेशक से भिन्न सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के भत्ते।

9. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य संस्थान से ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे, जो विहित किए जाएं।

संस्थान की बैठकें।

10. संस्थान अपनी पहली बैठक ऐसे समय और स्थान पर करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किया जाए और पहली बैठक में कारबार के संव्यवहार के संबंध में ऐसे प्रक्रिया नियमों का पालन करेगा, जो उस सरकार द्वारा अधिकथित किए जाएं तथा तत्पश्चात् संस्थान ऐसे समयों और स्थानों पर अपनी बैठकें करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में ऐसे प्रक्रिया नियमों का पालन करेगा, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं।

संस्थान का शासी निकाय और अन्य समितियां।

11. (1) संस्थान का एक शासी निकाय होगा जो संस्थान द्वारा ऐसी रीति में गठित किया जाएगा, जो विनिर्दिष्ट की जाए:

परंतु उन व्यक्तियों की संख्या, जो संस्थान के सदस्य नहीं हैं, शासी निकाय की कुल सदस्यता के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी।

(2) शासी निकाय संस्थान की कार्यपालिका समिति होगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो संस्थान इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(3) संस्थान का अध्यक्ष शासी निकाय का सभापति होगा और उसके सभापति के रूप में वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्य का निर्वहन करेगा, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(4) शासी निकाय द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और शासी निकाय के सदस्यों की पदावधि तथा उनकी रिक्तियां भरे जाने की रीति ऐसी होगी जो विनिर्दिष्ट की जाए।

(5) संस्थान, ऐसे नियंत्रण और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, उतनी स्थायी समितियां और उतनी तदर्थ समितियां गठित कर सकेगा, जितनी वह संस्थान की किसी शक्ति का प्रयोग करने या उसके किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए या किसी ऐसे विषय में, जो संस्थान उन्हें निर्दिष्ट करे, जांच करने या उस पर रिपोर्ट करने या सलाह देने के लिए ठीक समझे।

(6) शासी निकाय का सभापति और उसके सदस्य तथा किसी स्थायी समिति या तद्र्थ समिति का सभापति और उसके सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जो विनिर्दिष्ट किए जाएं।

संस्थान के कर्मचारिवृन्द।

12. (1) संस्थान का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जिसे संस्थान के निदेशक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, संस्थान द्वारा की जाएगी :

परंतु संस्थान के प्रथम निदेशक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।

(2) निदेशक, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

(3) निदेशक संस्थान और शासी निकाय के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(4) निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विनिर्दिष्ट किए जाएं या जो उसे संस्थान या संस्थान के अध्यक्ष या शासी निकाय या शासी निकाय के सभापति द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं।

(5) संस्थान, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, उतने अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा, जितने उसकी शक्तियों के प्रयोग और उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों और ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के पदनाम और उनकी श्रेणियां वे होंगी, जो विनिर्दिष्ट की जाएं।

(6) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, संस्थान का निदेशक और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि तथा अन्य मामलों के संबंध में सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होंगे, जो विनिर्दिष्ट की जाएं।

संस्थान के उद्देश्य।

13. संस्थान के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:—

(क) पूर्व-स्नातक और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा की सभी शाखाओं में, मानसिक स्वास्थ्य, तंत्रिका-विज्ञानों और संबद्ध विशिष्ट विषयों पर विशेष ध्यान देते हुए अध्यापन के पैटर्न का विकास करना, जिससे आयुर्विज्ञान शिक्षा के उच्च स्तर का निरूपण किया जा सके;

(ख) स्वास्थ्य क्रियाकलापों की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं में कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए उच्चतम श्रेणी की शिक्षा सुविधाओं को, जहां तक हो सके, एक साथ एक स्थान पर लाना;

(ग) विशेषज्ञों और चिकित्सा शिक्षकों की, विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य, तंत्रिका-विज्ञानों और संबद्ध विशिष्ट विषयों के क्षेत्र में, देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना;

(घ) मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञानों के क्षेत्र में उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए नैदानिक और व्यापक चिकित्सीय सेवा सुविधाएं प्रदान करने के लिए नवीन युक्तियों का विकास करना;

(ङ) मानसिक स्वास्थ्य, तंत्रिका-विज्ञानों तथा संबद्ध विशिष्ट विषयों के क्षेत्र में गहन अध्ययन और अनुसंधान करना।

14. धारा 13 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के संवर्धन को ध्यान में रखते हुए संस्थान,— संस्थान के कृत्य।

(क) आधुनिक औषध विज्ञान और अन्य संबद्ध विज्ञानों में, जिनके अंतर्गत भौतिक और जैविक विज्ञान भी हैं, पूर्व-स्नातक और स्नातकोत्तर अध्यापन के लिए उपबंध कर सकेगा;

(ख) ऐसे विज्ञानों की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान के लिए सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा;

(ग) मानव विज्ञान के अध्यापन के लिए उपबंध कर सकेगा;

(घ) आयुर्विज्ञान शिक्षा, पूर्व-स्नातक और स्नातकोत्तर, दोनों, की नई पद्धतियों में, ऐसी शिक्षा का उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए, प्रयोगों का संचालन कर सकेगा;

(ङ) पूर्व-स्नातक और स्नातकोत्तर, दोनों, अध्ययनों के लिए पाठ्यक्रम और विशेष पाठ्यक्रम विनिर्दिष्ट कर सकेगा;

(च) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित की स्थापना कर सकेगा और उन्हें चला सकेगा:—

(i) विभिन्न विषयों में शिक्षा प्रदान करने और अनुसंधान करने के लिए कर्मचारिवृंद और आवश्यक साज-सामान से सुसज्जित विभिन्न विभागों वाली एक या अधिक आयुर्विज्ञान संस्थाएं;

(ii) नैदानिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक साज-सामान से सुसज्जित एक या अधिक अस्पताल;

(iii) नर्सों के प्रशिक्षण के लिए कर्मचारिवृंद और आवश्यक साज-सामान से सुसज्जित नर्सिंग महाविद्यालय;

(iv) ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, जो संस्थान के चिकित्सा और नर्सिंग छात्रों के फील्ड प्रशिक्षण के लिए केंद्रों के रूप में होंगे; और

(v) विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य कर्मकारों जैसे कि भौतिक चिकित्साविद, व्यवसाय चिकित्सक और विभिन्न प्रकार के चिकित्सा तकनीशियनों के प्रशिक्षण के लिए अन्य संस्थाएं;

(छ) भारत में विभिन्न आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित कर सकेगा;

(ज) पूर्व-स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा, नर्सिंग और संबद्ध विशिष्ट विषयों की शिक्षा में परीक्षाएं आयोजित कर सकेगा और ऐसी डिग्रियां, डिप्लोमे और अन्य विद्या संबंधी सम्मान तथा उपाधियां प्रदान कर सकेगा, जो विनियमों में अधिकथित किए जाएं;

(झ) विनियमों के अनुसार आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों के रूप में और अन्य प्रकार के पदों पर व्यक्तियों को प्रतिष्ठित और नियुक्त कर सकेगा;

(ञ) सरकार से अनुदान और, यथास्थिति, दाताओं, हिताधिकारियों, वसीयतकर्ताओं या अंतरकों से जंगम और स्थावर, दोनों प्रकार की, संपत्तियों के दान, संदान, उपकृतियां, वसीयतें और अंतरण प्राप्त कर सकेगा;

(ट) संस्थान की या उसमें निहित ऐसी किसी संपत्ति के संबंध में ऐसी किसी रीति में व्यवहार कर सकेगा, जो धारा 12 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों का संवर्धन करने के लिए आवश्यक समझी जाती है;

(ठ) केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसी फीस और अन्य प्रभारों की मांग कर सकेगा और उन्हें प्राप्त कर सकेगा, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं;

(ड) अपने कर्मचारिवृंद के लिए क्वार्टरों का निर्माण कर सकेगा और ऐसे विनियमों के अनुसार, जो इस निमित्त बनाए जाएं, कर्मचारिवृंद को ऐसे क्वार्टर आबंटित कर सकेगा;

(ढ) केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से संस्थान की संपत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार ले सकेगा;

(ण) ऐसे सभी अन्य कार्य और बातें कर सकेगा, जो धारा 13 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों।

संपत्ति का निहित होना।

15. (1) कर्नाटक सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 के अधीन रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर की संपत्तियां इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को संस्थान में निहित हो जाएंगी। 1960 का कर्नाटक अधिनियम सं. 17

(2) संस्थान की सभी आय और संपत्ति को इस अधिनियम में यथा उपवर्णित उसके उद्देश्यों के संवर्धन के संबंध में उपयोजित किया जाएगा।

(3) संस्थान की आय और संपत्ति का कोई भी भाग ऐसे व्यक्तियों को, जो संस्थान के सदस्य हैं या किसी समय सदस्य रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, लाभ के रूप में संदत्त या अंतरित नहीं किया जाएगा :

परंतु इसमें अंतर्विष्ट कोई बात संस्थान को दी गई सेवाओं के लिए उसके किसी सदस्य या अन्य व्यक्तियों को पारिश्रमिक और अन्य भत्तों के संदाय से निवारित नहीं करेगी।

संस्थान को संदाय।

16. केंद्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संस्थान को, ऐसी धनराशियों का और ऐसी रीति में, जो इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन के लिए उस सरकार द्वारा आवश्यक समझी जाएं, संदाय कर सकेगी।

संस्थान की निधि।

17. (1) संस्थान, एक निधि रखेगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे,—

(क) केंद्रीय सरकार और कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा दी गई सभी धनराशियां;

(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी फीसें और अन्य प्रभार;

(ग) संस्थान द्वारा अनुदानों, दानों, संदानों, उपकृतियों, वसीयतों या अंतरणों के रूप में प्राप्त सभी धनराशियां; और

(घ) संस्थान द्वारा किसी अन्य रीति या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धनराशियां।

(2) निधि में जमा की गई सभी धनराशियां ऐसे बैंकों में जमा या ऐसी रीति में विनिहित की जाएंगी, जो संस्थान, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, विनिश्चित करे।

(3) निधि का उपयोग संस्थान के व्ययों की, जिसके अंतर्गत धारा 14 के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और उसके कृत्यों के निर्वहन में उपगत व्यय भी हैं, पूर्ति के मद्दे किया जाएगा।

संस्थान का बजट।

18. संस्थान, प्रत्येक वर्ष, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर ठीक आगामी वित्तीय वर्ष की बाबत संस्थान की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दर्शित करते हुए एक बजट तैयार करेगा और उसकी उतनी प्रतियां केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा, जितनी विहित की जाएं।

लेखा और संपरीक्षा।

19. (1) संस्थान उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत तुलनपत्र भी है, ऐसे प्ररूप में, जो केंद्रीय सरकार विहित करे, और ऐसे साधारण निदेशों के अनुसार, जो उस सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाएं, तैयार करेगा।

(2) संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी और उस संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय संस्थान द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और उसे विशिष्ट रूप से बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने तथा संस्थान और उसके द्वारा स्थापित तथा चलाई जा रही संस्थाओं के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित संस्थान के लेखे, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ, हर वर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट।

20. संस्थान प्रत्येक वर्ष के लिए उस वर्ष के दौरान के अपने कार्यकलापों की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट को ऐसे प्ररूप में और उस तारीख को या उसके पूर्व, जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा तथा इस रिपोर्ट की एक प्रति, उसकी प्राप्ति के एक मास के भीतर, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी।

पेंशन और भविष्य निधियां।

21. (1) संस्थान अपने अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसी पेंशन और भविष्य निधियों का गठन करेगा, जो वह ठीक समझे।

(2) जहां किसी ऐसी पेंशन या भविष्य निधि का गठन किया गया है, वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषणा कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध उस निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो कि वह कोई सरकारी भविष्य निधि हो।

1925 का 19

संस्थान के आदेशों और लिखतों का अधिप्रमाणन।

22. संस्थान के सभी आदेश और विनिश्चय निदेशक या संस्थान द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे और सभी अन्य लिखतों को निदेशक या उन अधिकारियों के, जो संस्थान द्वारा प्राधिकृत किए जाएं, हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किया जाएगा।

कार्यों और कार्यवाहियों का रिक्तियों, आदि के कारण अविधिमान्य न होना।

23. संस्थान, शासी निकाय या किसी स्थायी या तदर्थ समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी कार्य या की गई किसी कार्यवाही को केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि संस्थान, शासी निकाय या ऐसी स्थायी या तदर्थ समिति में कोई रिक्ति विद्यमान है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

संस्थान द्वारा आयुर्विज्ञान डिग्रियों, डिप्लोमाओं आदि का दिया जाना।

24. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, संस्थान को इस अधिनियम के अधीन आयुर्विज्ञान और नर्सिंग डिग्रियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या संबंधी सम्मान तथा उपाधियां प्रदान करने की शक्ति होगी।

संस्थान द्वारा प्रदान की गई आयुर्विज्ञान अर्हताओं की मान्यता।

1956 का 102
1992 का 34
1947 का 48
1956 का 3

25. भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956, भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 और भारतीय नर्सिंग परिषद् अधिनियम, 1947 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन संस्थान द्वारा प्रदान की गई आयुर्विज्ञान डिग्रियां, डिप्लोमे, नर्सिंग डिग्रियां और प्रमाणपत्र पूर्वोक्त अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी और संबंधित अधिनियमों की अनुसूची में सम्मिलित की गई समझी जाएंगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण।

26. संस्थान ऐसे निदेशों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे समय-समय पर जारी किए जाएं।

मतभेदों का समाधान।

27. यदि इस अधिनियम के अधीन संस्थान द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में या उसके संबंध में संस्थान और केन्द्रीय सरकार के बीच कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है तो उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

विवरिणयां और सूचना।

28. संस्थान, केन्द्रीय सरकार को ऐसी रिपोर्टें, विवरणियां और अन्य सूचना प्रस्तुत करेगा जिनकी वह सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।

विद्यमान कर्मचारियों की सेवा का अंतरण

29. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर में नियोजित है, ऐसे प्रारम्भ से ही संस्थान का कर्मचारी हो जाएगा और उसमें उसी अवधि तक, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तथा पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य-निधि और अन्य मामलों के संबंध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ, अपना पद या सेवा धारण करेगा जो उसने, इस अधिनियम के पारित न किए जाने की दशा में इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को धारित किया होता और तब तक जब तक कि उसका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता है या ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और निबंधनों तथा शर्तों को विनियमों द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दिया जाता, ऐसा करता रहेगा :

परंतु किसी ऐसे व्यक्ति की पदावधि, पारिश्रमिक और सेवा के निबंधनों और शर्तों में, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति।

30. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, संस्थान से परामर्श करके, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ञ) और खंड (ट) के अधीन सदस्यों के नामनिर्देशन की रीति;

(ख) धारा 6 की उपधारा (8) के अधीन सदस्यों की रिक्तियां भरने की रीति;

(ग) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन संस्थान के अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निर्वहन किए जाने वाले कृत्य;

(घ) धारा 9 के अधीन संस्थान के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते;

(ङ) धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन स्थायी और तदर्थ समितियों के गठन के संबंध में नियंत्रण और निर्बंधन;

(च) धारा 12 के अधीन संस्थान के निदेशक और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति तथा निदेशक और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें;

(छ) वह प्ररूप, जिसमें और वह समय, जिसके भीतर धारा 18 के अधीन संस्थान द्वारा बजट और रिपोर्टें तैयार की जाएंगी;

(ज) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण, जिसके अंतर्गत तुलन-पत्र भी है, का प्ररूप;

(झ) धारा 20 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप;

(ञ) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे नियमों द्वारा विहित किया जाना है या जो विहित किया जाए।

विनियम बनाने की शक्ति।

31. (1) संस्थान, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा और इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में, निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा,—

(क) धारा 10 के अधीन संस्थान की पहली बैठक से भिन्न बैठकें बुलाना और आयोजित करना, वह समय और स्थान, जहां ऐसी बैठकें आयोजित की जाएंगी और उन बैठकों में कारबार का संचालन;

(ख) धारा 11 के अधीन शासी निकाय और स्थायी तथा तदर्थ समितियों का गठन करने की रीति तथा उनकी पदावधि तथा उनमें की रिक्तियों को भरने की रीति, सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते तथा शासी निकाय, स्थायी और तदर्थ समितियों द्वारा अपने कारबार के संचालन, उनकी शक्ति के प्रयोग, उनके कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;

(ग) धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन संस्थान के निदेशक की शक्तियां और कर्त्तव्य, उपधारा (5) के अधीन अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के पदनाम और उनकी श्रेणियां तथा उपधारा (6) के अधीन सेवा की अन्य शर्तें;

(घ) धारा 14 के अधीन निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करने की संस्थान की शक्ति,—

(i) खंड (ङ) के अधीन पूर्व-स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा के पाठ्यक्रम और विशेष पाठ्यक्रम;

(ii) खंड (ज) के अधीन परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्रियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या संबंधी सम्मान तथा उपाधियां प्रदान करना;

(iii) खंड (झ) के अधीन आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद तथा अन्य ऐसे पद, जो संस्थित किए जा सकेंगे और ऐसे व्यक्ति, जो उन पदों पर नियुक्त किए जा सकेंगे;

(iv) खंड (ट) और खंड (ड) के अधीन संस्थान की संपत्तियों का प्रबंध;

(v) ऐसी फीस और अन्य प्रभार, जिनकी खंड (ठ) के अधीन संस्थान द्वारा मांग की जा सकेगी और जिन्हें प्राप्त किया जा सकेगा;

(ड) वह रीति, जिसमें और वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए, धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन संस्थान के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन और भविष्य-निधि का गठन किया जा सकेगा;

(च) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसके लिए विनियमों द्वारा इस अधिनियम के अधीन उपबंध किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रथम विनियम केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और इस प्रकार बनाए गए किन्हीं विनियमों को संस्थान द्वारा उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिवर्तित या विखंडित किया जा सकेगा।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना।

32. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

33. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

धन-शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2012

(2013 का अधिनियम संख्यांक 2)

[3 जनवरी, 2013]

धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन

2003 का 15

2. धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(चक) "हिताधिकारी स्वामी" से ऐसा व्यष्टि, जो अंततः किसी रिपोर्टकर्ता इकाई का स्वामी है या उसके किसी ग्राहक पर नियंत्रण रखता है या ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी ओर से कोई संव्यवहार किया जा रहा है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जो किसी विधिक व्यक्ति पर अंतिम प्रभावशाली नियंत्रण का प्रयोग करता है ;';

(ii) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(जक) "ग्राहक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी रिपोर्टकर्ता इकाई के साथ किसी वित्तीय संव्यवहार और क्रियाकलाप में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जिसकी ओर से वह व्यक्ति, जिसने संव्यवहार या क्रियाकलाप में लगाया हुआ है, कार्य कर रहा है;';

(iii) खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(झक) "तत्स्थानी विधि" से इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के तत्समान किसी विदेश की या उस देश में के ऐसे अपराधों से, जो अनुसूचित अपराधों में से किसी के तत्समान हो, संबद्ध कोई विधि अभिप्रेत है;

(झख) "व्यौहारी" का वही अर्थ है, जो केंद्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ख) में उसका है;'; 1956 का 74

(iv) खंड (ञक) का लोप किया जाएगा;

(v) खंड (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ठ) "वित्तीय संस्था" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खंड (ग) में यथा परिभाषित वित्तीय संस्था अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई चिट फंड कंपनी, आवासन वित्त संस्था, कोई प्राधिकृत व्यक्ति, कोई संदाय प्रणाली आपरेटर, कोई गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी तथा भारत सरकार का डाक विभाग भी है;'; 1934 का 2

(vi) खंड (ढ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ढ) "मध्यवर्ती" से,—

(i) कोई स्टाक दलाल, उप दलाल, शेयर अंतरण अभिकर्ता, किसी निर्गम (इश्यू) का बैंककार, किसी न्यास विलेख का न्यासी, निर्गम का रजिस्ट्रार, वाणिज्यिक बैंककार, निम्नांकक, संविभाग प्रबंधक, विनिधान सलाहकार या ऐसा कोई अन्य मध्यवर्ती, जो प्रतिभूति बाजार से सहयुक्त और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; या 1992 का 15

(ii) अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के अधीन मान्यताप्राप्त या रजिस्ट्रीकृत कोई संगम या ऐसे संगम का कोई सदस्य; या 1952 का 74

(iii) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्ती; या

(iv) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट कोई मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज, 1956 का 42

अभिप्रेत है;';

(vii) खंड (थ) में, "और जिसके अंतर्गत अभिहित कारबार या वृत्ति चलाने वाला व्यक्ति भी है" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(viii) खंड (दक) के उपखंड (i) में, "विप्रेषित" शब्द के स्थान पर "किसी रीति में अंतरित" शब्द रखे जाएंगे;

(ix) खंड (ध) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(धक) "अभिहित कारबार या वृत्ति चलाने वाले व्यक्ति" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं,—

(i) नकद या वस्तु के लिए सट्टे के खेल खेलने संबंधी क्रियाकलाप करने वाला कोई व्यक्ति, और इसके अंतर्गत कैसिनो से सहयुक्त क्रियाकलाप भी हैं;

1908 का 16

(ii) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के अधीन नियुक्त कोई रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार, जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(iii) भू-संपदा अभिकर्ता, जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(iv) बहुमूल्य धातुओं और बहुमूल्य रत्नों तथा अन्य उच्च मूल्य वाले माल का व्यौहारी, जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(v) अन्य व्यक्तियों की ओर से नकदी और द्रव्य प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखने और उनके प्रशासन में लगा हुआ व्यक्ति, जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए; या

(vi) ऐसे अन्य क्रियाकलाप करने वाला व्यक्ति, जिसे केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर इस प्रकार अभिहित करे;

(धख) "बहुमूल्य धातु" से सोना, चांदी, प्लैटिनम, पैलेडियम या रोडियम या ऐसी अन्य धातु अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए;

(धग) "बहुमूल्य रत्न" से हीरा, पन्ना, माणिक्य, नीलम या कोई ऐसा अन्य रत्न अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;';

(x) खंड (फ) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि "संपत्ति" पद के अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या किसी अनुसूचित अपराध को करने में प्रयुक्त किसी प्रकार की संपत्ति भी है;

1994 का 32

(फक) "भू-संपदा अभिकर्ता" से वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 के खंड (88) में यथापरिभाषित कोई भू-संपदा अभिकर्ता अभिप्रेत है;';

(xi) खंड (ब) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(बक) "रिपोर्टकर्ता इकाई" से कोई बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था, मध्यवर्ती या कोई अभिहित कारबार या वृत्ति चलाने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;' ।

धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में, "जो कोई, अपराध के आगमों से संबंधित किसी प्रक्रिया या क्रियाकलाप में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः लिप्त होने का प्रयत्न करेगा या जानते हुए सहायता करेगा या जानते हुए उसका पक्षकार बनेगा या वास्तव में उसमें अंतर्वलित होगा और उसे निष्कलंक संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करेगा, वह धन-शोधन के अपराध का दोषी होगा।" शब्दों के स्थान पर, "जो कोई, अपराध के आगमों से संबंधित ऐसी किसी प्रक्रिया या क्रियाकलाप में, जिसके अंतर्गत उसका छिपाया जाना, कब्जा रखना, अर्जन या उपयोग भी है, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः लिप्त होने का प्रयत्न करेगा या जानते हुए

सहायता करेगा या जानते हुए उसका पक्षकार बनेगा या वास्तव में उसमें अंतर्वलित होगा और निष्कलंक संपत्ति के रूप में उसे प्रस्तुत करेगा या उसका दावा करेगा, वह धन-शोधन के अपराध का दोषी होगा।" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 4 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 में, ", जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 5 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) जहां निदेशक या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निदेशक द्वारा प्राधिकृत ऐसे किसी अन्य अधिकारी, जो उपनिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, के पास उसके कब्जे में की सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास का कारण लेखबद्ध किया जाएगा) कि,—

(क) किसी व्यक्ति के कब्जे में अपराध के कोई आगम हैं; और

(ख) अपराध के ऐसे आगमों को छिपाए जाने, अंतरित किए जाने या उनका किसी ऐसी रीति में व्यौहार किए जाने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप इस अध्याय के अधीन अपराध के ऐसे आगमों के अधिहरण से संबंधित कोई कार्यवाहियां निष्फल हो सकती हैं,

वहां, वह लिखित आदेश द्वारा, आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिन से अनधिक अवधि के लिए ऐसी संपत्ति को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनन्तिम रूप से कुर्क कर सकेगा:

परंतु कुर्की का ऐसा आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि यथास्थिति, अनुसूचित अपराध के संबंध में कोई रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अधीन किसी मजिस्ट्रेट को अग्रेषित न कर दी गई हो या उस अनुसूची में वर्णित अपराध का अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध का संज्ञान लेने के लिए किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष कोई परिवाद फाइल न कर दिया गया हो अथवा किसी अन्य देश की तत्स्थानी विधि के अधीन वैसी ही कोई रिपोर्ट न कर दी गई हो अथवा परिवाद फाइल न कर दिया गया हो: 1974 का 2

परंतु यह और कि खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति की किसी संपत्ति की इस धारा के अधीन कुर्की की जा सकेगी, यदि निदेशक या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी, जो उपनिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, के पास उसके कब्जे में की सामग्री के आधार पर, यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास का कारण लेखबद्ध किया जाएगा) कि यदि धन-शोधन में अंतर्वलित उस संपत्ति को इस अध्याय के अधीन तुरंत कुर्क नहीं किया जाता है तो संपत्ति की कुर्की न किए जाने से इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के निष्फल हो जाने की संभावना है।"।

रा 8 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(i) उपधारा (1) में, "अभिगृहीत" शब्द के पश्चात्, "या अवरुद्ध" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) में,—

(क) आरंभिक भाग में, "धारा 17 अथवा धारा 18 के अधीन अभिगृहीत संपत्ति या अभिलेख के प्रतिधारण की पुष्टि करेगा तथा उस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और ऐसी कुर्की या अभिगृहीत

संपत्ति या अभिलेख का प्रतिधारण—" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 17 अथवा धारा 18 के अधीन अभिगृहीत या अवरुद्ध संपत्ति अथवा अभिलेख के प्रतिधारण की पुष्टि करेगा तथा उस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा, जिसके पश्चात् ऐसी कुर्की अथवा अभिगृहीत या अवरुद्ध संपत्ति अथवा अभिलेख का प्रतिधारण या अवरोधन—" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) खंड (क) में, "न्यायालय के समक्ष किसी अनुसूचित अपराध" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, किसी न्यायालय के समक्ष इस अधिनियम के अधीन या भारत के बाहर दांडिक अधिकारिता वाले सक्षम न्यायालय के समक्ष किसी अन्य देश की तत्समय विधि के अधीन किसी अपराध" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ख) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा धारा 8 की उपधारा (5) या उपधारा (7) या धारा 58ख या धारा 60 की उपधारा (2क) के अधीन अधिहरण का आदेश पारित किए जाने के पश्चात् अंतिम हो जाएगा।";

(iii) उपधारा (4) में, "तत्काल कुर्क की गई संपत्ति का कब्जा ले लेगा।" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"धारा 5 के अधीन कुर्क की गई या धारा 17 की उपधारा (1क) के अधीन अवरुद्ध की गई संपत्ति का, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, तत्काल कब्जा ले लेगा:

परंतु यदि धारा 17 की उपधारा (1क) के अधीन अवरुद्ध की गई संपत्ति का कब्जा लेना व्यवहार्य नहीं है तो अधिहरण के आदेश का वही प्रभाव होगा मानो संपत्ति का कब्जा ले लिया गया है।";

(iv) उपधारा (5) और उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(5) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण की समाप्ति पर विशेष न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धन-शोधन का अपराध किया गया है, वहां वह यह आदेश करेगा कि ऐसी संपत्ति, जो धन-शोधन में अंतर्वलित है या जिसका धन-शोधन के अपराध के किए जाने के लिए उपयोग किया गया है, केंद्रीय सरकार को अधिहृत हो जाएगी।

(6) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी विचारण की समाप्ति पर विशेष न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धन-शोधन का अपराध नहीं किया गया है या संपत्ति धन-शोधन में अंतर्वलित नहीं है, वहां वह उस संपत्ति को उसे प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को सौंपने का आदेश देगा।

(7) जहां अभियुक्त की मृत्यु या अभियुक्त को कोई उद्घोषित अपराधी घोषित किए जाने के कारण या किसी अन्य कारण से, इस अधिनियम के अधीन विचारण नहीं किया जा सका है या प्रारंभ हो जाने पर पूरा नहीं किया जा सका है, वहां विशेष न्यायालय, निदेशक द्वारा या ऐसी किसी संपत्ति के, जिसकी बाबत धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है, कब्जे का हकदार होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर उसके समक्ष की सामग्री पर विचार करने के पश्चात् धन-शोधन के अपराध में अंतर्वलित संपत्ति के, यथास्थिति, अधिहरण या उसकी निर्मुक्ति के संबंध में समुचित आदेश पारित करेगा।"।

धारा 9 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(i) आरंभिक भाग में, "धारा 8 की उपधारा (6)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 8 की उपधारा (5) या उपधारा (7) या धारा 58ख या धारा 60 की उपधारा (2क)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) पहले परंतुक में,—

(क) "न्यायनिर्णायक प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, विशेष न्यायालय या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "अभिगृहीत" शब्द के पश्चात्, "या अवरुद्ध" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 10 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) में, "धारा 8 की उपधारा (6)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 8 की उपधारा (5) या उपधारा (6) या उपधारा (7) या धारा 58ख या धारा 60 की उपधारा (2क)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 12 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

रिपोर्टकर्ता इकाई द्वारा अभिलेखों का रखा जाना ।

"12. (1) प्रत्येक रिपोर्टकर्ता इकाई,—

(क) सभी संव्यवहारों का, जिनके अंतर्गत खंड (ख) के अधीन आने वाले संव्यवहारों से संबंधित सूचना भी है, ऐसी रीति में अभिलेख रखेगी, जो उसे व्यष्टिक संव्यवहारों की पुनर्रचना करने में समर्थ बनाए;

(ख) ऐसे संव्यवहारों के संबंध में, चाहे वे प्रयतित हों या निष्पादित, जिनकी प्रकृति और मूल्य विहित किया जा सकता है, सूचना, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, निदेशक को देगी;

(ग) अपने ग्राहकों की पहचान का, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, सत्यापन करेगी;

(घ) अपने ऐसे ग्राहकों के, जो विहित किए जाएं, हिताधिकारी स्वामी की, यदि कोई हो, पहचान करेगी;

(ङ) अपने ग्राहकों और हिताधिकारी स्वामियों की पहचान को साक्ष्यित करने वाले दस्तावेजों और अपने ग्राहकों से संबंधित खातों की फाइलों तथा कारबार संबंधी पत्राचार का अभिलेख रखेगी।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, रखी गई, दी गई या सत्यापित की गई प्रत्येक सूचना गोपनीय रखी जाएगी।

(3) उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट अभिलेख किसी ग्राहक और रिपोर्टकर्ता इकाई के बीच के संव्यवहार की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए रखे जाएंगे।

(4) उपधारा (1) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट अभिलेख किसी ग्राहक और रिपोर्टकर्ता इकाई के बीच कारोबारी संबंध समाप्त होने या खाता बंद किए जाने के पश्चात्, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, पांच वर्ष की अवधि के लिए रखे जाएंगे।

(5) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी रिपोर्टकर्ता इकाई या रिपोर्टकर्ता इकाइयों के वर्ग को इस अध्याय के अधीन किसी बाध्यता से छूट प्रदान कर सकेगी।" ।

नई धारा 12क का अंतःस्थापन।

10. मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

सूचना तक पहुंच ।

"12क. (1) निदेशक, किसी रिपोर्टकर्ता इकाई से धारा 12 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अभिलेख और ऐसी कोई अतिरिक्त सूचना मंगा सकेगा, जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे।

(2) प्रत्येक रिपोर्टकर्ता इकाई निदेशक को ऐसी सूचना, जो उपधारा (1) के अधीन उससे अपेक्षित हो, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो वह विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगी।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, निदेशक द्वारा उपधारा (1) के अधीन ईप्सित प्रत्येक सूचना गोपनीय रखी जाएगी।"।

धारा 13 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 13 में,—

(i) उपधारा (1) में "धारा 12 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिलेख मंगा सकेगा और ऐसी जांच कर सकेगा या ऐसी जांच करा सकेगा, जो वह ठीक समझे" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "रिपोर्टकर्ता इकाई की बाध्यताओं के संबंध में ऐसी जांच कर सकेगा या ऐसी जांच करा सकेगा, जिसका वह इस अध्याय के अधीन आवश्यक होना ठीक समझे" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(1क) यदि निदेशक की अपने समक्ष की जांच या किन्हीं अन्य कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर, मामले की प्रकृति और जटिलता को ध्यान में रखते हुए, यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह संबंधित रिपोर्टकर्ता इकाई को अपने अभिलेखों की, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा रखे गए लेखाकारों के पैनल में से किसी लेखाकार द्वारा संपरीक्षा कराए जाने का निदेश दे सकेगा।

(1ख) उपधारा (1क) के अधीन किसी संपरीक्षा के या उसके आनुषंगिक व्यय केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।";

(iii) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) यदि निदेशक, किसी जांच के किसी प्रक्रम पर यह पाता है कि कोई रिपोर्टकर्ता इकाई या बोर्ड में का उसका अभिहित निदेशक या उसका कोई कर्मचारी इस अध्याय के अधीन बाध्यताओं का पालन करने में असफल रहा है तो ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर, जो इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन की जा सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह,—

(क) लिखित में चेतावनी जारी कर सकेगा; या

(ख) उस रिपोर्टकर्ता इकाई या बोर्ड में के उसके अभिहित निदेशक या उसके किसी कर्मचारी को विनिर्दिष्ट अनुदेशों का पालन करने का निदेश दे सकेगा; या

(ग) उस रिपोर्टकर्ता इकाई या बोर्ड में के उसके अभिहित निदेशक या उसके किसी कर्मचारी को, ऐसे अंतरालों पर, जो विहित किए जाएं, उसके द्वारा किए जा रहे उपायों पर रिपोर्टें भेजने का निदेश दे सकेगा; या

(घ) आदेश द्वारा उस रिपोर्टकर्ता इकाई या बोर्ड में के उसके अभिहित निदेशक या उसके किसी कर्मचारी पर ऐसी कोई धनीय शास्ति, जो प्रत्येक असफलता के लिए दस हजार रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, अधिरोपित कर सकेगा।" ;

(iv) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "लेखाकार" से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अर्थांतर्गत कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है।' । 1949 का 38

धारा 14 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

कतिपय मामलों में रिपोर्टकर्ता इकाई, उसके निदेशकों और कर्मचारियों के विरुद्ध किन्हीं सिविल या दांडिक कार्यवाहियों का न होना ।

"14. धारा 13 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, रिपोर्टकर्ता इकाई, उसके निदेशक और कर्मचारी धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन सूचना देने के लिए अपने विरुद्ध किन्हीं सिविल या दांडिक कार्यवाहियों के लिए दायी नहीं होंगे।"।

धारा 15 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

रिपोर्टकर्ता इकाइयों द्वारा सूचना देने की प्रक्रिया और रीति।

"15. केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन किसी रिपोर्टकर्ता इकाई द्वारा सूचना रखे जाने और देने की प्रक्रिया और रीति विहित कर सकेगी।"।

धारा 17 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 17 में,–

(i) उपधारा (1) में,–

(क) खंड (iii) में, "में रखा है," शब्दों के पश्चात्, "या" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(iv) अपराध से संबंधित किसी संपत्ति को कब्जे में रखा है,";

(ग) खंड (घ) में, "ऐसे अभिलेख पर" शब्दों के स्थान पर "ऐसे अभिलेख या संपत्ति पर, यदि अपेक्षित हो" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:–

"परंतु ऐसी कोई तलाशी तब तक नहीं ली जाएगी जब तक कि अनुसूचित अपराध के संबंध में कोई रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 157 के अधीन किसी मजिस्ट्रेट को अग्रेषित न कर दी गई हो या अनुसूची में वर्णित अपराध का अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध का संज्ञान करने के लिए, यथास्थिति, किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष कोई परिवाद फाइल न कर दिया गया हो अथवा ऐसे मामलों में जहां ऐसी रिपोर्ट अग्रेषित की जानी अपेक्षित नहीं है वहां प्राप्त सूचना की या अन्यथा वैसी ही रिपोर्ट किसी अनुसूचित अपराध का अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा भारत सरकार के अपर सचिव या उसके समतुल्य पंक्ति से अन्यून के किसी अधिकारी को, जो, यथास्थिति, मंत्रालय या विभाग या इकाई का प्रधान हो, या ऐसे किसी अन्य अधिकारी को, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया जाए, प्रस्तुत न कर दी गई हो।"; 1974 का 2

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) जहां ऐसे अभिलेख या संपत्ति का अभिग्रहण करना व्यवहार्य नहीं है, वहां उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी, उस संपत्ति को अवरुद्ध करने का आदेश कर सकेगा, जिसके पश्चात् उस संपत्ति का, ऐसा आदेश करने वाले अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय, अंतरण या अन्यथा व्यौहार नहीं करेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति की संबंधित व्यक्ति पर तामील की जाएगी:

परंतु यदि धारा 8 की उपधारा (5) या उपधारा (7) या धारा 58ख या धारा 60 की उपधारा (2क) के अधीन उसके अधिहरण के पूर्व किसी समय, अवरुद्ध की गई किसी संपत्ति का अभिग्रहण करना व्यवहार्य हो जाता है तो उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी उस संपत्ति का अभिग्रहण कर सकेगा।";

(iii) उपधारा (2) में, "तलाशी और अभिग्रहण के ठीक पश्चात्" शब्दों के पश्चात्, "या अवरुद्ध करने का आदेश जारी करने पर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iv) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(4) उपधारा (1) के अधीन किसी अभिलेख या संपत्ति को अभिगृहीत करने या उपधारा (1क) के अधीन किसी अभिलेख या संपत्ति को अवरुद्ध करने वाला प्राधिकारी, यथास्थिति, ऐसे अभिग्रहण या अवरोधन से तीस दिन की अवधि के भीतर, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष, उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत किए गए ऐसे अभिलेख या संपत्ति के प्रतिधारण का या उपधारा (1क) के अधीन तामील किए गए अवरोधन के आदेश को जारी रखे जाने का अनुरोध करते हुए आवेदन फाइल करेगा।"।

धारा 18 का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु किसी व्यक्ति की ऐसी कोई तलाशी तब तक नहीं ली जाएगी जब तक कि अनुसूचित अपराध के संबंध में कोई रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 157 के अधीन किसी मजिस्ट्रेट को अग्रेषित न कर दी गई हो या अनुसूची में वर्णित अपराध का अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध का संज्ञान करने के लिए, यथास्थिति, किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष कोई परिवाद फाइल न कर दिया गया हो अथवा ऐसे मामलों में जहां ऐसी रिपोर्ट अग्रेषित की जानी अपेक्षित नहीं है वहां प्राप्त सूचना की या अन्यथा वैसी ही रिपोर्ट किसी अनुसूचित अपराध का अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा भारत सरकार के अपर सचिव या उसके समतुल्य पंक्ति से अन्यून के किसी अधिकारी को, जो, यथास्थिति, मंत्रालय या विभाग या इकाई का प्रधान हो, या ऐसे किसी अन्य अधिकारी को, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया जाए, प्रस्तुत न कर दी गई हो।"।

1974 का 2

धारा 20 और धारा 21 के स्थान पर, नई धाराओं का प्रतिस्थापन।

16. मूल अधिनियम की धारा 20 और धारा 21 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

संपत्ति का प्रतिधारण।

"20. (1) जहां कोई संपत्ति धारा 17 या धारा 18 के अधीन अभिगृहीत या धारा 17 की उपधारा (1क) के अधीन अवरुद्ध की गई है और निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के पास, उसके कब्जे में की सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण (ऐसे विश्वास का कारण उसके द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा) है कि ऐसी संपत्ति को धारा 8 के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित

किया जाना अपेक्षित है, वहां ऐसी संपत्ति, उस तारीख से, जिसको ऐसी संपत्ति, यथास्थिति, अभिगृहीत या अवरुद्ध की गई थी, एक सौ अस्सी दिन से अनधिक की अवधि के लिए, यदि वह अभिगृहीत की गई है तो प्रतिधारित की जा सकेगी या यदि अवरुद्ध की गई है तो अवरुद्ध बनी रह सकेगी।

(2) निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, उसके द्वारा धारा 8 के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए संपत्ति के प्रतिधारण या अवरोधन के जारी रखे जाने संबंधी आदेश के पारित किए जाने के ठीक पश्चात्, आदेश की एक प्रति, उपधारा (1) में निर्दिष्ट उसके कब्जे में की सामग्री के साथ, एक सीलबंद लिफाफे में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा और ऐसा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण उस आदेश और सामग्री को ऐसी अवधि के लिए रखेगा, जो विहित की जाए।

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण उक्त अवधि से परे ऐसी संपत्ति का प्रतिधारण या उसके अवरोध के जारी रखे जाने की अनुज्ञा नहीं देता है तो वह संपत्ति उस व्यक्ति को, जिससे ऐसी संपत्ति अभिगृहीत की गई थी या जिसकी संपत्ति को अवरुद्ध किए जाने का आदेश किया गया था, वापस कर दी जाएगी।

(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि से परे ऐसी संपत्ति के प्रतिधारण या अवरोधन के जारी रखे जाने को प्राधिकृत किए जाने से पूर्व, अपना यह समाधान करेगा कि संपत्ति प्रथमदृष्ट्या धन-शोधन में अंतर्वलित है और संपत्ति धारा 8 के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है।

(5) धारा 8 की उपधारा (5) या उपधारा (7) के अधीन अधिहरण का आदेश पारित करने के पश्चात्, यथास्थिति, न्यायालय या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण धन-शोधन में अंतर्वलित संपत्ति से भिन्न सभी संपत्ति उस व्यक्ति को, जिससे ऐसी संपत्ति अभिगृहीत की गई थी या उसे प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्तियों को सौंपने का निदेश देगा।

(6) जहां संपत्ति के सौंपे जाने का कोई आदेश धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन न्यायालय द्वारा या धारा 58ख या धारा 60 की उपधारा (2क) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा किया गया है, वहां निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, यदि उसकी यह राय है कि ऐसी संपत्ति इस अधिनियम के अधीन अपील संबंधी कार्यवाहियों के लिए सुसंगत है, ऐसे आदेश की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के लिए ऐसी किसी संपत्ति के सौंपे जाने को रोक सकेगा।

अभिलेखों का प्रतिधारण ।

21. (1) जहां कोई अभिलेख धारा 17 या धारा 18 के अधीन अभिगृहीत या धारा 17 की उपधारा (1क) के अधीन अवरुद्ध किए गए हैं और अन्वेषण अधिकारी या निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे कोई अभिलेख इस अधिनियम के अधीन किसी जांच के लिए प्रतिधारित किए जाने अपेक्षित हैं, वहां ऐसे अभिलेख उस दिन से, जिसको ऐसे अभिलेख, यथास्थिति, अभिगृहीत या अवरुद्ध किए गए थे, एक सौ अस्सी दिन से अनधिक की अवधि के लिए, यदि वे अभिगृहीत किए गए हैं तो प्रतिधारित किए जा सकेंगे या यदि अवरुद्ध किए गए हैं तो अवरुद्ध बने रह सकेंगे।

(2) वह व्यक्ति, जिससे अभिलेख अभिगृहीत या अवरुद्ध किए गए हों, अभिलेखों की प्रतियां अभिप्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, अभिलेख उस व्यक्ति को, जिससे ऐसे अभिलेख अभिगृहीत किए गए थे या जिसके

अभिलेखों को अवरुद्ध किए जाने का आदेश किया गया था, वापस कर दिए जाएंगे, जब तक कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ऐसे अभिलेखों का उक्त अवधि से परे प्रतिधारण या अवरोधन जारी रखे जाने की अनुमति नहीं देता है।

(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, ऐसे अभिलेखों का, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि से परे प्रतिधारण या अवरोधन जारी रखे जाने को प्राधिकृत करने से पूर्व अपना यह समाधान करेगा कि अभिलेख धारा 8 के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हैं।

(5) धारा 8 की उपधारा (5) या उपधारा (7) के अधीन अधिहरण का आदेश पारित करने के पश्चात्, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी अभिलेख उस व्यक्ति को, जिससे ऐसे अभिलेख अभिगृहीत किए गए थे, सौंपे जाने का निदेश देगा।

(6) जहां अभिलेखों को सौंपे जाने का आदेश धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन न्यायालय द्वारा या धारा 58ख या धारा 60 की उपधारा (2क) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा किया गया है, वहां निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, यदि उसकी यह राय है कि ऐसे अभिलेख इस अधिनियम के अधीन अपील कार्यवाहियों के लिए सुसंगत हैं, ऐसे आदेश की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के लिए ऐसे किन्हीं अभिलेखों के सौंपे जाने को रोक सकेगा।" ।

धारा 22 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) में, "हैं या पाई जाती हैं" शब्दों के पश्चात्, "या जहां इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अभिलेख या संपत्ति किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई है या किसी व्यक्ति की अभिरक्षा या नियंत्रण से पुनः अधिकार में ली गई या अभिगृहीत की गई है या अवरुद्ध की गई है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 23 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 23 में, "अधिहरण के प्रयोजनों के लिए, तब तक उपधारणा की जाएगी कि शेष संव्यवहार ऐसे अंतःसंबंधित संव्यवहारों के भागरूप हैं जब तक कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "अधिहरण या धन-शोधन संबंधी अपराध के विचारण के प्रयोजनों के लिए तब तक यह उपधारणा की जाएगी कि शेष संव्यवहार ऐसे अंतःसंबंधित संव्यवहारों के भागरूप हैं जब तक कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या विशेष न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 24 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 24 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

सबूत का भार ।

"24. इस अधिनियम के अधीन अपराध के आगमों से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों में,—

(क) धारा 3 के अधीन धन-शोधन के अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति के मामले में प्राधिकरण या न्यायालय, जब तक प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता है, यह उपधारणा करेगा कि अपराध के ऐसे आगम धन-शोधन में अंतर्वलित हैं; और

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में प्राधिकरण या न्यायालय, यह उपधारणा कर सकेगा कि अपराध के ऐसे आगम धन-शोधन में अंतर्वलित हैं।"।

धारा 26 का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) में, "बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था या मध्यवर्ती" शब्दों के स्थान पर, "रिपोर्टकर्ता इकाई" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 44 का संशोधन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(क) धारा 4 के अधीन दंडनीय कोई अपराध और उस धारा के अधीन अपराध से संबंधित कोई अनुसूचित अपराध उस क्षेत्र के लिए, जिसमें अपराध किया

गया है, गठित विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा:

परंतु विशेष न्यायालय, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किसी अनुसूचित अपराध का विचारण कर रहा हो, ऐसे अनुसूचित अपराध का विचारण करता रहेगा; या";

(ii) खंड (ख) में, "उस अपराध का संज्ञान कर सकेगा जिसके लिए अभियुक्त को विचारण के लिए उसे सुपुर्द किया जाता है ।" शब्दों के स्थान पर, ", अभियुक्त को विचारण के लिए उसे सुपुर्द किए बिना धारा 3 के अधीन अपराध का संज्ञान कर सकेगा।" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

"(ग) यदि ऐसा न्यायालय, जिसने अनुसूचित अपराध का संज्ञान किया है, उस विशेष न्यायालय से भिन्न है, जिसने उपखंड (ख) के अधीन धन-शोधन के अपराध के परिवाद का संज्ञान किया है, तो वह इस अधिनियम के अधीन कोई परिवाद फाइल करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा कोई आवेदन किए जाने पर अनुसूचित अपराध से संबंधित मामला विशेष न्यायालय को सुपुर्द कर सकेगा और विशेष न्यायालय, उस मामले के प्राप्त होने पर उस पर उस प्रक्रम से आगे कार्यवाही करेगा, जिस पर वह उसके सुपुर्द किया जाता है ;

(घ) कोई विशेष न्यायालय, अनुसूचित अपराध या धन-शोधन के अपराध का विचारण करते समय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अनुसार, जैसे वे सेशन न्यायालय के समक्ष किसी विचारण को लागू होते हैं, विचारण करेगा।"। 1974 का 2

धारा 50 का संशोधन ।

22. मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के खंड (ख) में, "बैंककारी कंपनी या किसी वित्तीय संस्था अथवा किसी कंपनी" शब्दों के स्थान पर, "रिपोर्टकर्ता इकाई" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 54 का संशोधन ।

23. मूल अधिनियम की धारा 54 में,—

(i) आरंभिक भाग में, "अधिकारियों को" शब्दों के स्थान पर, "अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों को" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के सदस्य और धारा 4 के अधीन मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों के अधिकारी ;"; 1956 का 42

(iii) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(जक) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अधिकारी ; 1999 का 41

(जख) अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अधीन स्थापित अग्रिम वायदा बाजार आयोग के अधिकारी ; 1952 का 74

(जग) अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त संगम के अधिकारी और सदस्य ; 1952 का 74

(जघ) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अधिकारी ;

(जङ) भारत सरकार के डाक विभाग के अधिकारी ;

(जच) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के अधीन राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ; 1908 का 16

1988 का 59

(जछ) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय 4 के अधीन मोटर यानों को रजिस्टर करने के लिए सशक्त रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी ;

1949 का 38

(जज) चार्टर्ड अकाउंटेन्ट अधिनियम, 1949 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेन्ट संस्थान के अधिकारी और सदस्य ;

1959 का 23

(जझ) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय लागत लेखापाल संस्थान के अधिकारी और सदस्य ;

1980 का 56

(जञ) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के अधिकारी और सदस्य ;";

(iv) खंड (ञ) में, "बैंककारी कंपनियों" शब्दों के स्थान पर, "रिपोर्टकर्ता इकाइयों" शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 58क और धारा 58ख का अंतःस्थापन । विशेष न्यायालय द्वारा संपत्ति निर्मुक्त किया जाना ।

24. मूल अधिनियम की धारा 58 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"58क. जहां किसी अन्य देश की तत्स्थानी विधि के अधीन भारत के बाहर किसी दंड न्यायालय में आपराधिक मामला बंद करने या किसी विचारण की समाप्ति पर, उस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धन-शोधन का अपराध नहीं हुआ है या भारत में की संपत्ति धन-शोधन में अंतर्वलित नहीं है, वहां विशेष न्यायालय, संबंधित व्यक्ति या निदेशक द्वारा किए गए आवेदन पर, अन्य पक्षकार को सूचना देने के पश्चात् वह संपत्ति उस व्यक्ति को, जो उसे प्राप्त करने के लिए हकदार है, सौंपे जाने का आदेश दे सकेगा ।

संपत्ति के अधिहरण या निर्मुक्ति के लिए किसी संविदाकारी राज्य या प्राधिकरण का अनुरोध-पत्र ।

58ख. जहां अभियुक्त की मृत्यु या अभियुक्त को कोई उद्घोषित अपराधी घोषित किए जाने के कारण या किसी अन्य कारण से किसी अन्य देश की तत्स्थानी विधि के अधीन विचारण नहीं किया जा सका है या प्रारंभ हो जाने पर पूरा नहीं किया जा सका है, वहां केंद्रीय सरकार किसी संविदाकारी राज्य में किसी न्यायालय या प्राधिकरण से, यथास्थिति, संपत्ति का अधिहरण करने या उसे निर्मुक्त करने का अनुरोध करने संबंधी अनुरोध-पत्र प्राप्त हाने पर, उसे निदेशक को विशेष न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए अग्रेषित करेगी और ऐसे आवेदन पर विशेष न्यायालय धन-शोधन के अपराध में अंतर्वलित उस संपत्ति के अधिहरण या उसकी निर्मुक्ति के संबंध में समुचित आदेश पारित करेगा ।"।

धारा 60 का संशोधन।

25. मूल अधिनियम की धारा 60 में,—

(i) उपधारा (1) में, "धारा 5 के अधीन किसी संपत्ति की कुर्की के लिए आदेश किया है या जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने धारा 8 के अधीन किसी संपत्ति की ऐसी कुर्की या अधिहरण की पुष्टि करते हुए कोई आदेश किया है" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 5 के अधीन किसी संपत्ति की कुर्की के लिए या धारा 17 की उपधारा (1क) के अधीन उसके अवरोधन के लिए आदेश किया है या जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने धारा 8 के अधीन किसी संपत्ति के संबंध में कोई आदेश किया है या जहां विशेष न्यायालय ने धारा 8 की उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन किसी संपत्ति के संबंध में अधिहरण का कोई आदेश किया है" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में,—

(क) "कुर्की या उसके अधिहरण" शब्दों के स्थान पर, "कुर्की, उसके अभिग्रहण, अवरोधन या अधिहरण" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "किए गए धारा 3 के अधीन" शब्दों और अंक के स्थान पर, "किसी तत्स्थानी विधि के अधीन किए गए" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) जहां किसी अन्य देश की तत्स्थानी विधि के अधीन भारत के बाहर किसी दंड न्यायालय में आपराधिक मामला बंद करने या किसी विचारण की समाप्ति पर उस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि उस देश की तत्स्थानी विधि के अधीन धन-शोधन का अपराध किया गया है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण उपधारा (2) के अधीन अधिहरण के निष्पादन के लिए निदेशक से आवेदन की प्राप्ति पर, प्रभावित व्यक्तियों को सूचना देने के पश्चात्, यह आदेश करेगा कि वह संपत्ति, जो धन-शोधन में अंतर्वलित है या जिसका धन-शोधन का अपराध किए जाने के लिए उपयोग किया गया है, केंद्रीय सरकार को अधिहृत हो जाएगी ।"।

धारा 63 का संशोधन ।

26. मूल अधिनियम की धारा 63 की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(4) उपधारा (2) के खंड (ग) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति, जो धारा 50 के अधीन जारी किए गए किसी निदेश की साशय अवज्ञा करता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के अधीन अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए भी दायी होगा ।"। 1860 का 45

धारा 69 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 69 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

जुर्माने या शास्ति की वसूली ।

"69. जहां धारा 13 या धारा 63 के अधीन किसी व्यक्ति पर अधिरोपित किसी जुर्माने या शास्ति का संदाय, जुर्माने या शास्ति के अधिरोपण के दिन से छह मास के भीतर नहीं किया जाता है, वहां निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उस रकम की उक्त व्यक्ति से वसूली करने की कार्यवाही उसी रीति में कर सकेगा जैसी कि बकाया की वसूली के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में विहित है और उसे या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को उक्त प्रयोजन के लिए उक्त अनुसूची में वर्णित कर वसूली अधिकारी की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी ।"। 1961 का 43

धारा 70 का संशोधन ।

28. मूल अधिनियम की धारा 70 में, स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी कंपनी को, इस बात के होते हुए भी कि किसी विधिक व्यक्ति का अभियोजन या उसकी दोषसिद्धि किसी व्यष्टि के अभियोजन या दोषसिद्धि पर समाश्रित होगी, अभियोजित किया जा सकेगा ।"।

धारा 73 का संशोधन ।

29. मूल अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन संपत्ति की अनन्तिम कुर्की की रीति ;";

(ii) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङङ) धारा 5 के अधीन कुर्क की गई या धारा 17 की उपधारा (1क) या धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन अवरुद्ध की गई संपत्ति का अभिग्रहण करने या कब्जा लेने की रीति ;";

(iii) खंड (ज) का लोप किया जाएगा ;

(iv) खंड (झ) में, "वह समय, जिसके भीतर" शब्दों के स्थान पर, "संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्य तथा वह समय, जिसके भीतर" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) खंड (ञ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ञ) वह रीति और वे शर्तें, जिनमें धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन रिपोर्टकर्ता इकाइयों द्वारा ग्राहकों की पहचान का सत्यापन किया जाएगा ;

(ञञ) धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन रिपोर्टकर्ता इकाइयों द्वारा ग्राहकों से हिताधिकारी स्वामी की, यदि कोई हो, पहचान कराने की रीति ;

(ञञञ) अंतराल की वह अवधि जिसमें धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन रिपोर्टकर्ता इकाइयों या उनके कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी द्वारा रिपोर्टें भेजी जाती हैं ;" ;

(vi) खंड (त) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(तत) वह रीति, जिसमें धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन संपत्ति के प्रतिधारण या अवरोधन के बनाए रखे जाने का आदेश अग्रेषित किया जाएगा और ऐसे आदेश और सामग्री को रखने की अवधि;"।

अनुसूची का संशोधन ।

30. मूल अधिनियम की अनुसूची में,—

(i) भाग क के स्थान पर निम्नलिखित भाग रखा जाएगा, अर्थात्:—

"भाग क

पैरा 1

भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध

(1860 का 45)

धारा	अपराध का वर्णन
120ख	आपराधिक षड्यंत्र ।
121	भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना ।
121क	धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को राज्य के विरुद्ध करने का षड्यंत्र ।
255	सरकारी स्टाम्प का कूटकरण ।
257	सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना ।
258	कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय ।
259	सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना ।
260	किसी सरकारी स्टाम्प को, कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना ।
302	हत्या ।
304	हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड ।
307	हत्या करने का प्रयत्न ।
308	आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न ।
327	संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना ।

धारा	अपराध का वर्णन
329	संपत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना ।
364क	फिरौती, आदि के लिए व्यपहरण
384 से 389	उद्दापन्न से संबंधित अपराध ।
392 से 402	लूट और डकैती से संबंधित अपराध ।
411	चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना ।
412	ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है ।
413	चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना ।
414	चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना ।
417	छल के लिए दंड ।
418	इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है ।
419	प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड ।
420	छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना ।
421	लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना ।
422	ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना ।
423	अंतरण के ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन ।
424	संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना ।
467	मूल्यवान प्रतिभूति, विल इत्यादि, की कूटरचना ।
471	कूटरचित दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना ।
472 और 473	कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना ।
475 और 476	अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना ।
481	मिथ्या संपत्ति-चिह्न को उपयोग में लाना ।
482	मिथ्या संपत्ति-चिह्न का उपयोग करने के लिए दंड ।
483	अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति-चिह्न का कूटकरण ।
484	लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिह्न का कूटकरण ।
485	संपत्ति-चिह्न के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा ।
486	कूटकृत संपत्ति-चिह्न से चिह्नित माल का विक्रय ।
487	किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिह्न बनाना जिसमें माल रखा है ।
488	किसी ऐसे मिथ्या चिह्न को उपयोग में लाने के लिए दंड ।
489क	करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण ।
489ख	कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना ।

पैरा 2

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन अपराध

(1985 का 61)

धारा	अपराध का वर्णन
15	पोस्त तृण के संबंध में उल्लंघन ।
16	कोका के पौधे और कोका की पत्तियों के संबंध में उल्लंघन ।
17	निर्मित अफीम के संबंध में उल्लंघन ।
18	अफीम पोस्त और अफीम के संबंध में उल्लंघन ।
19	खेतिहर द्वारा अफीम का गबन ।
20	कैनेबिस के पौधे और कैनेबिस के संबंध में उल्लंघन ।
21	विनिर्मित ओषधियों और निर्मितियों के संबंध में उल्लंघन ।
22	मनःप्रभावी पदार्थों के संबंध में उल्लंघन ।
23	स्वापक ओषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों का अवैध रूप से भारत में आयात, भारत से निर्यात या यानांतरण ।
24	स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 12 के उल्लंघन में स्वापक ओषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों में बाह्य व्यवहार ।
25क	स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 9क के अधीन किए गए आदेशों का उल्लंघन ।
27क	अवैध व्यापार का वित्तपोषण और अपराधियों को संश्रय देना ।
29	दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र ।

पैरा 3

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के अधीन अपराध

(1908 का 6)

धारा	अपराध का वर्णन
3	जीवन और संपत्ति को जोखिम में डालने वाला विस्फोट कारित करना ।
4	विस्फोट कारित करने का प्रयत्न करना या जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने के आशय से विस्फोटक बनाना या रखना ।
5	संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाना या अपने पास रखना ।

पैरा 4

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन अपराध

(1967 का 37)

धारा	अपराध का वर्णन
धारा 3 के साथ पठित धारा 10	किसी विधिविरुद्ध संगम, आदि का सदस्य होने के लिए शास्ति ।
धारा 3 के साथ पठित धारा 11	विधिविरुद्ध संगम, आदि की निधियों से बरतने के लिए शास्ति ।
धारा 3 के साथ पठित धारा 13	विधिविरुद्ध क्रियाकलाप के लिए दंड ।

धारा	अपराध का वर्णन
धारा 15 के साथ पठित धारा 16	आतंकवादी कार्य के लिए दंड ।
16क	रेडियोधर्मी पदार्थों, न्यूक्लीयर युक्तियों, आदि की मांग करने के करने के लिए दंड ।
17	आंतकवादी कार्य के लिए निधियां जुटाने के लिए दंड ।
18	षड्यंत्र आदि के लिए दंड ।
18क	आतंकवादी शिविर आयोजित करने के लिए दंड ।
18ख	आतंकवादी कार्य के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की भर्ती करने के लिए दंड ।
19	संश्रय देने, आदि के लिए दंड ।
20	आतंकवादी गैंग या संगठन का सदस्य होने के लिए दंड ।
21	आतंकवाद के आगमों को धारित करने के लिए दंड ।
38	किसी आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध ।
39	किसी आतंकवादी संगठन को दिए गए समर्थन से संबंधित अपराध ।
40	किसी आतंकवादी संगठन के लिए निधि जुटाने का अपराध ।

पैरा 5

आयुध अधिनियम, 1959 के अधीन अपराध

(1959 का 54)

धारा	अपराध का वर्णन
25	आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 5 के उल्लंघन में, किन्हीं आयुधों या गोलाबारूद का विनिर्माण, विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि करना, या उसे विक्रय या अंतरण के लिए अभिदर्शित या प्रस्थापित करना या विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखना । आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 7 के उल्लंघन में, किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारूद को अर्जित करना, अपने कब्जे में रखना या लेकर चलना । विक्षुब्ध क्षेत्रों में अधिसूचित आयुधों के कब्जे के बारे में प्रतिषेध आदि के संबंध में आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 24क का उल्लंघन । विक्षुब्ध क्षेत्रों में के सार्वजनिक स्थानों में या उनमें से होकर अधिसूचित आयुध लेकर चलने के बारे में प्रतिषेध के संबंध में आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 24ख का उल्लंघन । धारा 25 में विनिर्दिष्ट अन्य अपराध ।
26	आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 3, 4, 10 या 12 के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में कोई कार्य ऐसी रीति में करना, जो उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है । आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 5, 6, 7 या 11 के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में कोई कार्य ऐसी रीति में करना, जो उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट है । धारा 26 में विनिर्दिष्ट अन्य अपराध ।
27	आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 5 के उल्लंघन में आयुधों या गोलाबारूद का उपयोग या धारा 7 के उल्लंघन में किन्हीं आयुधों या गोलाबारूद का उपयोग ।

धारा	अपराध का वर्णन
28	कतिपय दशाओं में अग्न्यायुध या नकली अग्न्यायुध का उपयोग और कब्जा।
29	जानते हुए अनुज्ञप्ति रहित व्यक्ति से आयुध आदि क्रय करना या आयुध आदि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त करना, जो उन्हें कब्जे में रखने का हकदार न हो ।
30	अनुज्ञप्ति की किसी शर्त या आयुध अधिनियम, 1959 के किन्हीं उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन ।

पैरा 6

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन अपराध

(1972 का 53)

धारा	अपराध का वर्णन
धारा 9 के साथ पठित धारा 51	वन्य प्राणियों का आखेट करना ।
धारा 17क के साथ पठित धारा 51	विनिर्दिष्ट पादपों के तोड़ने, उखाड़ने आदि के प्रतिषेध से संबंधित धारा 17क के उपबंधों का उल्लंघन ।
धारा 39 के साथ पठित धारा 51	वन्यप्राणियों, आदि के सरकार की संपत्ति होने से संबंधित धारा 39 के उपबंधों का उल्लंघन ।
धारा 44 के साथ पठित धारा 51	अनुज्ञप्ति के बिना ट्राफी और प्राणि-वस्तुओं में व्यवहार के प्रतिषेध से संबंधित धारा 44 के उपबंधों का उल्लंघन
धारा 48 के साथ पठित धारा 51	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राणी आदि के क्रय से संबंधित धारा 48 के उपबंधों का उल्लंघन ।
धारा 49ख के साथ पठित धारा 51	अनुसूचित प्राणियों से व्युत्पन्न ट्राफियों, प्राणि-वस्तुओं, आदि में व्यौहार के प्रतिषेध से संबंधित धारा 49ख के उपबंधों का उल्लंघन ।

पैरा 7

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अधीन अपराध

(1956 का 104)

धारा	अपराध का वर्णन
5	व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए उपाप्त करना, उत्प्रेरित करना या ले जाना ।
6	किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में निरुद्ध करना जहां वेश्यावृत्ति की जाती है।
8	वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए विलुब्ध करना या याचना करना ।
9	अभिरक्षा में के व्यक्ति को विलुब्ध करना ।

पैरा 8

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराध

(1988 का 49)

धारा	अपराध का वर्णन
7	लोक सेवक द्वारा पदीय कार्य के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण लिया जाना ।
8	लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए परितोषण का लेना ।
9	लोक सेवक पर वैयक्तिक असर डालने के लिए परितोषण का लेना ।

धारा	अपराध का वर्णन
10	लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8 या धारा 9 में परिभाषित अपराधों का दुष्प्रेरण ।
13	लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार ।

पैरा 9

विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अपराध

(1884 का 4)

धारा	अपराध का वर्णन
9ख	कतिपय अपराधों के लिए दंड ।
9ग	कंपनियों द्वारा अपराध ।

पैरा 10

पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के अधीन अपराध

(1972 का 52)

धारा	अपराध का वर्णन
धारा 3 के साथ पठित धारा 25	पुरावशेषों और बहुमूल्य कलाकृतियों के निर्यात-व्यापार का उल्लंघन ।
28	कंपनियों द्वारा अपराध

पैरा 11

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन अपराध

(1992 का 15)

धारा	अपराध का वर्णन
धारा 24 के साथ पठित धारा 12क	छलसाधनयुक्त और प्रवंचक युक्तियों, अंतरंगी व्यापार और प्रतिभूतियों के सारवान् अर्जन का प्रतिषेध या नियंत्रण ।
24	प्रतिभूतियों का अर्जन या नियंत्रण ।

पैरा 12

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अपराध

(1962 का 52)

धारा	अपराध का वर्णन
135	शुल्क या प्रतिषेधों का अपवंचन ।

पैरा 13

बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अधीन अपराध

(1976 का 19)

धारा	अपराध का वर्णन
16	बंधित श्रम के प्रवर्तन के लिए दंड ।
18	बंधित श्रम पद्धति के अधीन बंधित श्रम कराने के लिए दंड ।
20	दुष्प्रेरण का एक अपराध होना ।

पैरा 14

बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986

(1986 का 61)

धारा	अपराध का वर्णन
14	किसी बालक को धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन में काम करने के लिए नियोजित करने के लिए दंड ।

पैरा 15

मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 के अधीन अपराध

(1994 का 42)

धारा	अपराध का वर्णन
18	प्राधिकार के बिना मानव अंग के निकाले जाने के लिए दंड ।
19	मानव अंगों में वाणिज्यिक व्यवहार के लिए दंड ।
20	इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन के लिए दंड ।

पैरा 16

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अधीन अपराध

(2000 का 56)

धारा	अपराध का वर्णन
23	किशोर या बालक के प्रति क्रूरता के लिए दंड ।
24	भीख मांगने के लिए किशोर या बालक का नियोजन ।
25	किशोर या बालक को मादक लिकर या स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ देने के लिए शास्ति ।
26	किशोर या बालक कर्मचारी का शोषण ।

पैरा 17

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अधीन अपराध

(1983 का 31)

धारा	अपराध का वर्णन
24	अपराध और शास्तियां ।

पैरा 18

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अधीन अपराध

(1967 का 15)

धारा	अपराध का वर्णन
12	अपराध और शास्तियां ।

पैरा 19

विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के अधीन अपराध

(1946 का 31)

धारा	अपराध का वर्णन
14	अधिनियम आदि के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

धारा	अपराध का वर्णन
14ख	कूटरचित पासपोर्ट का प्रयोग करने पर दंड ।
14ग	दुष्प्रेरण के लिए शास्ति ।

पैरा 20

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के अधीन अपराध

(1957 का 14)

धारा	अपराध का वर्णन
63	प्रतिलिप्यधिकार या इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों के अतिलंघन का अपराध।
63क	द्वितीय और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धियों के संबंध में वर्धित शास्ति ।
63ख	कम्प्यूटर प्रोग्राम की अतिलंघनकारी प्रति का जानबूझकर उपयोग ।
68क	धारा 52क के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

पैरा 21

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन अपराध

(1999 का 47)

धारा	अपराध का वर्णन
103	मिथ्या व्यापार चिह्न, पण्य विवरण, आदि लगाने के लिए शास्ति ।
104	ऐसे माल का विक्रय या ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए शास्ति जिस पर मिथ्या व्यापार चिह्न या मिथ्या पण्य विवरण लगाया गया है ।
105	दूसरी या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए वर्धित शास्ति ।
107	किसी व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकृत रूप में मिथ्या रूप से व्यपदेशन करने के लिए शास्ति ।
120	भारत के बाहर किए गए कार्यों के लिए भारत में दुष्प्रेरण का दंड ।

पैरा 22

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन अपराध

(2000 का 21)

धारा	अपराध का वर्णन
72	गोपनीयता और एकांतता भंग के लिए शास्ति ।
75	अधिनियम का भारत से बाहर किए गए अपराधों और उल्लंघनों को लागू होना ।

पैरा 23

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अधीन अपराध

(2003 का 18)

धारा	अपराध का वर्णन
धारा 6 के साथ धारा 6, पठित धारा 55 आदि के उल्लंघन के लिए शास्ति ।	

पैरा 24

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन अपराध

(2001 का 53)

धारा	अपराध का वर्णन
धारा 68 के साथ पठित धारा 70	मिथ्या अभिधान, आदि के उपयोजन के लिए शास्ति ।
धारा 68 के साथ पठित धारा 71	ऐसी किस्मों के विक्रय के लिए शास्ति जिन पर मिथ्या अभिधान का उपयोजन किया गया हो ।
धारा 68 के साथ पठित धारा 72	किसी किस्म को रजिस्ट्रीकृत रूप में, मिथ्या रूप से व्यपदिष्ट करने के लिए शास्ति ।
धारा 68 के साथ पठित धारा 73	पश्चात्वर्ती अपराध के लिए शास्ति ।

पैरा 25

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन अपराध

(1986 का 29)

धारा	अपराध का वर्णन
धारा 7 के साथ पठित धारा 15	विहित मानकों से अधिक में पर्यावरण प्रदूषकों के निस्सारण, आदि के लिए शास्ति ।
धारा 8 के साथ पठित धारा 15	प्रक्रिया संबंधी रक्षोपायों का पालन किए बिना परिसंकटमय पदार्थों को हथालने के लिए शास्ति ।

पैरा 26

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन अपराध

(1974 का 6)

धारा	अपराध का वर्णन
41(2)	सरिता या कुंए के प्रदूषण के लिए शास्ति ।
43	धारा 24 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

पैरा 27

वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्राण) अधिनियम, 1981 के अधीन अपराध

(1981 का 14)

धारा	अपराध का वर्णन
37	औद्योगिक संयंत्र के प्रचालन संबंधी उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता ।

पैरा 28

सामुद्रिक नौपरिवहन और महाद्वीपीय मग्नतट भूमि पर स्थिर प्लेटफार्मों की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्यों का दमन अधिनियम, 2002 के अधीन अपराध

(2002 का 69)

धारा	अपराध का वर्णन
3	पोत, स्थिर प्लेटफार्म, पोत के स्थौरा, नौपरिवहन सुविधाओं, आदि के विरुद्ध अपराध ।" ;

(ii) भाग ख में, पैरा 1 से 25 का लोप किया जाएगा ;

(iii) भाग ग में, क्रम संख्यांक (2) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2012

(2013 का अधिनियम संख्यांक 3)

[3 जनवरी, 2013]

विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन।

1967 का 37

2. विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(i) खंड (ङक) को खंड (ङख) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खंड (ङख) के पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(ङक) "आर्थिक" सुरक्षा के अंतर्गत वित्तीय, धनीय और राजकोषीय स्थायित्व, उत्पादन और वितरण के साधनों की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, जीविका सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय सुरक्षा भी है;';

(ii) इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खंड (ङख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(ङग) "व्यक्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(i) कोई व्यष्टि,

(ii) कोई कंपनी,

(iii) कोई फर्म,

(iv) कोई संगठन या कोई व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं,

(v) ऐसा प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो पूर्ववर्ती उपखंडों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है, और

(vi) पूर्ववर्ती उपखंडों में से किसी के अंतर्गत आने वाले किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई अभिकरण, कार्यालय या शाखा ;';

(iii) खंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(छ) "आतंकवाद के आगम" से,—

(i) सभी प्रकार की ऐसी संपत्तियां अभिप्रेत हैं, जो किसी आतंकवादी कार्य के करने से व्युत्पन्न हुई हों या अभिप्राप्त की गई हों या किसी आतंकवादी कार्य से संबंधित निधियों के माध्यम से अर्जित की गई हों, उस व्यक्ति का विचार किए बिना, जिसके नाम में ऐसे आगम हैं या जिसके कब्जे में वे पाए जाते हैं ; या

(ii) कोई ऐसी संपत्ति अभिप्रेत है, जिसका किसी आतंकवादी कार्य के लिए या किसी व्यष्टि आतंकवादी या किसी आतंकवादी गैंग या किसी आतंकवादी संगठन के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है या उपयोग किया जाना आशयित है ।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि "आतंकवाद के आगम" पद के अंतर्गत ऐसी कोई सम्पत्ति भी है, जिसका उपयोग आतंकवाद के लिए किया जाना आशयित है।';

(iv) खंड (ज) में, "जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक या अंकीय रूप भी है," शब्दों के स्थान पर "जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक या अंकीय रूप भी है, किंतु जो उस तक सीमित नहीं है," शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 6 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) में "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 15 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 15 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में,—

(i) आरंभिक भाग में, "सुरक्षा" शब्द के पश्चात् ", आर्थिक सुरक्षा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (क) के उपखंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iiik) उच्च क्वालिटी के कागज, सिक्के या किसी अन्य सामग्री की कूटकृत भारतीय करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी या परिचालन से भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान कारित होता है या होने की संभावना है ; या" ;

(iii) खंड (ग) में, "किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या किसी कार्य को करने से प्रविरत रहने के लिए बाध्य करने के लिए कोई अन्य कार्य करता है"

शब्दों के स्थान पर "किसी अंतरराष्ट्रीय या अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या किसी कार्य को करने से प्रविरत रहने के लिए बाध्य करने के लिए कोई अन्य कार्य करता है; या" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) "लोक कृत्यकारी" से संवैधानिक प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में लोक कृत्यकारी के रूप में अधिसूचित कोई अन्य कृत्यकारी अभिप्रेत है ;

(ख) "उच्च क्वालिटी की कूटकृत भारतीय करेंसी" से ऐसी कूटकृत करेंसी अभिप्रेत है, जो किसी प्राधिकृत या अधिसूचित न्याय संबंधी प्राधिकारी द्वारा यह परीक्षा करने के पश्चात् कि ऐसी करेंसी तीसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट मुख्य सुरक्षा लक्षणों की अनुकृति है या उसके अनुरूप है, उस रूप में घोषित की जाए ।';

(v) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) आतंकवादी कार्य के अंतर्गत ऐसा कोई कार्य आता है, जिससे दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट संधियों में से किसी की परिधि के अंतर्गत अपराध गठित होता है और जो उसमें उस रूप में परिभाषित है ।"।

धारा 16क का लोप।

5. मूल अधिनियम की धारा 16क का लोप किया जाएगा ।

धारा 17 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

6. मूल अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

आतंकवादी कार्य के लिए निधियां जुटाने के लिए दंड ।

"17. जो कोई भारत में या विदेश में, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों से, चाहे किसी विधिसम्मत या विधिविरुद्ध स्रोत से, निधियां जुटाता है या निधियां उपलब्ध कराता है या संगृहीत करता है या उपलब्ध कराने का प्रयास करता है अथवा यह जानते हुए कि ऐसी निधियों का ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा या किसी आतंकवादी संगठन द्वारा या किसी आतंकवादी गैंग द्वारा या किसी व्यष्टि आतंकवादी द्वारा कोई आतंकवादी कार्य करने के लिए, पूर्णतः या भागतः, उपयोग किए जाने की संभावना है, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के लिए, इस बात को विचार में लिए बिना कि ऐसी निधियों का ऐसे कार्य को करने के लिए वस्तुतः प्रयोग किया गया था अथवा नहीं, निधियां जुटाता है या संगृहीत करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) इसमें वर्णित किसी भी कार्य में भाग लेने, संगठित होने या उसका संचालन करने से अपराध गठित होगा ;

(ख) निधियां जुटाने के अंतर्गत उच्च क्वालिटी की कूटकृत भारतीय करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी या परिचालन के माध्यम से निधियां जुटाना या संगृहीत करना या उपलब्ध कराना भी है;

(ग) ऐसे प्रयोजन के लिए, जो विनिर्दिष्टतया धारा 15 के अधीन नहीं आता है, किसी व्यष्टि आतंकवादी, आतंकवादी गैंग या आतंकवादी संगठन के फायदे के लिए या किसी रीति में निधियां जुटाने या संगृहीत करने या उसको उपलब्ध कराने को भी अपराध समझा जाएगा ।"।

नई धारा 22क, धारा 22ख और धारा 22ग का अंतःस्थापन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 22 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

कंपनियों द्वारा अपराध ।

'22क. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति (जिसके अंतर्गत कंपनी के संप्रवर्तक भी हैं), जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को (जिसके अंतर्गत संप्रवर्तक भी हैं) इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए समुचित सावधानी बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

सोसाइटियों या न्यासों द्वारा अपराध ।

22ख. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी सोसाइटी या न्यास द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति (जिसके अंतर्गत सोसाइटी का संप्रवर्तक या न्यास का व्यवस्थापक भी है), जो उस अपराध के किए जाने के समय उस सोसाइटी या न्यास के कारबार के संचालन के लिए उस सोसाइटी या न्यास का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह सोसाइटी या न्यास भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि

वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए समुचित सावधानी बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी सोसाइटी या न्यास द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध सोसाइटी या न्यास के किसी संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक, सचिव, न्यासी या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक, सचिव, न्यासी या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

1860 का 21

(क) "सोसाइटी" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 या सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण को शासित करने वाले किसी अन्य राज्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है ;

1882 का 2

(ख) "न्यास" से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या न्यासों के रजिस्ट्रीकरण को शासित करने वाले किसी अन्य राज्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई निकाय अभिप्रेत है ;

(ग) किसी सोसाइटी या न्यास के संबंध में, "निदेशक" से केंद्रीय या राज्य सरकार या समुचित कानूनी प्राधिकारी के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी पदेन सदस्य से भिन्न उसके शासी बोर्ड का कोई सदस्य अभिप्रेत है ।

कंपनियों, सोसाइटियों या न्यासों द्वारा अपराधों के लिए दंड ।

22ग. जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, यथास्थिति, किसी कंपनी या किसी सोसाइटी या किसी न्यास द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति (जिसके अंतर्गत कंपनी या न्यास का संप्रवर्तक या न्यास का व्यवस्थापक भी है), जो उस अपराध के समय कारबार के संचालन के लिए भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, ऐसी अवधि के कारावास के लिए, जो सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी, जो पांच करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा और जो दस करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा ।'।

धारा 23 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में, "युद्धकालीन जैव या रासायनिक पदार्थ को" शब्दों के स्थान पर "युद्धकालीन जैव या रासायनिक पदार्थ या उच्च क्वालिटी की कूटकृत भारतीय करेंसी को" शब्द रखे जाएंगे ।

अध्याय 5 के शीर्षक का संशोधन।

9. मूल अधिनियम के अध्याय 5 में, उसके शीर्षक में "आगमों का" शब्दों के पश्चात् "या ऐसी किसी संपत्ति का, जिसका उपयोग आतंकवाद के लिए किया जाना आशयित है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 24 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन।

10. मूल अधिनियम की धारा 24 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

आतंकवाद के आगम के प्रति निर्देश के अंतर्गत ऐसी किसी संपत्ति के प्रति, जिसका उपयोग आतंकवाद के लिए किया जाना आशयित है, निर्देश भी होगा।

'24. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "आतंकवाद के आगम" के प्रति सभी निर्देशों के अंतर्गत "ऐसी कोई संपत्ति, जिसका उपयोग आतंकवाद के लिए किया जाना आशयित है," के प्रति निर्देश भी है।

आतंकवाद के आगमों का समपहरण ।

24क. (1) कोई भी व्यक्ति आतंकवाद के आगमों को धारण नहीं करेगा या कब्जे में नहीं रखेगा।

(2) आतंकवाद के आगम, चाहे वे किसी आतंकवादी संगठन या आतंकवादी गैंग द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रखे गए हों और चाहे ऐसे आतंकवादी संगठन या आतंकवादी गैंग या अन्य व्यक्ति को अध्याय 4 या अध्याय 6 के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित या सिद्धदोष ठहराया गया हो अथवा नहीं, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को इस अध्याय के अधीन उपबंधित रीति में, समपहृत किए जाने के दायित्वाधीन होंगे।

(3) जहां कार्यवाहियां इस धारा के अधीन प्रारंभ की गई हैं, वहां न्यायालय अपराध में अंतर्वलित आतंकवाद के आगमों के मूल्य के समतुल्य संपत्ति की, यथास्थिति, कुर्की करने या उसका समपहरण करने का निदेश देने संबंधी आदेश पारित कर सकेगा।'।

धारा 33 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(3) जहां कोई व्यक्ति उच्च क्वालिटी की कूटकृत भारतीय करेंसी से संबंधित किसी अपराध का अभियुक्त है, वहां न्यायालय अपराध में अंतर्वलित ऐसी उच्च क्वालिटी की कूटकृत भारतीय करेंसी के मूल्य के, जिसके अंतर्गत ऐसी करेंसी का अंकित मूल्य भी है ; जो उच्च क्वालिटी का होने के रूप में परिभाषित नहीं है, किंतु जो उच्च क्वालिटी की कूटकृत भारतीय करेंसी के साथ सामान्य अभिग्रहण के भागरूप है, समतुल्य संपत्ति की, यथास्थिति, कुर्की करने या उसका समपहरण करने का निदेश देने संबंधी आदेश पारित कर सकेगा ।

(4) जहां कोई व्यक्ति, अध्याय 4 या अध्याय 6 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त है, वहां न्यायालय अपराध में अंतर्वलित आतंकवाद के आगमों के मूल्य के समतुल्य संपत्ति की, यथास्थिति, कुर्की करने या उसका समपहरण करने का निदेश देने संबंधी आदेश पारित कर सकेगा ।

(5) जहां कोई व्यक्ति, अध्याय 4 या अध्याय 6 के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है, वहां न्यायालय इस आशय का आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा कि उसकी जंगम या स्थावर या दोनों प्रकार की सभी संपत्ति का या उनमें से किसी का, जहां इस अधिनियम के अधीन विचारण अभियुक्त की मृत्यु के कारण या उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिए जाने के कारण या किसी अन्य कारणवश समाप्त नहीं हो सकता, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तात्त्विक साक्ष्य के आधार पर अधिहरण कर लिया जाए ।"।

धारा 35 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 35 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "आदेश" शब्द के स्थान पर "अधिसूचना" शब्द रखा जाएगा;

(ii) "अनुसूची" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "पहली अनुसूची" शब्द रखे जाएंगे,

(ख) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(4) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची में जोड़ सकेगी या उससे हटा सकेगी या उसमें संशोधन कर सकेगी और इस प्रकार, यथास्थिति, दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी ।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, उसके जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के समक्ष रखी जाएगी ।"।

धारा 40 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, धन या अन्य संपत्ति उपलब्ध कराने के प्रति निर्देश के अंतर्गत —

(क) उसका दिया जाना, उधार दिया जाना या उसे अन्यथा उपलब्ध कराना भी है, चाहे प्रतिफल के लिए हो या नहीं ; या

(ख) उच्च क्वालिटी की कूटकृत भारतीय करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी या उसके परिचालन के माध्यम से निधियां जुटाना, संगृहीत करना या उपलब्ध कराना भी है ।"।

अनुसूची का संशोधन।

14. मूल अधिनियम में, विद्यमान अनुसूची को उसकी पहली अनुसूची के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित पहली अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूचियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"दूसरी अनुसूची

[धारा 15(2) देखिए]

(i) वायुयान के विधिविरुद्ध अभिग्रहण का दमन करने संबंधी कन्वेंशन (1970);

(ii) सिविल विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कृत्यों का दमन करने संबंधी कन्वेंशन (1971) ;

(iii) अंतरराष्ट्रीय रूप से संरक्षित व्यक्तियों के, जिनके अंतर्गत राजनयिक अभिकर्ता भी हैं, विरुद्ध अपराधों के निवारण और दंड संबंधी कन्वेंशन (1973) ;

(iv) बंधकों को लेने के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन (1979) ;

(v) न्यूक्लीय पदार्थ की भौतिक संरक्षा संबंधी कन्वेंशन (1980) ;

(vi) सिविल विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कृत्यों का दमन करने संबंधी कन्वेंशन के अनुपूरक, अंतरराष्ट्रीय सिविल विमानन में लगे वायुपत्तनों पर हिंसा के विधिविरुद्ध कृत्यों का दमन करने संबंधी प्रोटोकोल (1988) ;

(vii) सामुद्रिक नौपरिवहन की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कृत्यों का दमन करने संबंधी कन्वेंशन (1988) ;

(viii) महाद्वीपीय मग्नतट भूमि पर अवस्थित स्थिर प्लेटफार्मों की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का दमन करने संबंधी प्रोटोकोल (1988) ; और

(ix) आतंकवादी बमबारी का दमन करने संबंधी अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन (1997) ।

तीसरी अनुसूची

[धारा 15(1) के स्पष्टकीरण का खंड (ख) देखिए]

उच्च क्वालिटी के कूटकृत भारतीय करेंसी नोटों को परिभाषित करने के सुरक्षा लक्षण—

(क) जलचिह्न ;

(ख) अप्रकट प्रतिबिंब ; और

(ग) करेंसी नोटों में आलेख्य के माध्यम से देखना ।"।

———

वित्त अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 17) [10 मई, 2013]

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2013 है ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 63 तक 1 अप्रैल, 2013 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

आय-कर।

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2013 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय दो लाख रुपए से अधिक हो जाती है वहां,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा [अर्थात् मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) प्रभार्य आय-कर निम्नलिखित रीति से परिकलित किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी:

परंतु पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष का या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "दो लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्द रखे गए हों:

परंतु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "दो लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे गए हों ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में यथा उपबंधित रीति से, और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा: 1961 का 43

परंतु धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा:

परंतु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखङ या धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,—

(क) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से ;

(ख) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा:

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, आय-कर और आय-कर पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जो एक करोड़ रुपए से अधिक है।

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 115ण या धारा 115थक या धारा 115द की उपधारा (2) या धारा 115नक के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, कर उन धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के अधीन, प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, उनमें कटौतियां पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और उन दशाओं में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 194ग, धारा 194ङ, धारा 194ङङ, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194झक, धारा 194ञ, धारा 194ठक, धारा 194ठख, धारा 194ठग, धारा 194ठघ, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौतियां उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परंतुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उन दशाओं में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है, संदत्त किया जाना है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर", पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगाः

परंतु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, "अग्रिम कर" की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगीः

परंतु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित "अग्रिम कर" की रकम में, कंपनी के मामले से संबंधित पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगाः

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखङ, धारा 115ङ, धारा 115ञख और धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परंतुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पांच प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा:

परंतु यह भी कि उपरोक्त (क) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है:

परंतु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है:

परंतु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से, अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है ।

(10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय दो लाख रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना करने में,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में, केवल, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा [अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" होगी:

परंतु ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे

अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "दो लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "दो लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे गए हों:

परंतु यह भी कि इस प्रकार संकलित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार, उसमें उपबंधित रीति में, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(11) उपधारा (1) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर दो प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा, संघ के प्रयोजनों के लिए, और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके:

परंतु इस उपधारा की कोई बात उन दशाओं में लागू नहीं होगी जिनमें उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में वर्णित आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन कर की कटौती या उसका संग्रहण किया जाना है, यदि स्रोत पर कर की कटौती के या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए आय देशी कंपनी और ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो भारत में निवासी हैं, संदत्त की जाती है ।

(12) उपधारा (1) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर एक प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके:

परंतु इस उपधारा की कोई बात उन दशाओं में लागू नहीं होगी जिनमें उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में वर्णित आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन कर की कटौती या उसका संग्रहण किया जाना है, यदि स्रोत पर कर की कटौती के या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए आय देशी कंपनी और ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है, संदत्त की जाती है ।

(13) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "देशी कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2013 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी हैं) की घोषणा और भारत में उनके संदाय के लिए इंतजाम कर लिए हैं ;

(ख) "बीमा कमीशन" से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है ;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, "शुद्ध कृषि-आय" से, पहली और अनूसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;

(घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में और पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं, किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके क्रमशः उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का संशोधन।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में, 1 अप्रैल, 2014 से,—

(क) खंड (1क) में,—

(1) उपखंड (ग) के परंतुक के खंड (ii) में,—

(i) मद (क) में, "उस अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार, जिसके सुसंगत आंकड़े पूर्ववर्ष के प्रथम दिन के पूर्व प्रकाशित हो चुके हैं" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) मद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(ख) एरियलःप से मापित ऐसी दूरी के भीतर किसी क्षेत्र में,—

(I) जो मद (क) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से दो किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या दस हजार से अधिक किन्तु एक लाख से अधिक नहीं है ; या

(II) जो मद (क) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से छह किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक किन्तु दस लाख से अधिक नहीं है ; या

(III) जो मद (क) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से आठ किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है।";

(2) स्पष्टीकरण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'स्पष्टीकरण 4—उपखंड (ग) के परंतुक के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए, "जनसंख्या" से उस अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार, जिसके सुसंगत आंकड़े पूर्ववर्ष के प्रथम दिन के पूर्व प्रकाशित हो चुके हैं, जनसंख्या अभिप्रेत है;';

(ख) खंड (14) के उपखंड (iii) में,—

(i) मद (क) में, "उस अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार जिसके सुसंगत आंकड़े पूर्ववर्ष के प्रथम दिन के पूर्व प्रकाशित किए जा चुके हैं" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) मद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ख) एरियलःप से मापित ऐसी दूरी के भीतर किसी क्षेत्र में,—

(I) जो मद (क) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से दो किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या दस हजार से अधिक किन्तु एक लाख से अधिक नहीं है ; या

(II) जो मद (क) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से छह किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक किन्तु दस लाख से अधिक नहीं है ; या

(III) जो मद (क) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से आठ किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "जनसंख्या" से उस अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार, जिसके सुसंगत आंकड़े पूर्ववर्ष के प्रथम दिन के पूर्व प्रकाशित हो चुके हैं, जनसंख्या अभिप्रेत है;'।

कतिपय अभिव्यक्ति के निर्देश का अन्य अभिव्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापन।

4. आय–कर अधिनियम में, "विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973" पद के स्थान पर, जहां–कहीं वह आता है, "विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999" पद रखा जाएगा। 1973 का 46 1999 का 42

धारा 10 का संशोधन।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,—

(I) खंड (10घ) में, 1 अप्रैल, 2014 से,—

(i) उपखंड (घ) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'परंतु यह भी कि जहां 1 अप्रैल, 2013 को या उसके पश्चात् जारी की गई पालिसी ऐसे किसी व्यक्ति के जीवन बीमा के लिए है, जो,—

(i) धारा 80प में यथानिर्दिष्ट निःशक्त व्यक्ति या गंभीर निःशक्त व्यक्ति है ; या

(ii) धारा 80घघख के अधीन बनाए गए नियमों में यथा विनिर्दिष्ट रोग या व्याधि से पीड़ित है,

वहां इस उपखंड के उपबंधों का प्रभाव यह होगा मानो "दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह प्रतिशत" शब्द रख दिए गए हैं ।';

(ii) स्पष्टीकरण 1 में, अंत में आने वाले "कोई जीवन बीमा पालिसी अभिप्रेत है" शब्दों के पश्चात्, "और इसके अंतर्गत ऐसी पालिसी भी है जो ऐसे किसी व्यक्ति को, पालिसी की अवधि के दौरान किसी समय, किसी प्रतिफल सहित या उसके बिना, समनुदिष्ट की गई है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(II) खंड (23घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2014 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(23घक) प्रतिभूतिकरण के क्रियाकलाप से किसी प्रतिभूतिकरण न्यास की कोई आय।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "प्रतिभूतिकरण" का वही अर्थ होगा, जो—

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लोक प्रस्थापना और प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों का सूचीबद्धकरण) विनियम, 2008 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (द) में उसका है ; या 1992 का 15 1956 का 42

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मानक आस्ति प्रतिभूतिकरण संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन उसका है ;

(ख) "प्रतिभूतिकरण न्यास" का वही अर्थ होगा जो धारा 115नग के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में उसका है;';

(III) खंड (23ङग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2014 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(23ङघ) किसी निक्षेपागार द्वारा विनियमों के अनुसार गठित ऐसी विनिधानकर्ता संरक्षण निधि के, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, निक्षेपागार से प्राप्त अभिदायों के रूप में कोई आय:

परंतु जहां निधि के जमा खाते में पड़ी और किसी पूर्ववर्ष के दौरान आय-कर प्रभारित न की गई किसी रकम को पूर्णतः या भागतः किसी निक्षेपागार कें साथ बांटा जाता है, वहां इस प्रकार बांटी गई संपूर्ण रकम को उस पूर्ववर्ष की आय समझा जाएगा जिसमें ऐसी रकम को इस प्रकार बांटा जाता है और तदनुसार वह आय-कर से प्रभार्य होगी ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "निक्षेपागार" का वही अर्थ होगा जो निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में उसका है ;

1996 का 22

(ii) "विनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;';

1992 का 15
1996 का 22

(IV) खंड (23चख) में, स्पष्टीकरण 1 के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "जोखिम पूंजी कंपनी" से ऐसी कोई कंपनी अभिप्रेत है जिसे—

(अ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जोखिम पूंजी निधि) विनियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् जोखिम पूंजी निधि विनियम कहा गया है) के अधीन जोखिम पूंजी निधि के रूप में तारीख 21 मई, 2012 के पूर्व रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है और विनियमित किया जाता है ; या

1992 का 15

(आ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आनुकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आनुकल्पिक विनिधान निधि विनियम कहा गया है) के अधीन आनुकल्पिक विनिधान निधि के प्रवर्ग 1 के उपप्रवर्ग के रूप में जोखिम पूंजी निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है और विनियमित किया जाता है और जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करती है, अर्थात्:—

1992 का 15

(i) यह किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है ;

(ii) इसने अपनी विनिधानयोग्य निधियों के कम से कम दो-तिहाई का जोखिम पूंजी उपक्रम के असूचीबद्ध साधारण शेयरों या साधारण सहबद्ध लिखतों में विनिधान किया है ; और

(iii) इसने ऐसे किसी जोखिम पूंजी उपक्रम में विनिधान नहीं किया है, जिसमें उसका निदेशक या कोई सारवान् शेयर धारक (जो उसकी साधारण शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक साधारण शेयरों) का कोई हिताधिकारी स्वामी है, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, ऐसे जोखिम पूंजी उपक्रम की समादत्त साधारण शेयर पूंजी के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक के साधारण शेयर धारण करता है ;

(ख) "जोखिम पूंजी निधि" से ऐसी कोई निधि अभिप्रेत है,—

(अ) जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबंधों के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत न्यास विलेख के अधीन चलाई जा रही है, जिसे— 1908 का 16

(I) तारीख 21 मई, 2012 के पूर्व जोखिम पूंजी निधि विनियम के अधीन जोखिम पूंजी निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है और विनियमित किया जाता है ; या

(II) जोखिम पूंजी निधि विनियम के अधीन आनुकल्पिक विनिधान निधि के प्रवर्ग 1 के उपप्रवर्ग के रूप में जोखिम पूंजी निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है और जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करती है, अर्थात्:—

(i) इसने अपनी विनिधानयोग्य निधियों के कम से कम दो-तिहाई का जोखिम पूंजी उपक्रम के असूचीबद्ध साधारण शेयरों या साधारण सहबद्ध लिखतों में विनिधान किया है ;

(ii) इसने ऐसे किसी जोखिम पूंजी उपक्रम में विनिधान नहीं किया है, जिसमें उसका न्यासी या व्यवस्थापक व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से ऐसे जोखिम पूंजी उपक्रम की समादत्त साधारण शेयर पूंजी के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक के साधारण शेयर धारण करता है ; और

(iii) उसके द्वारा निर्गमित यूनिटें, यदि कोई हों, किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं ; या

(आ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा बनाई गई किसी जोखिम पूंजी स्कीम के रूप में चलाई जा रही है ; 1963 का 52

(ग) "जोखिम पूंजी उपक्रम" से—

(i) जोखिम पूंजी निधि विनियम के विनियम 2 के खंड (ढ) में यथापरिभाषित कोई जोखिम पूंजी उपक्रम; या

(ii) आनुकल्पिक विनिधान निधि विनियम के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (कक) में यथा परिभाषित कोई जोखिम पूंजी उपक्रम,

अभिप्रेत है ।';

(V) खंड (34) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2014 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(34क) धारा 115थक में यथानिर्दिष्ट कंपनी द्वारा, शेयरों के (जो किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है) क्रय द्वारा वापस लेने के मद्दे किसी निर्धारिती को, जो शेयर धारक है, उद्भूत हाने वाली कोई आय ;";

(VI) खंड (35) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2014 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(35क) किसी प्रतिभूतिकरण न्यास से किसी व्यक्ति द्वारा, जो उक्त न्यास का विनिधानकर्ता है, धारा 115नक में निर्दिष्ट वितरित आय के रूप में प्राप्त कोई आय ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विनिधानकर्ता" और "प्रतिभूतिकरण न्यास" पदों का वही अर्थ होगा जो धारा 115नग के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में क्रमशः उनका है ;';

(VII) खंड (48) में, किसी व्यक्ति को कच्चे तेल के "विक्रय मद्दे" शब्दों के स्थान पर, "किसी व्यक्ति को कच्चे तेल, किसी अन्य माल के विक्रय अथवा ऐसी सेवाएं प्रदान करने के मद्दे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाएं," शब्द 1 अप्रैल, 2014 से रखे जाएंगे;

(VIII) खंड (48) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(49) राष्ट्रीय वित्तीय होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड, जो केंद्रीय सरकार द्वारा गठित कंपनी है, की 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष की कोई आय ।"।

नई धारा 32कग का अंतःस्थापन।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 32कख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2014 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

नए संयंत्र या मशीनरी में विनिधान।

'32कग. (1) जहां कोई निर्धारिती, जो कोई कंपनी है, जो किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगा हुआ है, 31 मार्च, 2013 के पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 2015 के पूर्व, नई आस्ति अर्जित और प्रतिष्ठापित करता है और ऐसी नई आस्तियों की वास्तविक लागत की कुल रकम एक सौ करोड़ रुपए से अधिक है, वहां,—

(क) 1 अप्रैल, 2014 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, 31 मार्च, 2013 के पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 2014 के पूर्व अर्जित और प्रतिष्ठापित नई आस्तियों की वास्तविक लागत के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती उस दशा में अनुज्ञात की जाएगी यदि ऐसी नई आस्तियों की वास्तविक लागत की कुल रकम एक सौ करोड़ रुपए से अधिक है ; और

(ख) 1 अप्रैल, 2015 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, 31 मार्च, 2013 के पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 2015 के पूर्व अर्जित और प्रतिष्ठापित नई आस्तियों की वास्तविक लागत के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर ऐसी राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी, जो खंड (क) के अधीन अनुज्ञात कटौती की रकम, यदि कोई है, को घटा कर आए।

(2) यदि निर्धारिती द्वारा अर्जित और प्रतिष्ठापित किसी नई आस्ति का, उसके प्रतिष्ठापित किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, समामेलन या निर्विलयन के संबंध में के सिवाय, विक्रय किया जाता है या अन्यथा उसे अंतरित किया जाता है, तो ऐसी नई आस्ति की बाबत उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात कटौती की रकम को, उस पूर्ववर्ष के, जिसमें ऐसी नई आस्ति का विक्रय किया जाता है या उसे अन्यथा अंतरित किया जाता है, ऐसी नई आस्ति के अंतरण के मद्दे उद्भूत अभिलाभों की कराधेयता के अतिरिक्त "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन निर्धारिती की प्रभार्य आय समझा जाएगा ।

(3) जहां नई आस्ति का उसका प्रतिष्ठापन किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर समामेलन या निर्विलयन के संबंध में विक्रय किया जाता है या अन्यथा उसे अंतरित किया जाता है, वहां उपधारा (2) के उपबंध, यथास्थिति, समामेलित कंपनी या परिणामी कंपनी को इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे समामेलक कंपनी या निर्विलयित कंपनी को लागू होते हैं।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "नई आस्ति" से कोई नया संयंत्र या मशीनरी (पोत या वायुयान से भिन्न) अभिप्रेत है, किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं—

"(i) ऐसा कोई संयंत्र या मशीनरी, जिसका उपयोग निर्धारिती द्वारा उसका प्रतिष्ठापन किए जाने के पूर्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के भीतर या बाहर किया गया था ;

(ii) किसी कार्यालय परिसर या किसी निवास-स्थान में, जिसके अंतर्गत अतिथि गृह की प्रकृति की वास सुविधा भी है, प्रतिष्ठापित कोई संयंत्र या मशीनरी ;

(iii) कोई कार्यालय साधित्र, जिनके अंतर्गत कम्प्यूटर या कम्प्यूटर साफ्टवेयर भी है ;

(iv) कोई यान ; या

(v) कोई संयंत्र या मशीनरी, जिसकी संपूर्ण वास्तविक लागत को, किसी पूर्ववर्ष की "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती केरूप में (चाहे अवक्षयण के रूप में या अन्यथा) अनुज्ञात किया जाता है ।'।

धारा 36 का संशोधन।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2014 से,—

(क) खंड (vii) में, स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार यथा संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए, इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उपधारा के खंड (vii) के परंतुक और उपधारा (2) के खंड (v) के प्रयोजनों के लिए उसमें निर्दिष्ट लेखा, खंड (viiक) के अधीन डूबन्त और शंकास्पद ऋणों के उपबंध की बाबत केवल एक लेखा होगा और ऐसा लेखा सभी प्रकार के अग्रिमों, जिनके अंतर्गत ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिम भी हैं, से संबंधित होगा;";

(ख) खंड (xv) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(xvi) निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष के दौरान अपने कारबार के दौरान किए गए कराधेय वस्तु संव्यवहारों के संबंध में संदत्त वस्तु संव्यवहार कर के बराबर रकम, यदि ऐसे कराधेय वस्तु संव्यवहारों से उद्भूत आय को "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणित आय में सम्मिलित किया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "वस्तु संव्यवहार कर" और "कराधेय वस्तु संव्यवहार" पदों का वही अर्थ होगा जो वित्त अधिनियम, 2013 के अध्याय 7 में क्रमशः उनका है ।'।

धारा 40 का संशोधन।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 40 के खंड (क) में, उपखंड (iiक) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2014 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iiख) (अ) स्वामित्व, अनुज्ञप्ति फीस, सेवा फीस, विशेषाधिकार फीस, सेवा प्रभार या किसी अन्य फीस या प्रभार केरूप में, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसका अनन्य रूप से राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार के उपक्रम पर उद्ग्रहण किया जाता है, संदत्त कोई रकम; या

(आ) ऐसी कोई रकम जो राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार के उपक्रम से प्रत्यक्षःप से या अप्रत्यक्ष रूप से विनियोजित की जाती है ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार के उपक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित हैं—

(i) राज्य सरकार के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम ;

(ii) ऐसी कोई कंपनी, जिसमें पचास प्रतिशत से अधिक समादत्त साधारण शेयर पूंजी राज्य सरकार द्वारा धारित की जाती है ;

(iii) ऐसी कोई कंपनी, जिसमें पचास प्रतिशत से अधिक समादत्त साधारण शेयर पूंजी, खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट सत्ता द्वारा (चाहे एकल रूप से या एक साथ मिलकर) धारित की जाती है ;

(iv) ऐसी कोई कंपनी या निगम, जिसमें राज्य सरकार के पास अधिकांश निदेशकों की नियुक्ति करने का अथवा प्रबंधन या नीति विषयक विनिश्चयों पर, प्रत्यक्षःप से या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसके अंतर्गत उसकी शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारक-करारों या मतदान करारों के आधार पर या किसी अन्य रीति में, नियंत्रण रखने का अधिकार है ;

(v) राज्य सरकार के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित अथवा गठित या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन कोई प्राधिकरण, बोर्ड या संस्था या निकाय ;"।

धारा 43 का संशोधन।

9. आय–कर अधिनियम की धारा 43 के खंड (5) में, 1 अप्रैल, 2014 से,—

(I) परंतुक में,—

(अ) खंड (घ) में, "में किया जाता है;" शब्दों के पश्चात् "या" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(आ) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ङ) वस्तु व्युत्पन्नों में व्यापार के संबंध में कोई पात्र संव्यवहार, जो किसी मान्यताप्राप्त संगम में किया गया हो,";

(II) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 केरूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार यथासंख्यांकित स्पष्टीकरण 1 में "इस खंड", शब्दों के स्थान पर, "खंड (घ)" शब्द कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(III) इस प्रकार यथासंख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'स्पष्टीकरण 2—खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "वस्तु व्युत्पन्न" पद का वही अर्थ होगा, जो वित्त अधिनियम, 2013 के अध्याय 7 में उसका है;

(ii) "पात्र संव्यवहार" पद से कोई ऐसा संव्यवहार अभिप्रेत है,—

1952 का 74

(अ) जो अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के उपबंधों और किसी मान्यताप्राप्त संगम के संबंध में उस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या उपविधियों या जारी किए गए निदेशों के अनुसार वस्तु व्युत्पन्न में व्यापार करने के लिए मान्यताप्राप्त संगम की उपविधियों, नियमों और विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत सदस्य या किसी मध्यवर्ती के माध्यम से स्क्रीन आधारित प्रणालियों पर इलैक्ट्रानिकरूप से किया जाता है; और

(आ) जिसका ऐसे सदस्य या ऐसे मध्यवर्ती द्वारा प्रत्येक ग्राहक को जारी किए गए समय स्टांप संविदा टिप्पण द्वारा, जिसमें संविदा

टिप्पण में उपखंड (अ) में निर्दिष्ट अधिनियम, नियमों, विनियमों या उपविधियों के अधीन आबंटित विशेष ग्राहक पहचान संख्यांक और इस अधिनियम के अधीन आबंटित विशेष व्यापार संख्यांक और स्थायी लेखा संख्यांक उपदर्शित हो, समर्थन किया जाता है;

(iii) "मान्यताप्राप्त संगम" से अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 2 के खंड (ञ) में यथानिर्दिष्ट कोई मान्यताप्राप्त संगम अभिप्रेत है और जो ऐसी शर्तों को, जो विहित की जाएं, पूरा करता है, और जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया जाता है;'। 1952 का 74

नई धारा 43गक का अंतःस्थापन।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 43ग के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2014 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कतिपय मामलों में पूंजी आस्तियों से भिन्न आस्तियों के अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के लिए विशेष उपबंध।

"43गक. (1) जहां किसी निर्धारिती द्वारा ऐसी किसी आस्ति का (किसी पूंजी आस्ति से भिन्न), जो भूमि या भवन या दोनों हो, अंतरण करने के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भवमान ऐसा प्रतिफल, किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसे अंतरण की बाबत स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए अंगीकृत या निर्धारित या निर्धार्य मूल्य से कम है, वहां इस प्रकार अंगीकृत या निर्धारित या निर्धार्य मूल्य, ऐसी आस्ति के अंतरण से लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भवमान प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा ।

(2) धारा 50ग की उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) के अधीन अंगीकृत या निर्धारित या निर्धार्य मूल्य के अवधारण के संबंध में लागू होंगे ।

(3) जहां आस्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल का मूल्य नियत करने संबंधी करार की तारीख और आस्ति के ऐसे अंतरण के रजिस्ट्रीकरण की तारीख एक ही नहीं है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट मूल्य को, करार की तारीख को ऐसे अंतरण की बाबत स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा निर्धार्य मूल्य के रूप में लिया जा सकेगा।

(4) उपधारा (3) के उपबंध केवल ऐसे किसी मामले में लागू होंगे, जहां प्रतिफल की रकम या उसका कोई भाग आस्ति के अंतरण संबंधी करार की तारीख को या उसके पूर्व नकद से भिन्न किसी ढंग से प्राप्त हुआ है ।"।

धारा 56 का संशोधन।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में,—

(I) खंड (vii) के उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2014 से रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ख) कोई स्थावर संपत्ति,—

(i) जिसका स्टांप शुल्क मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, प्रतिफल के बिना प्राप्त होती है, वहां ऐसी संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य ;

(ii) उस प्रतिफल के लिए प्राप्त होती है, जो संपत्ति के स्टांप शुल्क मूल्य से पचास हजार रुपए से अधिक रकम तक कम है, वहां ऐसी संपत्ति का वह स्टांप शुल्क मूल्य, जो ऐसे प्रतिफल से अधिक है:

परंतु जहां स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल की रकम नियत करने के करार की तारीख और रजिस्ट्रीकरण तारीख एक ही नहीं है, वहां इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए करार की तारीख को जो स्टांप शुल्क मूल्य है, वह लिया जा सकेगा :

परंतु यह और कि उक्त परंतुक केवल ऐसे किसी मामले में लागू होगा जहां उसमें निर्दिष्ट प्रतिफल की रकम या उसके किसी भाग का, ऐसी स्थावर संपत्ति के अंतरण संबंधी करार की तारीख को या उसके पूर्व नकद से भिन्न किसी ढंग द्वारा संदाय किया गया है;";

(II) खंड (viiख) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में "स्पष्टीकरण 1" शब्द और अंक के स्थान पर "स्पष्टीकरण" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 80ग का संशोधन।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 80ग की उपधारा (3क) में, स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2014 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'परंतु जहां 1 अप्रैल, 2013 को या उसके पश्चात् जारी की गई पालिसी ऐसे किसी व्यक्ति के जीवन के बीमा के लिए है, जो,—

(क) धारा 80प में यथानिर्दिष्ट कोई निःशक्त व्यक्ति या गंभीररूप से निःशक्त व्यक्ति है ; या

(ख) धारा 80घघख के अधीन बनाए गए नियमों में यथाविनिर्दिष्ट रोग या व्याधि से ग्रस्त है,

वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "पन्द्रह प्रतिशत" शब्द रख दिए गए हैं ।'।

धारा 80गगछ का संशोधन।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगछ में, 1 अप्रैल, 2014 से,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "सूचीबद्ध साधारण शेयर अर्जित किए हैं" शब्दों के स्थान पर, "सूचीबद्ध साधारण शेयर या किसी साधारण शेयरोन्मुख निधि की सूचीबद्ध यूनिटें अर्जित की हैं" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "ऐसे साधारण शेयरों" शब्दों के पश्चात्, "या यूनिटों" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) उपधारा (1) के अधीन कटौती, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें सूचीबद्ध साधारण शेयरों या साधारण शेयरोन्मुख निधि की सूचीबद्ध यूनिटों को प्रथमतः अर्जित किया गया था, सुसंगत निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले तीन क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए अनुज्ञात की जाएगी ।";

(ग) उपधारा (3) में,—

(अ) खंड (i) में, "दस लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "बारह लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) खंड (iii) में, "सूचीबद्ध साधारण शेयरों" शब्दों के पश्चात्, "या साधारण शेयरोन्मुख निधि की सूचीबद्ध यूनिटों" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''साधारण शेयरोन्मुख निधि'' का वही अर्थ होगा, जो धारा 10 के खंड (38) के स्पष्टीकरण में उसका है।'।

धारा 80घ का संशोधन।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 80घ की उपधारा (2) के खंड (क) में, "केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम को" शब्दों के पश्चात्, "या ऐसी अन्य स्कीम को जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए" शब्द 1 अप्रैल, 2014 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 80ङङ का अंतःस्थापन।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 80ङ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2014 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

आवासीय गृह संपत्ति के लिए लिए गए उधार पर ब्याज की बाबत कटौती।

'80ङङ.(1) किसी ऐसे निर्धारिती की, जो कोई व्यष्टि है, कुल आय की संगणना करने में, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, उसके द्वारा किसी आवासीय गृह संपत्ति के अर्जन के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय संस्था से लिए गए उधार पर संदेय ब्याज की कटौती की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कटौती एक लाख रुपए से अधिक की नहीं होगी और यह व्यष्टि की 1 अप्रैल, 2014 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय की संगणना करने में अनुज्ञात की जाएगी और ऐसे किसी मामले में, जहां उक्त निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए संदेय ब्याज एक लाख रुपए से कम है, तो अतिशेष रकम 1 अप्रैल, 2015 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष में अनुज्ञात की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कटौती निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्:—

(i) उधार वित्तीय संस्था द्वारा 1 अप्रैल, 2013 को आरंभ और 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान मंजूर किया गया है ;

(ii) आवासीय गृह संपत्ति के अर्जन के लिए मंजूर की गई उधार की रकम पच्चीस लाख रुपए से अधिक नहीं है ;

(iii) आवसीय गृह संपत्ति का मूल्य चालीस लाख रुपए से अधिक नहीं है ;

(iv) निर्धारिती के स्वामित्व में उधार मंजूर किए जाने की तारीख को कोई आवासीय गृह संपत्ति नहीं है ।

(4) जहां इस धारा के अधीन कोई कटौती उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी ब्याज के लिए अनुज्ञात की जाती है, वहां ऐसे ब्याज की बाबत कटौती अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "वित्तीय संस्था" से ऐसी कोई बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है, जिसको बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है, जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था अथवा कोई आवासीय वित्त कंपनी भी है ; 1949 का 10

(ख) "आवासीय वित्त कंपनी" से भारत में आवासीय प्रयोजनों के लिए मकानों के सन्निर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने का कारबार करने के मुख्य उद्देश्य से भारत में बनाई गई या रजिस्ट्रीकृत कोई पब्लिक कंपनी अभिप्रेत है ।'।

धारा 80छ का संशोधन।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 80छ की उपधारा (1) के खंड (i) में, "या उपखंड (iiiकख)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, "या उपखंड (iiiख)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2014 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 80छछख का संशोधन।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 80छछख के स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2014 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु नकद रूप में अभिदाय की गई ऐसी किसी राशि के संबंध में इस धारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।"।

धारा 80छछग का संशोधन।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 80छछग के स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2014 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु नकद रूप में अभिदाय की गई ऐसी किसी धन राशि के संबंध में इस धारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।"।

धारा 80झक का संशोधन।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (iv) में, "31 मार्च, 2013" अंकों और शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः "31 मार्च, 2014" अंक और शब्द 1 अप्रैल, 2014 से रखे जाएंगे ।

धारा 80ञञकक का संशोधन।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 80ञञकक में, 1 अप्रैल, 2014 से,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) जहां किसी निर्धारिती की, जो भारतीय कंपनी है, सकल कुल आय में किसी कारखाने में माल के विनिर्माण से व्युत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित है, वहां उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी पूर्ववर्ष में, तीन निर्धारण वर्षों के लिए, जिसके अंतर्गत वह निर्धारण वर्ष भी है, जो उस पूर्ववर्ष से सुसंगत है जिसमें ऐसा नियोजन दिया गया है, निर्धारिती द्वारा उस कारखाने में नियोजित नए नियमित कर्मकारों को संदत्त अतिरिक्त मजदूरी के तीस प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।";

(ii) उपधारा (2) के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) यदि कारखाने को निर्धारिती कंपनी द्वारा किसी अन्य कंपनी के साथ उसके समामेलन के परिणामस्वरूप किसी अन्य विद्यमान सत्ता से अलग या अंतरित किया जाता है अथवा अर्जित किया जाता है ;";

(iii) स्पष्टीकरण में,—

(क) खंड (i) के परंतुक में, "उपक्रम" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वह आता है, "कारखाने" शब्द रखा जाएगा ;

(iv) खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(iv) "कारखाना" पद का वही अर्थ होगा, जो कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (ड) में उसका है ।'।

1948 का 63

धारा 87 का संशोधन।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 87 में, 1 अप्रैल, 2014 से,—

(i) उपधारा (1) में, "धारा 88" शब्द और अंकों के स्थान पर, "धारा 87क, धारा 88" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में, "धारा 88" शब्द और अंकों के स्थान पर, "धारा 87क या धारा 88" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

नई धारा 87क का अंतःस्थापन।

कतिपय व्यष्टियों की दशा में आय-कर का रिबेट।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 87 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2014 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"87क. ऐसा कोई निर्धारिती, जो भारत में निवासी कोई व्यष्टि है, जिसकी कुल आय पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है अपनी उस कुल आय

पर, जिसके लिए वह किसी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है, इस अध्याय के अधीन कटौतियां अनुज्ञात करवाने के पूर्व (यथा संगणित) आय-कर की रकम से ऐसे आय-कर के शत-प्रतिशत के बराबर रकम की या दो हजार रुपए की रकम की, इनमें से जो भी कम हो, कटौती का हकदार होगा ।"।

धारा 90 का संशोधन।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 90 में,—

(क) उपधारा (2क) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम के अध्याय 10क के उपबंध निर्धारिती को, भले ही ऐसे उपबंध उसके लिए फायदाप्रद न हों, लागू होंगे।";

(ग) उपधारा (4) में, "निवासी होने का प्रमाणपत्र, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट हों, जो विहित की जाएं, उस देश" शब्दों के स्थान पर, "निवासी होने का प्रमाणपत्र, उस देश" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपधारा (4) के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 के पूर्व, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट निर्धारिती ऐसे अन्य दस्तावेज और सूचना भी उपलब्ध कराएगा, जो विहित किए जाएं ।"।

धारा 90क का संशोधन।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 90क में,—

(क) उपधारा (2क) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम के अध्याय 10क के उपबंध निर्धारिती को, भले ही ऐसे उपबंध उसके लिए फायदाप्रद न हों, लागू होंगे।";

(ग) उपधारा (4) में, "निवासी होने का प्रमाणपत्र, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट हों, जो विहित की जाएं, उस विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र" शब्दों के स्थान पर, "निवासी होने का प्रमाणपत्र, उस विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपधारा (4) के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 के पूर्व, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट निर्धारिती ऐसे अन्य दस्तावेज और सूचना भी उपलब्ध कराएगा, जो विहित किए जाएं।"।

सामान्य परिवर्जन-रोधी नियमों से संबंधित अध्याय 10क का लोप।

25. आय-कर अधिनियम के अध्याय 10क (वित्त अधिनियम, 2012 की धारा 41 द्वारा यथा अंतःस्थापित) का जो सामान्य परिवर्जन-रोधी नियमों के संबंध में है, 1 अप्रैल, 2014 से लोप किया जाएगा । 2012 का 23

नए अध्याय 10क का अंतःस्थापन।

26. आय-कर अधिनियम के अध्याय 10 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय, 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'अध्याय 10क

सामान्य परिवर्जन-रोधी नियम

सामान्य परिवर्जनरोधी नियम का लागू होना।

95. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी निर्धारिती द्वारा किए गए किसी ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषित किया जा सकेगा और उससे उद्भूत होने वाले कर संबंधित परिणाम का अवधारण इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस अध्याय के उपबंध ठहराव में के किसी उपाय को या उसके किसी भाग को उसी प्रकार लागू किए जा सकेंगे, जैसे वे ठहराव के प्रति लागू होते हैं ।

अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव।

96. (1) किसी अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव से ऐसा ठहराव अभिप्रेत है, जिसका मुख्य प्रयोजन कर फायदा अभिप्राप्त करने का है और,—

(क) इससे ऐसे अधिकारों या बाध्यताओं का सृजन होता है, जो सामान्यतया असन्निकट रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच सृजित नहीं होती हैं ;

(ख) उसके परिणामस्वरूप इस अधिनियम के उपबंधों का, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, गलत उपयोग या दुरुपयोग होता है ;

(ग) इसमें धारा 97 के अधीन संपूर्णतः या भागतः, वाणिज्यिक सारतत्व नहीं है या उसके बारे में यह समझा जाता है कि उसमें वाणिज्यिक सारतत्व नहीं है ; या

(घ) वह ऐसे साधनों द्वारा या ऐसी रीति में किया जाता है या कार्यान्वित किया जाता है, जिन्हें सामान्यतया सद्भावी प्रयोजनों के लिए अपनाया नहीं जाता है ।

(2) ऐसे ठहराव के बारे में, जब तक कि निर्धारिती द्वारा उसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, इस तथ्य के होते हुए भी कि संपूर्ण ठहराव का मुख्य प्रयोजन कोई कर फायदा अभिप्राप्त करने का नहीं है, यह उपधारणा की जाएगी कि वह कोई कर फायदा अभिप्राप्त करने के मुख्य प्रयोजन के लिए किया गया है या कार्यान्वित किया गया है, यदि ठहराव में के किसी उपाय या उसके किसी भाग का मुख्य प्रयोजन कर फायदा अभिप्राप्त करने का है ।

ठहराव में वाणिज्यिक सारतत्व का न होना।

97. (1) किसी ठहराव के बारे में यह समझा जाएगा कि उसमें वाणिज्यिक सारतत्व नहीं है, यदि—

(क) ठहराव का संपूर्ण सारतत्व या प्रभाव उसके पृथक्-पृथक् उपायों या उनके किसी भाग से असंगत है या उससे महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है ; या

(ख) उसमें निम्नलिखित अंतर्वलित या सम्मिलित हैं—

(i) राउंड ट्रिप वित्तपोषण ;

(ii) कोई अनुकूलक पक्षकार ;

(iii) ऐसे तत्व, जिनका प्रभाव एक-दूसरे को मुजराई करने या रद्द करने का है ; या

(iv) ऐसा कोई संव्यवहार, जो एक या अधिक व्यक्तियों के माध्यम से किया जाता है और उससे ऐसी निधियों के मूल्य, अवस्थान,

स्रोत, स्वामित्व या नियंत्रण के बारे में, जो ऐसे संव्यवहार की विषय-वस्तु है, भ्रम होता है ; या

(ग) उसमें ऐसी किसी आस्ति या संव्यवहार या किसी पक्षकार के निवास-स्थान का अवस्थान अंतर्वलित है, जिसका किसी पक्षकार के लिए कर फायदा अभिप्राप्त करने से (इस अध्याय के उपबंधों के न होने पर) भिन्न कोई महत्वपूर्ण वाणिज्यिक प्रयोजन नहीं है ; या

(घ) इसमें ठहराव के किसी पक्षकार के कारबार जोखिमों या शुद्ध नकद प्रवाहों पर, उस कर फायदे के जो (इस अध्याय के उपबंधों के न होने पर) अभिप्राप्त होगा कारण हुए माने जा सकने वाले ऐसे किसी प्रभाव के अतिरिक्त, कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए राउंड ट्रिप वित्तपोषण के अंतर्गत ऐसा कोई ठहराव भी है, जिसमें,—

(अ) इस बात पर कि राउंड ट्रिप वित्तपोषण में अंतर्वलित निधियों का ठहराव के संबंध में किसी पक्षकार को अंतरित या उसके द्वारा प्राप्त की गई किन्हीं निधियों से पता लगाया जा सकता है या नहीं ;

(आ) उस समय या क्रम पर, जिसमें राउंड ट्रिप वित्तपोषण में अंतर्वलित निधियां अंतरित या प्राप्त की जाती हैं; या

(इ) उन साधनों पर, जिनके द्वारा या रीति पर, जिसमें या उस ढंग पर, जिसके माध्यम से राउंड ट्रिप वित्तपोषण में अंतर्वलित निधियां अंतरित या प्राप्त की जाती हैं,

कोई ध्यान दिए बिना, श्रृंखलाबद्ध संव्यवहारों के माध्यम से—

(क) निधियां, ठहराव के पक्षकारों के बीच अंतरित की जाती हैं ; और

(ख) ऐसे संव्यवहारों का (इस अध्याय के उपबंधों के न होने पर भी) कर फायदा अभिप्राप्त करने से भिन्न कोई महत्वपूर्ण वाणिज्यिक प्रयोजन नहीं है ।

(3) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, किसी ठहराव का कोई पक्षकार अनुकूलक पक्षकार होगा, यदि संपूर्ण ठहराव या उसके किसी भाग में उस पक्षकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहभागिता का मुख्य प्रयोजन निर्धारिती के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कर फायदा (इस अध्याय के उपबंधों के न होने पर) अभिप्राप्त करने का है, चाहे वह पक्षकार ठहराव के किसी पक्षकार के संबंध में कोई संबंधित व्यक्ति है या नहीं ।

(4) शंकाओं को दूर करने के लिए, इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस बात का अवधारण करते समय कि किसी ठहराव में वाणिज्यिक सारतत्व है या नहीं, निम्नलिखित सुसंगत हो सकेगा किन्तु पर्याप्त नहीं होगा, अर्थात्:—

(i) वह अवधि या समय, जिसके लिए ठहराव (जिसके अंतर्गत उसमें के प्रचालन भी है) विद्यमान है ;

(ii) ठहराव के अधीन, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, करों के संदाय का तथ्य ;

(iii) यह तथ्य कि ठहराव द्वारा कोई निर्गम माध्यम का (जिसके अंतर्गत किसी क्रियाकलाप या कारबार या प्रचालनों का अंतरण भी है) उपबंध कराया गया है ।

अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के परिणाम।

98. (1) यदि किसी ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषित किया जाता है तो ठहराव के कर संबंधी परिणामों का, जिनके अंतर्गत कर फायदे या किसी कर संधि के अधीन किसी फायदे का प्रत्याख्यान किया जाना भी है, ऐसी रीति में, जो मामले की उन परिस्थितियों में उपयुक्त समझी जाए, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित रूप में भी, किन्तु जो उन तक सीमित न हो, अवधारण किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) भागतः या संपूर्णतः, अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव में के किसी उपाय पर ध्यान न देना, उन्हें संयोजित या पुनःविशेषित करना ;

(ख) अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव को इस प्रकार मानना, मानो उसे किया अथवा कार्यान्वित ही नहीं किया गया था ;

(ग) किसी अनुकूलक पक्षकार पर ध्यान न देना या किसी अनुकूलक पक्षकार और किसी अन्य पक्षकार को एक ही पक्षकार के रूप में मानना ;

(घ) ऐसे व्यक्तियों को, जो एक-दूसरे के संबंध में संबद्ध व्यक्ति हैं, किसी रकम के कर निरूपण को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए एक ही व्यक्ति केरूप में मानना ;

(ङ) ठहराव के पक्षकारों के बीच—

(i) किसी पूंजीगत प्रकृति या राजस्व की प्रकृति के किसी प्रोद्भवन या प्राप्ति ; या

(ii) किसी व्यय, कटौती, राहत या रिबेट,

का पुनः आबंटन करना;

(च) (i) ठहराव के किसी पक्षकार के निवास स्थान को ; या

(ii) किसी आस्ति या संव्यवहार की अवस्थिति को,

ठहराव के अधीन यथा उपबंधित निवास-स्थान, किसी आस्ति के अवस्थान या संव्यवहार के अवस्थान से भिन्न किसी स्थान पर मानना ; या

(छ) किसी निगमित संरचना पर ध्यान दिए बिना किसी ठहराव पर विचार करना या उसकी अवेक्षा करना ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) किसी इक्विटी को ऋण या उसके विपर्ययेन माना जा सकेगा ;

(ii) पूंजीगत प्रकृति के किसी प्रोद्भवन या प्राप्ति को राजस्व की प्रकृति का या उसके विपर्ययेन माना जा सकेगा; या

(iii) किसी व्यय, कटौती, राहत या रिबेट को पुनःविशेषित किया जा सकेगा ।

संबद्ध व्यक्ति और अनुकूलक पक्षकार का निरूपण।

99. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, इस बात का अवधारण करने में कि क्या कोई कर फायदा विद्यमान है,—

(i) ऐसे पक्षकारों को, जो एक-दूसरे के संबंध में संबद्ध व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति माना जा सकेगा ;

(ii) किसी अनुकूलक पक्षकार की अनदेखी की जा सकेगी ;

(iii) अनुकूलक पक्षकार और किसी अन्य पक्षकार को एक ही व्यक्ति केरूप में माना जा सकेगा ;

(iv) किसी निगमित संरचना पर ध्यान दिए बिना ठहराव पर विचार या उसकी अवेक्षा की जा सकेगी ।

इस अध्याय का लागू होना।

100. इस अध्याय के उपबंध कर दायित्व के अवधारण के संबंध में किसी अन्य आधार के अतिरिक्त या उसके स्थान पर लागू किए जाएंगे ।

मार्गदर्शक सिद्धांतों का विरचित किया जाना।

101. इस अध्याय के उपबंधों को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, लागू किया जाएगा ।

परिभाषाएं।

102. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "ठहराव" से किसी संपूर्ण संव्यवहार, प्रचालन, स्कीम, करार या समझौते या उसके किसी भाग के संबंध में, चाहे वह प्रवर्तनीय हो या नहीं, कोई उपाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसे संव्यवहार, प्रचालन, स्कीम, करार या समझौते में किसी संपत्ति का अन्यसंक्रामण भी है ;

(2) "आस्ति" के अंतर्गत किसी प्रकार की संपत्ति या अधिकार है ;

(3) "फायदे" के अंतर्गत, मूर्त रूप में या अमूर्त रूप में, किसी भी प्रकार का संदाय है ;

(4) "संबद्ध व्यक्ति" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रत्यक्षःप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति से संबद्ध है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(क) व्यक्ति का कोई नातेदार, यदि ऐसा व्यक्ति कोई व्यष्टि है;

(ख) यदि व्यक्ति कोई कंपनी है तो कंपनी का कोई निदेशक या ऐसे निदेशक का कोई नातेदार ;

(ग) यदि व्यक्ति कोई फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय है तो ऐसी किसी फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का कोई भागीदार या सदस्य अथवा ऐसे भागीदार या सदस्य का कोई नातेदार ;

(घ) यदि व्यक्ति कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब है तो हिन्दू अविभक्त कुटुंब का कोई सदस्य या ऐसे सदस्य का कोई नातेदार ;

(ङ) ऐसा कोई व्यष्टि, जिसका व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है या ऐसे व्यष्टि का कोई नातेदार ;

(च) कोई कंपनी, फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जिसका व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है या कंपनी, फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय या कुटुंब का कोई निदेशक, भागीदार या सदस्य या ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य का कोई नातेदार ;

(छ) ऐसी कोई कंपनी, फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जिसके निदेशक, भागीदार या सदस्य का व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है या ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य का कुटुंब या कोई नातेदार ;

(ज) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जो कोई कारबार करता है, यदि,—

(i) उस व्यक्ति का, जो व्यष्टि है या ऐसे व्यक्ति के किसी नातेदार का उस अन्य व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है ; या

(ii) उस व्यक्ति का, जो कोई कंपनी, फर्म, व्यक्ति-संगम, व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है या ऐसी कंपनी, फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय या कुटुंब के किसी निदेशक, भागीदार या सदस्य का या ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य के किसी नातेदार का उस अन्य व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है ;

(5) "निधि" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं—

(क) कोई नकदी ;

(ख) नकदी के समतुल्य ; और

(ग) नकदी या नकदी के समतुल्य को प्राप्त करने का कोई अधिकार या उसका संदाय करने की बाध्यता ;

(6) "पक्षकार" के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति या स्थायी स्थापन है, जो किसी ठहराव में सहभागी बनता है या भाग लेता है ;

(7) "नातेदार" का वही अर्थ होगा जो धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (vi) के स्पष्टीकरण में उसका है ;

(8) ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका कारबार में सारवान् हित है, यदि —

(क) ऐसे किसी मामले में, जहां कारबार किसी कंपनी द्वारा किया जाता है, ऐसा व्यक्ति, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय, बीस प्रतिशत या अधिक मतदान शक्ति वाले साधारण शेयरों का हिताधिकारी स्वामी है ; या

(ख) किसी अन्य मामले में, ऐसा व्यक्ति, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय, ऐसे कारबार के लाभों के बीस प्रतिशत या अधिक का फायदा पाने का हकदार है ;

(9) "उपाय" के अंतर्गत विशिष्टतया किसी शृंखला में का एक ऐसा कोई उपाय या कोई कार्रवाई भी है, जो ठहराव में कोई विशिष्ट चीज या वस्तु का व्यवहार करने या उसे प्राप्त करने की दृष्टि से किया गया है या की गई है ;

(10) "कर फायदे" में सुसंगत पूर्ववर्ष या किसी अन्य पूर्ववर्ष में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(क) इस अधिनियम के अधीन संदेय कर या अन्य रकम में कमी या उसका परिवर्जन या आस्थगन ; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन कर या अन्य रकम के प्रतिदाय में कोई बढ़ोतरी ; या

(ग) ऐसे कर या अन्य रकम में, जो इस अधिनियम के अधीन संदेय होती, किसी कर संधि के परिणामस्वरूप कमी, उसका परिवर्जन या आस्थगन; या

(घ) किसी कर संधि के परिणामस्वरूप इस अधिनियम के अधीन कर या अन्य रकम के प्रतिदाय में कोई बढ़ोतरी; या

(ङ) कुल आय में कमी; या

(च) हानि में बढ़ोतरी ;

(11) "कर संधि" से धारा 90 की उपधारा (1) या धारा 90क की उपधारा(1) में निर्दिष्ट कोई करार अभिप्रेत है।'।

धारा 115क का संशोधन।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2014 से—

(I) खंड (क) में,—

(अ) उपखंड (iiकक) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iiकख) धारा 194ठघ में निर्दिष्ट प्रकृति और सीमा तक ब्याज; या";

(आ) मद (आअ) में, "उपखंड (iiकक)" शब्द, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के पश्चात् "या उपखंड (iiकख)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(इ) मद (ई) में, "उपखंड (iiकक)" शब्द, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "उपखंड (iiकक), उपखंड (iiकख)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(II) खंड (ख) के उपखंड (अ), उपखंड (अअ), उपखंड (आ) और उपखंड (आआ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(अ) कुल आय में सम्मिलित स्वामिस्व के रूप में आय पर, यदि कोई हो, पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम;

(आ) कुल आय में सम्मिलित तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में आय पर, यदि कोई हो, पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम; और"।

धारा 115कघ का संशोधन।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) की मद (i) में निम्नलिखित परन्तुक 1 अप्रैल, 2014 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय पर परिकलित आय-कर की रकम पांच प्रतिशत की दर से होगी;"।

धारा 115खखघ का संशोधन।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 115खखघ की उपधारा (1) में, "या 1 अप्रैल, 2013 को प्रारंभ होने वाले" अंकों और शब्दों के पश्चात् "या 1 अप्रैल, 2014 को प्रारंभ होने वाले" शब्द और अंक, 1 अप्रैल, 2014 से अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 115ण का संशोधन।

30. आय-कर अधिनियम की धारा 115ण की उपधारा (1क) के खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड 1 जून, 2013 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) वित्तीय वर्ष के दौरान देशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश की रकम को, यदि कोई हो, घटा दिया जाएगा, यदि ऐसा लाभांश उसकी समनुषंगी से प्राप्त होता है और,—

(क) जहां ऐसी समनुषंगी कोई देशी कंपनी है, समनुषंगी ने ऐसे लाभांश पर ऐसे कर का, जो इस धारा के अधीन संदेय है, संदाय कर दिया है ; या

(ख) जहां ऐसी समनुषंगी कोई विदेशी कंपनी है ऐसे लाभांश पर धारा 115खखघ के अधीन कर देशी कंपनी द्वारा संदेय है :

परंतु लाभांश की उसी रकम को एक से अधिक बार घटाने के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा ;"।

नए अध्याय 12घक का अंतःस्थापन।

31. आय-कर अधिनियम के अध्याय 12घ के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय 1 जून, 2013 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'अध्याय 12घक

शेयरों को क्रय द्वारा वापस लिए जाने के लिए देशी कंपनी की वितरित आय पर कर से संबंधित विशेष उपबंध

शेयर धारकों को वितरित आय पर कर।

115थक. (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी देशी कंपनी की कुल आय की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य आय-कर के अतिरिक्त, किसी शेयर धारक से शेयरों (जो किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयर नहीं हैं) को क्रय द्वारा वापस लिए जाने पर कंपनी द्वारा वितरित आय की किसी रकम पर कर प्रभारित किया जाएगा और ऐसी कंपनी वितरित आय पर बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आय-कर का संदाय करने के लिए दायी होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "क्रय द्वारा वापस लिया जाना" से कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 77क के उपबंधों के अनुसार अपने स्वयं के शेयरों का क्रय किया जाना अभिप्रेत है ;

1956 का 1

(ii) "वितरित आय" से कंपनी द्वारा शेयरों को क्रय द्वारा वापस लिए जाने पर संदत्त प्रतिफल, जिसमें से कंपनी द्वारा ऐसे शेयरों के निर्गमन के लिए प्राप्त रकम को घटा दिया गया हो, अभिप्रेत है ।

(2) इस बात के होते हुए भी कि देशी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित अपनी कुल आय पर कोई आय-कर संदेय नहीं है, उपधारा (1) के अधीन वितरित आय पर कर ऐसी कंपनी द्वारा संदेय होगा ।

(3) देशी कंपनी का प्रधान अधिकारी और कंपनी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट शेयरों को क्रय द्वारा वापस लिए जाने पर शेयर धारक को किसी प्रतिफल का संदाय किए जाने की तारीख से चौदह दिन के भीतर केंद्रीय सरकार के जमा खाते में कर का संदाय करने के लिए दायी होंगे ।

(4) कंपनी द्वारा वितरित आय पर कर, उक्त आय की बाबत कर का अंतिम संदाय माना जाएगा और इस प्रकार संदत्त कर की रकम की बाबत कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके लिए किसी अतिरिक्त मुजरा का दावा नहीं किया जाएगा।

(5) ऐसी आय की बाबत, जिस पर उपधारा (1) के अधीन कर या उस पर कर प्रभारित किया गया है, कंपनी या किसी शेयर धारक को इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

कंपनी द्वारा कर का संदाय न किए जाने पर संदेय ब्याज।

115थख. जहां देशी कंपनी का प्रधान अधिकारी और कंपनी धारा 115थक की उपधारा (1) में निर्दिष्ट वितरित आय पर संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का, उस धारा की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर, संदाय करने में असफल रहते हैं, वहां वह उस अंतिम तारीख के, जिसको ऐसा कर संदेय था, ठीक पश्चात् की तारीख को आरंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको कर का वस्तुतः संदाय किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि के लिए ऐसे कर की रकम पर प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए एक प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा या होगी ।

कंपनी को कब व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा।

115थग. यदि किसी देशी कंपनी का कोई प्रधान अधिकारी और कंपनी धारा 115थक के उपबंधों के अनुसार वितरित आय पर कर का संदाय नहीं करते, तो उसे उसके द्वारा संदेय कर की रकम की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा और इस अधिनियम के आय-कर के संग्रहण और उसकी वसूली से संबंधित सभी उपबंध लागू होंगे ।'।

धारा 115द का संशोधन।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 115द की उपधारा (2) में, 1 जून, 2013 से,—

(क) खंड (ii) में, "साढ़े बारह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "पच्चीस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (iii) के पश्चात् और परंतुक के पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां कोई आय किसी अनिवासी (जो कोई कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी को किसी अवसंरचना ऋण निधि स्कीम के अधीन किसी पारस्परिक निधि द्वारा वितरित की जाती है, वहां पारस्परिक निधि इस प्रकार वितरित आय पर पांच प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आय-कर का संदाय करने का दायी होगी :";

(ग) परंतुक में, "परंतु" शब्द के स्थान पर, "परंतु यह और कि" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "प्रशासक" और "विनिर्दिष्ट कंपनी" का वही अर्थ होगा जो धारा 10 के खंड (35) के स्पष्टीकरण में क्रमशः उनका है ;

(ii) "अवसंरचना ऋण निधि स्कीम" का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 के विनियम 49ठ के खंड (1) में उसका है ।'। 1992 का 15

नए अध्याय 12ङक का अंतःस्थापन।

33. आय-कर अधिनियम के अध्याय 12ङ के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय 1 जून, 2013 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'अध्याय 12ङक

प्रतिभूतिकरण न्यासों द्वारा वितरित आय पर कर से संबंधित विशेष उपबंध

विनिधानकर्ताओं को वितरित आय पर कर।

115नक. (1) अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा अपने विनिधानकर्ताओं को वितरित आय की कोई रकम कर से प्रभार्य होगी और ऐसा प्रतिभूतिकरण न्यास—

(i) किसी व्यक्ति को, जो कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, वितरित आय पर पच्चीस प्रतिशत;

(ii) किसी अन्य व्यक्ति को वितरित आय पर तीस प्रतिशत,

की दर पर ऐसी वितरित आय पर अतिरिक्त आय-कर का संदाय करने के लिए दायी होगा :

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को वितरित किसी आय की बाबत लागू नहीं होगी जिसके मामले में आय,

उसकी प्रकृति और स्रोत को विचार में न लेते हुए, अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य नहीं है ।

(2) प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा वितरित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसी आय के वितरण या संदाय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की तारीख से चौदह दिन के भीतर केंद्रीय सरकार के जमा खाते में कर का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(3) प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा वितरित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को या उसके पूर्व, विहित आय-कर प्राधिकारी को विहित प्ररूप में और विहित रीति में सत्यापित एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें पूर्ववर्ष के दौरान विनिधानकर्ताओं को वितरित आय की रकम के उस पर संदत्त कर के ब्यौरे और ऐसे अन्य सुसंगत ब्यौरे होंगे, जो विहित किए जाएं।

(4) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन कोई कटौती प्रतिभूतिकरण न्यास को ऐसी आय की बाबत अनुज्ञात नहीं की जाएगी जो उपधारा (1) के अधीन कर से प्रभारित की गई है।

कर का संदाय न करने के लिए संदेय ब्याज।

115नख. जहां प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा वितरित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति और प्रतिभूतिकरण न्यास धारा 115नक की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का उस धारा की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर संदाय करने में असफल रहता है, वहां वह ऐसे कर की रकम पर उस अंतिम तारीख के, जिसको ऐसा कर संदेय था, ठीक पश्चात् की तारीख को आरंभ होने वाली और उस तारीख तक, जिसको कर का वस्तुतः संदाय किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए एक प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

प्रतिभूतिकरण न्यास का व्यतिक्रमी निर्धारिती होना।

115नग. यदि प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा वितरित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति और प्रतिभूतिकरण न्यास धारा 115नक की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट कर का संदाय नहीं करता है, तो वह उसके द्वारा संदेय कर की रकम की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा, और इस अधिनियम के आय-कर के संग्रहण और वसूली से संबंधित सभी उपबंध लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विनिधानकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा जारी की गई किसी प्रतिभूतिकृत ऋण लिखत या प्रतिभूतियों का धारक है;

(ख) "प्रतिभूतियां" से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा निर्दिष्ट किसी विशेष प्रयोज्य माध्यम द्वारा जारी की गई ऋण प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं;

(ग) "प्रतिभूतिकृत ऋण लिखत" का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लोक प्रस्थापना और प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों का सूचीबद्धकरण) विनियम, 2008 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (ध) में उसका है;

1992 का 15
1956 का 42

(घ) "प्रतिभूतिकरण न्यास" से ऐसा कोई न्यास अभिप्रेत है जो—

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अधीन बनाए गए

1992 का 15
1956 का 42

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लोक प्रस्थापना और प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों का सूचीबद्धकरण) विनियम, 2008 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (प) में यथा परिभाषित और उक्त विनियमों के अधीन विनियमित "विशेष प्रयोज्य सुभिन्न इकाई" है ; या

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा परिभाषित और विनियमित ऐसा "विशेष प्रयोज्य माध्यम" है ,

जो ऐसी शर्तें पूरी करता है, जो विहित की जाएं ।'।

धारा 132ख का संशोधन ।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 132ख के स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 जून, 2013 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि "विद्यमान दायित्व" के अंतर्गत अध्याय 17 के भाग ग के उपबंधों के अनुसार संदेय अग्रिम कर नहीं आता है ।'।

धारा 138 का संशोधन ।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 138 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) में, "विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 2(घ)" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, "विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ढ)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे। 1947 का 7 1999 का 42

धारा 139 का संशोधन ।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (9) के स्पष्टीकरण में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 जून, 2013 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) धारा 140क के उपबंधों के अनुसार संदेय कर का ब्याज सहित, यदि कोई हो, विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को या उसके पूर्व संदत्त कर दिया गया है ;"।

धारा 142 का संशोधन।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (2क) में "लेखाओं की प्रकृति और जटिलता को तथा" शब्दों के स्थान पर, "लेखाओं की प्रकृति और जटिलता लेखाओं के परिमाण, लेखाओं की शुद्धता के बारे में शंकाओं, लेखाओं में संव्यवहारों की बहुलता या कारबार क्रियाकलाप की विशिष्ट प्रकृति को तथा" शब्द 1 जून, 2013 से रखे जाएंगे ।

धारा 144खक का लोप ।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 144खक (वित्त अधिनियम, 2012 की धारा 62 द्वारा यथा अंतःस्थापित) का 1 अप्रैल, 2014 से लोप किया जाएगा । 2012 का 23

नई धारा 144खक का अंतःस्थापन ।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 144ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय मामलों में आयुक्त को निर्देश।

"144खक. (1) यदि निर्धारण अधिकारी का, उसके समक्ष निर्धारण या पुनर्निर्धारण की कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर, उपलब्ध सामग्री और साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, यह विचार है कि अध्याय 10क के अर्थान्तर्गत किसी ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषित करना और ऐसे किसी ठहराव का परिणाम अवधारित करना आवश्यक है, तो वह इस संबंध में आयुक्त को निर्देश कर सकेगा ।

(2) यदि आयुक्त की, उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश प्राप्त होने पर, यह राय है कि अध्याय 10क के उपबंधों का अवलंब लेना अपेक्षित है, तो वह एक सूचना, उसमें ऐसी राय के कारणों और आधार को उपवर्णित करते हुए, निर्धारिती को आक्षेप,

यदि कोई हों, प्रस्तुत करने के लिए और निर्धारिती को साठ दिन से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, सुनवाई का अवसर देने के लिए जारी करेगा ।

(3) यदि निर्धारिती उपधारा (2) के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना के प्रति कोई आक्षेप प्रस्तुत नहीं करता है, तो आयुक्त ऐसे निदेश जारी करेगा, जो वह ठहराव अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषणा करने के संबंध में ठीक समझे ।

(4) यदि निर्धारिती प्रस्तावित कार्रवाई के प्रति आक्षेप करता है और आयुक्त का, मामले में निर्धारिती की सुनवाई करने के पश्चात् निर्धारिती के स्पष्टीकरण से समाधान नहीं होता है, तो वह उस मामले में ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषित करने के प्रयोजन के लिए अनुमोदनकर्ता पैनल को निर्देश करेगा।

(5) यदि आयुक्त का, निर्धारिती की सुनवाई करने के पश्चात्, यह समाधान हो जाता है कि अध्याय 10क के उपबंधों का अवलंब नहीं लिया जाए तो वह लिखित आदेश द्वारा निर्धारण अधिकारी को उसकी संसूचना निर्धारिती को उसकी एक प्रति देते हुए देगा ।

(6) अनुमोदनकर्ता पैनल, उपधारा (4) के अधीन आयुक्त से कोई निर्देश प्राप्त होने पर, ठहराव को अध्याय 10क के उपबंधों के अनुसार अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषित करने की बाबत ऐसे निदेश जारी करेगा, जो वह ठीक समझे जिनके अंतर्गत उस पूर्ववर्ष या उन पूर्ववर्षों को विनिर्दिष्ट करना भी है, जिनके लिए ठहराव की अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में ऐसी घोषणा लागू होगी ।

(7) उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश तब तक नहीं जारी किया जाएगा जब तक ऐसे निदेशों के संबंध में, जो, यथास्थिति, निर्धारिती के हित या राजस्व के हितों के प्रतिकूल हों, निर्धारिती और निर्धारण अधिकारी को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

(8) अनुमोदनकर्ता पैनल, उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश जारी करने के पूर्व,—

(i) यदि उसकी यह राय है कि मामले में कोई और जांच आवश्यक है, तो आयुक्त को ऐसी जांच करने या किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी द्वारा जांच कराए जाने का तथा ऐसी उसे एक रिपोर्ट, जिसमें ऐसी जांच के परिणाम अंतर्विष्ट हों, प्रस्तुत किए जाने का निदेश दे सकेगा ; या

(ii) मामले से संबंधित ऐसे अभिलेखों को, जो वह ठीक समझे मंगा सकेगा और उनकी परीक्षा कर सकेगा; या

(iii) निर्धारिती से ऐसे दस्तावेज और साक्ष्य, जैसे वह निदेश दे प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(9) यदि अनुमोदनकर्ता पैनल के सदस्यों में किसी मुद्दे पर मतभेद है, तो उस मुद्दे का विनिश्चय सदस्यों के बहुमत के अनुसार किया जाएगा ।

(10) निर्धारण अधिकारी, उपधारा (3) के अधीन, आयुक्त या उपधारा (6) के अधीन अनुमोदनकर्ता पैनल के निदेशों की प्राप्ति पर, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यवाहियों को उन निदेशों और अध्याय 10क के उपबंधों के अनुसार पूरा करने की कार्यवाही करेगा ।

(11) यदि उपधारा (6) के अधीन जारी किए गए किसी निदेश में यह विनिर्दिष्ट है कि ठहराव की अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषणा ऐसे उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी पूर्ववर्ष के लिए लागू होती है, जिससे उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यवाहियां तात्पर्यित हैं, तो निर्धारण अधिकारी ऐसे अन्य पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष की किसी निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाहियों को पूरा करते समय ऐसे निदेशों और अध्याय 10क के उपबंधों के अनुसार ऐसा करेगा और उसके लिए सुसंगत निर्धारण वर्ष के संबंध में उस मुद्दे पर नए सिरे से निदेश की ईप्सा करना आवश्यक नहीं होगा।

(12) यदि अध्याय 10क के उपबंधों के अधीन आदेश में कोई कर परिणाम अवधारित किए गए हैं तो निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण या पुनःनिर्धारण संबंधी कोई आदेश आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(13) अनुमोदनकर्ता पैनल उपधारा (6) के अधीन निदेश उस मास के, जिसमें उपधारा (4) के अधीन द्वारा निर्देश प्राप्त होता है, अंत से छह मास की अवधि के भीतर जारी करेगा।

(14) अनुमोदनकर्ता द्वारा उपधारा (6) के अधीन जारी किए गए निदेश —

(i) निर्धारिती ; और

(ii) आयुक्त और उसके अधीनस्थ आय-कर प्राधिकारियों पर,

आबद्धकर होंगे और अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम के अधीन ऐसे निदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी ।

(15) केंद्रीय सरकार, इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक, जितने आवश्यक हों, अनुमोदनकर्ता पैनल गठित करेगी और प्रत्येक पैनल तीन सदस्यों से, जिनके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, मिलकर बनेगा ।

(16) अनुमोदनकर्ता पैनल का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है और—

(i) एक सदस्य भारतीय राजस्व सेवा का ऐसा सदस्य होगा जो मुख्य आय-कर आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो; और

(ii) एक सदस्य ऐसा शिक्षाविद् या विद्वान होगा जिसके पास प्रत्यक्ष कर, कारबार लेखा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पद्धति जैसे मामलों में विशेष ज्ञान हो।

(17) अनुमोदनकर्ता पैनल की अवधि साधारणतः एक वर्ष की होगी और वह समय-समय पर तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाई जा सकेगी ।

(18) अनुमोदनकर्ता पैनल का अध्यक्ष और सदस्य पैनल को किए गए निर्देशों पर विचार करने के लिए, जब कभी अपेक्षित हो, बैठकें करेंगे और उन्हें ऐसे पारिश्रमिक का संदाय किया जाएगा, जो विहित किया जाए ।

(19) इस धारा के अधीन अनुमोदनकर्ता पैनल को प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, उसके पास वे शक्तियां होंगी, जो धारा 245प के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण में निहित हैं ।

(20) बोर्ड अनुमोदनकर्ता पैनल को उतने कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जितने अधिनियम के अधीन अनुमोदनकर्ता पैनल की शक्तियों के दक्षतापूर्ण प्रयोग और कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक हों ।

(21) बोर्ड, अनुमोदनकर्ता पैनल के गठन और दक्ष कार्यकरण और उपधारा (4) के अधीन प्राप्त निर्देशों के शीघ्र निपटान के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगा।

स्पष्टीकरण—उपधारा (13) में निर्दिष्ट अवधि की गणना करने में, निम्नलिखित को अपवर्जित किया जाएगाः—

(i) उस तारीख से, जिसको अनुमोदनकर्ता पैनल द्वारा आयुक्त को धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट करार के अधीन सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से जांच कराए जाने का पहला निदेश जारी किया गया है, आरंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको इस प्रकार अनुरोध की गई सूचना अंतिम रूप से अनुमोदनकर्ता पैनल द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि, या एक वर्ष, इनमें से जो भी कम हो ;

(ii) वह अवधि, जिसके दौरान अनुमोदनकर्ता पैनल की कार्यवाही पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगा दी जाती है :

परंतु जहां पूर्वोक्त समय या अवधि के अपवर्जन के ठीक पश्चात्, अनुमोदनकर्ता पैनल को निदेश जारी करने के लिए उपलब्ध अवधि साठ दिन से कम की है, वहां ऐसी शेष अवधि साठ दिन तक बढ़ा दी जाएगी और छह मास की पूर्वोक्त अवधि को तदनुसार बढ़ा दिया गया समझा जाएगा ।"।

धारा 144ग का संशोधन ।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 144ग में,—

(क) उपधारा (14क) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (14) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(14क) इस धारा के उपबंध निर्धारण अधिकारी द्वारा आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से जैसा धारा 144खक की उपधारा (12) में उपबंधित है, पारित किसी निर्धारण या पुनर्निर्धारण आदेश को लागू नहीं होंगे ।"।

धारा 153 का संशोधन ।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 153 में,—

(I) उपधारा (1) में, तीसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा और 1 जुलाई, 2012 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

'परन्तु यह भी कि यदि वह निर्धारण वर्ष, जिसमें आय पहले निर्धारणीय थी, 1 अप्रैल, 2009 को प्रारंभ होने वाला निर्धारण वर्ष या कोई पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष है और कुल आय का निर्धारण करने संबंधी कार्यवाही के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश किया जाता है, तो खंड (क) के उपबंध, पहले परंतुक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "तीन वर्ष" शब्द रखे गए हों।';

(II) उपधारा (2) में, चौथे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा और 1 जुलाई, 2012 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

'परंतु यह भी कि जहां धारा 148 के अधीन सूचना की तामील 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् की गई हो और कुल आय का निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनर्संगणना करने संबंधी कार्यवाही के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश किया जाता है, वहां इस उपधारा के उपबंध, दूसरे परंतुक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष" शब्द रखे गए हों।';

(III) उपधारा (2क) में, चौथे, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा और 1 जुलाई, 2012 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

'परंतु यह भी कि जहां 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात्, यथास्थिति, धारा 254 के अधीन आदेश, मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है या धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश आयुक्त द्वारा पारित किया जाता है, और कुल आय का नए सिरे से निर्धारण करने संबंधी कार्यवाही के दौरान, धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश किया जाता है, वहां इस उपधारा के उपबंध, दूसरे परंतुक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे गए हों।';

(IV) स्पष्टीकरण 1 में,—

(क) खंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड 1 जून, 2013 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) उस तारीख को, जिसको निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को अपने लेखाओं की संपरीक्षा धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन कराने का निदेश देता है, प्रारंभ होने वाली और—

(क) उस अंतिम तारीख को समाप्त होने वाली अवधि, जिसको निर्धारिती से ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट उस उपधारा के अधीन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है ; या

(ख) जहां ऐसे निदेश को किसी न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है, उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि, जिसको ऐसे निदेश को अपास्त किए जाने संबंधी ऐसा निदेश आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है ; या";

(ख) खंड (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड 1 जून, 2013 से रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(viii) उस तारीख से, जिसको धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना के आदान-प्रदान के लिए कोई निर्देश या निर्देशों में से प्रथम निर्देश किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको अनुरोध की गई सूचना अंतिम रूप से आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि या एक वर्ष की अवधि, इनमें से जो भी कम हो,";

(ग) खंड (ix) का लोप किया जाएगा ;

(घ) खंड (viii) के अंत में, "या" शब्द और खंड (viii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ix) उस तारीख से, जिसको धारा 144खक की उपधारा (1) के अधीन आयुक्त द्वारा किसी ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव घोषित किए जाने के लिए कोई निर्देश प्राप्त किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त धारा की उपधारा (3) या उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश या उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि,"।

धारा 153ख का संशोधन।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 153ख की उपधारा (1) में,—

(क) चौथे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा और 1 जुलाई, 2012 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

'परंतु यह भी कि उस दशा में, जहां धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार 1 अप्रैल, 2009 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादित किया गया था और कुल आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने संबंधी कार्यवाही के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश किया जाता है, वहां इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) के उपबंध, दूसरे परंतुक के खंड (i) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष" शब्द रखे गए हों :';

(ख) छठे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा और 1 जुलाई, 2012 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

'परंतु यह भी कि उस दशा में, जहां धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार, 1 अप्रैल, 2009 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादित किया गया था और धारा 153ग में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की दशा में, कुल आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने संबंधी कार्यवाही के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश किया जाता है, वहां ऐसे अन्य व्यक्ति की दशा में, निर्धारण या पुनःनिर्धारण करने संबंधी परिसीमाकाल, दूसरे परंतुक के खंड (ii) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था, अंत से छत्तीस मास या उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां या दस्तावेज या आस्तियां धारा 153ग के अधीन उस अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंपी जाती हैं, अंत से चौबीस मास की अवधि, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, का होगा।';

(ग) स्पष्टीकरण में,—

(क) खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 1 जून, 2013 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) उस तारीख से, जिसको निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन अपने लेखाओं की संपरीक्षा कराने का निदेश देता है, प्रारंभ होने वाली और—

(क) उस अंतिम तारीख को समाप्त होने वाली अवधि, जिसको निर्धारिती से ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट उस उपधारा के अधीन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है ; या

(ख) जहां ऐसे निदेश को किसी न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है, उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि, जिसको ऐसे निदेश को अपास्त किए जाने संबंधी आदेश आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है ; या";

(ख) खंड (viii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 1 जून, 2013 से रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(viii) उस तारीख से, जिसको धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना के आदान-प्रदान के लिए कोई निर्देश या निर्देशों में से प्रथम निर्देश किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको अनुरोध की गई

सूचना अंतिम रूप से आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि या एक वर्ष की अवधि, इनमें से जो भी कम हो,";

(ग) खंड (ix) का लोप किया जाएगा ;

(घ) खंड (viii) के अंत में, "या" शब्द और खंड (viii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ix) उस तारीख से, जिसको धारा 144खक की उपधारा (1) के अधीन आयुक्त द्वारा किसी ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव घोषित किए जाने के लिए निर्देश प्राप्त किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त धारा की उपधारा (3) या उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश या उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि,"।

धारा 153घ का संशोधन।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 153घ में, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात वहां लागू नहीं होगी, जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा, यथास्थिति, निर्धारण या पुनःनिर्धारण आदेश धारा 144खक की उपधारा (12) के अधीन आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से, पारित किया जाना अपेक्षित है ।"।

धारा 167ग का संशोधन।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 167ग में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 जून, 2013 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "देय कर" पद के अंतर्गत अधिनियम के अधीन संदेय शास्ति, ब्याज या कोई अन्य राशि भी है ।'।

धारा 179 का संशोधन ।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 179 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 जून, 2013 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "देय कर" पद के अंतर्गत अधिनियम के अधीन संदेय शास्ति, ब्याज या कोई अन्य राशि भी है ।'।

नई धारा 194झक का अंतःस्थापन।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 194झ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कृषि भूमि से भिन्न कतिपय स्थावर संपत्ति के अंतरण पर संदाय।

'194झक. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो कोई अंतरिती है और जो किसी स्थावर संपत्ति (कृषि भूमि से भिन्न) के अंतरण के लिए प्रतिफल के रूप में किसी राशि का निवासी अंतरक को (धारा 194ठक में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न) संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी राशि अंतरक के खाते में जमा कराते समय या ऐसी राशि का नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, संदाय करते समय, उस पर आय-कर के रूप में, ऐसी राशि के एक प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती वहां नहीं की जाएगी जहां किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल पचास लाख रुपए से कम है ।

'(3) धारा 203क के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जिससे इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कृषि भूमि" से भारत में ऐसी कृषि भूमि अभिप्रेत है जो धारा 2 के खंड (14) के उपखंड (iii) की मद (क) और मद (ख) में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र में अवस्थित भूमि न हो;

(ख) "स्थावर संपत्ति" से कोई भूमि (कृषि भूमि से भिन्न) या कोई भवन या किसी भवन का भाग अभिप्रेत है।'।

नई धारा 194ठघ का अंतःस्थापन।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठग के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कतिपय बंधपत्रों और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय।

'194ठघ. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसे किसी व्यक्ति को, जो विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता या अर्हित विदेशी विनिधानकर्ता है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी आय को पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर पांच प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय पाने वाले द्वारा,—

(i) किसी भारतीय कंपनी के रुपए के अंकित बंधपत्र में; या

(ii) किसी सरकारी प्रतिभूति में,

किए गए विनिधान की बाबत 1 जून, 2013 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 जून, 2015 के पूर्व संदेय ब्याज होगा:

परंतु खंड (i) में निर्दिष्ट बंधपत्र की बाबत ब्याज की दर उस दर से अधिक नहीं होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) "विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता" का वही अर्थ होगा जो धारा 115कघ के स्पष्टीकरण के खंड (क) में उसका है;

(ख) "सरकारी प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ख) में उसका है;

1956 का 42

(ग) "अर्हित विदेशी विनिधानकर्ता" का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्र संख्यांक परिपत्र/आई॰एम॰डी॰/डी॰ एफ॰/14/2011, तारीख 9 अगस्त, 2011, समय-समय पर यथासंशोधित में उसका है।'।

1992 का 15

धारा 195 का संशोधन।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 195 की उपधारा (1) में, "धारा 194ठग" शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, "या धारा 194ठघ" शब्द, अंक और अक्षर 1 जून, 2013 से अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 196घ का संशोधन।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 196घ की उपधारा (1) में, "धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की बाबत कोई आय" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट ऐसी प्रतिभूतियों की बाबत कोई आय, जो धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक, 1 जून, 2013 से रखे जाएंगे।

धारा 204 का संशोधन।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 204 में,—

(अ) खंड (iiक) में, "प्राधिकृत व्यवहारी" शब्दों के स्थान पर "प्राधिकृत व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) स्पष्टीकरण में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ख) "प्राधिकृत व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ग) में उसका है;'। 1999 का 42

धारा 206कक का संशोधन।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 206कक की उपधारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, 1 जून, 2013 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(7) इस धारा के उपबंध धारा 194ठग में यथानिर्दिष्ट किसी अनिवासी, जो कंपनी न हो या किसी विदेशी कंपनी को दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों पर ब्याज के संदाय की बाबत लागू नहीं होंगे।"।

धारा 206ग का संशोधन।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (1घ) में, "(दस ग्राम या कम वजन के किसी सिक्के या किसी अन्य वस्तु को छोड़कर)" कोष्ठकों और शब्दों का 1 जून, 2013 से लोप किया जाएगा।

धारा 245ढ का संशोधन।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 245ढ में,—

(i) खंड (क) में,—

(I) उपखंड (iv) का लोप किया जाएगा ;

(II) उपखंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iv) प्राधिकरण द्वारा इस बारे में कोई अवधारण या विनिश्चय कि क्या ऐसा कोई ठहराव, जो ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जो कोई निवासी या अनिवासी है, किया जाना प्रस्तावित है, अध्याय 10क में यथानिर्दिष्ट कोई अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव है या नहीं;";

(ii) खंड (ख) में,—

(I) उपखंड (iiiक) का लोप किया जाएगा ;

(II) उपखंड (iii) में, अंत में आने वाले "या" शब्द के स्थान पर "और" शब्द रखा जाएगा;

(III) उपखंड (iii) में, अंत में आने वाले "और" शब्द के स्थान पर "या" शब्द 1 अप्रैल, 2015 से रखा जाएगा;

(IV) उपखंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iiiक) खंड (क) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट है ; और"।

धारा 245द का संशोधन।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 245द की उपधारा (2) के परंतुक के खंड (iii) में,—

(क) "या धारा 245ढ के खंड (ख) के उपखंड (iiiक) में आने वाले किसी आवेदक" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

(ख) "उपखंड (iii) के अंतर्गत आने वाले किसी निवासी आवेदक" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् या "धारा 245ढ के खंड (ख) के उपखंड (iiiक) के अंतर्गत आने वाले किसी आवेदक" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 246क का संशोधन।

55. आय-कर अधिनियम की धारा 246क की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में,—

(I) "या धारा 144खक की उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी आदेश" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

(II) खंड (क) में, "पैनल के निदेशों के अनुसरण में पारित आदेश" शब्दों के पश्चात्, "या धारा 144खक की उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी आदेश" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में,—

(I) "या धारा 144खक की उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी आदेश" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

(II) खंड (ख) में, "पैनल के निदेशों के अनुसरण में पारित आदेश" शब्दों के पश्चात्, "या धारा 144खक की उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी आदेश" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) खंड (खक) में,—

(i) "या धारा 144खक की उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी आदेश" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (खक) में, "अनुसरण में पारित आदेश के सिवाय" शब्दों के स्थान पर, "अनुसरण में पारित आदेश या धारा 144खक की उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी आदेश के सिवाय" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक 1 अप्रैल, 2016 से रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ग) में,—

(I) "सिवाय जहां यह धारा 144खक की उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी आदेश की बाबत है" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

(II) "धारा 154 या धारा 155 के अधीन" शब्दों और अंकों के पूर्व "धारा 144खक की उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी आदेश के सिवाय," शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 252 का संशोधन।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 252 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2013 से रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) केंद्रीय सरकार—

(क) ऐसे किसी व्यक्ति को, जो किसी उच्च न्यायालय का आसीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश है और जिसने किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कम से कम सात वर्ष की सेवा पूरी की है; या

(ख) अपील अधिकरण के ज्येष्ठ उपाध्यक्ष को या उपाध्यक्षों में से एक को,

उसका अध्यक्ष नियुक्त करेगी।"।

धारा 253 का संशोधन ।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (1) में,—

(क) खंड (ङ) का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) धारा 144खक की उपधारा (12) में यथानिर्दिष्ट आयुक्त के अनुमोदन से धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 147 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश या ऐसे आदेश की बाबत धारा 154 या धारा 155 के अधीन पारित कोई आदेश।"।

धारा 271चक के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 271चक के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2014 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

वार्षिक सूचना विवरणी देने में असफलता के लिए शास्ति।

"271चक. यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 285खक की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक सूचना विवरणी देने की अपेक्षा की गई है, ऐसी विवरणी उसकी उपधारा (2) के अधीन विहित समय के भीतर देने में असफल रहता है, तो उक्त उपधारा (1) के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, शास्ति के रूप में, एक सौ रुपए की राशि का संदाय करेगा :

परंतु जहां ऐसा व्यक्ति, धारा 285खक की उपधारा (5) के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विवरणी देने में असफल रहता है, वहां वह उस दिन के, जिसको विवरणी देने के लिए ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट समय समाप्त होता है, ठीक बाद के दिन से आरंभ होने वाले ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, शास्ति के रूप में, पांच सौ रुपए की राशि का संदाय करेगा ।"।

धारा 295 का संशोधन।

59. आय-कर अधिनियम की धारा 295 की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2016 से,—

(i) खंड (ङङ) को खंड (ङ) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङङ) अध्याय 10क में विनिर्दिष्ट मामले;";

(ii) खंड (ङङग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङङघ) धारा 144खक की उपधारा (18) के अधीन अनुमोदनकर्ता पैनल के अध्यक्ष और सदस्यों का पारिश्रमिक तथा उपधारा (21) के अधीन अनुमोदनकर्ता पैनल के गठन, कार्यकरण और उसके द्वारा निर्देशों का निपटारा करने की प्रक्रिया और रीति ;"।

चौथी अनुसूची का संशोधन।

60. आय-कर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 3 के उपनियम (1) के प्रथम परंतुक में, "31 मार्च, 2013" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2014" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

धन-कर

धारा 2 का संशोधन।

61. धन-कर अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (ङक) के स्पष्टीकरण 1 में,— 1957 का 27

(अ) खंड (ख) में, "किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि नहीं है, जिस पर" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा और 1 अप्रैल, 1993 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

. "किन्तु इसके अन्तर्गत सरकार के अभिलेखों में कृषि भूमि के रूप में वर्गीकृत और कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि अथवा ऐसी भूमि नहीं है, जिस पर"।

(आ) इस प्रकार यथा संशोधित खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2014 से रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ख) "नगर भूमि" से ऐसी भूमि अभिप्रेत है, जो,—

(i) ऐसे किसी क्षेत्र में स्थित है, जो किसी नगरपालिका (चाहे वह नगरपालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, शहरी समिति या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) या किसी छावनी बोर्ड की अधिकारिता के भीतर, समाविष्ट है और जिसकी जनसंख्या दस हजार से कम नहीं है ; या

(ii) एरियल रूप से मापित ऐसी दूरी के भीतर, ऐसे किसी क्षेत्र में स्थित है,—

(I) जो उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से दो किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या दस हजार से अधिक किन्तु एक लाख से अधिक नहीं है ; या

(II) जो उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से छह किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक किन्तु दस लाख से अधिक नहीं है ; या

(III) जो उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से आठ किलोमीटर से अधिक न हो और जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है,

किंतु इसके अंतर्गत सरकार के अभिलेखों में कृषि भूमि के रूप में वर्गीकृत और कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि अथवा ऐसी भूमि, जिस पर उस क्षेत्र में, जिसमें ऐसी भूमि स्थित है, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी भवन का सन्निर्माण अनुज्ञेय नहीं है, या ऐसी भूमि, जो ऐसे किसी भवन से, जिसको समुचित प्राधिकारी के अनुमोदन से सन्निर्मित किया गया है, घिरी हुई है या ऐसी कोई अप्रयुक्त भूमि, जो निर्धारिती द्वारा उसके अर्जन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए औद्योगिक प्रयोजनों हेतु उसके द्वारा धारित की गई है या ऐसी कोई भूमि नहीं है, जो उसके द्वारा उसके अर्जन की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए व्यापार-स्टाक के रूप में धारित की गई है ।'।

स्पष्टीकरण—स्पष्टीकरण 1 के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, "जनसंख्या" से उस अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार जनसंख्या अभिप्रेत है, जिसके सुसंगत आंकड़े मूल्यांकन की तारीख के पूर्व प्रकाशित किए जा चुके हैं ।'।

नई धारा 14क और धारा 14ख का अंतःस्थापन ।

62. धन-कर अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं 1 जून, 2013 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

धन की विवरणी के साथ दस्तावेज, आदि प्रस्तुत करने से छूट देने की बोर्ड की शक्ति।

"14क. बोर्ड, व्यक्तियों के किसी ऐसे वर्ग या वर्गों के लिए उपबंध करते हुए नियम बना सकेगा, जिनसे विवरणी के साथ ऐसे दस्तावेज, विवरण, रसीदें प्रमाणपत्र, संपरीक्षा रिपोर्टें, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की रिपोर्टें या ऐसे किन्हीं अन्य दस्तावेजों को, जिन्हें इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन, धारा 14ख के सिवाय, अन्यथा प्रस्तुत करना अपेक्षित है, प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जा

सकेगी, किन्तु जिन्हें मांग किए जाने पर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

विवरणी का इलैक्ट्रानिक रूप में फाइल किया जाना।

14ख. बोर्ड, निम्नलिखित के लिए उपबंध करते हुए, नियम बना सकेगा,—

(क) व्यक्तियों का ऐसा वर्ग या ऐसे वर्ग, जिससे या जिनसे विवरणी इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी ;

(ख) वह प्ररूप और रीति, जिसमें विवरणी इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी ;

(ग) ऐसे दस्तावेज, विवरण, रसीदें, प्रमाणपत्र, संपरीक्षा रिपोर्टें, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की रिपोर्टें या ऐसे कोई अन्य दस्तावेज, जिन्हें विवरणी के साथ इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा, किन्तु जिन्हें मांग किए जाने पर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ;

(घ) ऐसा कम्प्यूटर संसाधन या इलैक्ट्रानिक अभिलेख, जिसमें विवरणी को इलैक्ट्रानिक रूप में पारेषित किया जा सकेगा ।'।

धारा 46 का संशोधन।

63. धन-कर अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (2) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 जून, 2013 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(खक) ऐसे दस्तावेज, विवरण, रसीदें, प्रमाणपत्र, संपरीक्षा रिपोर्टें, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की रिपोर्टें या ऐसे कोई अन्य दस्तावेज, जिन्हें विवरणी के साथ प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा, किन्तु जिन्हें धारा 14क के अधीन मांग किए जाने पर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ;

(खख) व्यक्तियों का ऐसा वर्ग या ऐसे वर्ग, जिससे या जिनसे विवरणी इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी; वह प्ररूप और रीति, जिसमें विवरणी इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी ; ऐसे दस्तावेज, विवरण, रसीदें, प्रमाणपत्र, संपरीक्षा रिपोर्टें, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की रिपोर्टें या ऐसे कोई अन्य दस्तावेज, जिन्हें विवरणी के साथ इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा और ऐसा कम्प्यूटर संसाधन या इलैक्ट्रानिक अभिलेख, जिसमें धारा 14ख के अधीन ऐसी विवरणी इलैक्ट्रानिक रूप में पारेषित की जा सकेगी ;"।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

धारा 11 का संशोधन।

64. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ढ) में "और प्रतिलिप्यधिकारों" शब्दों के स्थान पर "प्रतिलिप्यधिकारों, डिजाइनों और भौगोलिक उपदर्शनों" शब्द रखे जाएंगे। 1962 का 52

धारा 27 का संशोधन।

65. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि जहां दावा किए गए प्रतिदाय की रकम एक सौ रुपए से कम है, वहां उसका प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ।'।

धारा 28 का संशोधन।

66. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु उचित अधिकारी ऐसी कारण बताओ सूचना की तामील नहीं करेगा, जहां कि अंतर्वलित रकम एक सौ रुपए से कम है ।'।

धारा 28खक का संशोधन।

67. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28खक की उपधारा (1) में, "धारा 28 की उपधारा (1)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 28 की उपधारा (1) या उपधारा (4)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

धारा 28ङ का संशोधन।

68. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ङ के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(क) "क्रियाकलाप" से आयात या निर्यात अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत, यथास्थिति, विद्यमान आयातकर्ता या निर्यातकर्ता द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित आयात या निर्यात का कोई नया कारबार भी है;'।

धारा 29 का संशोधन।

69. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में, "वायुयान का भारसाधक व्यक्ति" शब्दों के पश्चात् ",जब तक कि बोर्ड द्वारा अनुज्ञात न किया जाए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 30 का संशोधन।

70. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) में,—

(क) "आयात माल सूची" शब्दों के स्थान पर "आयात सूची इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करके" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु सीमाशुल्क आयुक्त, उन मामलों में जहां आयात माल सूची को इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करके देना साध्य नहीं है, उसको किसी अन्य रीति में देने की अनुज्ञा दे सकेगा ।"।

धारा 41 का संशोधन।

71. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) में,—

(क) "निर्यात सूची" शब्दों के स्थान पर "इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत निर्यात सूची" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु सीमाशुल्क आयुक्त, उन मामलों में जहां निर्यात माल सूची को इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करके देना साध्य नहीं है, उसको किसी अन्य रीति में देने की अनुज्ञा दे सकेगा ।"।

धारा 47 का संशोधन।

72. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (2) में, "पांच दिन" शब्दों के स्थान पर, "दो दिन" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 49 का संशोधन।

73. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 49 में,—

(क) "माल को सार्वजनिक भांडागार में" शब्दों के स्थान पर, "माल को सार्वजनिक भांडागार में तीस दिन से अनधिक की और अवधि तक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु सीमाशुल्क आयुक्त, भंडारकरण की अवधि को एक बार में तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा ।"।

धारा 69 का संशोधन।

74. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (1) के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(क) ऐसे माल की बाबत पोतपत्र या निर्यातपत्र को विहित प्ररूप में या ऐसे माल के साथ लगे किसी लेबल या घोषणा का, जैसा धारा 82 में निर्दिष्ट है, पेश किया गया है ;" ।

धारा 104 का संशोधन।

75. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 104 की उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट उपबंधों के होते हुए भी,— 1974 का 2

(क) पचास लाख रुपए से अधिक के शुल्क के अपवंचन या प्रयतित अपवंचन से ; या

(ख) धारा 11 के अधीन अधिसूचित ऐसे प्रतिषिद्ध माल के, जो धारा 135 की उपधारा (1) के खंड (i) के उपखंड (इ) के अधीन भी अधिसूचित हैं ; या

(ग) ऐसे किसी माल के, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार घोषित नहीं किया गया है और जिसकी बाजार कीमत एक करोड़ रुपए से अधिक है, आयात या निर्यात के ; या

(घ) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शुल्क से कपटपूर्ण रूप से वापसी या किसी छूट को, यदि वापसी या शुल्क से छूट की रकम पचास लाख रुपए से अधिक है, प्राप्त करने या प्राप्त करने का प्रयास करने के,

संबंध में धारा 135 के अधीन दंडनीय अपराध अजमानतीय होगा ।

(7) उपधारा (6) में, जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन सभी अन्य अपराध जमानतीय होंगे ।"।

धारा 129ख का संशोधन।

76. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129ख की उपधारा (2क) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह भी कि जहां ऐसी अपील का निपटारा पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, वहां अपील अधिकरण, किसी पक्षकार द्वारा इस निमित्त किए गए किसी आवेदन पर और यह समाधान हो जाने पर कि अपील के निपटारे में विलंब ऐसे पक्षकार के कारण हुआ नहीं माना जा सकता है, रोक की अवधि को एक सौ पचासी दिन से अनधिक की ऐसी और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा, जो वह ठीक समझे और यदि अपील का निपटारा पहले परंतुक में निर्दिष्ट आदेश की तारीख से तीन सौ पैंसठ दिन की कुल अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो रोकादेश, उक्त अवधि के अवसान पर बातिल हो जाएगा ।"।

धारा 129ग का संशोधन।

77. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129ग की उपधारा (4) में, "दस लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पचास लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 135 का संशोधन।

78. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (1) के खंड (i) के उपखंड (आ) और उपखंड (ई) में, "तीस लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, क्रमशः "पचास लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 142 का संशोधन ।

79. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(घ) (i) उचित अधिकारी, लिखित सूचना द्वारा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से, जिससे ऐसे व्यक्ति को धन शोध्य है, या ऐसे व्यक्ति को शोध्य हो सकता है या जो ऐसे व्यक्ति के लिए या उसके लेखे धन धारण करता है या तत्पश्चात् धारण कर सकता है, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह या तो उस धन के शोध्य हो जाने पर या धारित किए जाने पर तुरंत या सूचना में विनिर्दिष्ट उस समय पर या उसके भीतर, जो ऐसे समय से पूर्व का न हो, जब धन शोध्य हो जाता है या धारित किया जाता है, उतना धन जितना ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम का संदाय करने के लिए पर्याप्त

हो या संपूर्ण धन, जब वह उस रकम के बराबर या उससे कम हो, केंद्रीय सरकार के जमा खाते में संदत्त करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ii) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस धारा के अधीन सूचना जारी की जाती है, ऐसी सूचना का पालन करने के लिए आबद्धकर होगा और विशिष्ट रूप से, जहां ऐसी कोई सूचना किसी डाकघर, बैंककारी कंपनी या किसी बीमाकर्ता को जारी की जाती है, वहां किसी प्रतिकूल नियम, प्रथा या अपेक्षा के होते हुए भी, संदाय करने के पूर्व की जाने वाली किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या वैसी ही किसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए किसी पासबुक, जमा रसीद, पालिसी या किसी अन्य दस्तावेज को पेश करना आवश्यक नहीं होगा ;

(iii) यदि वह व्यक्ति, जिसे इस धारा के अधीन सूचना जारी की गई है, उसके अनुसरण में, केंद्रीय सरकार को संदाय करने में असफल रहता है, तो उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम की बाबत व्यतिक्रमी समझा जाएगा और इस अध्याय की सभी पारिणामिक बातों का अनुसरण किया जाएगा ।"।

धारा 143क का लोप।

80. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 143क का लोप किया जाएगा ।

धारा 144 का संशोधन।

81. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 144 की उपधारा (3) में, "यदि ऐसा शुल्क पांच रुपए या उससे अधिक है" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 146 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

82. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 146 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

सीमाशुल्क दलालों के लिए अनुज्ञप्ति।

"146. (1) कोई व्यक्ति किसी प्रवहण के प्रवेश या प्रस्थान के संबंध में या किसी सीमाशुल्क स्टेशन से माल के आयात या निर्यात के संबंध में सीमाशुल्क दलाल के रूप में कारबार नहीं चलाएगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति विनियमों के अनुसार इस निमित्त दी गई कोई अनुज्ञप्ति धारण नहीं करता है ।

(2) बोर्ड इस धारा के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए विनियम बना सकेगा और विशिष्टतया ऐसे विनियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा,—

(क) वह प्राधिकारी जिसके द्वारा इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी और ऐसी अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि ;

(ख) अनुज्ञप्ति का प्ररूप और उसके लिए संदेय फीस;

(ग) उन व्यक्तियों की अर्हताएं जो अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन व्यक्तियों की अर्हताएं जो किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सीमाशुल्क दलाल के रूप में उसके कार्य में सहायता करने के लिए नियोजित किए जाने हैं ;

(घ) परीक्षा के संचालन की रीति ;

(ङ) वे निर्बन्धन और शर्तें (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिभूति देना भी है) जिनके अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी ;

(च) वे परिस्थितियां जिनमें अनुज्ञप्ति निलंबित या प्रतिसंहृत की जा सकेगी; और

(छ) अनुज्ञप्ति के निलंबन या प्रतिसंहरण के आदेश के विरुद्ध अपीलें, यदि कोई हों, और वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अपील फाइल की जा सकेगी।"।

धारा 146क का संशोधन।

83. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 146क में,—

(क) उपधारा (2) के खंड (ख) में, "सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता" शब्दों के स्थान पर, "सीमाशुल्क दलाल" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) में,—

(i) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) जो इस अधिनियम, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 या वित्त अधिनियम, 1994 के अधीन किसी कार्यवाही से संबद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है; या"; 1944 का 1 1968 का 45 1994 का 32

(ii) "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 या स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 या वित्त अधिनियम, 1994" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे । 1944 का 1 1968 का 45 1994 का 32

धारा 147 का संशोधन।

84. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 147 की उपधारा (3) में, "ऐसे प्रयोजनों के लिए" शब्दों के पश्चात् "जिनके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन उसके लिए दायित्व भी है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन।

85. (1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 153(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 दूसरी अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही उस अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित हो जाएगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित की गई समझी जाएगी । 1962 का 52

(2) केंद्रीय सरकार को, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति होगी और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसे उसी प्रकार से ऐसी शक्ति प्राप्त है, मानो केंद्रीय सरकार को सभी तात्विक समयों पर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति प्राप्त थी । 1962 का 52

(3) ऐसे सभी सीमाशुल्क का, जो संगृहीत किया गया है किंतु जो उस दशा में इस प्रकार संगृहीत नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त होती, प्रतिदाय किया जाएगा।

(4) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सीमाशुल्क के प्रतिदाय के दावे के लिए आवेदन उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2013 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास के भीतर किया जाएगा । 1962 का 52

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 27 के उपबंध इस धारा के अधीन प्रतिदायों के मामले में लागू होंगे । 1962 का 52

सीमाशुल्क टैरिफ

पहली अनुसूची का संशोधन।

86. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची का संशोधन तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा । 1975 का 51

दूसरी अनुसूची का संशोधन।

87. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम में,—

(क) दूसरी अनुसूची में, क्रम सं॰ 43 के सामने, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर "7210, 7212" प्रविष्टि रखी जाएगी और 1 मार्च, 2011 से रखी गई समझी जाएगी ;

(ख) दूसरी अनुसूची का चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा ।

उत्पाद-शुल्क

धारा 9 का संशोधन।

1944 का 1

88. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में, "तीस लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "पचास लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 9क का संशोधन।

89. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

1974 का 2

"(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 9 के अधीन अपराध, उपधारा (1क) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय, उस संहिता के अर्थांतर्गत असंज्ञेय होंगे ।

(1क) उत्पाद-शुल्क्य माल से, जहां इस अधिनियम के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय शुल्क पचास लाख रुपए से अधिक हो जाता है, संबंधित और धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (खखखख) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे ।"।

धारा 11 का संशोधन ।

90. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) में,—

(क) "इस प्रकार संदेय रकम" शब्दों से आरंभ तथा "व्ययनाधीन या नियंत्रणाधीन हों" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

1962 का 52

"इस प्रकार संदेय रकम को किसी ऐसे धन में से काट सकता है या सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 में निर्दिष्ट किसी अन्य केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी या उचित अधिकारी से काटने की अपेक्षा कर सकता है, जो उस व्यक्ति को देना है, जिससे ऐसी धनराशियां वसूलनीय या शोध्य हों और जो उसके पास या उसके व्ययनाधीन या नियंत्रणाधीन हों या जो ऐसे अन्य अधिकारी के पास या उसके व्ययनाधीन या नियंत्रणाधीन हों";

(ख) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) (i) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, लिखित सूचना द्वारा, किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से, जिससे ऐसे व्यक्ति को धन शोध्य है या ऐसे व्यक्ति को शोध्य हो सकता है या जो ऐसे व्यक्ति के लिए या उसके लेखे धन धारण करता है या तत्पश्चात् धारण कर सकता है, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह या तो उस धन के शोध्य हो जाने पर या धारित किए जाने पर तुरंत या सूचना में विनिर्दिष्ट उस समय पर या उसके भीतर, जो ऐसे समय से पूर्व का न हो, जब धन शोध्य हो जाता है या धारित किया जाता है, उतना धन जितना ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम का संदाय करने के लिए पर्याप्त हो या संपूर्ण धन, जब वह उस रकम के बराबर या उससे कम हो, केंद्रीय सरकार के जमा खाते में संदत्त करने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(ii) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस उपधारा के अधीन सूचना जारी की जाती है, ऐसी सूचना का पालन करने के लिए आबद्धकर होगा और विशिष्ट रूप से, जहां ऐसी कोई सूचना किसी डाकघर, बैंककारी कंपनी या किसी बीमाकर्ता को जारी की जाती है, वहां किसी प्रतिकूल नियम, प्रथा या अपेक्षा के होते हुए भी, संदाय करने के पूर्व की जाने वाली किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या वैसी ही किसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए किसी पासबुक, जमा रसीद, पालिसी या किसी अन्य दस्तावेज को पेश करना आवश्यक नहीं होगा;

(iii) ऐसे किसी मामले में, जहां वह व्यक्ति, जिसे इस उपधारा के अधीन सूचना जारी की गई है, उसके अनुसरण में, केंद्रीय सरकार को संदाय करने में असफल रहता है, वहां उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम की बाबत ऐसा व्यक्ति समझा जाएगा, जिससे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किसी के अधीन केंद्रीय सरकार को शुल्क और किसी प्रकार की संदेय कोई अन्य धनराशियां शोध्य हो गई हैं और इस अधिनियम की सभी पारिणामिक बातों का अनुसरण किया जाएगा ।"।

धारा 11क का संशोधन।

91. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11क की उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(7क) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, उपधारा (1) या उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, इन उपधाराओं में से किसी के अधीन तामील की गई किसी सूचना या सूचनाओं के पश्चात्, एक विवरण की, जिसमें केंद्रीय उत्पाद-शुल्क से प्रभार्य व्यक्ति पर पश्चात्वर्ती अवधि के लिए उद्गृहीत या संदत्त न किए गए या कम उद्गृहीत किए गए या कम संदत्त किए गए या भूल से प्रतिदाय किए गए केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के ब्यौरे हों, तामील कर सकेगा, तब ऐसे विवरण की तामील को पूर्वोक्त उपधारा (1) या उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन उस व्यक्ति पर इस शर्त के अधीन सूचना की तामील समझा जाएगा कि वे आधार, जिनका पश्चात्वर्ती अवधि के लिए अवलंब लिया गया है, वही हैं, जो पूर्व सूचना या सूचनाओं में वर्णित हैं ।"।

धारा 11घघक का संशोधन ।

92. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11घघक की उपधारा (1) में, "की उपधारा (1)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक का लोप किया जाएगा ।

धारा 20 का संशोधन ।

93. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 20 में, "उस व्यक्ति की जमानत ले लेगा" शब्दों के स्थान पर, "उस व्यक्ति की, जहां अपराध असंज्ञेय है, जमानत ले लेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 21 का संशोधन ।

94. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) के परंतुक में,—

(i) खंड (क) में, "उसकी जमानत ले लेगा" शब्दों के स्थान पर, "जहां अपराध असंज्ञेय है, उसकी जमानत ले लेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में, "अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध" शब्दों के पश्चात् "उस अपराध की बाबत, जो असंज्ञेय है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 23क का संशोधन ।

95. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23क के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(क) "क्रियाकलाप" से माल का उत्पादन या विनिर्माण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत, यथास्थिति, विद्यमान उत्पादक या विनिर्माता द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित उत्पादन या विनिर्माण का कोई नया कारबार भी है;'।

धारा 23ग का संशोधन ।

96. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23ग की उपधारा (2) के खंड (ङ) में, "प्रयुक्त माल" शब्दों के स्थान पर "निविष्ट सेवा पर संदत्त या संदत्त किए गए समझे गए सेवा कर या प्रयुक्त माल" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 23च का संशोधन ।

97. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23च की उपधारा (1) में "धारा 28झ" शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 23घ" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 35ग का संशोधन ।

98. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ग की उपधारा (2क) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह भी कि जहां ऐसी अपील का निपटारा पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, वहां अपील अधिकरण, किसी पक्षकार द्वारा इस निमित्त किए गए किसी आवेदन पर और यह समाधान हो जाने पर कि अपील के निपटारे में विलंब ऐसे पक्षकार के कारण हुआ नहीं माना जा सकता है, रोक की अवधि को एक सौ पचासी दिन से अनधिक की ऐसी और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा, जो वह ठीक समझे और यदि अपील का निपटारा पहले परंतुक में निर्दिष्ट आदेश की तारीख से तीन सौ पैंसठ दिन की कुल अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो रोकादेश, उक्त अवधि के अवसान पर बातिल हो जाएगा ।"।

धारा 35घ का संशोधन ।

99. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35घ की उपधारा (3) में, "दस लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पचास लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 37ग का संशोधन ।

100. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37ग में,—

(i) उपधारा (1) के खंड (क) में, "रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा" शब्दों के पश्चात् "या परिदान के सबूत के साथ डाक विभाग के स्पीड पोस्ट द्वारा या केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा अनुमोदित कुरियर द्वारा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

1963 का 54

(ii) उपधारा (2) में, "डाक द्वारा" शब्दों के पश्चात् "या उपधारा (1) में निर्दिष्ट कुरियर द्वारा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

तीसरी अनुसूची का संशोधन।

101. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची का संशोधन पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा ।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

1986 का 5

पहली अनुसूची का संशोधन।

102. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची का संशोधन छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा ।

अध्याय 5

सेवा कर

1994 के अधिनियम 32 का संशोधन।

103. वित्त अधिनियम, 1994 में,—

(अ) धारा 65ख में,—

(i) खंड (11) में,—

(क) उपखंड (i) में, "राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्" शब्दों के पश्चात्, "या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपखंड (ii) के अंत में आने वाले "या" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ग) उपखंड (iii) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (40) में, "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955" शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे; 1944 का 1 1955 का 16

(आ) धारा 66ख के स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा;

(इ) धारा 66ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

धारा 66 के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन धारा 66ख के प्रति निर्देश के रूप में किया जाना।

"66खक.(1) सेवा कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के प्रयोजन के लिए, वित्त अधिनियम, 1994 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम में धारा 66 के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसकी धारा 66ख के अर्थान्वयन के प्रति निर्देश है । 1994 का 32

(2) इस धारा के उपबंध, 1 जुलाई, 2012 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।";

(ई) धारा 66घ के खंड (घ) के उपखंड (i) में, "बीज" शब्द का लोप किया जाएगा;

(उ) धारा 73 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) जहां किसी अपील प्राधिकरण या अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि उपधारा (1) के परंतुक के अधीन जारी की गई सूचना इस कारण से कायम रखे जाने योग्य नहीं है कि,—

(क) कपट; या

(ख) दुरभिसंधि; या

(ग) जानबूझकर मिथ्या कथन; या

(घ) तथ्यों के छिपाने; या

(ङ) सेवा कर के संदाय के अपवंचन के आशय से इस अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन,

के आरोप सेवा कर से प्रभार्य उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसको सूचना जारी की गई है, सिद्ध नहीं होते हैं, वहां केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी अठारह मास की अवधि के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय सेवा कर का अवधारण इस प्रकार करेगा, मानो सूचना उन अपराधों के लिए, जिनके लिए उपधारा (1) के अधीन अठारह मास की परिसीमा लागू होती है, जारी की गई हो।";

(ऊ) धारा 77 की उपधारा (1) के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(क) जो सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी है या जिससे रजिस्ट्रीकरण कराने की अपेक्षा की जाती है, धारा 69 या इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण कराने में असफल रहता है, ऐसी शास्ति का, जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी दायी होगा;";

(ऋ) धारा 78 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कंपनी के निदेशक, आदि द्वारा अपराधों के लिए शास्ति।

"78क. जहां किसी कंपनी ने निम्नलिखित में से कोई उल्लंघन किया है, अर्थात्:—

(क) सेवा-कर का अपवंचन किया है ; या

(ख) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन बनाए गए नियमों के अतिक्रमण में कराधेय सेवा के उपबंध के बिना, यथास्थिति, बीजक, बिल या कोई चालान जारी किया है ; या

(ग) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन बनाए गए नियमों का पूर्णतः या भागतः उल्लंघन करते हुए कराधेय सेवा या उत्पाद-शुल्क माल की वास्तविक प्राप्ति के बिना करों या शुल्क के प्रत्यय का लाभ उठाया है और उपभोग किया है ; या

(घ) सेवा-कर के रूप में संगृहीत किसी रकम का उस तारीख से, जिसको ऐसा संदाय शोध्य होता है, छह मास की अवधि से परे, केंद्रीय सरकार के जमा खाते में संदाय करने में असफल रहा है,

वहां ऐसी कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी, जो ऐसे उल्लंघन के समय कंपनी का भारसाधक था और ऐसी कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी था और जो जानबूझकर ऐसे उल्लंघन से संबद्ध था, ऐसी शास्ति का, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी दायी होगा।";

(ए) धारा 83 में, "9क" अंक और अक्षर के स्थान पर, "धारा 9क की उपधारा (2)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ऐ) धारा 86 की उपधारा (5) में, "उपधारा (3)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "उपधारा (1) या उपधारा (3)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ओ) धारा 89 में,—

(क) उपधारा (1) के खंड (i) और खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(i) खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध की दशा में, जहां रकम पचास लाख रुपए से अधिक हो जाती है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा:

परंतु न्यायालय के निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, ऐसा कारावास छह मास से अन्यून अवधि के लिए नहीं होगा ;

(ii) खंड (घ) में विनिर्दिष्ट अपराध की दशा में, जहां रकम पचास लाख रुपए से अधिक हो जाती है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा :

परंतु न्यायालय के निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले तत्प्रतिकूल, विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, ऐसा कारावास छह मास से अन्यून अवधि के लिए नहीं होगा;

(iii) किन्हीं अन्य अपराधों की दशा में, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा ;";

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) यदि किसी व्यक्ति को—

(क) खंड (i) या खंड (iii) के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, तो वह द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा;

(ख) खंड (ii) के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, तो वह द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसी अवधि के कारावास से, जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा ।";

(औ) धारा 89 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

अपराधों का संज्ञान।

"90. (1) धारा 89 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन कोई अपराध संज्ञेय होगा।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराधों के सिवाय, सभी अपराध असंज्ञेय और जमानतीय होंगे । 1974 का 2

गिरफ्तार करने की शक्ति।

91. (1) यदि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त का यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने धारा 89 की उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किया है, तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को, जो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक से नीचे की पंक्ति का न हो, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) जहां किसी व्यक्ति को किसी संज्ञेय अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है, वहां किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी देगा और उसे चौबीस घंटे के भीतर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा।

(3) किसी असंज्ञेय और जमानतीय अपराध की दशा में, यथास्थिति, सहायक आयुक्त या उप आयुक्त को किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत पर या अन्यथा छोड़ने के प्रयोजन के लिए वही शक्तियां प्राप्त होंगी और वह उन्हीं उपबंधों के अध्यधीन होगा जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436 के अधीन प्राप्त हैं और जिनके अध्यधीन वह ऐसे हैं। 1974 का 2

(4) इस धारा के अधीन सभी गिरफ्तारियां दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के गिरफ्तारियों से संबंधित उपबंधों के अनुसार की जाएंगी । 1974 का 2";

(अं) धारा 95 की उपधारा (1झ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1ञ) यदि वित्त अधिनियम, 2013 की धारा 103 को प्रभावी करने में, जहां तक यह वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 में किए गए संशोधनों के संबंध में है, कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी : 1994 का 32

परंतु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से, जिसको वित्त अधिनियम, 2013 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।";

(अ:) धारा 98 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"99. (1) धारा 66 में, जैसी वह 1 जुलाई, 2012 के पूर्व विद्यमान थी, या धारा 66ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारतीय रेल द्वारा 1 अक्तूबर, 2012 के पूर्व की अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवाओं की बाबत कोई सेवा-कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा। भारतीय रेल द्वारा उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवाओं के लिए विशेष उपबंध।

(2) भारतीय रेल द्वारा 1 अक्तूबर, 2012 के पूर्व की उक्त अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवाओं की बाबत संदत्त सेवा कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।"।

अध्याय 6

सेवा कर स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन स्कीम, 2013

104. इस स्कीम का संक्षिप्त नाम सेवा कर स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन स्कीम, 2013 है । संक्षिप्त नाम।

105. (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं ।

(क) "अध्याय" से वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय 5 अभिप्रेत है; 1994 का 32

(ख) "घोषणाकर्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 107 की उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा करता है;

(ग) "पदाभिहित प्राधिकारी" से इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित ऐसा कोई अधिकारी अभिप्रेत है, जो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त से नीचे की पंक्ति का न हो ;

(घ) "विहित" से इस स्कीम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ङ) "शोध्य कर-राशियां" से 1 अक्तूबर, 2007 से आरंभ होने वाली और 31 दिसंबर, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, अध्याय के अधीन शोध्य या संदेय सेवा कर या उसकी धारा 73क के अधीन शोध्य या संदेय कोई अन्य रकम, जिसके अंतर्गत उस पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय, किंतु 1 मार्च, 2013 तक असंदत्त उपकर भी है, अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त किए गए हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं किंतु अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों में क्रमशः उनके हैं ।

वह व्यक्ति जो शोध्य कर-राशियों की घोषणा कर सकेगा।

106. (1) ऐसा कोई व्यक्ति अपनी उन शोध्य कर-राशियों को घोषित कर सकेगा, जिनकी बाबत अध्याय की धारा 72 या धारा 73 या धारा 73क के अधीन कोई सूचना या अवधारण का कोई आदेश 1 मार्च, 2013 के पूर्व जारी नहीं किया गया है :

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने अध्याय की धारा 70 के अधीन विवरणी दी है और अपने सही दायित्व को प्रकट किया गया है, किंतु सेवा कर की प्रकटित रकम या उसके किसी भाग का संदाय नहीं किया है, उक्त विवरणी के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए कोई घोषणा करने का पात्र नहीं होगा :

परंतु यह और कि जहां कोई सूचना अवधारण का कोई आदेश किसी अवधि की बाबत किसी व्यक्ति को किसी मुद्दे पर जारी किया गया है तो किसी पश्चात्वर्ती अवधि के लिए उसी मुद्दे पर शोध्य कर-राशियों की कोई घोषणा नहीं की जाएगी ।

(2) जहां ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा घोषणा की गई है, जिसके विरुद्ध—

(क) उद्गृहीत न किए गए या संदत्त न किए गए या कम उद्गृहीत किए गए या कम संदत्त किए गए सेवा कर की बाबत—

(i) अध्याय की धारा 82 के अधीन परिसर की तलाशी के रूप में ; या

(ii) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 14 के अधीन, जैसे कि उसे धारा 83 के अधीन अध्याय को लागू बनाया गया है समन जारी किए जाने के रूप में; या 1944 का 1

(iii) अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन लेखाओं, दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य पेश किए जाने की अपेक्षा करने के रूप में,

कोई जांच या अन्वेषण आरंभ किया गया है; या

(ख) संपरीक्षा आरंभ की गई है,

और ऐसी जांच, अन्वेषण या संपरीक्षा 1 मार्च, 2013 को लंबित है, वहां पदाभिहित प्राधिकारी आदेश द्वारा, ऐसी घोषणा को, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, नामंजूर करेगा ।

घोषणा करने और शोध्य कर-राशियों का संदाय करने की प्रक्रिया।

107. (1) इस स्कीम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति पदाभिहित प्राधिकारी को 31 दिसंबर, 2013 को या उसके पूर्व ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, घोषणा कर सकेगा ।

(2) पदाभिहित प्राधिकारी, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, घोषणा को अभिस्वीकार करेगा।

(3) घोषणाकर्ता उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार घोषित शोध्य कर-राशियों के कम से कम पचास प्रतिशत का 31 दिसंबर, 2013 को या उसके पूर्व संदाय करेगा और उसके संदाय का सबूत पदाभिहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

(4) उन शोध्य कर-राशियों या उनके भाग का जो उपधारा (3) के अधीन किए गए संदाय के पश्चात् संदत्त की जानी शेष रह गई हैं, घोषणाकर्ता द्वारा 30 जून, 2014 को या उसके पूर्व संदाय किया जाएगा:

परंतु जहां घोषणाकर्ता उक्त शोध्य कर-राशियों या उनके भाग का उक्त तारीख को या उसके पूर्व संदाय करने में असफल रहता है, वहां वह उसका उस पर 1 जुलाई, 2014 से आरम्भ होने वाली विलम्ब की अवधि के लिए अध्याय की, यथास्थिति, धारा 75 या धारा 73ख के अधीन यथा नियत दर पर ब्याज सहित संदाय 31 दिसम्बर, 2014 को या उसके पूर्व करेगा।

(5) उपधारा (3) और उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी सेवा कर का, जो जनवरी, 2013 मास और उसके बाद के मासों के लिए शोध्य या घोषणाकर्ता द्वारा संदेय हो जाता है, उसके द्वारा अध्याय के उपबंधों के अनुसार संदाय किया जाएगा और तद्नुसार उसके संदाय में विलंब के लिए ब्याज भी इस अध्याय के अधीन संदेय होगा।

(6) घोषणाकर्ता पदाभिहित प्राधिकारी को इस स्कीम के अधीन समय-समय पर किए गए संदाय के ब्यौरे, उपधारा (2) के अधीन उसे जारी की गई अभिस्वीकृति की प्रति सहित, प्रस्तुत करेगा ।

(7) उपधारा (4) के परन्तुक के अधीन घोषित शोध्य कर-राशियों और संदेय ब्याज, यदि कोई हो, के पूर्ण संदाय के ब्यौरे प्रस्तुत करने पर, पदाभिहित प्राधिकारी ऐसे शोध्यों के उन्मोचन की अभिस्वीकृति घोषणाकर्ता को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जारी करेगा ।

शास्ति, ब्याज और अन्य कार्यवाही से उन्मुक्ति।

108. (1) अध्याय के किसी उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, घोषणाकर्ता, धारा 107 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा घोषित शोध्य कर-राशियों का और उसकी उपधारा (4) के परन्तुक के अधीन संदेय ब्याज का संदाय करने पर अध्याय के अधीन शास्ति, ब्याज या किसी अन्य कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त करेगा ।

(2) धारा 111 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, धारा 107 की उपधारा (1) के अधीन की गई कोई घोषणा, धारा 107 की उपधारा (7) के अधीन उन्मोचन की अभिस्वीकृति जारी किए जाने पर निश्चायक बन जाएगी और उसके पश्चात्, अध्याय के अधीन की किन्हीं कार्यवाहियों में ऐसी घोषणा के अन्तर्गत आने वाली अवधि से संबंधित ऐसे किसी मामले को किसी प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष पुनः नहीं खोला जाएगा।

स्कीम के अधीन संदत्त रकम का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाना।

109. धारा 107 की उपधारा (1) के अधीन की गई किसी घोषणा के अनुसरण में संदत्त किसी रकम का किन्हीं भी परिस्थितियों में प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ।

घोषित किंतु संदत्त न की गई शोध्य कर-राशियां।

110. जहां घोषणाकर्ता उसके द्वारा यथा घोषित शोध्य कर-राशियों का या उनके किसी भाग का पूर्णत या भागतः संदाय करने में असफल रहता है वहां उससे ऐसी शोध्य राशियां उस पर ब्याज सहित, अध्याय की धारा 87 के उपबंधों के अधीन वसूल की जाएंगी ।

सही घोषणा करने में असफल रहना।

111. (1) जहां केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस स्कीम के अधीन किसी घोषणाकर्ता द्वारा की गई घोषणा सारभूत रूप से मिथ्या है, तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसे घोषणाकर्ता पर, उससे इस बात का कारण बताने की अपेक्षा करते हुए कि उसके द्वारा असंदत्त या कम संदत्त शोध्य कर-राशियों का संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए, सूचना की तामील कर सकेगा ।

(2) घोषणा की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, उपधारा (1) के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई कारण बताओ सूचना को, अध्याय की, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 73क के अधीन जारी की गई सूचना समझा जाएगा और अध्याय के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

शंकाओं का दूर किया जाना।

112. शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस स्कीम में अंतर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह घोषणाकर्ता को धारा 108 के अधीन अनुदत्त फायदे, रियायत या उन्मुक्ति से भिन्न कोई फायदा, रियायत या उन्मुक्ति प्रदान करने वाली है ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

113. (1) यदि इस स्कीम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा, जो इस स्कीम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से, जिसको इस स्कीम के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

नियम बनाने की शक्ति।

114. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस स्कीम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 107 की उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा की जा सकेगी ;

(ख) धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन घोषणा की अभिस्वीकृति का प्ररूप और रीति;

(ग) धारा 107 की उपधारा (7) के अधीन शोध्य कर-राशियों के उन्मोचन की अभिस्वीकृति जारी किए जाने का प्ररूप और रीति;

(घ) ऐसा कोई अन्य विषय, जो नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए अथवा जिसकी बाबत नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

(3) इस स्कीम के अधीन केन्द्रीय सरकार बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखवाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्याय 7

वस्तु संव्यवहार कर

विस्तार, प्रारंभ और लागू होना।

115. (1) इस अध्याय का विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

(3) यह, इस अध्याय के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् किए गए कराधेय वस्तु संव्यवहारों को लागू होगा ।

परिभाषाएं ।

116. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "अपील अधिकरण" से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 252 के अधीन गठित अपील अधिकरण अभिप्रेत है ; 1961 का 43

(2) "निर्धारण अधिकारी" से ऐसा आय-कर अधिकारी या सहायक आय-कर आयुक्त या उप आय-कर आयुक्त या संयुक्त आय-कर आयुक्त या अपर आय-कर आयुक्त अभिप्रेत है, जो बोर्ड द्वारा इस अध्याय के अधीन निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने या सौंपे गए सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत है ;

1963 का 54

(3) "बोर्ड" से केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अभिप्रेत है;

(4) "वस्तु संव्यवहार कर" से इस अध्याय के उपबंधों के अधीन कराधेय वस्तु संव्यवहारों पर उद्ग्रहणीय कर अभिप्रेत है ;

(5) "वस्तु व्युत्पन्नी" से अभिप्रेत है—

(i) माल के परिदान के लिए ऐसी कोई संविदा, जो तत्पर परिदान संविदा नहीं है ;

(ii) अंतर संबंधी कोई संविदा, जो अपना मूल्य,—

(अ) ऐसे अंतर्निहित माल ; या

(आ) संबद्ध सेवाओं और अधिकारों, जैसे भांडागारण और मालभाड़ा; या

(इ) मौसम और वैसी ही घटनाओं और क्रियाकलापों के संदर्भ में,

की ऐसी कीमतों या कीमत सूचकांकों से व्युत्पन्न करता है,

जिनका वस्तु सेक्टर से संबंध है,

(6) "विहित" से इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(7) "कराधेय वस्तु संव्यवहार" से कृषि वस्तुओं से भिन्न ऐसी वस्तुओं की बाबत जिनका व्यापार मान्यताप्राप्त संगमों में किया जाता है वस्तु व्युत्पन्नियों के विक्रय का कोई संव्यवहार अभिप्रेत है ;

1952 का 74
1961 का 43

(8) उन शब्दों और पदों के, जो इस अध्याय में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं, और अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952, आय-कर अधिनियम, 1961 या उनके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में क्रमशः उनके हैं ।

वस्तु संव्यवहार कर का प्रभार ।

117. इस अध्याय के प्रारंभ की तारीख से ही, ऐसे प्रत्येक कराधेय वस्तु संव्यवहार के संबंध में, जो वस्तु व्युत्पन्नी का विक्रय है, ऐसे संव्यवहार के मूल्य पर वस्तु संव्यवहार कर 0.01 प्रतिशत दर पर प्रभारित किया जाएगा और ऐसा कर विक्रेता द्वारा संदेय होगा ।

कराधेय वस्तु संव्यवहार का मूल्य।

118. धारा 117 में निर्दिष्ट किसी कराधेय वस्तु संव्यवहार का मूल्य ऐसे संव्यवहार के संदर्भ में, वह कीमत होगी जिस पर वस्तु व्युत्पन्नी का व्यापार किया जाता है ।

वस्तु संव्यवहार कर का संग्रहण और वसूली ।

119. (1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त संगम (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् निर्धारिती कहा गया है), ऐसे विक्रेता से, जो उस मान्यताप्राप्त संगम में कोई कराधेय वस्तु संव्यवहार करता है, धारा 117 में विनिर्दिष्ट दर पर वस्तु संव्यवहार कर का संग्रहण करेगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किसी कलैंडर मास के दौरान संगृहीत वस्तु संव्यवहार कर का, प्रत्येक निर्धारिती द्वारा उक्त कलैंडर मास के ठीक बाद के मास के सातवें दिन तक केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में संदाय किया जाएगा ।

(3) ऐसा कोई निर्धारिती, जो उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने में असफल रहेगा, ऐसी असफलता के होते हुए भी, उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में कर का संदाय करने का दायी होगा।

विवरणी का दिया जाना।

120. (1) प्रत्येक निर्धारिती, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, विहित समय के भीतर, उस मान्यताप्राप्त संगम में, उस वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी कराधेय वस्तु संव्यवहारों के संबंध में ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में सत्यापित तथा ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए, जो विहित की जाएं, एक विवरणी तैयार करेगा और उसे

निर्धारण अधिकारी को या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।

(2) जहां कोई निर्धारिती, उपधारा (1) के अधीन विवरणी विहित समय के भीतर देने में असफल रहता है, वहां निर्धारण अधिकारी ऐसे निर्धारिती को एक सूचना जारी कर सकेगा और उस पर उसकी तामील उससे यह अपेक्षा करते हुए कर सकेगा कि वह विवरणी को विहित प्ररूप में और विहित रीति में सत्यापित तथा उसमें ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए, ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करे, जो विहित किया जाए ।

(3) ऐसा कोई निर्धारिती, जिसने उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन विहित समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत नहीं की है या उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत कर दिए जाने पर उसे उसमें किसी लोप या गलत कथन का पता लगता है, निर्धारण किए जाने के पूर्व किसी समय, यथास्थिति, विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा।

निर्धारण।

121. (1) इस अध्याय के अधीन कोई निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी ऐसे किसी निर्धारिती पर, जिसने धारा 120 के अधीन कोई विवरणी प्रस्तुत की है या जिस पर उस धारा की उपधारा (2) के अधीन किसी सूचना की तामील की गई है (चाहे कोई विवरणी प्रस्तुत की गई हो या नहीं), किसी सूचना की, उससे उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को, ऐसे लेखाओं या दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य को, जिनकी निर्धारण अधिकारी इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने या प्रस्तुत कराए जाने की अपेक्षा करते हुए तामील कर सकेगा और समय-समय पर और सूचनाओं की उससे ऐसे और लेखाओं या दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य को, जिसकी वह अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए तामील कर सकेगा।

(2) निर्धारण अधिकारी ऐसे लेखाओं, दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, जो उपधारा (1) के अधीन उसने अभिप्राप्त किए हैं और ऐसी किसी अन्य सुसंगत सामग्री को, जो उसने एकत्रित की है, ध्यान में रखने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा सुसंगत वित्तीय वर्ष के दौरान कराधेय वस्तु संव्यवहारों के मूल्य का निर्धारण करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर संदेय वस्तु संव्यवहार कर या शोध्य प्रतिदाय का अवधारण करेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई निर्धारण सुसंगत वित्तीय वर्ष के अंत से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक निर्धारिती, उपधारा (2) के अधीन निर्धारण पर उसे किसी रकम का प्रतिदाय किए जाने की दशा में, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, उस विक्रेता को, जिससे ऐसी रकम संगृहीत की गई थी, उस रकम का प्रतिदाय करेगा ।

भूल की परिशुद्धि।

122. (1) अभिलेख से प्रकट किसी भूल की परिशुद्धि करने की दृष्टि से, निर्धारण अधिकारी, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश में, उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें वह आदेश, जिसका संशोधन किए जाने की ईप्सा की गई थी, पारित किया गया था, एक वर्ष के भीतर संशोधन कर सकेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आदेश से संबंधित किसी मामले पर अपील के रूप में किसी कार्यवाही में विचार किया गया है और उसका विनिश्चय किया गया है, वहां ऐसा आदेश पारित करने वाला निर्धारण अधिकारी, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस मामले से, जिस पर इस प्रकार विचार किया गया है और विनिश्चय किया गया है, भिन्न किसी मामले के संबंध में उस उपधारा के अधीन आदेश का संशोधन कर सकेगा ।

(3) इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारण अधिकारी, स्वप्रेरणा से या निर्धारिती द्वारा उसकी जानकारी में कोई भूल लाए जाने पर, उपधारा (1) के अधीन कोई संशोधन कर सकेगा ।

(4) ऐसा कोई संशोधन, जिसका प्रभाव किसी निर्धारण में वृद्धि करने या किसी प्रतिदाय को कम करने का या अन्यथा निर्धारिती के दायित्व को बढ़ाने का है, इस धारा के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारिती को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना और निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(5) इस धारा के अधीन संशोधन का आदेश निर्धारण अधिकारी द्वारा लिखित में किया जाएगा ।

(6) इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां किसी ऐसे संशोधन का प्रभाव निर्धारण को कम करने का है वहां निर्धारण अधिकारी ऐसा कोई प्रतिदाय करेगा, जो उस निर्धारिती को देय हो ।

(7) जहां किसी ऐसे संशोधन का प्रभाव निर्धारण में वृद्धि करने या पहले से किए गए प्रतिदाय को कम करने का है, वहां निर्धारण अधिकारी निर्धारिती द्वारा संदेय राशि विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश करेगा और इस अध्याय के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।

वस्तु संव्यवहार कर के विलंबित संदाय पर ब्याज।

123. ऐसा प्रत्येक निर्धारिती, जो धारा 119 के अधीन यथा अपेक्षित वस्तु संव्यवहार कर या उसके किसी भाग को, उस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा करने में असफल रहेगा, प्रत्येक उस मास या किसी मास के भाग के लिए, जिस तक ऐसे कर या उसके किसी भाग के जमा किए जाने में विलंब किया जाता है, ऐसे कर के एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करेगा ।

वस्तु संव्यवहार कर का संग्रहण या संदाय करने में असफल रहने के लिए शास्ति।

124. कोई ऐसा निर्धारिती, जो,—

(क) धारा 119 के अधीन यथा अपेक्षित संपूर्ण वस्तु संव्यवहार कर या उसके किसी भाग का संग्रहण करने में असफल रहेगा; या

(ख) वस्तु संव्यवहार कर संगृहीत करने पर, ऐसे कर का उस धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार के जमा खाते में संदाय करने में असफल रहेगा,—

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट मामले में, उस धारा की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार कर का या धारा 123 के उपबंधों के अनुसार ब्याज का, यदि कोई हो, संदाय करने के अतिरिक्त, वस्तु संव्यवहार कर की उस रकम के, जिसका संग्रहण करने में वह असफल रहा था, बराबर राशि का, शास्ति के रूप में, संदाय करने के लिए दायी होगा; और

(ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट मामले में, उस धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार कर का और धारा 123 के उपबंधों के अनुसार ब्याज का संदाय करने के अतिरिक्त, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक हजार रुपए की राशि का, शास्ति के रूप में, संदाय करने के लिए दायी होगा, तथापि, इस खंड के अधीन शास्ति उस वस्तु संव्यवहार कर की रकम से अधिक नहीं होगी, जिसका संदाय करने में वह असफल रहा था ।

विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए शास्ति ।

125. जहां कोई निर्धारिती धारा 120 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन विवरणी विहित समय के भीतर प्रस्तुत करने में असफल रहेगा वहां वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए की राशि का, शास्ति के रूप में, संदाय करने के लिए दायी होगा ।

सूचना का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए शास्ति।

126. यदि निर्धारण अधिकारी का, इस अध्याय के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान यह समाधान हो जाता है कि निर्धारिती धारा 121 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना का अनुपालन करने में असफल रहा है, तो वह यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा निर्धारिती उसके द्वारा संदेय किसी वस्तु संव्यवहार कर और ब्याज, यदि कोई हो, के अतिरिक्त, ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए, दस हजार रुपए की राशि का, शास्ति के रूप में, संदाय करेगा ।

कतिपय दशाओं में शास्ति का अधिरोपित न किया जाना ।

127. (1) धारा 124 या धारा 125 या धारा 126 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त धाराओं में निर्दिष्ट किसी असफलता के लिए कोई शास्ति अधिरोपणीय नहीं होगी, यदि निर्धारिती, निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि उक्त असफलता युक्तियुक्त कारण से हुई थी ।

(2) इस अध्याय के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

आय-कर अधिनियम के कतिपय उपबंधों का लागू होना।

128. आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 120, धारा 131, धारा 133क, धारा 156, धारा 178, धारा 220 से धारा 227, धारा 229, धारा 232, धारा 260क, धारा 261, धारा 262, धारा 265 से धारा 269, धारा 278ख, धारा 282 और धारा 288 से धारा 293 के उपबंध, जहां तक हो सके, वस्तु संव्यवहार कर के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे आय-कर के संबंध में लागू होते हैं । 1961 का 43

आय-कर आयुक्त (अपील) को अपील।

129. (1) धारा 121 के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए किसी निर्धारण आदेश से या धारा 122 के अधीन किए गए किसी आदेश से या इस अध्याय के अधीन उसके दायित्व का निर्धारण किए जाने से इन्कार किए जाने से या इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित किए जाने संबंधी किसी आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती, निर्धारण अधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, आय-कर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति से सत्यापित की जाएगी, जो विहित की जाए, और उसके साथ एक हजार रुपए की फीस भी संलग्न होगी ।

(3) जहां कोई अपील उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई है, वहां आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 249 से धारा 251 के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी अपील को लागू होंगे । 1961 का 43

अपील अधिकरण को अपील ।

130. (1) धारा 129 के अधीन किसी आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा।

(2) आय-कर आयुक्त, यदि वह धारा 129 के अधीन आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी आदेश के प्रति आक्षेप करता है, निर्धारण अधिकारी को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील करने का निदेश दे सकेगा ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई अपील, उस तारीख से, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील किए जाने की ईप्सा की गई है, यथास्थिति, निर्धारिती या आय-कर आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, साठ दिन के भीतर फाइल की जाएगी।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई अपील ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति से सत्यापित की जाएगी, जो विहित किए जाएं, और उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई अपील की दशा में उसके साथ एक हजार रुपए की फीस भी संलग्न होगी।

(5) जहां कोई अपील, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की गई है, वहां आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 253 से धारा 255 के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी अपील को लागू होंगे ।

1961 का 43

मिथ्या कथन के लिए दंड ।

131. (1) यदि कोई व्यक्ति, इस अध्याय या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी सत्यापन में कोई मिथ्या कथन करेगा या ऐसा कोई लेखा या विवरण परिदत्त करेगा, जो मिथ्या है, और जिसके बारे में वह यह जानता है या यह विश्वास करता है कि वह मिथ्या है या जिसके सही होने का वह विश्वास नहीं करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

1974 का 2

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन दंडनीय कोई अपराध उस संहिता के अर्थांतर्गत असंज्ञेय समझा जाएगा ।

अभियोजन का संस्थित किया जाना।

132. किसी व्यक्ति के विरुद्ध, धारा 131 के अधीन किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन, मुख्य आय-कर आयुक्त की पूर्व मंजूरी से ही संस्थित किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

नियम बनाने की शक्ति ।

133. (1) केंद्रीय सरकार, इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) वह समय, जिसके भीतर और वह प्ररूप तथा रीति, जिसमें ऐसी विवरणी धारा 120 के अधीन परिदत्त की जाएगी या परिदत्त कराई जाएगी या प्रस्तुत की जाएगी ; और

(ख) वह प्ररूप, जिसमें धारा 129 और धारा 130 के अधीन अपील फाइल की जा सकेगी और वह रीति, जिसमें वह सत्यापित की जा सकेगी ।

(3) इस अध्याय के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

134. (1) यदि इस अध्याय के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से, जिसको इस अध्याय के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

2004 के अधिनियम 23 का संशोधन।

135. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 98 की सारणी में, 1 जून, 2013 से,—

(i) क्रम संख्यांक 1 के सामने, कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार से संबंधित स्तंभ (2) के अधीन,—

(अ) "या साधारण शेयरोन्मुख निधि की किसी यूनिट" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(आ) मद (ख) में "या यूनिट" शब्दों का, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्यांक 2 के सामने, कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार से संबंधित स्तंभ (2) में,—

(अ) "या साधारण शेयरोन्मुख निधि की किसी यूनिट" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(आ) मद (ख) में "या यूनिट" शब्दों का, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, लोप किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्यांक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

क्रम सं॰	कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार	दर	द्वारा संदेय
(1)	(2)	(3)	(4)
"2क.	साधारण शेयरोन्मुख निधि की किसी यूनिट का विक्रय, जहां— (क) ऐसे विक्रय का संव्यवहार किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में दर्ज किया जाता है ; और (ख) ऐसी यूनिट के विक्रय के लिए संविदा, ऐसी यूनिट के वास्तविक परिदान या अंतरण द्वारा तय की जाती है ;	0.001 प्रतिशत	विक्रेता";

(iv) क्रम संख्यांक 4 के सामने, मद (ग) में, दर से संबंधित स्तंभ (3) के अधीन "0.017" अंकों के स्थान पर, "0.01" अंक रखे जाएंगे ;

(v) क्रम संख्यांक 5 के सामने, दर से संबंधित स्तंभ (3) के अधीन "0.25" अंकों के स्थान पर, "0.001" अंक रखे जाएंगे ।

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,00,000 रु॰ से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,00,000 रु॰ से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु॰ से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,00,000 रु॰ से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु॰ से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु॰ से अधिक नहीं है	30,000 रु॰ **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु॰ से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु॰ से अधिक है	1,30,000 रु॰ **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु॰ से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक आयु का, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रु॰ से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रु॰ से अधिक है किंतु 5,00,000 रु॰ से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु॰ से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु॰ से अधिक है किंतु 10,00,000 रु॰ से अधिक नहीं है	25,000 रु॰ **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु॰ से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु॰ से अधिक है	1,25,000 रु॰ **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु॰ से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रु॰ से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रु॰ से अधिक है किंतु 10,00,000 रु॰ से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु॰ से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रु॰ से अधिक है	1,00,000 रु॰ **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु॰ से अधिक हो जाती है ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु॰ से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु॰ से अधिक है किंतु 20,000 रु॰ से अधिक नहीं है	1,000 रु॰ **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु॰ से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु॰ से अधिक है	3,000 रु॰ **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु॰ से अधिक हो जाती है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 30 प्रतिशत ।

पैरा ङ

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में — कुल आय का 30 प्रतिशत;

II. देशी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या, भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामित्व; अथवा

(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त फीस,

और जहां, दोनों में से किसी भी दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है — 50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो — 40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, निम्नलिखित दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से ; और

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से :

परंतु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, उस आय की रकम, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, से अधिक एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी ।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी:—

	आय-कर की दर
1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,—	
(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(v) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर—	10 प्रतिशत ;
(अ) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या प्रतिभूतियां ;	
(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं;	
(इ) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति;	
(vi) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;
(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—	
(i) किसी अनिवासी भारतीय की दशा में,—	
(अ) विनिधान से किसी आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) धारा 115ङ या धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(इ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(ई) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं] अन्य आय पर	20 प्रतिशत ;
(उ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(ऊ) उसके द्वारा 1 अप्रैल, 1976 को या उसके पश्चात् सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत कोई अनुज्ञप्ति देना भी है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है किया गया है	25 प्रतिशत ;
(ऋ) उसके द्वारा 1 अप्रैल, 1976 को या उसके पश्चात् सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है,	25 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(i)(ऊ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर	
(ए) उसके द्वारा 1 अप्रैल, 1976 को या उसके पश्चात् सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर	25 प्रतिशत ;
(ऐ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ओ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(औ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—	
(अ) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर [जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है]	20 प्रतिशत ;
(आ) उसके द्वारा 1 अप्रैल, 1976 को या उसके पश्चात् सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत कोई अनुज्ञप्ति देना भी है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	25 प्रतिशत ;
(इ) उसके द्वारा 1 अप्रैल, 1976 को या उसके पश्चात् सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(ii)(आ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर,	25 प्रतिशत ;
(ई) उसके द्वारा 1 अप्रैल, 1976 को या उसके पश्चात् सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर,	25 प्रतिशत ;
(उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऋ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(ए) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ऐ) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;
(ओ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ।
2. किसी कंपनी की दशा में,—	
(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;
(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,—	
(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर [जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में विनिर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है]	20 प्रतिशत ;
(iv) उसके द्वारा 31 मार्च, 1976 के पश्चात् सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत कोई अनुज्ञप्ति देना भी है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	25 प्रतिशत ;
(v) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(iv) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है] आय पर—	
(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	25 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर,—	
(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	25 प्रतिशत ;
(vii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(viii) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ix) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;
(x) किसी अन्य आय पर	40 प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण—इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजन के लिए, "विनिधान से आय" और "अनिवासी भारतीय" के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में क्रमशः उनके हैं ।

आय-कर पर अधिभार

(i) इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार, कटौती की गई आय-कर की रकम में संघ के प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, की दशा में, जो अनिवासी है, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) इस भाग की मद 2 के उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में संघ के प्रयोजनों के लिए, किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरें.

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय, किया जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की प्रवृत्त दर या दरों पर संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" [जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में "अग्रिम कर" नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खख या धारा 115खखक

या धारा 115खखग या धारा 115खखघ या धारा 115खखङ या धारा 115ङ या धारा 115ञख या धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसे "अग्रिम कर" पर अधिभार, जहां कहीं लागू हो, नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :—

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,00,000 रु॰ से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,00,000 रु॰ से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु॰ से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,00,000 रु॰ से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु॰ से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु॰ से अधिक नहीं है	30,000 रु॰ **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु॰ से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु॰ से अधिक है	1,30,000 रु॰ **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु॰ से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किन्तु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रु॰ से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रु॰ से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु॰ से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु॰ से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु॰ से अधिक है, किन्तु 10,00,000 रु॰ से अधिक नहीं है	25,000 रु॰ **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु॰ से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु॰ से अधिक है	1,25,000 रु॰ **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु॰ से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रु॰ से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रु॰ से अधिक है, किन्तु 10,00,000 रु॰ से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु॰ से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रु॰ से अधिक है	1,00,000 रु॰ **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु॰ से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए

से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, उस आय की रकम, जो एक करोड़ रुपए से अधिक हो, से अधिक एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से, अधिक नहीं होगी।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु॰ से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु॰ से अधिक है, किंतु 20,000 रु॰ से अधिक नहीं है	1,000 रु॰ **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु॰ से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु॰ से अधिक है	3,000 रु॰ **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु॰ से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, उस आय की रकम, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, से अधिक एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से अधिक नहीं होगी ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, उस आय की रकम, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, से अधिक एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से अधिक नहीं होगी।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम को, प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित

अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, उस आय की रकम, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, से अधिक एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से, अधिक नहीं होगी ।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में — कुल आय का 30 प्रतिशत;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामित्व ; या

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त फीस,

और जहां, दोनों में से प्रत्येक दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है — 50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो — 40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, उस आय की रकम, जो एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, से अधिक एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, उस आय की रकम, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है, से अधिक दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम से अधिक नहीं होगी ।

भाग 4

[धारा 2(13)(ग) देखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे:

परंतु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतरण के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं है।

नियम 2—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3) और उपधारा (4) को छोड़कर] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे।

नियम 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "गृह-संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे।

नियम 4—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में—

(क) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा;

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स या सिनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्माक्ड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा;

(ग) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित

कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा।

नियम 5—जहां निर्धारिती किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिंदू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा।

नियम 6—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी:

परंतु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी।

नियम 7—राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्‌गृहीत किसी कर मद्धे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी।

नियम 8—(1) जहां निर्धारिती की, 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है,

(ii) 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है,

(iii) 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है,

(iv) 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है,

(v) 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है,

(vi) 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है,

(vii) 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है,

(viii) 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी।

(2) जहां निर्धारिती की, 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृषि-आय है और 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या

2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है,

(ii) 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है,

(iii) 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है,

(iv) 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है,

(v) 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है,

(vi) 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है,

(vii) 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है,

(viii) 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी।

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2006 (2006 का 21) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2008 (2008 का 18) की पहली अनुसूची के या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 (2009 का 33) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2011 (2011 का 8) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2012 (2012 का 23) की पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी।

नियम 9—जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा।

नियम 10—आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं।

नियम 11—निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन प्राप्त हैं।

दूसरी अनुसूची

(धारा 85 देखिए)

अधिसूचना संख्यांक और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)
सा॰ का॰ नि॰ 153(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 [27/2011-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011]	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्र. सं. 56 के सामने स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर "7210, 7212" प्रविष्टि रखी जाएगी ।	1 मार्च, 2011

तीसरी अनुसूची

(धारा 86 देखिए)

सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 3 में,—

(क) टैरिफ मद 0302 24 00 में, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर "टरबोट्स (सेटा मेक्सिमा)" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ख) टैरिफ मद 0303 34 00 में, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर "टरबोट्स (सेटा मेक्सिमा)" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(2) अध्याय 8 में,—

(क) टैरिफ मद 0801 32 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "70%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ख) टैरिफ मद 0801 32 20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "70%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ग) टैरिफ मद 0801 32 90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "70%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(3) अध्याय 15 की टैरिफ मद 1517 90 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(4) अध्याय 48 में,—

(क) टिप्पण 13 का लोप किया जाएगा;

(ख) उपशीर्ष टिप्पण 7 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"अनुपूरक टिप्पणः

टिप्पण 12 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शीर्ष 4811, 4816 या 4820 में के कागज और कागज उत्पाद किसी स्वरूप, नाम, लोगो, मोटिफ या प्ररूप में मुद्रित किए जाते हैं तो वे तब तक अपने-अपने शीर्षों के अधीन वर्गीकृत बने रहेंगे जब तक ऐसे उत्पादों का आगे और मुद्रण या लेखन के लिए उपयोग किया जाना आशयित है।"।

(4) अध्याय 87 में, शीर्ष 8703 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "125%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(5) अध्याय 89 में, शीर्ष 8903 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "25%" प्रविष्टि रखी जाएगी।

चौथी अनुसूची

[धारा 87(ख) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में,—

(1) क्रम सं॰ 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"9क.	1701	अपरिष्कृत चीनी, सफेद या परिष्कृत चीनी	20%"।

(2) क्रम सं॰ 23 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"23क.	2606 00 10	बाक्साइट (प्राकृतिक), जो निष्तापित नहीं है	30%
23ख.	2606 00 20	बाक्साइट (प्राकृतिक), निष्तापित	30%"।

(3) क्रम सं॰ 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"24क.	2614 00 10	प्रदीप्त, अप्रसंस्कृत	30%
24ख.	2614 00 20	प्रदीप्त, उन्नत (बेनिफिसिएटेड प्रदीप्त, जिसके अंतर्गत प्रदीप्त ग्राउंड भी है)	30%" ।

पांचवीं अनुसूची

(धारा 101 देखिए)

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची में,—

(क) क्रम सं॰ 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं॰ और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

क्रम सं॰	शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
"31क.	3004	(i) ऐसी ओषधियां, जो ऐसी आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक या जैव रसायनी पद्धतियों में अनन्यतः उपयोग में लाई, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकृत पुस्तकों या, यथास्थिति, भारतीय होम्योपैथिक औषधकोश या संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम या जर्मन होम्योपैथिक औषधकोश में वर्णित फार्मूलों के अनुसार विनिर्मित और ऐसी पुस्तकों या औषधकोश में यथाविनिर्दिष्ट नाम से विक्रीत की जाती हैं ; (ii) आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक या जैव रसायनी पद्धतियों में उपयोग में लाई और किसी ब्रांड नाम के अधीन विक्रीत की जाने वाली औषधियां। **स्पष्टीकरण**— इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, "ब्रांड नाम" से ऐसा कोई ब्रांड नाम अभिप्रेत है चाहे वह रजिस्ट्रीकृत है या नहीं, अर्थात् ऐसा कोई नाम या चिह्न, जैसे कोई प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या कोई लेखन, जिसका उपयोग किसी औषधि के संबंध में यह उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए किया जाता है या जिससे उसका व्यापार के अनुक्रम में उस औषधि और ऐसे किसी व्यक्ति के बीच, जो ऐसा नाम या चिह्न, उस व्यक्ति की पहचान उपदर्शित करते हुए या उसके बिना, उपयोग कर रहा है, संबंध उपदर्शित किया जा सके ।' ;

(ख) क्रम सं॰ 64 के सामने स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर "7615 10 11" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

छठी अनुसूची

(धारा 102 देखिए)

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 3 में,—

(क) टैरिफ मद 0302 24 00 में, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर "टरबोट्स (सेटा मेक्सिमा)" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ख) टैरिफ मद 0303 34 00 में, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर "टरबोट्स (सेटा मेक्सिमा)" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(2) अध्याय 15 की टैरिफ मद 1517 90 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(3) अध्याय 24 में,—

(क) टैरिफ मद 2402 10 10 और 2402 10 20 में, स्तंभ (4) में उसमें प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "12% या 1781 रु. प्रति हजार, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ख) टैरिफ मद 2402 20 20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "1772 रु. प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ग) टैरिफ मद 2402 20 40 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "1249 रु. प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(घ) टैरिफ मद 2402 20 50 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "1772 रु. प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ङ) टैरिफ मद 2402 20 60 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "2390 रु. प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(च) टैरिफ मद 2402 20 90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "2875 रु. प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(छ) टैरिफ मद 2402 90 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "1511 रु. प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ज) टैरिफ मद 2402 90 20 और 2402 90 90 में, स्तंभ (4) में उसमें प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "12% या 1738 रु. प्रति हजार, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(4) अध्याय 87 में, टैरिफ मद 8703 23 10, 8703 23 91, 8703 23 92, 8703 23 99, 8703 24 10, 8703 24 91, 8703 24 92, 8703 24 99, 8703 32 10, 8703 32 91, 8703 32 92, 8703 32 99, 8703 33 10, 8703 33 91, 8703 33 92, 8703 33 99, 8703 90 90 में, स्तंभ (4) में उसमें प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 19)

[10 सितम्बर, 2013]

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2013 है ।

धारा 3 का संशोधन ।

1988 का 68

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) प्राधिकरण में निम्नलिखित होंगे, जिन्हें केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त करेगी :—

(i) अध्यक्ष;

(ii) पूर्णकालिक सदस्य, जो छह से अधिक नहीं होंगे; और

(iii) अशंकालिक सदस्य, जो छह से अधिक नहीं होंगे:

परंतु केन्द्रीय सरकार अंशकालिक सदस्यों को नियुक्त करते समय यह सुनिश्चित करेगी कि उनमें से कम से कम दो सदस्य ऐसे गैर सरकारी वृत्तिक हों, जिन्हें वित्तीय प्रबंध, परिवहन योजना या किसी अन्य सुसंगत विद्या शाखा में ज्ञान या अनुभव हो ।"।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 20)

[10 सितम्बर, 2013]

जनसाधारण को गरिमामय जीवन निर्वाह करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी खाद्य की सुलभ्यता को सुनिश्चित करके, मानव जीवनचक्र के मार्ग में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह, जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, 5 जुलाई, 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "आंगनवाड़ी" से धारा 4, धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) और धारा 6 के अंतर्गत आने वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अधीन गठित बाल देखरेख और विकास केन्द्र अभिप्रेत है;

(2) "केन्द्रीय पूल" से खाद्यान्नों का ऐसा स्टाक अभिप्रेत है, जो—

(i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम समर्थन कीमत संक्रियाओं के माध्यम से उपाप्त किया जाता है;

(ii) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्य कल्याणकारी स्कीमों जिनके अन्तर्गत आपदा राहत भी है और ऐसी अन्य स्कीमों के अधीन भी है, आबंटनों के लिए रखा जाता है;

(iii) उपखंड (ii) में निर्दिष्ट स्कीमों के लिए आरक्षितियों के रूप में रखा जाता है;

(3) "पात्र गृहस्थी" से धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी और अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाली गृहस्थी अभिप्रेत हैं;

(4) "उचित दर दुकान" से ऐसी दुकान अभिप्रेत है, जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश द्वारा राशन कार्ड धारकों को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है; 1955 का 10

(5) "खाद्यान्न" से चावल, गेहूं या मोटा अनाज या उनका कोई ऐसा संयोजन अभिप्रेत है, जो ऐसे क्वालिटी सन्नियमों के अनुरूप हो, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर, आदेश द्वारा, अवधारित किए जाएं;

(6) "खाद्य सुरक्षा" से अध्याय 2 के अधीन विनिर्दिष्ट खाद्यान्न और भोजन की हकदार मात्रा का प्रदाय अभिप्रेत है;

(7) "खाद्य सुरक्षा भत्ता" से धारा 8 के अधीन हकदार व्यक्तियों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा संदत्त की जाने वाली धनराशि अभिप्रेत है;

(8) "स्थानीय प्राधिकारी" में पंचायत, नगरपालिका, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर योजना प्राधिकारी और असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा राज्यों में, जहां पंचायतें विद्यमान नहीं हैं, ग्राम परिषद् या समिति या ऐसा कोई अन्य निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो स्वशासन के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत है अथवा ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय सम्मिलित है, जिसमें किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर नागरिक सेवाओं का नियंत्रण और प्रबंधन निहित है;

(9) "भोजन" से गरम पकाया हुआ या पहले से पकाया हुआ और परोसे जाने के पूर्व गरम किया गया भोजन या घर ले जाया जाने वाला ऐसा राशन अभिप्रेत है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए;

(10) "न्यूनतम समर्थन मूल्य" से केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित ऐसा सुनिश्चित मूल्य अभिप्रेत है, जिस पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा उनके अभिकरणों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए किसानों से खाद्यान्न उपाप्त किए जाते हैं;

(11) "अधिसूचना" से इस अधिनियम के अधीन जारी की गई और राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

(12) "अन्य कल्याणकारी स्कीमों" से, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त, ऐसी सरकारी स्कीमें अभिप्रेत हैं, जिनके अधीन स्कीमों के भागरूप खाद्यान्नों और भोजन का प्रदाय किया जाता है;

(13) "नि:शक्त व्यक्ति" से नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (न) में उस रूप में परिभाषित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है; 1996 का 1

(14) "पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी" से धारा 10 के अधीन उस रूप में पहचान की गई गृहस्थी अभिप्रेत है;

(15) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(16) "राशन कार्ड" से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित दर दुकानों से आवश्यक वस्तुओं के क्रय के लिए राज्य सरकार के किसी आदेश या प्राधिकार के अधीन जारी किया गया कोई दस्तावेज अभिप्रेत है;

(17) "ग्रामीण क्षेत्र" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित या गठित किसी नगरीय स्थानीय निकाय या छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के सिवाय, किसी राज्य में का कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(18) "अनुसूची" से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(19) "वरिष्ठ नागरिक" से माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2 के खंड (ज) के अधीन उस रूप में परिभाषित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है; 2007 का 56

(20) "सामाजिक संपरीक्षा" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसमें जनता किसी कार्यक्रम या स्कीम की योजना और उसके कार्यान्वयन को सामूहिक रूप से मानीटर और उसका मूल्यांकन करती है;

(21) "राज्य आयोग" से धारा 16 के अधीन गठित राज्य खाद्य आयोग अभिप्रेत है;

(22) "राज्य सरकार" से, किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

(23) "लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली" से उचित दर दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण की प्रणाली अभिप्रेत है;

(24) "सतर्कता समिति" से इस अधिनियम के अधीन सभी स्कीमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए धारा 29 के अधीन गठित कोई समिति अभिप्रेत है;

(25) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं किंतु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 या किसी अन्य सुसंगत अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों में क्रमशः उनके हैं। 1955 का 10

अध्याय 2

खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र गृहस्थी के व्यक्तियों द्वारा सहायताप्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार।

3. (1) ऐसी पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी का, जिसकी धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन पहचान की गई है, प्रत्येक व्यक्ति, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन, राज्य सरकार से अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट सहायताप्राप्त कीमतों पर प्रति मास प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार होगा :

परंतु अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाली गृहस्थी, उस सीमा तक, जो केंद्रीय सरकार उक्त स्कीम में प्रत्येक राज्य के लिए विनिर्दिष्ट करे, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर प्रति मास प्रति गृहस्थी पैंतीस किलोग्राम खाद्यान्न की हकदार होगी :

परंतु यह और कि यदि अधिनियम के अधीन किसी राज्य को खाद्यान्नों का वार्षिक आबंटन, सामान्य लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पिछले तीन वर्ष के लिए खाद्यान्नों के औसत वार्षिक कुल क्रय से कम है, तो उसको उन कीमतों पर, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाएं, संरक्षित किया जाएगा और राज्य को अनुसूची 4 में यथा विनिर्दिष्ट खाद्यान्नों का आबंटन किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, "अन्त्योदय अन्न योजना" से केन्द्रीय सरकार द्वारा 25 दिसंबर, 2000 को उक्त नाम से आरंभ की गई, और समय-समय पर यथा उपांतरित, स्कीम अभिप्रेत है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पात्र गृहस्थी के व्यक्तियों की सहायताप्राप्त कीमतों पर हकदारियां ग्रामीण जनसंख्या के पचहत्तर प्रतिशत तक और नगरीय जनसंख्या के पचास प्रतिशत तक विस्तारित होंगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार, पात्र गृहस्थी के व्यक्तियों को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, खाद्यान्नों की हकदार मात्रा के बदले गेहूं का आटा उपलब्ध करा सकेगी।

गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषणाहार सहायता।

4. ऐसी स्कीमों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित की जाएं, प्रत्येक गर्भवती स्त्री और स्तनपान कराने वाली माता निम्नलिखित के लिए हकदार होगी,—

(क) गर्भावस्था और शिशु जन्म के पश्चात् छह मास के दौरान स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषणाहार के मानकों को पूरा किया जा सके; और

(ख) कम से कम छह हजार रुपए का, ऐसी किस्तों में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, प्रसूति फायदा:

परंतु केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में नियमित रूप से नियोजित सभी गर्भवती स्त्रियां और स्तनपान कराने वाली माताएं अथवा वे जिनको तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वैसे ही फायदे मिल रहे हैं, खंड (ख) में विनिर्दिष्ट फायदों की हकदार नहीं होंगी।

बालकों को पोषणाहार सहायता।

5. (1) खंड (ख) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक की, उसकी पोषणाहार संबंधी आवश्यकताओं के लिए निम्नलिखित हकदारियां होंगी, अर्थात्:—

(क) छह मास से छह वर्ष के आयु समूह के बालकों की दशा में, स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से आयु के अनुरूप निःशुल्क भोजन, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषणाहार संबंधी मानकों को पूरा किया जा सके:

परंतु छह मास से कम आयु के बालकों के लिए, केवल स्तनपान को ही बढ़ावा दिया जाएगा ;

(ख) कक्षा 8 तक के अथवा छह से चौदह वर्ष के आयु समूह के बीच के बालकों की दशा में, इनमें से जो भी लागू हो, स्थानीय निकायों, सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी विद्यालयों में और सरकारी सहायताप्राप्त विद्यालयों में, विद्यालय अवकाश दिनों को छोड़कर, प्रत्येक दिन एक बार निःशुल्क दोपहर का भोजन, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषणाहार संबंधी मानकों को पूरा किया जा सके।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय तथा आंगनवाड़ी में भोजन पकाने, पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएं होंगी:

परंतु नगरीय क्षेत्रों में, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, भोजन पकाने के लिए केंद्रीयकृत रसोईघरों की सुविधाओं का, जहां कहीं अपेक्षित हो, उपयोग किया जा सकेगा।

बालक कुपोषण का निवारण और प्रबंधन।

6. राज्य सरकार, स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से ऐसे बालकों की, जो कुपोषण से ग्रस्त हैं, पहचान करेगी और उनको निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएगी, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषणाहार संबंधी मानकों को पूरा किया जा सके।

हकदारियों के आपन के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन।

7. राज्य सरकारें, मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच लागत में हिस्सा बंटाने सहित ऐसी स्कीमों का, जिसके अंतर्गत धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारियां आती हैं, ऐसी रीति में कार्यान्वयन करेंगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

अध्याय 3

खाद्य सुरक्षा भत्ता

कतिपय दशाओं में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार।

8. अध्याय 2 के अधीन हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्नों या भोजन की हकदार मात्रा का प्रदाय न किए जाने की दशा में, ऐसे व्यक्ति संबंधित राज्य सरकार से ऐसा खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे, जिसका कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से संदाय किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

अध्याय 4

पात्र गृहस्थी की पहचान

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जनसमुदाय को लाना।

9. धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य के लिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आने वाली प्रतिशतता का अवधारण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा और राज्य के ऐसे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या उस जनगणना के अनुसार, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किए जा चुके हैं, जनसंख्या प्राक्कलनों के आधार पर संगणित की जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना और पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों की पहचान करना।

10. (1) राज्य सरकार, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए धारा 9 के अधीन अवधारित व्यक्ति-संख्या के भीतर ही,—

(क) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा तक अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाई जाने वाली गृहस्थियों की, उक्त स्कीम को लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पहचान करेगी;

(ख) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाई जाने वाली पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों के रूप में शेष बची गृहस्थियों की ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, पहचान करेगी :

परंतु राज्य सरकार, अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, किन्तु ऐसी अवधि के भीतर, जो तीन सौ पैंसठ दिन से अधिक की न हो, इस उपधारा के अधीन विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पात्र गृहस्थियों की पहचान कर सकेगी:

परंतु यह और कि राज्य सरकार, ऐसी गृहस्थियों की पहचान पूरी होने तक, विद्यमान लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केंद्रीय सरकार से खाद्यान्नों का आबंटन प्राप्त करती रहेगी।

(2) राज्य सरकार, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए धारा 9 के अधीन अवधारित व्यक्ति-संख्या के अंतर्गत ही, पात्र गृहस्थियों की सूची को उपधारा (1) के अधीन विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अद्यतन करेगी।

पात्र गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन और संप्रदर्शन।

11. राज्य सरकार, पहचान की गई पात्र गृहस्थियों की सूची सार्वजनिक क्षेत्र में लगाएगी और उसे प्रमुख रूप से संप्रदर्शित करेगी।

अध्याय 5

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार।

12. (1) केंद्रीय और राज्य सरकारें, इस अधिनियम में उनके लिए परिकल्पित भूमिका के अनुरूप लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उत्तरोत्तर आवश्यक सुधारों का जिम्मा लेने का प्रयास करेंगी।

(2) सुधारों के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित आएंगे:—

(क) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्गम-स्थानों पर खाद्यान्नों का द्वार तक परिदान;

(ख) संव्यवहारों का सभी स्तरों पर पारदर्शक अभिलेखन सुनिश्चित करने तथा उनका अपयोजन रोकने की दृष्टि से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी साधनों का, जिनके अंतर्गत विस्तृत कंप्यूटरीकरण भी है, उपयोजन;

(ग) इस अधिनियम के अधीन फायदों को समुचित रूप से लक्ष्यित करने के लिए हकदार हिताधिकारियों की बायोमीट्रिक सूचना के साथ विशिष्ट पहचान के लिए "आधार" का प्रयोग किया जाना;

(घ) अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता;

(ङ) उचित दर दुकानों की अनुज्ञप्तियां दिए जाने में, लोक संस्थाओं या लोक निकायों, जैसे पंचायतों, स्वयंसेवी समूहों, सहकारी संस्थाओं को और उचित दर दुकानों का प्रबंधन महिलाओं और उनके समुच्चयों द्वारा किए जाने को अधिमानता;

(च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित वस्तुओं का समयकालिक विविधत्व;

(छ) स्थानीय सार्वजनिक वितरण प्रतिमानों और धान्य बैंकों को समर्थन;

(ज) लक्ष्यित हिताधिकारियों के लिए, ऐसे क्षेत्र में और ऐसी रीति से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, अध्याय 2 में विनिर्दिष्ट उनकी खाद्यान्न हकदारियों को सुनिश्चित करने के लिए नकदी अंतरण, खाद्य कूपन जैसी स्कीमें या अन्य स्कीमें प्रारंभ करना।

अध्याय 6

महिला सशक्तिकरण

राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्रियों का गृहस्थी का मुखिया होना।

13. (1) प्रत्येक पात्र गृहस्थी में, वरिष्ठ स्त्री, जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम की न हो, राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए, गृहस्थी की मुखिया होगी।

(2) जहां किसी गृहस्थी में किसी समय कोई स्त्री या अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्री नहीं है, किंतु अठारह वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य है वहां गृहस्थी का वरिष्ठ पुरुष सदस्य राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी का मुखिया होगा और महिला सदस्य, अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ऐसे राशन कार्डों के लिए, ऐसे पुरुष सदस्य के स्थान पर, गृहस्थी की मुखिया बन जाएगी।

अध्याय 7

शिकायत निवारण तंत्र

आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र।

14. प्रत्येक राज्य सरकार एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र, जिसके अंतर्गत कॉल सेंटर, हेल्पलाइनें, नोडल अधिकारियों का पदाभिहित किया जाना आता है या ऐसा अन्य तंत्र, जो विहित किया जाए, स्थापित करेगी।

जिला शिकायत निवारण अधिकारी।

15. (1) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले के लिए, अध्याय 2 के अधीन हकदार खाद्यान्नों या भोजन के वितरण संबंधी विषयों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए और इस अधिनियम के अधीन हकदारियों के प्रवर्तन के लिए, एक अधिकारी, जो जिला शिकायत निवारण अधिकारी होगा, नियुक्त या पदाभिहित करेगी।

(2) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं और उसकी शक्तियां ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(3) जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की पद्धति और उसके निबंधन तथा शर्तें ऐसे होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(4) राज्य सरकार, जिला शिकायत निवारण अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद के वेतन और भत्तों तथा ऐसे अन्य व्यय का, जो उनके उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे जाएं, उपबंध करेगी।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी हकदार खाद्यान्नों या भोजन वितरित न किए जाने और उससे संबधित मामलों के संबंध में शिकायतों को सुनेगा और उनके निवारण के लिए, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(6) ऐसा कोई शिकायतकर्ता अथवा अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, जो शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है, ऐसे आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग के समक्ष कोई अपील फाइल कर सकेगा।

(7) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अपील, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, फाइल की जाएगी।

राज्य खाद्य आयोग।

16. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करने और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन के लिए एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी।

(2) राज्य आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(क) अध्यक्ष;

(ख) पांच अन्य सदस्य; और

(ग) सदस्य-सचिव, जो राज्य सरकार का, उस सरकार में संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी होगा:

परंतु उसमें कम से कम दो स्त्रियां होंगी, चाहे वे अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य-सचिव हों:

परंतु यह और कि उसमें एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का और एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का होगा, चाहे वह अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य-सचिव हो।

(3) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी,—

(क) जो अखिल भारतीय सेवाओं या संघ या राज्य की किन्हीं अन्य सिविल सेवाओं के सदस्य हैं या रह चुके हैं या जो संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण किए हुए हैं और जिन्हें कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी संबद्ध क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित मामलों में ज्ञान और अनुभव प्राप्त है; या

(ख) जो सार्वजनिक जीवन में के ऐसे विख्यात व्यक्ति हैं, जिन्हें कृषि, विधि, मानवाधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य संबंधी नीति या लोक प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव प्राप्त है; या

(ग) जिनके पास निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने से संबंधित कार्य का कोई प्रमाणित रिकार्ड है।

(4) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परंतु कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(5) राज्य आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति की पद्धति और अन्य निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए उनकी नियुक्ति की जा सकेगी और राज्य आयोग की बैठकों का समय, स्थान और प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों की गणपूर्ति भी है) और उसकी शक्तियां ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(6) राज्य आयोग निम्नलिखित कृत्यों का जिम्मा लेगा, अर्थात्:—

(क) राज्य के संबंध में, इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करना और उसका मूल्यांकन करना;

(ख) अध्याय 2 के अधीन उपबंधित हकदारियों के अतिक्रमणों की या तो स्वप्रेरणा से या शिकायत के प्राप्त होने पर, जांच करना;

(ग) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देना;

(घ) व्यष्टियों को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट उनकी हकदारियों तक पूर्ण पहुंच बनाने के लिए समर्थ बनाने के संबंध में खाद्य और पोषण संबंधी स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को, सुसंगत सेवाओं के परिदान में अंतर्वलित उसके अभिकरणों, स्वायत्त निकायों और गैर-सरकारी संगठनों को सलाह देना;

(ङ) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना;

(च) वार्षिक रिपोर्टें तैयार करना, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएंगी।

(7) राज्य सरकार, राज्य आयोग को उतने प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगी जितने वह राज्य आयोग के उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे।

(8) उपधारा (7) के अधीन कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति की पद्धति, उनके वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(9) राज्य सरकार, ऐसे अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी,—

(क) जो दिवालिया है या किसी समय दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया है; या

(ख) जो सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या

(ग) जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित में हानिकर है।

(10) ऐसे किसी अध्यक्ष या सदस्य को उपधारा (9) के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि उसे मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

राज्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते।

17. राज्य सरकार अध्यक्ष, अन्य सदस्यों, सदस्य-सचिव, सहायक कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्तों का तथा राज्य आयोग के उचित कार्यकरण के लिए अपेक्षित अन्य प्रशासनिक व्ययों का उपबंध करेगी।

राज्य आयोग के रूप में कार्य करने के लिए किसी आयोग या निकाय को अभिहित किया जाना।

18. राज्य सरकार, यदि वह यह आवश्यक समझती है तो, अधिसूचना द्वारा, किसी कानूनी आयोग या निकाय को, धारा 16 में निर्दिष्ट राज्य आयोग की शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का पालन करने के लिए अभिहित कर सकेगी।

संयुक्त राज्य खाद्य आयोग।

19. धारा 16 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, दो या अधिक राज्यों का एक संयुक्त राज्य खाद्य आयोग हो सकेगा।

जांच से संबंधित शक्तियां।

20. (1) राज्य आयोग को, धारा 16 की उपधारा (6) के खंड (ख) और खंड (ङ) में निर्दिष्ट किसी विषय की जांच करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय की होती हैं, अर्थात्:— 1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना; और

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।

(2) राज्य आयोग को किसी मामले को, उसका विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने की शक्ति होगी और ऐसा मजिस्ट्रेट, जिसको ऐसा मामला अग्रेषित किया जाता है, अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद की उसी प्रकार सुनवाई करेगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 346 के अधीन उसको अग्रेषित किया गया है। 1974 का 2

रिक्तियों, आदि से राज्य आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

21. राज्य आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि,—

(क) राज्य आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) राज्य आयोग की प्रक्रिया में ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

अध्याय 8

खाद्य सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार की बाध्यताएं

केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा का राज्य सरकारों को आबंटन किया जाना।

22. (1) केन्द्रीय सरकार, पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों को खाद्यान्नों का नियमित प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए धारा 3 के अधीन हकदारियों के अनुसार और अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन, केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा का राज्य सरकारों को आबंटन करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, धारा 10 के अधीन प्रत्येक राज्य में पहचान की गई पात्र गृहस्थियों की व्यक्ति-संख्या के अनुसार खाद्यान्न आबंटित करेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारियों के संबंध में, पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों के लिए अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर खाद्यान्न राज्य सरकारों को उपलब्ध कराएगी।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,—

(क) अपने स्वयं के अभिकरणों और राज्य सरकारों तथा उनके अभिकरणों के माध्यम से केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्न उपाप्त करेगी;

(ख) राज्यों को खाद्यान्न आबंटित करेगी;

(ग) प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिहित डिपो को, आबंटन के अनुसार, खाद्यान्नों के परिवहन का उपबंध करेगी;

(घ) राज्य सरकार को ऐसे सन्नियमों और रीति के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यिक संचलन, उठाई-धराई और उचित दर दुकान के व्यौहारियों को संदत्त अतिरिक्त धन (मार्जिन) मद्दे उसके द्वारा उपगत व्यय को पूरा करने में सहायता प्रदान करेगी; और

(ङ) विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं सृजित करेगी और बनाए रखेगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा कतिपय मामलों में राज्य सरकार को निधियां उपलब्ध कराया जाना।

23. किसी राज्य को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्न की कम आपूर्ति की दशा में, केन्द्रीय सरकार, ऐसी रीति से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अध्याय 2 के अधीन की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को किए गए कम प्रदाय की सीमा तक निधियां उपलब्ध कराएगी।

अध्याय 9

खाद्य सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की बाध्यताएं

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन और उन्हें मानीटर किया जाना।

24. (1) राज्य सरकार, अपने राज्य में लक्ष्यित हिताधिकारियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की स्कीमों और अपनी स्वयं की स्कीमों का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक स्कीम के लिए जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्यान्वयन किए जाने और उन्हें मानीटर करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकार का निम्नलिखित कर्तव्य होगा,—

(क) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर, राज्य में केन्द्रीय सरकार के अभिहित डिपो से खाद्यान्नों का परिदान लेना; प्रत्येक उचित दर दुकान के द्वार तक अपने प्राधिकृत अभिकरणों के माध्यम से आबंटित खाद्यान्नों के परिदान के लिए अंतरा-राज्यिक आबंटनों को संचालित करना; और

(ख) हकदार व्यक्तियों को अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर खाद्यान्नों का वास्तविक परिदान या प्रदाय सुनिश्चित करना।

(3) धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारियों के संबंध में खाद्यान्न अपेक्षाओं के लिए, राज्य सरकार, राज्य में केन्द्रीय सरकार के अभिहित डिपो से, पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों के लिए, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर खाद्यान्नों का परिदान लेने और पूर्वोक्त धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट हकदार फायदों के वास्तविक परिदान को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(4) अध्याय 2 के अधीन हकदार व्यक्तियों के खाद्यान्नों या भोजनों की हकदार मात्रा का प्रदाय न करने की दशा में, राज्य सरकार धारा 8 में विनिर्दिष्ट खाद्य सुरक्षा भत्ते का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(5) प्रत्येक राज्य सरकार, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दक्षतापूर्वक प्रचालन के लिए,—

(क) राज्य, जिला और ब्लाक स्तरों पर ऐसी वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं का सृजन करेगी और उन्हें बनाए रखेगी, जो लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य खाद्य आधारित कल्याणकारी स्कीमों के अधीन अपेक्षित खाद्यान्नों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त हों;

(ख) अपने खाद्य और सिविल आपूर्ति निगमों और अन्य अभिहित अभिकरणों की क्षमताओं को यथोचित रूप से सुदृढ़ करेगी;

(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, समय-समय पर यथासंशोधित, के अधीन किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के सुसंगत उपबंधों के अनुसार उचित दर दुकानों के लिए संस्थागत अनुज्ञापन इंतजामों को स्थापित करेगी। 1955 का 10

अध्याय 10

स्थानीय प्राधिकारियों की बाध्यताएं

स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्रों में लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन।

25. (1) स्थानीय प्राधिकारी, अपने-अपने क्षेत्रों में इस अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, स्थानीय प्राधिकारी को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंप सकेगी।

स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यताएं।

26. इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए तैयार की गई केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों की भिन्न-भिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन में, स्थानीय प्राधिकारी ऐसे कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होंगे, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा, अधिसूचना द्वारा, उन्हें सौंपे जाएं।

अध्याय 11

पारदर्शिता और जवाबदेही

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों का प्रकटीकरण।

27. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सभी अभिलेखों को, ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाएगा और जनसाधारण के निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा।

सामाजिक संपरीक्षा का कराया जाना।

28. (1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, उचित दर दुकानों, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण के संबंध में समय-समय पर सामाजिक संपरीक्षा करेगा या करवाएगा और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, अपने निष्कर्ष प्रचारित करवाएगा और आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, सामाजिक संपरीक्षा कर सकेगी या ऐसी संपरीक्षाएं करने का अनुभव रखने वाले स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से करवा सकेगी।

सतर्कता समितियों का गठन।

29. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण को तथा ऐसी प्रणाली में कृत्यकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, राज्य, जिला, ब्लाक और उचित दर दुकान के स्तरों पर, समय-समय पर यथासंशोधित, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में यथाविनिर्दिष्ट सतर्कता समितियों का गठन करेगी जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं और इनमें स्थानीय प्राधिकारियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्त्रियों और निराश्रित व्यक्तियों या नि:शक्त व्यक्तियों को सम्यक् प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। 1955 का 10

(2) सतर्कता समितियां, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेंगी, अर्थात्:—

(क) इस अधिनियम के अधीन सभी स्कीमों के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना;

(ख) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अतिक्रमण की जिला शिकायत निवारण अधिकारी को, लिखित में, सूचना देना; और

(ग) किसी अनाचार या निधियों के दुर्विनियोग की, जिनका उसे पता चले, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को, लिखित में, सूचना देना।

अध्याय 12

खाद्य सुरक्षा अग्रसर करने के लिए उपबंध

दूरस्थ, पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा।

30. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें, इस अधिनियम के उपबंधों और विनिर्दिष्ट हकदारियों की पूर्ति के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन करते समय कमजोर समूहों की, विशेष रूप से, उनकी जो दूरस्थ क्षेत्रों और ऐसे अन्य क्षेत्रों में, जहां पहुंचना कठिन है, पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहते हैं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देंगी।

खाद्य तथा पोषणाहार संबंधी सुरक्षा को और अग्रसर करने के उपाय।

31. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी, खाद्य और पोषणाहार संबंधी सुरक्षा को अग्रसर करने के प्रयोजन के लिए अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को उत्तरोत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

अध्याय 13

प्रकीर्ण

अन्य कल्याणकारी स्कीमें।

32. (1) इस अधिनियम के उपबंध, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को अन्य खाद्य आधारित कल्याणकारी स्कीमों को जारी रखने या विरचित करने से प्रवारित नहीं करेंगे।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अपने स्वयं के स्रोतों से इस अधिनियम के अधीन उपबंधित फायदों से उच्चतर फायदों का उपबंध करने के लिए खाद्य या पोषण आधारित योजनाएं या स्कीमें जारी रख सकेगी या विरचित कर सकेगी।

शास्तियां।

33. ऐसा कोई लोक सेवक या प्राधिकारी, जिसे राज्य आयोग द्वारा, किसी परिवाद या अपील का विनिश्चय करते समय, जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए अनुतोष को, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के उपलब्ध करवाने में असफल रहने का या ऐसी सिफारिश की जानबूझकर अवज्ञा करने का दोषी पाया जाएगा, पांच हजार रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा:

परन्तु कोई शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व, यथास्थिति, लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

न्यायनिर्णयन की शक्ति।

34. (1) राज्य आयोग, धारा 33 के अधीन शास्ति का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, अपने किसी सदस्य को, कोई शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए संबद्ध किसी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् विहित रीति से जांच करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करेगा।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी को, कोई जांच करते समय, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत किसी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसा साक्ष्य देने या कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में, जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकता है, समन करने और हाजिर कराने की शक्ति होगी और यदि ऐसी जांच करने पर उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर अनुतोष प्रदान करने में असफल रहा है या उसने जानबूझकर ऐसी सिफारिशों की अवज्ञा की है तो वह ऐसी शास्ति, जो वह धारा 33 के उपबंधों के अनुसार ठीक समझे, अधिरोपित कर सकेगा।

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजन की शक्ति।

35. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां (नियम बनाने की शक्ति के सिवाय), ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी द्वारा भी, जिसे वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रयोक्तव्य होंगी।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां (नियम बनाने की शक्ति के सिवाय) ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, उसके अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी द्वारा भी, जिसे वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रयोक्तव्य होंगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

36. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या ऐसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति।

37. (1) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा अनुसूची 1 या अनुसूची 2 या अनुसूची 3 या अनुसूची 4 का संशोधन कर सकेगी और तदुपरि, यथास्थिति, अनुसूची 1 या अनुसूची 2 या अनुसूची 3 या अनुसूची 4 तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति, उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

केंद्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति।

38. केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर, राज्य सरकारों को ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह आवश्यक समझे और राज्य सरकारें ऐसे निदेशों का पालन करेंगी।

नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।

39. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राज्य सरकार के परामर्श से और अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 4 के खंड (ख) के अधीन गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रसूति फायदा उपलब्ध करवाने संबंधी स्कीम, जिसके अंतर्गत खर्च में हिस्सा बंटाना भी है;

(ख) धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारी संबंधी स्कीमें, जिनके अंतर्गत धारा 7 के अधीन खर्च में हिस्सा बंटाना भी है;

(ग) धारा 8 के अधीन हकदार व्यष्टियों को खाद्य सुरक्षा भत्ते के संदाय की रकम, उसका समय और रीति;

(घ) धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन लक्ष्यित हिताधिकारियों को ऐसे क्षेत्रों में और रीति से उनकी खाद्यान्न हकदारियों को सुनिश्चित करने के लिए नकदी अन्तरण, खाद्य कूपनों की स्कीमें या अन्य स्कीमें प्रारंभ करना;

(ङ) धारा 22 की उपधारा (4) के खंड (घ) के अधीन व्यय को पूरा करने में राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराने के सन्नियम और रीति;

(च) वह रीति, जिसमें धारा 23 के अधीन खाद्यान्नों के कम प्रदाय की दशा में केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी;

(छ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

(3) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त

आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।

40. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए और इस अधिनियम और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से संगत, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों की पहचान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत;

(ख) धारा 14 के अधीन आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र;

(ग) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं और उसकी शक्तियां;

(घ) धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की पद्धति और उसके निबंधन तथा शर्तें;

(ङ) धारा 15 की उपधारा (5) और उपधारा (7) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा शिकायतों की सुनवाई तथा अपीलें फाइल किए जाने की रीति और समय-सीमा;

(च) धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन राज्य आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों तथा सदस्य-सचिव की नियुक्ति की पद्धति और उनकी नियुक्ति के निबंधन और शर्तें, आयोग की बैठकों की प्रक्रिया तथा उसकी शक्तियां;

(छ) धारा 16 की उपधारा (8) के अधीन राज्य आयोग के कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति की पद्धति, उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें;

(ज) वह रीति, जिसमें धारा 27 के अधीन लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेख सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में रखे जाएंगे और जनता के निरीक्षण के लिए खुले रखे जाएंगे;

(झ) वह रीति, जिसमें धारा 28 के अधीन उचित दर दुकानों, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण की सामाजिक संपरीक्षा की जाएगी;

(ञ) धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन सतर्कता समितियों की संरचना;

(ट) धारा 43 के अधीन संस्थागत तंत्र के उपयोग के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की स्कीमें या कार्यक्रम;

(ठ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना और मार्गदर्शक सिद्धान्त, उसके बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के, जहां उसके दो सदन हैं, प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान-मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखे जाएंगे।

स्कीमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों आदि के लिए संक्रमणकालीन उपबंध।

41. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान स्कीमें, मार्गदर्शक सिद्धांत, आदेश और खाद्य मानक, शिकायत निवारण तंत्र, सतर्कता समितियां तब तक प्रवृत्त और प्रभाव में बनी रहेंगी जब तक इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसी स्कीमें, मार्गदर्शक सिद्धांत, आदेश और खाद्य मानक, शिकायत निवारण तंत्र, सतर्कता समितियां विनिर्दिष्ट या अधिसूचित हैं:

परंतु उक्त स्कीमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों, आदेशों और खाद्य मानक, शिकायत निवारण तंत्र के अधीन या सतर्कता समितियों द्वारा की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी और तदनुसार तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्रवाई द्वारा उसे अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता है।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

42. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

संस्थागत तंत्र का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग।

43. धारा 15 और धारा 16 के अधीन नियुक्त या गठित किए जाने वाले प्राधिकारियों की सेवाओं का उपयोग केंद्रीय सरकार की या राज्य सरकारों की ऐसी अन्य स्कीमों या कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, किया जा सकेगा।

अपरिहार्य घटना।

44. यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन हकदार किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी दावे के लिए, ऐसे युद्ध, बाढ़, सूखे, आग, चक्रवात या भूकंप की दशा के सिवाय, जिससे इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति को खाद्यान्न या भोजन के नियमित प्रदाय पर प्रभाव पड़ता है, दायी होगी:

परंतु केन्द्रीय सरकार, योजना आयोग के परामर्श से, यह घोषित कर सकेगी कि ऐसे व्यक्ति को खाद्यान्न या भोजन के नियमित प्रदाय को प्रभावित करने वाली ऐसी कोई परिस्थिति उद्भूत या विद्यमान है अथवा नहीं।

निरसन और व्यावृत्ति।

45. (1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 2013 का अध्यादेश सं॰ 7

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन,—

(क) की गई किसी बात, की गई किसी कार्रवाई या पात्र गृहस्थियों की, की गई पहचान; या

(ख) अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हकदारी, विशेषाधिकार बाध्यता या दायित्व; या

(ग) विरचित किन्हीं मार्गदर्शन सिद्धांतों या जारी किए गए निदेशों; या

(घ) यथापूर्वोक्त ऐसे अधिकार, हकदारी, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व के संबंध में आरंभ की गई, संचालित या जारी किसी अन्वेषण, जांच या किसी अन्य विधिक कार्यवाही; या

(ङ) किसी अपराध के संबंध में अधिरोपित किसी शास्ति,

के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई, अर्जित की गई, प्रोद्भूत हुई, उपगत की गई विरचित की गई, जारी की गई, आरंभ की गई, संचालित की गई, जारी रखी गई या अधिरोपित की गई है।

अनुसूची 1

[धारा 3(1), धारा 22(1), (3) और धारा 24(2), (3) देखिए]

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सहायताप्राप्त कीमतें

पात्र गृहस्थियां, धारा 3 के अधीन सहायताप्राप्त कीमत पर, जो चावल के लिए 3 रुपए प्रति कि.ग्रा., गेहूं के लिए 2 रुपए प्रति कि.ग्रा. और मोटे अनाज के लिए 1 रुपए प्रति कि.ग्रा. से अधिक की नहीं होगी, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए और उसके पश्चात् ऐसी कीमत पर खाद्यान्न लेने की हकदार होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, नियत की जाए और जो, यथास्थिति,—

(i) गेहूं और मोटे अनाज के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत; और

(ii) चावल के लिए व्युत्पन्न न्यूनतम समर्थन कीमत,

से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची 2

[धारा 4(क), धारा 5(1) और धारा 6 देखिए]

पोषणाहार मानक

पोषणाहार मानक: छह मास से तीन वर्ष के आयु समूह, तीन से छह वर्ष के आयु समूह के बालकों तथा गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषणाहार मानक "घर ले जाया जाने वाला राशन" उपलब्ध कराकर या एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अनुसार पोषक गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराकर पूरे किए जाने अपेक्षित हैं और अपराह्न भोजन स्कीम के अधीन निम्न तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बालकों के पोषणाहार मानक निम्नानुसार हैं:

क्रम संख्यांक	प्रवर्ग	भोजन का प्रकार	कैलोरी (कि. कैलोरी)	प्रोटीन (ग्रा.)
1.	बालक (6 मास से 3 वर्ष)	घर ले जाया जाने वाला राशन	500	12–15
2.	बालक (3 से 6 वर्ष)	सुबह का नाश्ता और गर्म पका हुआ भोजन	500	12–15
3.	बालक (6 मास से 6 वर्ष) जो कुपोषित हैं	घर ले जाया जाने वाला राशन	800	20–25
4.	निम्न प्राथमिक कक्षाएं	गर्म पका हुआ भोजन	450	12
5.	उच्च प्राथमिक कक्षाएं	गर्म पका हुआ भोजन	700	20
6.	गर्भवती स्त्रियां और स्तनपान कराने वाली माताएं	घर ले जाया जाने वाला राशन	600	18–20

अनुसूची 3

(धारा 31 देखिए)

खाद्य सुरक्षा को अग्रसर करने के लिए उपबंध

(1) कृषि का पुनःसुदृढ़ीकरण—

(क) छोटे और सीमांत कृषकों के हितों को सुरक्षित करने के उपायों के माध्यम से भूमि संबंधी सुधार करना;

(ख) कृषि, जिसके अन्तर्गत अनुसंधान और विकास, विस्तार सेवाएं, सूक्ष्म और लघु सिंचाई और उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए शक्ति भी है, विनिधान में वृद्धि करना;

(ग) लाभकारी कीमतों, निवेशों तक पहुंच, प्रत्यय, सिंचाई, विद्युत, फसल बीमा, आदि के रूप में कृषकों के जीवन निर्वाह की सुरक्षा सुनिश्चित करना;

(घ) खाद्य उत्पादन से भूमि और जल के अनपेक्षित उपयोजन का प्रतिषेध करना।

(2) उपापन, भंडारण और लाने-ले-जाने से संबंधित मध्यक्षेप—

(क) विकेन्द्रीकृत उपापन को, जिसके अन्तर्गत मोटे अनाजों का उपापन भी है, प्रोत्साहित करना;

(ख) उपापन संक्रियाओं का भौगोलिक विशाखन;

(ग) पर्याप्त विकेंद्रीकृत आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण का संवर्द्धन;

(घ) खाद्यान्नों के लाने-ले-जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देना और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त रैक उपलब्ध कराना जिसमें अधिशेष वाले क्षेत्रों से उपयोग वाले क्षेत्रों को खाद्यान्नों के लाने-ले-जाने को सुकर बनाने के लिए रेल की लाइन क्षमता का विस्तार भी सम्मिलित है।

(3) अन्यः निम्नलिखित तक पहुंच—

(क) सुरक्षित और पर्याप्त पेय जल और स्वच्छता;

(ख) स्वास्थ्य देखभाल;

(ग) किशोर बालिकाओं का पोषणाहार, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में सहायता; और

(घ) वरिष्ठ नागरिकों, निःशक्त व्यक्तियों और एकल महिलाओं के लिए पर्याप्त पेंशनें।

अनुसूची 4

[धारा 3(1) देखिए]

खाद्यान्नों का राज्य-वार आबंटन

क्रम सं॰	राज्य का नाम	मात्रा (लाख टनों में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	32.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.89
3.	असम	16.95
4.	बिहार	55.27
5.	छत्तीसगढ़	12.91
6.	दिल्ली	5.73
7.	गोवा	0.59
8.	गुजरात	23.95
9.	हरियाणा	7.95
10.	हिमाचल प्रदेश	5.08
11.	जम्मू कश्मीर	7.51
12.	झारखंड	16.96
13.	कर्नाटक	25.56
14.	केरल	14.25
15.	मध्य प्रदेश	34.68
16.	महाराष्ट्र	45.02
17.	मणिपुर	1.51
18.	मेघालय	1.76
19.	मिजोरम	0.66
20.	नागालैंड	1.38
21.	ओडिशा	21.09
22.	पंजाब	8.70
23.	राजस्थान	27.92
24.	सिक्किम	0.44
25.	तमिलनाडु	36.78
26.	त्रिपुरा	2.71
27.	उत्तर प्रदेश	96.15

1	2	3
28.	उत्तराखंड	5.03
29.	पश्चिमी बंगाल	38.49
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.16
31.	चंडीगढ़	0.31
32.	दादरा और नागर हवेली	0.15
33.	दमन और दीव	0.07
34.	लक्षद्वीप	0.05
35.	पुडुचेरी	0.50
	कुल	549.26

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 22)

[12 सितम्बर, 2013]

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2013 है ।

(2) यह 21 जनवरी, 2013 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 15ड का संशोधन ।

1951 का 43

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15ड की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) कोई व्यक्ति प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब—

(क) वह उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा किसी उच्च न्यायालय का कोई आसीन या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति है ; या

(ख) वह किसी उच्च न्यायालय का ऐसा कोई आसीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, जिसने किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कम से कम सात वर्ष की सेवा पूरी की हुई है ।

(1क) प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके नामनिर्देशिती के परामर्श से की जाएगी ।"।

निरसन और व्यावृत्ति।

3. (1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2013 इसके द्वारा निरसित किया जाता है । 2013 का अध्यादेश सं. 5

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी । 1992 का 15

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 24)

[18 सितम्बर, 2013]

केरल और छत्तीसगढ़ राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2013 है ।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 के भाग 7 और भाग 20 का संशोधन ।

सं॰ आ॰ 22.

2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची में,—

(क) भाग 7—केरल में, प्रविष्टि 27 के पश्चात् अंतःस्थापित करें,—

"28. माराटि (कासरगोड जिले के होसदुर्ग और कासरगोड तालुक)";

(ख) भाग 20—छत्तीसगढ़ में,—

(i) प्रविष्टि 16 में, "असुर" के पश्चात् "अबूझ मारिया" अंतःस्थापित करें ;

(ii) प्रविष्टि 27 में, "कोरवा" के पश्चात्, ",पहाड़ी कोरवा" अंतःस्थापित करें ।

———

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 25)

[18 सितम्बर, 2013]

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन के प्रतिषेध, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों और उनके कुटुंबों के पुनर्वास तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

संविधान की उद्देशिका में व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करते हुए नागरिकों के बीच बंधुता बढ़ाने को एक लक्ष्य के रूप में उल्लिखित किया गया है ;

और संविधान के भाग 3 में गारंटीकृत मूल अधिकारों में गरिमा के साथ रहने के अधिकार को भी विवक्षित किया गया है ;

और संविधान के अनुच्छेद 46 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित है कि राज्य, दुर्बल वर्गों की और विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षा करेगा ;

अस्वच्छ शौचालयों के सतत बने रहने और अत्यंत अन्यायी जाति-व्यवस्था से उद्भूत हाथ से मैला उठाने की अमानवीय प्रथा देश के विभिन्न भागों में अभी भी जारी है और विद्यमान विधियां अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला उठाने की दोहरी बुराइयों को दूर करने में पर्याप्त साबित नहीं हुई हैं ;

और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों द्वारा सहन किए गए ऐतिहासिक अन्याय और तिरस्कार को रोकना तथा गरिमापूर्ण जीवन के लिए उनका पुनर्वास करना आवश्यक है ;

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु इस प्रकार अधिसूचित तारीख, राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात्, साठ दिन से पूर्व की नहीं होगी ।

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अभिकरण" से, स्थानीय प्राधिकरण से भिन्न, ऐसा कोई अभिकरण अभिप्रेत है जो किसी क्षेत्र में स्वच्छता संबंधी सुविधाएं प्रदान करने का जिम्मा अपने ऊपर ले सके और इसके अंतर्गत ऐसा कोई ठेकेदार या फर्म या कंपनी है, जो भू-संपदा के विकास और अनुरक्षण कार्य में लगती है ;

(ख) "समुचित सरकार" से, छावनी बोर्डों, रेल भूमि और केंद्रीय सरकार, केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम या केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्णतया या सारभूत रूप से वित्तपोषित स्वशासी निकाय के स्वामित्वाधीन भूमि और भवनों के संबंध में, केंद्रीय सरकार और अन्य सभी मामलों में राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ग) किसी नगरपालिका या पंचायत के संबंध में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" से उसका ज्येष्ठतम कार्यपालक अधिकारी, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है ;

(घ) किसी मलनाली या मलाशय के संबंध में, किसी कर्मचारी द्वारा "परिसंकटमय सफाई" से नियोजक द्वारा संरक्षात्मक साधनों और अन्य सफाई करने की युक्तियां उपलब्ध कराने की अपनी बाध्यताओं को पूरा किए बिना और सुरक्षा संबंधी ऐसी पूर्वावधानियों का, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित या उपबंधित की जाएं, अनुपालन सुनिश्चित किए बिना ऐसे कर्मचारी द्वारा किया गया उसका सफाई कार्य अभिप्रेत है ;

(ङ) "अस्वच्छ शौचालय" से ऐसा कोई शौचालय अभिप्रेत है, जिसमें मल-मूत्र के, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, पूर्णतया विघटित होने से पूर्व मानव मल-मूत्र की या तो उसी स्थान से या किसी ऐसी खुली नाली या गड्ढे में से जिसमें मल-मूत्र को निस्सारित या संप्रवाहित किया गया है, सफाई की जानी अपेक्षित होती है या अन्यथा उसको हाथ से उठाया जाना अपेक्षित होता है:

परंतु किसी रेल यात्री डिब्बे में जलीय फ्लश शौचालय को, जब उसकी किसी कर्मचारी द्वारा ऐसी युक्तियों की सहायता से और ऐसे संरक्षात्मक साधन के उपयोग से, जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, सफाई की जाती है, अस्वच्छ शौचालय नहीं समझा जाएगा ;

(च) "स्थानीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है,—

(i) संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (ङ) और खंड (च) में यथापरिभाषित ऐसी कोई नगरपालिका या पंचायत, जो अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के प्रति उत्तरदायी है ;

2006 का 41 (ii) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 10 के अधीन गठित कोई छावनी बोर्ड ; और

(iii) कोई रेल प्राधिकारी ;

(छ) "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् किसी समय किसी अस्वच्छ शौचालय से या किसी खुली नाली या ऐसे गड्ढे में से, जिसमें अस्वच्छ शौचालयों से या किसी रेलपथ से या ऐसे अन्य स्थानों या परिसरों से, जिनको केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अधिसूचित करे, मल-मूत्र के, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, पूर्णतया विघटित होने से पूर्व, मानव मल-मूत्र को डाला जाता है, हाथ से सफाई करने, उसको ले जाने, उसके निपटान में या अन्यथा किसी रीति से उठाने के लिए किसी व्यष्टि या स्थानीय प्राधिकारी या अभिकरण या ठेकेदार द्वारा लगाया जाता है या नियोजित किया जाता है और "हाथ से मैला उठाने" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए,—

(क) "लगाया जाना या नियोजित किया जाना" से नियमित या संविदा आधार पर लगाया जाना या नियोजित किया जाना अभिप्रेत है;

(ख) ऐसी युक्तियों की सहायता से और ऐसे संरक्षात्मक साधन के उपयोग से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किए जाएं, मल-मूत्र को साफ करने के लिए लगाया गया या नियोजित किया गया कोई व्यक्ति 'हाथ से मैला उठाने वाला कर्मी' नहीं समझा जाएगा ;

1993 का 64 (ज) "राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग" से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 3 के अधीन गठित किया गया और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के समय-समय पर यथासंशोधित संकल्प संख्यांक 17015/18/2003-एस॰सी॰डी॰-VI, तारीख 24 फरवरी, 2004 द्वारा बनाए रखा गया राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अभिप्रेत है ;

(झ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ञ) ऐसे परिसरों के संबंध में, जहां कोई अस्वच्छ शौचालय विद्यमान है या जहां किसी को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में नियोजित किया जाता है, वहां "अधिभोगी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके अधिभोग में तत्समय ऐसे परिसर हैं ;

(ट) ऐसे परिसरों के संबंध में, जहां कोई अस्वच्छ शौचालय विद्यमान है या जहां किसी को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में नियोजित किया जाता है, वहां "स्वामी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास तत्समय ऐसे परिसरों का विधिक हक है ;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ड) "रेल प्राधिकारी" से रेल भूमि का प्रशासन करने वाला ऐसा कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसको केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए ;

(ढ) "रेल भूमि" का वह अर्थ होगा, जो रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (32क) में है ; 1989 का 24

(ण) "स्वच्छ शौचालय" से ऐसा शौचालय अभिप्रेत है, जो 'अस्वच्छ शौचालय' नहीं है ;

(त) "मलाशय" से सामान्यतया भूमि के नीचे अवस्थित ऐसा कोई जलरोधी निथार-टंकी या चेंबर अभिप्रेत है, जिसका उपयोग मानव मल-मूत्र डालने और रखने के लिए किया जाता है, जिससे उसका जीवाण्विक क्रियाकलापों से विघटन हो सके ;

(थ) "मलनाली" से अन्य अपशिष्ट पदार्थ और मलनाली के अपशिष्ट पदार्थों के अतिरिक्त मानव मल-मूत्र को निपटाने के लिए भूमिगत कोई नाली या पाइप अभिप्रेत है ;

(द) किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, "राज्य सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है ;

(ध) "सर्वेक्षण" से धारा 11 या धारा 14 के अनुसरण में किया गया कोई हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु छावनी अधिनियम, 2006 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं । 2006 का 41

(3) इस अधिनियम के अध्याय 4 से अध्याय 8 के अधीन किसी नगरपालिका के प्रति निर्देश के अंतर्गत, उन क्षेत्रों के संबंध में जो क्रमशः छावनी बोर्ड और रेल भूमि की अधिकारिता के भीतर सम्मिलित किए गए हैं, यथास्थिति, छावनी बोर्ड या रेल प्राधिकरण के प्रति निर्देश होगा ।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

3. इस अधिनियम के उपबंध, सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 या किसी अन्य विधि अथवा ऐसी किसी अन्य लिखत में, जो किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी है, किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे । 1993 का 46

अध्याय 2

अस्वच्छ शौचालयों की पहचान करना

स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण किया जाना और स्वच्छ सामुदायिक शौचालयों का उपलब्ध कराया जाना ।

4. (1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी,—

(क) अपनी अधिकारिता के भीतर विद्यमान अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण करेगा और ऐसे अस्वच्छ शौचालयों की एक सूची, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा ;

(ख) अधिभोगी को, खंड (क) के अधीन सूची के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, अस्वच्छ शौचालय को, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, या तो तोड़ने या उसको स्वच्छ शौचालय में संपरिवर्तित करने की सूचना देगा :

परंतु स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे पर्याप्त कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, उक्त अवधि को तीन मास से अनधिक अवधि तक बढ़ा सकेगा;

(ग) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से नौ मास से अनधिक की अवधि के भीतर, ऐसे क्षेत्रों में, जहां अस्वच्छ शौचालय पाए गए हैं, उतने स्वच्छ सामुदायिक शौचालयों का, जितने वह आवश्यक समझे, सन्निर्माण करेगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नगरपालिकाएं, छावनी बोर्ड और रेल प्राधिकारी भी, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर, जो समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पर्याप्त संख्या में स्वच्छ सामुदायिक शौचालयों का सन्निर्माण करेंगे, जिससे उनकी अधिकारिता में खुले में मलत्याग की प्रथा को समाप्त किया जा सके ।

(3) स्थानीय प्राधिकारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे उपधारा (1) और उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट सामुदायिक स्वच्छ शौचालयों का सन्निर्माण कराएं और सभी समयों पर उनके स्वच्छ रखरखाव करने की भी व्यवस्था करें ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए रेल प्राधिकारियों के संबंध में "समुदाय" से रेल के यात्री, कर्मचारिवृन्द और अन्य प्राधिकृत उपयोक्ता अभिप्रेत हैं।

अध्याय 3

अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन और लगाए जाने का प्रतिषेध

अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन और लगाए जाने का प्रतिषेध ।

5. (1) सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी या कोई अभिकरण, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के पश्चात्,— 1993 का 46

(क) किसी अस्वच्छ शौचालय का सन्निर्माण नहीं करेगा ; या

(ख) हाथ से मैला उठाने वाले किसी कर्मी को, या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः न तो लगाएगा या न ही नियोजित करेगा और इस प्रकार लगाया गया या नियोजित किया गया प्रत्येक व्यक्ति हाथ से मैला उठाने की, अभिव्यक्त या विवक्षित, किसी बाध्यता से तुरंत उन्मोचित हो जाएगा।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान प्रत्येक अस्वच्छ शौचालय को अधिभोगी द्वारा धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व स्वयं अपने खर्च पर या तो तोड़ दिया जाएगा या एक स्वच्छ शौचालय में संपरिवर्तित कर दिया जाएगा :

परंतु जहां, किसी अस्वच्छ शौचालय के संबंध में अनेक अधिभोगी हैं, वहां उसको तोड़ने या संपरिवर्तित करने का दायित्व,—

(क) परिसरों के स्वामी पर होगा, यदि उनमें से एक अधिभोगी उसका स्वामी हो ; और

(ख) अन्य सभी दशाओं में, संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से, सभी अधिभोगियों पर होगा :

परंतु राज्य सरकार, ऐसे प्रवर्गों के व्यक्तियों से संबद्ध अधिभोगियों को और ऐसे मापमान पर, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में संपरिवर्तित करने के लिए सहायता प्रदान कर सकेगी :

परंतु यह और कि राज्य की सहायता प्राप्त न होना, नौ मास की उक्त अवधि के पश्चात् किसी अस्वच्छ शौचालय को बनाए रखने या उसका उपयोग करने का कोई विधिमान्य आधार नहीं होगा ।

(3) यदि कोई अधिभोगी, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी अस्वच्छ शौचालय को तोड़ने या उसको स्वच्छ शौचालय में संपरिवर्तित करने में असफल रहेगा तो उस क्षेत्र पर, जिसमें ऐसा अस्वच्छ शौचालय स्थित है, अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी, अधिभोगी को इक्कीस दिन से अन्यून की सूचना देने के पश्चात् ऐसे शौचालय को या तो स्वच्छ शौचालय में संपरिवर्तित करेगा या ऐसे अस्वच्छ शौचालय को तोड़ देगा और वह, ऐसे अधिभोगी से, यथास्थिति, ऐसे संपरिवर्तित किए जाने या तोड़े जाने का खर्च ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, वसूल करने का हकदार होगा ।

संविदा, करार आदि का शून्य होना ।

6. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व किसी व्यक्ति को हाथ से मैला उठाने के प्रयोजन के लिए लगाए जाने अथवा नियोजित किए जाने के संबंध में की गई या निष्पादित किसी संविदा, करार या अन्य लिखत, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को पर्यवसित हो जाएगी और ऐसी संविदा, करार या अन्य लिखत शून्य तथा अप्रवर्तनीय होगी और उसके लिए कोई प्रतिकर संदेय नहीं होगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी भी व्यक्ति की, जिसको पूर्णकालिक आधार पर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में नियोजित किया गया या लगाया गया है, उसके नियोजक द्वारा छंटनी नहीं की जाएगी किन्तु उसको, उसकी रजामंदी के अधीन रहते हुए, कम से कम उन्हीं उपलब्धियों पर प्रतिधारित किया जाएगा और उसको हाथ से मैला उठाने से भिन्न कार्य सौंपा जाएगा ।

मलनालियों और मलाशयों की परिसंकटमय सफाई के लिए व्यक्तियों को लगाए जाने या नियोजित किए जाने का प्रतिषेध ।

7. कोई व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी या कोई अभिकरण, ऐसी तारीख से, जिसको राज्य सरकार अधिसूचित करे, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के बाद की नहीं होगी, किसी व्यक्ति को या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी मलनाली या मलाशय की परिसंकटमय सफाई के लिए न तो लगाएगा और न ही नियोजित करेगा ।

धारा 5 या धारा 6 के उल्लंघन के लिए शास्ति।

8. जो कोई, धारा 5 या धारा 6 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, प्रथम उल्लंघन के लिए ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा और किसी पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

धारा 7 के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

9. जो कोई, धारा 7 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, प्रथम उल्लंघन के लिए कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा और किसी पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

अभियोजन की परिसीमा।

10. कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान अभिकथित अपराध के कारित किए जाने की तारीख से तीन मास के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा इस निमित्त उसका परिवाद करने के सिवाय न करेगा।

अध्याय 4

नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की पहचान और उनका पुनर्वासन

नगरपालिकाओं द्वारा नगरीय क्षेत्रों में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण ।

11. (1) यदि किसी नगरपालिका के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कुछ व्यक्ति उसकी अधिकारिता के भीतर हाथ से मैला उठाने के कार्य के लिए लगाए गए हैं या नियोजित किए गए हैं, तो ऐसी नगरपालिका का मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे व्यक्तियों की पहचान कराने के लिए एक सर्वेक्षण कराएगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सर्वेक्षण की अंतर्वस्तु और कार्यपद्धति ऐसी होगी, जो विहित की जाए और उसको नगर निगमों की दशा में उसके प्रारंभ से दो मास की अवधि के भीतर और अन्य नगरपालिकाओं की दशा में एक मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा ।

(3) नगरपालिका का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिसकी अधिकारिता में सर्वेक्षण का जिम्मा लिया गया है, ठीक और समय से सर्वेक्षण पूरा कराने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात्, उसकी नगरपालिका की अधिकारिता के भीतर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में कार्य करते हुए तथा ऐसी पात्रता शर्तों को, जो विहित की जाएं, पूरा करते हुए पाए गए व्यक्तियों की एक अनंतिम सूची तैयार कराएगा, ऐसी अनंतिम सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रकाशित कराएगा और सर्वसाधारण से उस सूची के प्रति आक्षेप आमंत्रित करेगा ।

(5) यदि किसी व्यक्ति को उपधारा (4) के अनुसरण में प्रकाशित अनंतिम सूची में किसी नाम को या तो सम्मिलित किए जाने या उसको हटाए जाने के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह ऐसे प्रकाशन से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसे प्ररूप में, जो नगरपालिका अधिसूचित करे, आक्षेप फाइल करेगा।

(6) उपधारा (5) के अनुसरण में प्राप्त सभी आक्षेपों की जांच की जाएगी और उसके पश्चात् नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में कार्य करते हुए पाए जाने वाले व्यक्तियों की एक अंतिम सूची उसके द्वारा ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रकाशित की जाएगी ।

(7) जैसे ही उपधारा (6) में निर्दिष्ट हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाती है, उक्त सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्ति, धारा 6 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में कार्य करने की किसी बाध्यता से उन्मोचित हो जाएंगे ।

पहचान के लिए किसी नगरीय क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी द्वारा आवेदन।

12. (1) किसी नगरीय क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में कार्यरत कोई व्यक्ति, ऐसी नगरपालिका द्वारा जिसकी अधिकारिता के अधीन वह कार्य करता है, धारा 11 के अनुसरण में कराए गए किसी सर्वेक्षण के दौरान, या उसके पश्चात् किसी समय ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, नगरपालिका के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में पहचान के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी धारा 11 के अधीन किए गए सर्वेक्षण के भागरूप या जब ऐसे सर्वेक्षण में कोई प्रगति नहीं हुई हो, ऐसे आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर यह अभिनिश्चित करने के लिए उसकी जांच कराएगा कि क्या आवेदक कोई हाथ से मैला उठाने वाला कर्मी है ।

(3) यदि कोई आवेदन, उपधारा (1) के अधीन उस समय प्राप्त होता है जब धारा 11 के अधीन कोई सर्वेक्षण प्रगति में नहीं है और उसका, उपधारा (2) के अनुसार जांच के पश्चात् सही होना पाया जाता है, तो धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन प्रकाशित अंतिम सूची में ऐसे किसी व्यक्ति का नाम, जोड़े जाने की कार्रवाई की जाएगी और उपधारा (7) में वर्णित उसके परिणामों का अनुसरण किया जाएगा ।

किसी नगरपालिका द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में पहचान किए गए व्यक्तियों का पुनर्वास।

13. (1) ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसको धारा 11 की उपधारा (6) के अनुसरण में प्रकाशित हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अंतिम सूची में सम्मिलित किया गया है या धारा 12 की उपधारा (3) के अनुसरण में उसमें जोड़ा गया है, निम्नलिखित रीति से पुनर्वास किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) उसको एक मास के भीतर—

(i) एक फोटो पहचान पत्र, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उस पर आश्रित उसके कुटुंब के सभी व्यक्तियों के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, दिया जाएगा, और

(ii) ऐसी आरंभिक, एक बार, ऐसी नकद सहायता दी जाएगी, जो विहित की जाए;

(ख) उसके बालक, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण की सुसंगत स्कीम के अनुसार छात्रवृत्ति के हकदार होंगे;

(ग) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी की पात्रता और रजामंदी तथा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संबद्ध स्थानीय प्राधिकरण की सुसंगत स्कीम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसको आवासीय भूखंड आबंटित किया जाएगा और गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी या तैयार बना हुआ मकान, वित्तीय सहायता के साथ, आबंटित किया जाएगा ;

(घ) उसको या उसके कुटुंब के कम से कम एक वयस्क सदस्य को उसकी पात्रता और रजामंदी के अधीन रहते हुए, किसी जीवनयापन कौशल में प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसको ऐसे प्रशिक्षण की अवधि के दौरान तीन हजार रुपए से अन्यून की मासिक वृत्तिका संदत्त की जाएगी ;

(ङ) उसको या उसके कुटुंब के कम से कम एक वयस्क सदस्य को उसकी पात्रता और रजामंदी के अधीन रहते हुए, किसी वहनीय आधार पर कोई अनुकल्पी उपजीविका करने के लिए सहायिकी और रियायती ऋण, ऐसी रीति से, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संबद्ध स्थानीय प्राधिकरण की सुसंगत स्कीम में नियत की जाए, दिया जाएगा;

(च) उसको ऐसी अन्य विधिक और योजनात्मक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, इस निमित्त, अधिसूचित करे ।

(2) संबद्ध जिले का जिला मजिस्ट्रेट, उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार हाथ से मैला उठाने वाले प्रत्येक कर्मी के पुनर्वास के लिए उत्तरदायी होगा और इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार या संबद्ध जिला मजिस्ट्रेट, अपनी ओर से जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ अधिकारियों और संबद्ध नगरपालिका के अधिकारियों को उत्तरदायित्व समनुदेशित कर सकेगा ।

पंचायतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण ।

14. यदि किसी पंचायत को यह विश्वास करने का कारण है कि कुछ व्यक्ति उसकी अधिकारिता के भीतर हाथ से मैला उठाने के कार्य में लगे हुए हैं तो ऐसी पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित धारा 11 और धारा 12 के उपबंधों के अनुसार हाथ से मैला उठाने वाले ऐसे कर्मियों का सर्वेक्षण कराएगा ।

पहचान के लिए किसी ग्रामीण क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी द्वारा आवेदन ।

15. (1) किसी ग्रामीण क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में कार्यरत कोई व्यक्ति, ऐसी पंचायत द्वारा जिसकी अधिकारिता के अधीन वह कार्य करता है, या तो धारा 14 के अनुसरण में कराए गए किसी सर्वेक्षण के दौरान या उसके पश्चात् किसी समय ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संबंधित पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में पहचान के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, या तो धारा 14 के अधीन किए गए सर्वेक्षण के भागरूप में या जब ऐसा सर्वेक्षण प्रगति में नहीं है, ऐसे आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर, यह अभिनिश्चित करने के लिए उसकी जांच कराएगा कि क्या आवेदक कोई हाथ से मैला उठाने वाला कर्मी है ।

किसी पंचायत द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में पहचान किए गए व्यक्तियों का पुनर्वास।

16. ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसको धारा 14 के अनुसरण में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की प्रकाशित अंतिम सूची में सम्मिलित किया गया है या धारा 15 की उपधारा (2) के अनुसरण में उसमें जोड़ा गया है, धारा 13 में नगरीय क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के संबंध में अधिकथित रीति से यथा आवश्यक परिवर्तन सहित पुनर्वासित किया जाएगा ।

अध्याय 5

कार्यान्वयन प्राधिकरण

अस्वच्छ शौचालयों के हटाने को सुनिश्चित करने का स्थानीय प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व ।

17. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का, जागरुकता अभियान के माध्यम से या ऐसी रीति से यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से नौ मास की अवधि के समाप्त होने के पश्चात्—

(i) उसकी अधिकारिता के भीतर किसी अस्वच्छ शौचालय का निर्माण, अनुरक्षण या उपयोग न किया जाए; और

(ii) खंड (i) के उल्लंघन की दशा में धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन अधिभोगी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए ।

ऐसे प्राधिकारी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

18. समुचित सरकार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के उपबंधों का समुचित अनुपालन किया जाए, स्थानीय प्राधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगी तथा उस पर ऐसे कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगी जो आवश्यक हों और स्थानीय प्राधिकारी तथा जिला मजिस्ट्रेट, ऐसे अधीनस्थ अधिकारियों को, जो इस प्रकार प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अधिरोपित सभी या किन्हीं कर्तव्यों का पालन करेंगे तथा ऐसी स्थानीय सीमाओं को विनिर्दिष्ट कर सकेंगे, जिनके भीतर ऐसी शक्तियों या कर्तव्यों का इस प्रकार विनिर्दिष्ट अधिकारी या अधिकारियों द्वारा पालन किया जाएगा।

जिला मजिस्ट्रेट और प्राधिकृत अधिकारियों के कर्तव्य ।

19. धारा 18 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या प्राधिकृत प्राधिकारी या उस धारा के अधीन उनके द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य अधीनस्थ अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यथा विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात्,—

(क) उनकी अधिकारिता के भीतर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में किसी व्यक्ति को, लगाया या नियोजित न किया जाए;

(ख) कोई भी अस्वच्छ शौचालय का निर्माण, अनुरक्षण, उपयोग न करे या उपयोग के लिए उपलब्ध न कराए;

(ग) इस अधिनियम के अधीन पहचान किए गए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का, यथास्थिति, धारा 13 या धारा 16 के अनुसार पुनर्वास किया जाए;

(घ) धारा 5 या धारा 6 या धारा 7 के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों का इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्वेषण और अभियोजन किया जाए; और

(ङ) उसकी अधिकारिता के भीतर लागू होने वाले इस अधिनियम के सभी उपबंधों का सम्यक् रूप से अनुपालन किया जाए।

निरीक्षकों की नियुक्ति और उनकी शक्तियां।

20. (1) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, उतने व्यक्तियों को जितने वह ठीक समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकेगी और उन स्थानीय सीमाओं को, जिनके भीतर वे इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, परिभाषित कर सकेगी ।

(2) इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, निरीक्षक अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर सभी युक्तियुक्त समयों पर ऐसी सहायता के साथ जैसी वह आवश्यक समझे, निम्नलिखित प्रयोजन के लिए, किसी परिसर या स्थान में प्रविष्ट हो सकेगा,—

(क) किसी शौचालय, खुली नाली या गड्ढे की परीक्षा और जांच करना या ऐसे किसी परिसर या स्थान का निरीक्षण करना, जहां उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है और किसी व्यक्ति के हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में नियोजन को निवारित करना;

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति की जांच करना, जिसको वह ऐसे परिसर या स्थान पर पाता है और जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह उसमें हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में नियोजित है या अन्यथा वह इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन या अननुपालन के संबंध में जानकारी देने की स्थिति में है;

(ग) ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसको वह ऐसे परिसर में पाता है, ऐसे परिसरों पर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में नियोजित व्यक्तियों और उनको नियोजित करने या कार्य पर लगाने वाले व्यक्तियों या अभिकरण या ठेकेदार के नामों और पतों के संबंध में ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा करना जिसका दिया जाना उसकी शक्ति में है;

(घ) ऐसे रजिस्टरों, मजदूरियों के अभिलेख या उनकी सूचनाओं या उनके भागों का अभिग्रहण करना या उनकी प्रतियां लेना जिनको वह इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी अपराध के संबंध में सुसंगत समझे, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह प्रधान नियोजक या अभिकरण द्वारा किया गया है; और

(ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जो विहित की जाएं ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी निरीक्षक द्वारा अपेक्षित किसी दस्तावेज या वस्तु को प्रस्तुत करने या कोई जानकारी देने के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति को, भारतीय दंड संहिता की धारा 175 और धारा 176 के अर्थान्तर्गत ऐसा करने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा ।

1860 का 45

1974 का 2

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, जहां तक हो सके उपधारा (2) के अधीन ऐसी किसी तलाशी या अभिग्रहण को ऐसे लागू होंगे जैसे वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी वारंट के प्राधिकार के अधीन की गई तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं ।

अध्याय 6

विचारण संबंधी प्रक्रिया

अपराधों का विचारण कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना।

21. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकेगी; और शक्तियों के इस प्रकार प्रदान किए जाने पर, ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिसको इस प्रकार शक्तियां प्रदान की गईं हैं, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रयोजनों के लिए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट समझा जाएगा ।

1974 का 2

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण संक्षेपतः किया जा सकेगा ।

अपराध का संज्ञेय और अजमानतीय होना ।

22. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा ।

1974 का 2

कंपनियों द्वारा अपराध।

23. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

अध्याय 7

सतर्कता समितियां

सतर्कता समितियां ।

24. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले और प्रत्येक उप-खंड के लिए एक सतर्कता समिति गठित करेगी ।

(2) किसी जिले के लिए गठित प्रत्येक सतर्कता समिति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) जिला मजिस्ट्रेट—अध्यक्ष, पदेन;

(ख) जिले से निर्वाचित अनुसूचित जातियों के राज्य विधान-मंडल के सभी सदस्य—सदस्य :

परंतु यदि किसी जिले में अनुसूचित जातियों का कोई सदस्य राज्य विधान-मंडल में नहीं है, तो राज्य सरकार, जिले से राज्य विधान-मंडल के दो से अनधिक उतने अन्य सदस्यों को, जितने वह समुचित समझे, नामनिर्दिष्ट कर सकेगी ;

(ग) जिला पुलिस अधीक्षक — सदस्य, पदेन;

(घ) निम्नलिखित के मुख्य कार्यपालक अधिकारी,—

(i) जिला स्तर पर पंचायत—सदस्य, पदेन;

(ii) जिला मुख्यालय की नगरपालिका—सदस्य, पदेन;

(iii) जिले में गठित कोई अन्य नगर निगम—सदस्य, पदेन;

(iv) जिले में स्थित छावनी बोर्ड, यदि कोई हो—सदस्य, पदेन;

(ङ) जिले में अवस्थित रेल प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिनिधि;

(च) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले हाथ से मैला उठाने का प्रतिषेध करने और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के कार्य में लगे हुए या हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन से संबंध रखने वाले, जिले के निवासी, चार से अनधिक सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से दो महिलाएं होंगी;

(छ) जिले की वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति;

(ज) अनुसूचित जाति कल्याण का जिला स्तरीय भारसाधक अधिकारी—सदस्य–सचिव, पदेन;

(झ) राज्य सरकार के साधारण आदेशों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, विभागों और अभिकरणों के जिला स्तरीय ऐसे अधिकारी, जिनको जिला मजिस्ट्रेट की राय में इस अधिनियम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कार्य करना है।

(3) किसी उपखंड के लिए गठित प्रत्येक सतर्कता समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) उपखंड मजिस्ट्रेट—अध्यक्ष, पदेन;

(ख) उपखंड के मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा जहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें विद्यमान नहीं हैं, वहां ग्राम स्तर पर उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो पंचायतों के अध्यक्ष—सदस्य, पदेन;

(ग) पुलिस का उपखंड अधिकारी—सदस्य, पदेन;

(घ) निम्नलिखित का मुख्य कार्यपालक अधिकारी —

(i) उपखंड मुख्यालय की नगरपालिका—सदस्य, पदेन; और

(ii) उपखंड में स्थित छावनी बोर्ड, यदि कोई हो—सदस्य, पदेन;

(ङ) उपखंड में अवस्थित रेल प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिनिधि—सदस्य, पदेन;

(च) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले हाथ से मैला उठाने का प्रतिषेध करने और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के कार्य में लगे हुए या हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन से संबंध रखने वाले, उपखंड के निवासी, दो सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से एक महिला होगी;

(छ) उपखंड की वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति;

(ज) अनुसूचित जाति कल्याण का उपखंड स्तरीय भारसाधक अधिकारी—सदस्य–सचिव, पदेन;

(झ) राज्य सरकार के या जिला मजिस्ट्रेट के साधारण आदेशों के अधीन रहते हुए विभाग और अभिकरणों के उपखंड स्तरीय ऐसे अधिकारी, जिनको उपखंड मजिस्ट्रेट की राय में इस अधिनियम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कार्य करना है—सदस्य, पदेन।

(4) जिला और उपखंड स्तर पर गठित प्रत्येक सतर्कता समिति की प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बैठक होगी।

(5) सतर्कता समितियों की कोई कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके गठन में कोई त्रुटि है।

सतर्कता समिति के कृत्य।

25. सतर्कता समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे—

(क) यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सलाह देना;

(ख) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की निगरानी रखना;

(ग) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त प्रत्यय जुटाने की दृष्टि से सभी संबंधित अभिकरणों के कृत्यों का समन्वय करना;

(घ) इस अधिनियम के अधीन अपराधों के रजिस्ट्रीकरण और उनके अन्वेषण और अभियोजन को मानीटर करना।

राज्य मानीटरी समिति

26. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा एक राज्य मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) राज्य का मुख्यमंत्री या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई मंत्री—अध्यक्ष, पदेन;

(ख) अनुसूचित जाति कल्याण और ऐसे अन्य विभाग का, जो राज्य सरकार अधिसूचित करे, प्रभारी मंत्री;

(ग) राज्य सफाई कर्मचारी और अनुसूचित जाति आयोगों का, यदि कोई हो, अध्यक्ष—सदस्य, पदेन;

(घ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और सफाई कर्मचारी आयोग के प्रतिनिधि—सदस्य, पदेन;

(ङ) राज्य विधान-मंडल के अनुसूचित जातियों के राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो से अन्यून सदस्य :

परन्तु यदि राज्य विधान-मंडल में अनुसूचित जातियों का कोई सदस्य नहीं है तो राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(च) पुलिस महानिदेशक—सदस्य, पदेन;

(छ) राज्य सरकार के गृह, पंचायती राज विभागों, शहरी स्थानीय निकायों और ऐसे अन्य विभागों के सचिव, जो राज्य सरकार अधिसूचित करे;

(ज) जिला स्तर पर कम से कम ऐसे एक नगर निगम, पंचायत, छावनी बोर्ड और रेलवे प्राधिकरण का, जो राज्य सरकार अधिसूचित करे, मुख्य कार्यपालक अधिकारी;

(झ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले हाथ से मैला उठाने का प्रतिषेध करने और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के कार्य में लगे हुए या हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन से संबंध रखने वाले, राज्य में निवासी, चार से अनधिक सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से दो महिलाएं होंगी;

(ञ) राज्य स्तरीय बैंककार समिति के संयोजक बैंक का राज्य स्तरीय प्रमुख—सदस्य, पदेन;

(ट) राज्य सरकार के अनुसूचित ज़ातियों के विकास से संबंधित विभाग का सचिव—सदस्य-सचिव, पदेन;

(ठ) राज्य सरकार के विभागों और ऐसे अन्य अभिकरणों के ऐसे अन्य प्रतिनिधि, जो राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबद्ध हैं ।

(2) राज्य मानीटरी समिति, प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का, जो विहित किए जाएं, अनुपालन करेगी।

राज्य मानीटरी समिति के कृत्य ।

27. राज्य मानीटरी समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे,—

(क) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को मानीटर करना और उसके लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को सलाह देना;

(ख) सभी संबंधित अभिकरणों के कृत्यों का समन्वय करना;

(ग) इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उसके आनुषंगिक या उससे संबंधित किसी अन्य विषय की जांच करना ।

राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों का केन्द्रीय सरकार को आवधिक रिपोर्ट भेजने का कर्तव्य ।

28. प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, केन्द्रीय सरकार को इस अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में ऐसी आवधिक रिपोर्टें भेजेंगे, जो केन्द्रीय सरकार अपेक्षा करे ।

केन्द्रीय मानीटरी समिति।

29. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस धारा के उपबंधों के अनुसार एक केन्द्रीय मानीटरी समिति गठित करेगी ।

(2) केन्द्रीय मानीटरी समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) संघ का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री—अध्यक्ष, पदेन;

(ख) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग—सदस्य, पदेन;

(ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री—सदस्य, पदेन;

(घ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग—सदस्य, पदेन;

(ङ) योजना आयोग का अनुसूचित जातियों के विकास से संबद्ध सदस्य—सदस्य, पदेन;

(च) अनुसूचित जातियों के तीन निर्वाचित संसद् सदस्य, दो लोक सभा से और एक राज्य सभा से;

(छ) निम्नलिखित मंत्रालयों के सचिवः—

(i) सामाजिक न्याय और अधिकारिता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग;

(ii) शहरी विकास;

(iii) आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन;

(iv) पेय जल और स्वच्छता;

(v) पंचायती राज;

(vi) वित्त, वित्तीय सेवा विभाग; और

(vii) रक्षा,

—सदस्य, पदेन होंगे;

(ज) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड—सदस्य, पदेन;

(झ) महानिदेशक, रक्षा संपदा—सदस्य, पदेन;

(ञ) कम से कम ऐसे छह राज्य सरकारों और एक संघ राज्यक्षेत्र के प्रतिनिधि, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचित करे ;

(ट) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले हाथ से मैला उठाने का प्रतिषेध करने और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के कार्य में लगे हुए या हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन से संबंध रखने वाले, देश के निवासी, छह से अनधिक सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से दो महिलाएं होंगी;

(ठ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का, अनुसूचित जातियों के विकास से संबद्ध, संयुक्त सचिव—सदस्य-सचिव, पदेन;

(ड) केन्द्रीय मंत्रालयों या विभागों और अभिकरणों के ऐसे अन्य प्रतिनिधि, जो अध्यक्ष की राय में इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबद्ध हैं ।

(3) केन्द्रीय मानीटरी समिति, प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

केन्द्रीय मानीटरी समिति के कृत्य ।

30. केन्द्रीय मानीटरी समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे,—

(क) इस अधिनियम और सुसंगत विधियों तथा कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को मानीटर करना और उसके लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को सलाह देना;

(ख) सभी संबंधित अभिकरणों के कृत्यों का समन्वय करना;

(ग) इस अधिनियम के कार्यान्वयन के आनुषंगिक या उससे संबंधित किसी अन्य विषय की जांच करना ।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कृत्य ।

31. (1) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग निम्नलिखित कृत्य करेगा, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करना ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करना और संबंधित प्राधिकारियों को आगे कार्रवाई की अपेक्षा करने संबंधी सिफारिशों सहित अपने निष्कर्ष संप्रेषित करना; और

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देना ;

(घ) इस अधिनियम को कार्यान्वित न करने से संबंधित मामले की स्वप्रेरणा से अवेक्षा करना ।

(2) राष्ट्रीय आयोग को, उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, किसी सरकार या स्थानीय या अन्य प्राधिकारी से उस उपधारा में विनिर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में जानकारी मांगने की शक्ति होगी ।

राज्य सरकार की इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए किसी समुचित प्राधिकारी को पदाभिहित करने की शक्ति ।

32. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग या राज्य अनुसूचित जाति आयोग को या ऐसे अन्य कानूनी या अन्य प्राधिकारी को, जो वह ठीक समझे, राज्य में धारा 31 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कृत्यों को, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, करने के लिए पदाभिहित कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित किसी पदाधिकारी को, राज्य में आवश्यक परिवर्तन सहित, धारा 31 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की शक्तियां होंगी ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

स्थानीय प्राधिकारियों और अन्य अभिकरणों का मलनालियों आदि को साफ करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का कर्तव्य ।

33. (1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी और अन्य अभिकरण का यह कर्तव्य होगा कि मल-मूत्र की सफाई करने की प्रक्रिया में उसको हाथ से उठाने की आवश्यकता को खत्म करने की दृष्टि से अपने नियंत्रण के अधीन मलनालियों, मलाशयों और अन्य स्थानों की सफाई के लिए समुचित प्रौद्योगिकी साधनों का प्रयोग करे ।

(2) यह समुचित सरकार का कर्तव्य होगा कि वह वित्तीय सहायता, प्रोत्साहनों के माध्यम से और अन्यथा, उपधारा (1) में यथावर्णित आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दे ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

34. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी समुचित सरकार या समुचित सरकार के किसी अधिकारी या किसी समिति के किसी सदस्य के विरुद्ध नहीं होगी ।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जित होना ।

35. किसी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी मामले के संबंध में, जिसको इस अधिनियम का कोई उपबंध लागू होता है, अधिकारिता नहीं होगी और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में कोई व्यादेश किसी सिविल न्यायालय द्वारा नहीं दिया जाएगा।

समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

36. (1) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन मास से अनधिक की अवधि के भीतर, नियम बनाएगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन किसी नियोजक की बाध्यता;

(ख) वह रीति, जिसमें धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) और खंड (छ) के अधीन मल–मूत्र का पूर्णतया विघटन किया जाता है;

(ग) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अस्वच्छ शौचालय के सर्वेक्षण और उसकी सूची के प्रकाशन की रीति ;

(घ) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन किसी अस्वच्छ शौचालय को तोड़ने की सूचना देने और उस पर व्यय की वसूली की प्रक्रिया ;

(ङ) धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन सर्वेक्षण की अन्तर्वस्तु और पद्धति;

(च) धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की पहचान के लिए पात्रता शर्तें और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में कार्य करते पाए गए व्यक्तियों की अनंतिम सूची का प्रकाशन;

(छ) धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में कार्य करते पाए गए व्यक्तियों की अंतिम सूची का प्रकाशन;

(ज) नगरपालिका के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, यथास्थिति, धारा 12 की उपधारा (1) या धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने की रीति;

(झ) धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) के अधीन प्रारंभिक, एक बार, नकद सहायता का उपबंध;

(ञ) धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन निरीक्षकों की ऐसी अन्य शक्तियां; और

(ट) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(4) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान–मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष, और जहां राज्य विधान–मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

आदर्श नियम बनाए जाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

37. (1) इस अधिनियम की धारा 36 में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकारों के मार्गदर्शन और उपयोग के लिए आदर्श नियम प्रकाशित करेगी ; और

(ख) यदि, राज्य सरकार इस अधिनियम की धारा 36 के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट तीन मास की अवधि के भीतर आदर्श नियमों को अधिसूचित करने में असफल रहती है तो ऐसे राज्य में राज्य सरकार द्वारा अपने नियम अधिसूचित किए जाने तक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित आदर्श नियम यथावश्यक परिवर्तन सहित प्रभावी समझे जाएंगे ।

(2) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए आदर्श नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करते हैं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

38. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत हों :

परंतु ऐसा कोई आदेश किसी राज्य में इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उस राज्य के संबंध में नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

छूट देने की शक्ति।

39. (1) समुचित सरकार, राजपत्र में प्रकाशित किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी क्षेत्र, भवनों के प्रवर्ग या व्यक्तियों के वर्ग को, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अधिरोपित की जाएं, इस अधिनियम के उपबंधों से या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, आदेश, अधिसूचना, उपविधि या स्कीम में अंतर्विष्ट किसी विनिर्दिष्ट अपेक्षा से छूट दे सकेगी या मामलों के किसी वर्ग या वर्गों में किसी ऐसी अपेक्षा के पालन से एक समय में छह मास से अनधिक की किसी अवधि के लिए अभिमुक्त कर सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक साधारण या विशेष आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 26)

[18 सितम्बर, 2013]

विमानन प्रबंधन, नीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विमानन पर्यावरण के क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विमानन संबंधी अध्ययनों और अनुसंधान को, विमानन क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विमानन संबंधी रक्षा और सुरक्षा विनियमों के शासी क्षेत्रों और अन्य संबंधित क्षेत्रों में क्वालिटीयुक्त मानव संसाधनों को उत्पन्न करने के लिए, प्रशिक्षण को सुकर बनाने तथा उसका संवर्धन करने के लिए एक राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''विद्या परिषद्'' से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) ''शैक्षणिक कर्मचारिवृंद'' से ऐसे प्रवर्गों के कर्मचारिवृंद अभिप्रेत हैं जो अध्यादेशों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के रूप में पदाभिहित किए गए हैं;

(ग) ''विद्यापीठों का बोर्ड'' से विश्वविद्यालय के विद्यापीठों का बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) ''कैंपस'' से शिक्षण, अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या गठित इकाई अभिप्रेत है;

(ङ) ''कुलाधिपति और कुलपति'' से क्रमशः विश्वविद्यालय का कुलाधिपति और कुलपति अभिप्रेत है;

(च) ''महाविद्यालय'' से ऐसा महाविद्यालय अभिप्रेत है जो विमानन अध्ययनों में और उसकी सहयुक्त विद्या शाखाओं में शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जा रहा है या जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त हैं;

(छ) ''सभा'' से विश्वविद्यालय की सभा अभिप्रेत है;

(ज) ''विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष'' से किसी महाविद्यालय, संकाय या किसी विश्वविद्यालय के किसी प्रभाग का कोई प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी अभिप्रेत है;

(झ) ''विभाग'' से अध्ययन विभाग अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्ययन केन्द्र भी है;

(ञ) ''महानिदेशक'' से सिविल विमानन का महानिदेशक अभिप्रेत है;

(ट) ''दूर शिक्षा पद्धति'' से संचार के किसी साधन के माध्यम से, जैसे प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण, इंटरनेट, पत्राचार पाठ्यक्रम, विचार गोष्ठी, संपर्क कार्यक्रम, ई-लर्निंग या ऐसे साधनों के संयोजन द्वारा शिक्षा देने की पद्धति अभिप्रेत है ;

(ठ) ''कर्मचारी'' से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारिवृंद भी हैं;

(ड) ''कार्य परिषद्'' से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् अभिप्रेत है;

(ढ) ''वित्त समिति'' से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;

(ण) ''छात्र निवास'' से विश्वविद्यालय के या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या किसी संस्था के छात्रों के लिए निवास की कोई इकाई अभिप्रेत है;

(त) ''संस्था'' से विमानन अध्ययनों में या उसकी सहयुक्त विद्या शाखाओं में शिक्षा देने, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त कोई संस्था, विद्यापीठ, महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र अभिप्रेत है;

(थ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

(द) ''अपतट कैंपस'' से देश के बाहर स्थापित विश्वविद्यालय की कोई संस्था, महाविद्यालय, केन्द्र, विद्यापीठ या कैंपस अभिप्रेत है;

(ध) ''प्राचार्य'' से किसी महाविद्यालय या किसी संस्था का प्रधान अभिप्रेत है;

(न) ''मान्यताप्राप्त संस्था'' से विमानन अध्ययनों या उसकी सहयुक्त विद्या शाखाओं में शिक्षा देने के लिए विश्वविद्यालय की विशेषाधिकार प्राप्त कोई संस्था अभिप्रेत है;

(प) ''मान्यताप्राप्त शिक्षक'' से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त किसी महाविद्यालय या किसी संस्था में शिक्षण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त है;

(फ) "विद्यापीठ" से विश्वविद्यालय का कोई अध्ययन विद्यापीठ अभिप्रेत है;

(ब) "परिनियमों", "अध्यादेशों" और "विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमश: परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(भ) "विश्वविद्यालय के शिक्षक" से आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, उपाचार्य, ज्येष्ठ प्राध्यापक, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिन्हें विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षण प्रदान करने या अनुसंधान करने के लिए या विश्वविद्यालय के किसी अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए नियुक्त और मान्यता दी जाए जो परिनियमों द्वारा शिक्षक के रूप में पदाभिहित हैं;

(म) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन स्थापित राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

1956 का 3

(य) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन स्थापित आयोग अभिप्रेत है।

विश्वविद्यालय की स्थापना।

3. (1) "राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय" के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के रायबरेली जिले के फुर्सतगंज में होगा।

(3) विश्वविद्यालय अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसे अन्य स्थानों पर, जो वह ठीक समझे, कैंपस और केन्द्रों की स्थापना कर सकेगा या चला सकेगा।

(4) प्रथम कुलाधिपति, प्रथम कुलपति, सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और ऐसे सभी व्यक्ति, जो आगे चलकर ऐसे अधिकारी या सदस्य बनें, जब तक वे ऐसे पद या सदस्यता को धारण करते रहें, विश्वविद्यालय का गठन करेंगे।

(5) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी और वह उस नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

(6) विश्वविद्यालय एक अध्यापन, अनुसंधान और सहबद्ध विमानन विश्वविद्यालय होगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य।

4. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे,—

(i) विमानन प्रबंध, विमानन विनियम और नीति, विमानन इतिहास, विमानन विज्ञान और इंजीनियरी, विमानन विधि, विमानन रक्षा और सुरक्षा, विमानन आयुर्विज्ञान, तलाश और बचाव, खतरनाक माल का परिवहन, पर्यावरण अध्ययनों और अन्य संबंधित क्षेत्र जैसे अध्ययनों के नए-नए क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ विमानन अध्ययनों, अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विस्तार कार्य को सुकर बनाना और उनका संवर्धन करना और नए-नए क्षेत्रों और ऐसे क्षेत्रों में, जो भविष्य में सामने आएं, उनमें और उनसे संबंधित क्षेत्रों में भी उत्कृष्टता प्राप्त करना;

(ii) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जो वह ठीक समझे, संस्थागत और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करके ज्ञान की अभिवृद्धि और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रबंध, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा सम्बन्धित विद्या शाखाओं के प्रमुख और सीमांत क्षेत्रों में एकीकृत पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना;

(iii) विमानन प्रौद्योगिकी में शिक्षण और छात्रवृत्ति के लिए परिवेश का सृजन करना;

(iv) मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा भारत में प्रस्थापित विमानन शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों की क्वालिटी को सुनिश्चित करने और विनियमित करने के लिए समुचित उपाय करना;

(v) कुशल विमानन जनशक्ति, जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रवर्ग के विमानन कार्मिक भी हैं, के विकास को सुकर बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक मानकों का विकास करना और ऐसे अन्य उपाय करना, जो वह ठीक समझे;

(vi) हवाई कंपनी प्रबंध और विपणन से लेकर विमानपत्तन प्रबंध, विनियमन और विमानन विधि, विमानन रक्षा और सुरक्षा तक हवाई कंपनी, विमानपत्तन, विमान प्राधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम और कोई अन्य कार्यक्रम विकसित करना और विमानन क्षेत्र में जनशक्ति को प्रशिक्षित करना;

(vii) अध्यापन-शिक्षण प्रक्रिया में नवीन प्रक्रियाओं को प्रोन्नत करने और अंतर्विषयक अध्ययनों और अनुसंधान करने के लिए समुचित उपाय करना ।

विश्वविद्यालय की शक्तियां।

5. (1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(i) विमानन संबंधी प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी और आयुर्विज्ञान में या ऐसी शाखाओं में जो विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए व्यवस्था करना;

(ii) विमानन प्रशिक्षण महाविद्यालयों और संस्थानों को मान्यता प्रदान करना और ऐसे महाविद्यालयों और संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के स्तर को बनाए रखने और विशेष अध्ययनों को प्रारंभ करने के लिए उपबंध करना;

(iii) प्रशिक्षण और विशेषीकृत अध्ययनों के लिए कैंपस, विभाग, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, संग्रहालय, अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करना और उनको चलाना;

(iv) छात्रावास, स्वास्थ्य केन्द्र, सभा भवन, क्रीड़ा स्थल, व्यायामशाला, तरणताल जैसी और अन्य संबंधित सुविधाओं तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना करना और उनको चलाना;

(v) छात्रों, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद और अन्य के लिए शिक्षा और अनुसंधान, प्रशिक्षण कार्यक्रम और आदान-प्रदान कार्यक्रमों के भाग रूप में विमानन संबंधी विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों की परिकल्पना करने, उन्हें डिजाइन करने और विकसित करने के लिए भारत में या भारत के बाहर किसी अन्य महाविद्यालय या विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्था, औद्योगिक सहयोजन, व्यावसायिक या किन्हीं अन्य संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करना और सहयोग करना;

(vi) मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों के समूह की आवश्यकताओं के लिए कैंपस, महाविद्यालयों और संस्थाओं की स्थापना का उपबंध करना और ऐसे कैंपसों में पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर केन्द्रों और इसी प्रकार के विद्या केन्द्रों के रूप में सामान्य संसाधन केन्द्रों का उपबंध करना और उनको चलाना;

(vii) सिविल विमानन के क्षेत्र में डिप्लोमा, उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने की दशा में शैक्षणिक कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को तैयार करना;

(viii) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, अनुज्ञप्त विमानन कार्मिक की सक्षमताओं के प्रमाणपत्रों से भिन्न ऐसी डिग्रियां जिनके अंतर्गत डाक्टरेट डिग्री भी है, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करना, जो केन्द्रीय सरकार के अन्यथा विनिश्चित किए जाने तक सिविल विमानन महानिदेशक, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते रहेंगे और परीक्षाओं, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य प्रणाली के आधार पर व्यक्तियों को उपाधियां और अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियां प्रदान करना तथा उचित और पर्याप्त कारण होने पर ऐसी कोई डिग्री, जिसके अंतर्गत डाक्टरेट डिग्री भी है, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों को वापस लेना;

(ix) परिनियमों द्वारा विहित रीति से सम्मानिक उपाधियां या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(x) निवेशबाह्य अध्ययन, प्रशिक्षण और विस्तार सेवाओं का आयोजन करना और उनका भार अपने ऊपर लेना;

(xi) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित निदेशक पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सह आचार्य पद, सहायक आचार्य पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना और ऐसे प्राचार्य पद, आचार्य पद, सह आचार्य पद, सहायक आचार्य पद या शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(xii) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निदेशकों, प्राचार्यों और शिक्षकों तथा शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के अन्य सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तों का उपबंध करना;

(xiii) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्त करना;

(xiv) उच्चतर विद्या की किसी संस्था को ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(xv) शिक्षकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कर्मशालाएं, विचारगोष्ठी और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना;

(xvi) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं, विद्वानों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि में योगदान दे सकें, संविदा पर या अन्यथा नियुक्त करना ;

(xvii) विश्वविद्यालय में शिक्षण, गैर शिक्षण, प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(xviii) भारत में या देश के बाहर स्थित किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या उच्चतर विद्या की संस्था के साथ ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार या सहयोग करना या सहयुक्त होना;

(xix) विश्वविद्यालय की विशेषाधिकार प्राप्त किसी संस्था में शिक्षण देने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति का अनुमोदन करना और ऐसे अनुमोदन को वापस लेना;

(xx) मान्यताप्राप्त संस्थाओं का, उक्त प्रयोजन के लिए स्थापित समुचित मशीनरी के माध्यम से निरीक्षण करना और यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना कि उनके द्वारा शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण के उचित मानकों का पालन किया जा रहा है और उसके लिए यथायोग्य पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अस्पताल, कर्मशाला और अन्य शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(xxi) एक ही और समान क्षेत्रों में कार्य करने वाले विभिन्न महाविद्यालयों और संस्थाओं के कार्य का समन्वय करना;

(xxii) कम्प्यूटर केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, सहायता केन्द्र, पुस्तकालय, अनुरूपक जैसी प्रसुविधाओं या अनुसंधान और शिक्षण के लिए ऐसी अन्य इकाइयों की स्थापना करना, जो विश्वविद्यालय की राय में, उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;

(xxiii) विभिन्न विषयों के लिए पाठ्यक्रम विकास केन्द्रों की स्थापना करना;

(xxiv) ऐसे महाविद्यालयों और संस्थाओं को, जो विश्वविद्यालय द्वारा नहीं चलाई जाती हैं, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना और उन सभी या उनमें से किन्हीं विशेषाधिकारों का ऐसी शर्तों के अनुसार जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, वापस लेना;

(xxv) ऐसे छात्र निवासों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा नहीं चलाए जाते हैं, और छात्रों के लिए अन्य वास-सुविधाओं को मान्यता देना, उनका मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(xxvi) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए व्यवस्था करना और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों से ऐसे ठहराव करना जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(xxvii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना जिसके अंतर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति भी हो सकेगी;

(xxviii) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, सहायक वृत्ति, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;

(xxix) फीसों और अन्य प्रभारों के संदाय की मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(xxx) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवासों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबंध करना;

(xxxi) महिला छात्रों के संबंध में ऐसे विशेष इंतजाम करना, जो विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(xxxii) विश्वविद्यालय के छात्रों के आचरण को विनियमित करना;

(xxxiii) विभागों, मान्यताप्राप्त संस्थाओं, विद्यापीठों और अध्ययन केन्द्रों में अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों के प्रवेश का नियंत्रण और विनियमन करना;

(xxxiv) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के कार्य और आचरण को विनियमित करना;

(xxxv) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन को विनियमित करना और उसे प्रवर्तित कराना तथा इस संबंध में ऐसे अनुशासन संबंधी उपाय करना जो आवश्यक समझे जाएं;

(xxxvi) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबंध करना;

(xxxvii) व्यक्तियों से उपकृति, संदान और दान प्राप्त करना और ऐसी कुर्सियों, संस्थाओं, भवनों और इसी प्रकार के स्थानों पर उनका नामांकन करना जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, विश्वविद्यालय को उनके दान या संदान की राशि वह होगी जो विश्वविद्यालय विनिश्चित करे;

(xxxviii) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए किसी स्थावर या जंगम संपत्ति को, जिसके अंतर्गत न्यास और विन्यास संपत्ति भी है, अर्जित करना, धारण करना, उसका प्रबंध करना और व्ययन करना;

(xxxix) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेना;

(xl) विषयों, विशेषज्ञता के क्षेत्रों, तकनीकी जनशक्ति की शिक्षा और प्रशिक्षण के स्तरों के निबंधनों के अनुसार छात्रों की आवश्यकताओं का अल्पकालीन और दीर्घकालीन, दोनों आधारों पर निर्धारण करना और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यक्रम आरंभ करना;

(xli) पूरक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए उद्योग का सहयोग प्राप्त करने के उपाय प्रारम्भ करना;

(xlii) "दूर शिक्षण" और "मुक्त विचारधारा" के माध्यम से शिक्षण का अनौपचारिक मुक्त शिक्षण धारा से औपचारिक धारा में छात्रों में और विपर्ययेन बनाने के लिए उपबंध करना;

(xliii) अनुसंधान और शिक्षण के ऐसे कैंपस, विशेष केन्द्र, विशेषित प्रयोगशालाएं या अन्य इकाइयां स्थापित करना, जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं;

(xliv) यथास्थिति, किसी महाविद्यालय या किसी संस्था या विभाग को, परिनियमों के अनुसार स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना;

(xlv) उद्योग और संस्थाओं के कर्मचारियों के विमानन मानक को उन्नत करने के लिए ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और ऐसे प्रशिक्षण के लिए ऐसी फीस उद्गृहीत करना, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं;

(xlvi) विश्वविद्यालय के लक्ष्यों और उद्देश्यों की उन्नति के लिए जब कभी यह आवश्यक समझा जाए, देश के बाहर किसी स्थान पर अपतंट कैंपस की स्थापना करना;

(xlvii) ऐसे सभी अन्य कार्य और बातें करना जो उसके सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

(2) विश्वविद्यालय, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिक्षण और अनुसंधान का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप और उच्चतर संभव स्तरमान बनाए रखने का प्रयास करेगा।

अधिकारिता।

6. विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा।

विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना।

7. विश्वविद्यालय सभी स्त्रियों और पुरुषों के लिए चाहे वे किसी भी जाति, पंथ, मूलवंश या वर्ग के हों, खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश पाने या उपाधि प्राप्त करने या उसके किसी विशेष अधिकार का उपभोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने के लिए कोई धार्मिक विश्वास या मान्यता संबंधी मानदंड अपनाएं या उन पर अधिरोपित करें:

परंतु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को स्त्रियों, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त या समाज के दुर्बल वर्गों और विशिष्टतया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के नियोजन या शिक्षा संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी:

परंतु यह और कि ऐसा कोई भी विशेष उपबंध अधिवास के आधार पर नहीं किया जाएगा।

विश्वविद्यालय की निधि।

8. (1) विश्वविद्यालय की एक निधि होगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा,—

(क) केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी परिकरण द्वारा किया गया कोई अंशदान या अनुदान;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा किया गया कोई अंशदान या अनुदान;

(ग) भारतीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों प्रकार की विमानन कंपनियों और विमानन उद्योग से मिला कोई अंशदान;

(घ) किसी प्राइवेट व्यष्टि या संस्था द्वारा की गई कोई वसीयत, संदान, विन्यास या अन्य अनुदान;

(ङ) फीसों और प्रभारों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त आय;

(च) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त धनराशियां।

(2) उक्त निधि विश्वविद्यालय के ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी रीति में उपयोग की जाएगी जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए।

कुलाध्यक्ष।

9. (1) भारत का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा :

परंतु राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, किसी भी व्यक्ति को कुलाध्यक्ष नामनिर्दिष्ट कर सकेगा और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट ऐसा व्यक्ति पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद धारण करेगा और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति कुलाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(2) कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा प्रबंधित महाविद्यालय और संस्थाएं भी हैं, कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए और उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, समय-समय पर एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा; और उस रिपोर्ट की प्राप्ति पर कुलाध्यक्ष, उस पर कुलपति के माध्यम से कार्य परिषद् के विचार अभिप्राप्त करने के पश्चात् ऐसी कार्रवाई कर सकेगा और ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह रिपोर्ट में चर्चित विषयों में किसी के बारे में आवश्यक समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा।

(3) कुलाध्यक्ष को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा उपस्कर का और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्यालय, संस्था या कैंपस का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की गई परीक्षाओं, दिए गए शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों या संस्थाओं के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी मामले की बाबत उसी रीति से निरीक्षण कराने का अधिकार होगा।

(4) कुलाध्यक्ष, उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना,—

(क) विश्वविद्यालय को देगा, यदि ऐसा निरीक्षण या जांच, विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था के संबंध में है; या

(ख) महाविद्यालय या संस्था के प्रबंध-मंडल को देगा, यदि निरीक्षण या जांच विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय या संस्था के संबंध में है और, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या प्रबंध-मंडल को, कुलाध्यक्ष को ऐसा अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा जो वह आवश्यक समझे।

(5) कुलाध्यक्ष, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या प्रबंध-मंडल द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, ऐसा निरीक्षण या जांच करा सकेगा जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट है।

(6) जहां कुलाध्यक्ष द्वारा कोई निरीक्षण या जांच कराई गई है वहां, यथास्थिति, विश्वविद्यालय, एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में वैयक्तिक रूप से उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(7) यदि निरीक्षण या जांच, विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था के संबंध में की जाती है तो कुलाध्यक्ष ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को संबोधित कर सकेगा और उस पर कार्रवाई करने के संबंध में ऐसे विचार और ऐसी सलाह दे सकेगा जो कुलाध्यक्ष देना चाहे, और कुलाध्यक्ष से संबोधन की प्राप्ति पर कुलपति तुरंत कार्य परिषद् को निरीक्षण या जांच के परिणाम और कुलाध्यक्ष के विचार तथा ऐसी सलाह संसूचित करेगा जो कुलाध्यक्ष द्वारा उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में दी गई हो।

(8) यदि निरीक्षण या जांच, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्था के संबंध में की जाती है तो कुलाध्यक्ष, ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में उस पर अपने विचार और ऐसी सलाह जो वह उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में देना चाहे, कुलपति के माध्यम से संबंधित प्रबंध-मंडल को संबोधित कर सकेगा।

(9) यथास्थिति, कार्य परिषद् या प्रबंध-मंडल, कुलपति के माध्यम से कुलाध्यक्ष को ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, संसूचित करेगा जो वह ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप करने की प्रस्थापना करता है या की गई है।

(10) जहां कार्य परिषद् या प्रबंध-मंडल, कुलाध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में कोई कार्रवाई उचित समय के भीतर नहीं करता है वहां कुलाध्यक्ष, कार्य परिषद् या प्रबंध-मंडल द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे और कार्य परिषद् ऐसे निदेशों का पालन करेगी।

(11) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्यवाही को, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप नहीं हैं, लिखित आदेश द्वारा निष्प्रभाव कर सकेगा:

परन्तु कोई ऐसा आदेश करने से पहले, कुलाध्यक्ष, कुलसचिव से इस बात का कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए और यदि उचित समय के भीतर कोई कारण बताया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा।

(12) पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश दे सकेगा जो परिस्थितियों के आधार पर उचित हो।

(13) कुलाध्यक्ष को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

10. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे—

(1) कुलाधिपति;

(2) कुलपति;

(3) विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष;

(4) कुलसचिव;

(5) वित्त अधिकारी;

(6) परीक्षा नियंत्रक; और

(7) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

कुलाधिपति।

11. (1) कुलाधिपति की नियुक्ति, कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) कुलाधिपति, अपने पदाभिधान से, विश्वविद्यालय का प्रधान होगा।

(3) यदि कुलाधिपति उपस्थित है तो उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा।

कुलपति। 12. (1) कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से, उतनी अवधि के लिए और ऐसी उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(3) यदि कुलपति की यह राय है कि किसी मामले में तुरन्त कार्रवाई आवश्यक है तो वह किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त है और अपने द्वारा उस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उस प्राधिकारी को देगा :

परन्तु यदि संबंधित प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो वह ऐसा मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर सकेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित है, उस तारीख से, जिसको ऐसी कार्रवाई का विनिश्चय उसे संसूचित किया जाता है नब्बे दिन के भीतर उस कार्रवाई के विरुद्ध कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तब कार्य परिषद् कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट कर सकेगी, उपांतरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी।

(4) यदि कुलपति की यह राय है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी की शक्तियों के बाहर है या किया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह संबंधित प्राधिकारी से अपने विनिश्चय का, ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर पुनर्विलोकन करने के लिए कह सकेगा और यदि वह प्राधिकारी उस विनिश्चय का पूर्णत: या भागत: पुनर्विलोकन करने से इंकार करता है या उसके द्वारा उक्त साठ दिन की अवधि के भीतर कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा :

परंतु, संबंधित प्राधिकारी का विनिश्चय इस उपधारा के अधीन, यथास्थिति, प्राधिकारी या कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसे विनिश्चय के पुनर्विलोकन की अवधि के दौरान निलंबित रहेगा।

(5) कुलपति किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश करे, किसी ऐसे महाविद्यालय या किसी संस्था, जो विश्वविद्यालय द्वारा नहीं चलाई जा रही हो, उसके भवनों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और उपस्कर का और महाविद्यालय या संस्था द्वारा संचालित की जा रही परीक्षाओं, अध्यापन और किए जा रहे अन्य कार्य का भी निरीक्षण करवा सकेगा और महाविद्यालयों या संस्थाओं के शिक्षा और अन्य शैक्षणिक क्रियाकलापों की क्वालिटी से संबद्ध किसी विषय के संबंध में, उसी रीति में कोई जांच करवा सकेगा।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष। 13. प्रत्येक विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

कुलसचिव। 14. (1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(3) कुलसचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

वित्त अधिकारी। 15. वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

परीक्षा नियंत्रक। 16. परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

अन्य अधिकारी। 17. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निबंधन और शर्तें और उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण। 18. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्:—

(1) सभा;

(2) कार्य परिषद्;

(3) विद्या परिषद्;

(4) सहबद्ध और मान्यता बोर्ड;

(5) विद्यापीठों का बोर्ड;

(6) वित्त समिति; और

(7) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं।

सभा। 19. (1) सभा का गठन तथा उसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी:

परंतु उतनी संख्या में सदस्य जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों में से निर्वाचित किए जाएंगे।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभा की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय सुझाना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर तथा ऐसे लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(ग) कुलाध्यक्ष को किसी ऐसे मामले की बाबत सलाह देना जो उसे सलाह के लिए निर्देशित किया जाए; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

कार्य परिषद्। 20. (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा:

परंतु प्रथम कार्य परिषद् का गठन किए जाने तक नागर विमानन मंत्रालय की विषय निर्वाचन समिति अंतरिम कार्य परिषद् के रूप में कार्य करेगी।

(2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे:

परंतु उतने सदस्य, जितने परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं, सभा के निर्वाचित सदस्यों में से होंगे।

विद्या परिषद्। 21. (1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के भीतर शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के मानकों को बनाए रखने का नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण रखेगी और उनको बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगी और परिनियमों द्वारा यथा विहित ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी, जो उसे प्रदत्त की जाएं और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जो उस पर अधिरोपित किए जाएं।

(2) विद्या परिषद् को सभी शैक्षणिक विषयों पर कार्य परिषद् को सलाह देने का अधिकार होगा।

(3) विद्या परिषद् का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि वह होगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

सहबद्ध और मान्यता बोर्ड।

22. (1) सहबद्ध और मान्यता बोर्ड महाविद्यालयों और संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) सहबद्ध और मान्यता बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

विद्यापीठों का बोर्ड।

23. (1) विद्यापीठों के उतने बोर्ड होंगे जितने विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे।

(2) विद्यापीठों के बोर्डों का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य वे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

वित्त समिति।

24. वित्त समिति का गठन, उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण।

25. ऐसे अन्य प्राधिकरणों का, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में घोषित किए जाएं, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य, परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

परिनियम बनाने की शक्ति।

26. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों का, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकरणों और निकायों के सदस्यों का निर्वाचन और उनका पदों पर बने रहना, सदस्यों के पदों की रिक्तियों का भरा जाना तथा उन प्राधिकरणों और अन्य निकायों से संबंधित अन्य सभी ऐसे विषय जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निबंधन और शर्तें, उनकी शक्तियां, उपलब्धियां तथा ऐसे कृत्य जिनका ऐसे प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग और पालन किया जा सकेगा;

(घ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, उनकी उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें:

परंतु शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद और अन्य कर्मचारियों के निबंधनों और शर्तों में उनके लिए अलाभकर परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(ङ) किसी संयुक्त परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में काम करने वाले शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति की रीति, उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें तथा उपलब्धियां;

(च) कर्मचारियों की सेवा की शर्तें जिनके अंतर्गत पेंशन, बीमा और भविष्य-निधि, सेवा समाप्ति और अनुशासनिक कार्रवाई की रीति भी है;

(छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धांत;

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामलों में माध्यस्थम् की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण की कार्रवाई के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् को अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) विश्वविद्यालय में मानकों का समन्वयन और अवधारण;

(ट) किसी महाविद्यालय या किसी संस्था या किसी विभाग को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना;

(ठ) विद्यापीठों, विभागों, केन्द्रों, छात्र-निवासों, महाविद्यालयों और संस्थाओं की स्थापना और समाप्ति;

(ङ) मानद उपधियों का प्रदान किया जाना;

(ढ) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं का वापस लिया जाना;

(ण) वे शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों और संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए जा सकेंगे और ऐसे विशेषाधिकारों को वापस लिया जा सकेगा;

(त) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययन वृत्तियां, सहायक वृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(थ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(द) कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन बनाए रखना; और

(ध) ऐसे सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं या किए जा सकेंगे।

परिनियम कैसे बनाए जाएंगे।

27. (1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम नागर विमानन मंत्रालय की विषय निर्वाचन समिति द्वारा विरचित किए जाएंगे और बनाए जाने के पश्चात् उसकी प्रति यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्य परिषद् समय-समय पर, इस धारा में इसके पश्चात् उपबंधित रीति में नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उनका संशोधन या निरसन कर सकेगी:

परन्तु कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम तब तक नहीं बनाएगी, उनका संशोधन या निरसन नहीं करेगी जब तक उस प्राधिकरण को प्रस्थापित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा।

(3) प्रत्येक नए परिनियम या किसी परिनियम के परिवर्धन या परिनियम के किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाध्यक्ष की अनुमति अपेक्षित होगी, जो उस पर अनुमति दे सकेगा या अनुमति विधारित कर सकेगा या उसके द्वारा किए गए संप्रेक्षणों को यदि कोई हों, ध्यान में रखते हुए उसे कार्य परिषद् को उसे पुनः विचार के लिए वापिस भेज सकेगा।

(4) किसी नए परिनियम या विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कुलाध्यक्ष द्वारा उसकी अनुमति न दे दी गई हो।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष, इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक बाद की तीन वर्ष की अवधि के दौरान नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा:

परन्तु कुलाध्यक्ष, तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर, ऐसी समाप्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसे विस्तृत परिनियम, जो वह आवश्यक समझे, बना सकेगा और ऐसे विस्तृत परिनियम संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाएंगे।

(6) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष, अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगा और यदि कार्य परिषद् किसी ऐसे निदेश को, उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाध्यक्ष, कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निदेश का अनुपालन करने में उसकी असमर्थता के लिए संसूचित कारणों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् यथोचित रूप से परिनियमों को बना सकेगा या उन्हें संशोधित कर सकेगा।

अध्यादेश बनाने की शक्ति।

28. (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उस रूप में उनका नाम दर्ज किया जाना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं का प्रदान किया जाना, उनके लिए अर्हताएं और उन्हें प्रदान करने और प्राप्त करने के बारे में किए जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमाओं में प्रवेश के लिए ली जाने वाली फीस;

(च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, सहायक वृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अंतर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और उनके कर्तव्य भी हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए किए जाने वाले विशेष प्रबंध, यदि कोई हों, और उनके लिए विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम विहित करना;

(ञ) उन कर्मचारियों से भिन्न, जिनके लिए परिनियमों में उपबंध किए गए हैं, कर्मचारियों की नियुक्ति और उपलब्धियां;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, विशेष केन्द्रों, विशेषित प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) भारत में या विदेश के अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों के साथ, जिनके अंतर्गत विद्वत् निकाय या संगम भी है, सहकार और सहयोग करने की रीति;

(ड) किसी अन्य ऐसे निकाय का, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाए, सृजन, संरचना और उसके कृत्य;

(ढ) शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारिवृंद की सेवा के ऐसे अन्य निबंधन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित नहीं की गई हैं;

(ण) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालयों और संस्थाओं का पर्यवेक्षण और प्रबंध;

(त) कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना; और

(थ) ऐसे सभी अन्य विषय जिनका इस अधिनियम द्वारा या ऐसे परिनियमों जिनका अध्यादेशों द्वारा उपबंध किया जाए।

(2) प्रथम अध्यादेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे, और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेश, परिनियमों द्वारा विहित रीति में कार्य परिषद् द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरसित या परिवर्धित किए जा सकेंगे।

विनियम।

29. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण स्वयं अपने और अपने द्वारा नियुक्त समितियों के, यदि कोई हों, जिनका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, कार्य संचालन के लिए परिनियमों द्वारा विहित रीति में ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हैं।

वार्षिक रिपोर्ट।

30. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार की जाएगी जिसमें, अन्य विषयों के साथ-साथ, विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए उपाय होंगे और वह सभा को, उस तारीख को या उसके पश्चात् भेजी जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए और सभा अपने वार्षिक अधिवेशन में उस रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) सभा, अपनी टीका-टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाध्यक्ष को भेजेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई ऐसी वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी, जो यथाशीघ्र उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

(4) वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के पश्चात् विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर रखी जाएगी।

वार्षिक लेखे।

31. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन-पत्र, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अंतरालों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, उनकी संपरीक्षा की जाएगी।

(2) वार्षिक लेखाओं की एक प्रति, उन पर संपरीक्षा की रिपोर्ट और कार्य परिषद् के संप्रेक्षणों के साथ, यदि कोई हों, सभा को प्रस्तुत की जाएगी और सभा अपने संप्रेक्षणों के साथ उसे कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाध्यक्ष द्वारा किया गया कोई संप्रेक्षण सभा के ध्यान में लाया जाएगा और सभा के संप्रेक्षण, यदि कोई हों, कार्य परिषद् द्वारा विचार किए जाने के पश्चात् कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(4) संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखाओं की ऐसी प्रति, जो कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत की गई है, केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो उसे यथाशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

(5) संपरीक्षित वार्षिक लेखे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के पश्चात् भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

विवरणी और जानकारी।

32. विश्वविद्यालय, केन्द्रीय सरकार को ऐसी अवधि के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अपनी संपत्ति या क्रियाकलापों से संबंधित ऐसी विवरणियां और अन्य जानकारी देगा, जिसकी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें।

33. (1) विश्वविद्यालय, नियमित आधार पर या अन्यथा नियुक्त विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी के साथ लिखित में सेवा की संविदा करेगा और संविदा के निबंधन और शर्तें, इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों से असंगत नहीं होंगी।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट संविदा की एक प्रति विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को भी दी जाएगी।

माध्यस्थम् अधिकरण।

34. (1) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उद्भूत होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा।

(2) माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चित मामलों के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा:

परंतु इस उपधारा की कोई बात कर्मचारी को संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन उपलब्ध न्यायिक उपचारों का उपभोग करने से निवारित नहीं करेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक ऐसा अनुरोध माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अर्थान्तर्गत में इस धारा के निबंधनों पर माध्यस्थम् के लिए निवेदन समझा जाएगा। 1996 का 26

(4) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी।

छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील और माध्यस्थम् की प्रक्रिया।

35. (1) कोई छात्र या परीक्षार्थी, जिसका नाम विश्वविद्यालय की नामावली से, यथास्थिति, कुलपति, अनुशासन समिति या परीक्षा समिति के आदेशों या संकल्प द्वारा हटाया गया है और जिसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से एक वर्ष से अधिक के लिए विवर्जित किया गया है, वह, उसके द्वारा ऐसे आदेशों की या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर कार्य परिषद् को अपील कर सकेगा और कार्य परिषद्, यथास्थिति, कुलपति या समिति के विनिश्चय को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी या उलट सकेगी।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई से उद्भूत होने वाला कोई विवाद उस छात्र के अनुरोध पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा और धारा 36 के उपबंध, इस उपधारा के अधीन किए गए निर्देश को यथाशक्य लागू होंगे।

अपील करने का अधिकार।

36. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण अथवा किसी महाविद्यालय या संस्था के प्राचार्य के किसी विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे समय के भीतर, जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तब कार्य परिषद् उस विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी या उलट सकेगी।

भविष्य निधि और पेंशन निधि।

37. (1) विश्वविद्यालय, अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति मे और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जो वह ठीक समझे।

1925 का 19

(2) जहां ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का इस प्रकार गठन किया गया है वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण और निकायों के गठन के बारे में विवाद।

38. यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

समितियों का गठन।

39. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को, इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गई है, वहां ऐसी समितियां, अन्यथा उपबंध के सिवाय, संबद्ध प्राधिकरण के सदस्यों से और ऐसे अन्य व्यक्ति से, यदि कोई हो, मिलकर बनेगी जैसा प्रत्येक मामले में प्राधिकरण उचित समझे।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना।

40. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्यों में (पदेन सदस्यों से भिन्न) सभी आकस्मिक रिक्तियां यथाशीघ्र सुविधानुसार ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त निर्वाचित या सहयोजित किया था और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति, ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य उस शेष अवधि के लिए होगा, जिस तक वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण या निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना।

41. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां हैं।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

42. इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होंगी।

1872 का 1

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को साबित करने का ढंग।

43. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज जो विश्वविद्यालय के कब्जे में हैं या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से रखे गए किसी रजिस्टर की

किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, यदि, कुलसचिव द्वारा सत्यापित कर दी जाती है तो उस दशा में, जिसमें उसकी मूल प्रति पेश की जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य होती, उस रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर की प्रविष्टि के अस्तित्व के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ले ली जाएगी और उससे संबंधित मामलों और संव्यवहारों के साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

44. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना।

45. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और उसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाला जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम, अध्यादेश या विनियम में किसी परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो, तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिनियम, अध्यादेश या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु परिनियम, अध्यादेश या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) परिनियम, अध्यादेश या विनियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों या उनमें से किसी को उस तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्वतर न हो, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी होगी किन्तु किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम को भूतलक्षी प्रभाव इस प्रकार नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा परिनियम, अध्यादेश या विनियम लागू हो, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

संक्रमणकालीन उपबंध।

46. इस अधिनियम और परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति, कुलाध्यक्ष द्वारा, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों पर नियुक्त किए जाएंगे, जो ठीक समझी जाएं और उक्त प्रत्येक अधिकारी पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेंगे जो कुलाध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;

(ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी, कुलपति की सिफारिश पर, कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उक्त प्रत्येक अधिकारी तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा;

(ग) प्रथम सभा और प्रथम कार्य परिषद् में क्रमशः दस से अनधिक और दस ऐसे सदस्य होंगे जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और वे तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे;

(घ) प्रथम विद्या परिषद् में, कार्य परिषद् के सदस्यों से अनधिक सदस्य होंगे और वे तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे:

परन्तु यदि उपरोक्त पदों या प्राधिकरणों में कोई रिक्ति होती है तो वह कुलाध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, नियुक्ति करके या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक वह अधिकारी या सदस्य, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति या नामनिर्देशन किया गया है, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती तो, पद धारण करता।

विश्वविद्यालय के सहबद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं में अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरा करना।

47. इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों में किसी बात के होते हुए भी, किसी महाविद्यालय या संस्था के ऐसे छात्र को जो विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय या संस्था में प्रवेश से ठीक पहले, किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी विश्वविद्यालय की उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र के लिए अध्ययन कर रहा था, विश्वविद्यालय द्वारा, यथास्थिति, उस उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र हेतु अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और विश्वविद्यालय, यथास्थिति, ऐसे महाविद्यालय या संस्था या विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुसार ऐसे छात्र के शिक्षण और परीक्षा की व्यवस्था करेगा।

केन्द्रीय सरकार की भूमिका।

48. (1) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा, जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर उसे लिखित में दे।

(2) केन्द्रीय सरकार का इस बारे में विनिश्चय कि कोई प्रश्न नीति विषयक है या नहीं, अंतिम होगा।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 27)

[20 सितम्बर, 2013]

वक्फ अधिनियम, 1995 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

बृहत्त नाम का संशोधन।

1995 का 43

2. वक्फ अधिनियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के बृहत्त नाम में, "वक्फ" शब्द के स्थान पर, "औक़ाफ़" शब्द रखा जाएगा।

धारा 1 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) में, "वक्फ" शब्द के स्थान पर, "वक्फ" शब्द रखा जाएगा।

कतिपय पदों के प्रतिनिर्देश के स्थान पर कतिपय अन्य पदों के प्रतिनिर्देश का प्रतिस्थापन।

4. संपूर्ण मूल अधिनियम में, "वक्फ", "वक्फों" और "वाकिफ" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं क्रमशः "वक्फ", "औक़ाफ़" और "वाक़िफ़" शब्द रखे जाएंगे और ऐसे अन्य पारिमाणिक संशोधन भी किए जाएंगे, जो व्याकरण के नियमों द्वारा अपेक्षित हों।

धारा 3 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(i) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(ङङ) "अधिक्रमणकर्ता" से वक्फ संपत्ति का विधि के प्राधिकार के बिना संपूर्ण या भागत:, अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति अथवा संस्था, सार्वजनिक या निजी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जिसकी अभिधृति, पट्टा या अनुज्ञप्ति समाप्त हो गई है या मुतवल्ली या बोर्ड द्वारा पर्यवसित कर दी गई है;';

(ii) खंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(छ) "ओक़ाफ़ की सूची" से धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित या धारा 37 के अधीन रखे गए ओक़ाफ़ के रजिस्टर में अंतर्विष्ट ओक़ाफ़ की सूची अभिप्रेत है;';

(iii) खंड (झ) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'परंतु यह और कि "मुतवल्ली" भारत का नागरिक होगा और ऐसी अन्य अर्हताएं पूरी करेगा, जो विहित की जाएं:

परंतु यह भी कि यदि वक्फ में कोई अर्हताएं विनिर्दिष्ट की हैं तो ऐसी अर्हताएं, उन नियमों में उपबंधित की जा सकेंगी, जो राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएं;';

(iv) खंड (ट) के उपखंड (i) में, "खानगाह" और "इबादत" शब्दों के स्थान पर, क्रमश: "ख़ानक़ाह, पीरख़ाना और कर्बला" और "नमाज अदा" शब्द रखे जाएंगे;

(v) खंड (द) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(द) "वक्फ" से किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो मुस्लिम विधि द्वारा पवित्र, धार्मिक या पूर्त माना गया है, किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का स्थायी समर्पण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत है:—

(i) उपयोगकर्ता द्वारा कोई वक्फ किन्तु ऐसे वक्फ का केवल इस कारण वक्फ होना समाप्त नहीं हो जाएगा कि उसका उपयोग करने वाला समाप्त हो गया है चाहे ऐसी समाप्ति की अवधि कुछ भी हो;

(ii) कोई शामलात पट्टी, शामलात देह, जुमला मलक्कन या राजस्व अभिलेख में दर्ज कोई अन्य नाम;

(iii) "अनुदान" जिसके अंतर्गत किसी प्रयोजन के लिए मशरत-उल-खिदमत भी है, जिन्हें मुस्लिम विधि द्वारा पवित्र, धार्मिक या पूर्त माना गया है; और

(iv) वक्फ-अलल-औलाद वहां तक जहां तक कि संपत्ति का समर्पण किसी ऐसे प्रयोजन के लिए किया गया है जो मुस्लिम विधि द्वारा पवित्र, धार्मिक या पूर्त माना गया है, परंतु जब कोई उत्तराधिकारी नहीं रह जाता है तो वक्फ की आय शिक्षा, विकास, कल्याण और मुस्लिम विधि द्वारा यथा मान्यताप्राप्त ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए खर्च की जाएगी,

और "वाकिफ" से ऐसा समर्पण करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;'।

धारा 4 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(क) उपधारा (1) में, "इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को राज्य में विद्यमान वक्फों का" शब्दों के स्थान पर, "राज्य में ओक़ाफ़ का" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) प्रत्येक राज्य सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट ओक़ाफ़ की सूची रखेगी और ओक़ाफ़ का सर्वेक्षण, यदि ऐसा सर्वेक्षण वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारंभ से पूर्व नहीं किया गया था, तो वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि से भीतर पूरा किया जाएगा:

परंतु जहां वक्फ का कोई सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त नहीं किया गया है, वहां ऐसे प्रारंभ की तारीख से तीन मास के भीतर ओक़ाफ़ के लिए एक सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त किया जाएगा।";

(ग) उपधारा (6) में—

(i) परन्तुक में "बीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि पहले से अधिसूचित वक्फ सम्पत्तियों की बाद के सर्वेक्षण में पुन: समीक्षा नहीं की जाएगी सिवाय उस मामले में जहां ऐसी सम्पत्ति की स्थिति किसी विधि के उपबंधों के अनुसार परिवर्तित हो गई है।"।

धारा 5 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (2) में, "सूची प्रकाशित करेगा" शब्दों के स्थान पर, "सूची राजपत्र में प्रकाशन के लिए छह मास की अवधि के भीतर उसे सरकार को वापस भेजेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(3) राजस्व प्राधिकारी—

(i) भूमि अभिलेखों को अद्यतन करते समय उपधारा (2) में निर्दिष्ट ओक़ाफ़ की सूची सम्मिलित करेंगे; और

(ii) भूमि अभिलेखों में नामांतरण विनिश्चित करते समय उपधारा (2) में निर्दिष्ट ओक़ाफ़ की सूची पर विचार करेंगे।

(4) राज्य सरकार, उपधारा (2) के अधीन समय-समय पर प्रकाशित सूचियों का अभिलेख रखेगी।"।

धारा 6 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) में,—

(क) "उसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर, "व्यथित कोई व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि धारा 4 की उपधारा (6) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में दूसरे या पश्चात्वर्ती सर्वेक्षण में अधिसूचित ऐसी संपत्तियों की बाबत अधिकरण के समक्ष कोई वाद संस्थित नहीं किया जाएगा।";

(ग) स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा।

धारा 7 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "कोई प्रश्न" शब्दों के स्थान पर, "कोई प्रश्न या विवाद" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "अथवा उसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति," शब्दों के स्थान पर, "अथवा धारा 5 के अधीन ओक़ाफ़ की सूची के प्रकाशन से व्यथित कोई व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(6) अधिकरण को वक्फ संपत्ति के अप्राधिकृत अधिभोग द्वारा हुई नुकसानियों के निर्धारण और ऐसे अप्राधिकृत अधिभोगियों को वक्फ संपत्ति के उनके अवैध अधिभोग के लिए दंडित करने तथा कलक्टर के माध्यम से भू-राजस्व के बकाया के रूप में नुकसानियों को वसूल करने की शक्तियां होंगी:

परंतु जो कोई, लोक सेवक होते हुए, किसी अधिक्रमण को रोकने या हटाने के अपने विधिपूर्ण कर्तव्य में असफल रहेगा, वह दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से, जो प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए, पन्द्रह हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।"।

धारा 8 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

10. मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

सर्वेक्षण के खर्च का राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना।

"8. सर्वेक्षण करने का कुल खर्च, जिसके अंतर्गत इस अध्याय के अधीन ओक़ाफ की सूची या सूचियों के प्रकाशन का खर्च भी है, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।"।

धारा 9 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बोर्डों के कार्यकरण और ओक़ाफ के सम्यक् प्रशासन से संबंधित मामलों में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और बोर्डों को सलाह देने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय वक्फ परिषद् नामक एक परिषद् स्थापित कर सकेगी।

(1क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिषद् ऐसे विवाद्यकों पर और ऐसी रीति में, जो उपधारा (4) और उपधारा (5) के अधीन उपबंधित की जाए, बोर्डों को निदेश जारी करेगी।";

(ख) उपधारा (2) के खंड (ख) में,—

(i) उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ii) राष्ट्रीय ख्याति वाले चार व्यक्ति, जिनमें से एक-एक व्यक्ति प्रशासन या प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, इंजीनियरी या वास्तुविद् और आयुर्विज्ञान के क्षेत्रों से होगा;";

(ii) उपखंड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु उपखंड (i) से उपखंड (viii) के अधीन नियुक्त किए गए सदस्यों में से कम से कम दो सदस्य स्त्रियां होंगी।";

(ग) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(4) यथास्थिति, राज्य सरकार या बोर्ड, राज्य में वक्फ बोर्डों के कार्यपालन के संबंध में, विशेष रूप से उनके वित्तीय कार्यपालन, सर्वेक्षण, वक्फ विलेखों, राजस्व अभिलेखों के रख-रखाव, वक्फ संपत्तियों के अधिक्रमण, वार्षिक रिपोर्टों और संपरीक्षा रिपोर्टों पर, ऐसी रीति में और समय पर, जो परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, परिषद् को सूचना देगा और वह, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अनियमितता या इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य था तो वह स्वप्रेरणा से बोर्ड से विनिर्दिष्ट मुद्दों पर जानकारी मांग सकेगा और यदि परिषद् का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी अनियमितता और अधिनियम का उल्लंघन सिद्ध होता है तो वह ऐसा निदेश जारी कर सकेगी, जो समुचित समझा जाए, जिसका संबंधित राज्य सरकार को सूचना देते हुए संबंधित बोर्ड द्वारा पालन किया जाएगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन परिषद् द्वारा जारी किए गए किसी निदेश से उद्भूत किसी विवाद को केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले न्यायनिर्णयन बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा की जाएगी और पीठासीन अधिकारी को संदेय फीस और यात्रा तथा अन्य भत्ते वे होंगे जो उस सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।"।

धारा 13 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 13 में,—

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु उस दशा में, जहां इस उपधारा के अधीन यथा अपेक्षित वक्फ बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है, वहां इस अधिनियम के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर, एक वक्फ बोर्ड स्थापित किया जाएगा।";

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) जहां वक्फ बोर्ड धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन स्थापित किया जाता है, वहां शिया वक्फ की दशा में, शिया मुस्लिम सदस्य होंगे और सुन्नी वक्फ की दशा में, सुन्नी मुस्लिम सदस्य होंगे।"।

धारा 14 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 14 में,—

(I) उपधारा (1) में,—

(i) "दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में,—

(क) उपखंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(iii) संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की विधिज्ञ परिषद् के मुस्लिम सदस्य:

परंतु यदि किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र की विधिज्ञ परिषद् का कोई मुस्लिम सदस्य नहीं है तो, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से किसी ज्येष्ठ मुस्लिम अधिवक्ता को नामनिर्देशित कर सकेगा, और";

(ख) उपखंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपखंड (i) से उपखंड (iv) में वर्णित प्रवर्गों के सदस्य प्रत्येक प्रवर्ग के लिए गठित निर्वाचक-गण से निर्वाचित होंगे।

स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि यदि कोई मुस्लिम सदस्य खंड (ख) के उपखंड (i) में यथानिर्दिष्ट राज्य या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र से संसद् का सदस्य नहीं रहता है या खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन यथा अपेक्षित राज्य विधान सभा का सदस्य नहीं रहता है तो उस सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उस तारीख से, जिससे वह, यथास्थिति, राज्य या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र से संसद् का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य नहीं रहा है, यथास्थिति, राज्य या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए बोर्ड के सदस्य का पद रिक्त कर दिया है।";

(iii) खंड (ग) से खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(ग) मुस्लिमों में से ऐसा एक व्यक्ति, जिसके पास नगर योजना या कारबार प्रबंधन, सामाजिक कार्य, वित्त या राजस्व, कृषि और विकास क्रियाकलापों में वृत्तिक अनुभव है, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;

(घ) मुस्लिमों में से एक-एक व्यक्ति, जो शिया और सुन्नी इस्लाम धर्म विधा के मान्यताप्राप्त विद्वानों में से होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;

(ङ) मुस्लिमों में से एक व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे की पंक्ति के न हों।";

(II) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई मंत्री बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा:

परंतु किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, बोर्ड पांच से अन्यून और सात से अनधिक ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iv) या खंड (ग) से खंड (ङ) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रवर्गों से नियुक्त किया जाएगा:

परंतु यह और कि बोर्ड में नियुक्त किए गए कम से कम दो सदस्य स्त्रियां होंगी:

परंतु यह भी कि ऐसे प्रत्येक मामले में, जहां मुतवल्ली पद्धति विद्यमान है, वहां एक मुतवल्ली बोर्ड के सदस्य के रूप में होगा।";

(III) उपधारा (5) का लोप किया जाएगा;

(IV) उपधारा (7) का लोप किया जाएगा।

धारा 15 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 15 में, "सदस्य पांच वर्ष की अवधि तक" शब्दों के स्थान पर, "सदस्य, धारा 14 की उपधारा (9) में निर्दिष्ट अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 16 का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 16 के खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(घक) वह किसी वक्फ संपत्ति पर अधिक्रमण का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है;"।

नई धारा 20क का अंत:स्थापन।

16. मूल अधिनियम की धारा 20 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अविश्वास मत द्वारा अध्यक्ष का हटाया जाना।

"20क. धारा 20 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड के अध्यक्ष को अविश्वास मत द्वारा निम्नलिखित रीति से हटाया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किसी व्यक्ति में विश्वास या अविश्वास मत अभिव्यक्त करने वाला कोई संकल्प विहित रीति के सिवाय और तब तक नहीं लाया जाएगा, जब तक अध्यक्ष के रूप में उसके निर्वाचन की तारीख के पश्चात् बारह मास व्यपगत न हो गए हों और उसे राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से ही हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं;

(ख) अविश्वास की सूचना, उन आधारों का, जिन पर ऐसा प्रस्ताव लाया जाना प्रस्तावित है, स्पष्ट रूप से कथन करते हुए राज्य सरकार को संबोधित की जाएगी और उस पर बोर्ड के कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे;

(ग) अविश्वास की सूचना पर हस्ताक्षर करने वाले बोर्ड के कम से कम तीन सदस्य, उनके द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय के शपथ-पत्र के साथ राज्य सरकार को व्यक्तिगत रूप से सूचना प्रस्तुत करेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर असली हैं और ये हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा सूचना की अंतर्वस्तु को सुनने या पढ़ने के पश्चात् किए गए हैं;

(घ) इसमें ऊपर यथा उपबंधित अविश्वास की सूचना की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, ऐसा समय, तारीख और स्थान नियत करेगी, जो प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव के प्रयोजन के लिए बैठक आयोजित करने हेतु उपयुक्त समझा जाए:

परंतु ऐसी बैठक के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी;

(ङ) खंड (घ) के अधीन बैठक की सूचना में यह भी उपबंधित होगा कि अविश्वास प्रस्ताव सम्यक् रूप से पारित किए जाने की दशा में, या, यथास्थिति, नए अध्यक्ष का निर्वाचन भी उसी बैठक में किया जाएगा;

(च) राज्य सरकार, उस बैठक के, जिसमें अविश्वास के संकल्प पर विचार किया जाएगा, पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए एक राजपत्रित अधिकारी को (उस विभाग के, जो बोर्ड के अधीक्षण और प्रशासन से संबद्ध है, किसी अधिकारी से भिन्न) भी नामनिर्देशित करेगी;

(छ) बोर्ड की ऐसी बैठक की गणपूर्ति बोर्ड के कुल सदस्यों के आधे सदस्यों से होगी;

(ज) अविश्वास के संकल्प को पारित किया गया समझा जाएगा, यदि उसे उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है;

(झ) यदि अविश्वास के किसी संकल्प को पारित कर दिया जाता है तो, अध्यक्ष तुरंत पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा और उसके उत्तरवर्ती द्वारा, जिसे उसी बैठक में एक अन्य संकल्प द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, पद ग्रहण किया जाएगा;

(ञ) नए अध्यक्ष के निर्वाचन का संचालन खंड (झ) के अधीन, खंड (च) में निर्दिष्ट उक्त पीठासीन अधिकारी की अध्यक्षता के अधीन, बैठक में निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात्:—

(अ) अध्यक्ष, बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा;

(आ) अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन का प्रस्ताव और समर्थन बैठक में ही किया जाएगा और नाम वापस लिए जाने के पश्चात् निर्वाचन, यदि कोई हो, गुप्त मतदान की पद्धति द्वारा होगा;

(इ) निर्वाचन बैठक में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों के बराबर रहने की दशा में, मामले का विनिश्चय लाटरी डाल कर किया जाएगा; और

(ई) बैठक की कार्यवाहियों पर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे;

(ट) खंड (ज) के अधीन निर्वाचित नया अध्यक्ष अविश्वास के संकल्प द्वारा हटाए गए अध्यक्ष की शेष पदावधि तक ही पद धारण करेगा; और

(ठ) यदि अविश्वास का संकल्प पारित करने संबंधी प्रस्ताव बैठक में गणपूर्ति की कमी या अपेक्षित बहुमत के न होने के कारण असफल हो जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किए जाने के लिए कोई पश्चात्वर्ती बैठक पूर्व बैठक की तारीख से छह मास के भीतर नहीं की जाएगी।"।

धारा 23 का संशोधन।

17. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) बोर्ड का एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जो मुस्लिम होगा और वह बोर्ड द्वारा सुझाए गए दो नामों के पैनल से, सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया जाएगा और जो राज्य सरकार के उप सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा और उस पंक्ति के किसी मुस्लिम अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में समकक्ष पंक्ति के किसी मुस्लिम अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जा सकेगा।"।

धारा 27 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। बोर्ड द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन।

18. मूल अधिनियम की धारा 27 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"27. बोर्ड, साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (ग), खंड (घ), खंड (छ) और खंड (ज) और धारा 110 के अधीन उल्लिखित बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को, जो वह आवश्यक समझे, बोर्ड या किसी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष, किसी अन्य सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी या सेवक को प्रत्यायोजित कर सकेगा।"।

धारा 28 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। बोर्ड के निदेशों के कार्यान्वयन करने की जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट की शक्तियां।

19. मूल अधिनियम की धारा 28 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"28. इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के किसी जिले का जिला मजिस्ट्रेट या उसकी अनुपस्थिति में अपर जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट बोर्ड के ऐसे विनिश्चयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा संसूचित किए जाएं और बोर्ड, जहां कहीं आवश्यक समझे, अपने विनिश्चयों के कार्यान्वयन के लिए अधिकरण से निदेशों की ईप्सा कर सकेगा।"।

धारा 29 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 29 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और,—

(क) इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) में, "ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं और ऐसी फीस के संदाय के अधीन रहते हुए, जो उस समय प्रवृत्त किसी

विधि के अधीन उद्ग्रहणीय हो'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं,'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(2) मुतवल्ली या वक्फ संपत्तियों से संबंधित किसी दस्तावेज को अभिरक्षा में रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति, लिखित में उसे पेश करने की मांग किए जाने पर, विहित अवधि के भीतर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के समक्ष पेश करेगा।

(3) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, सरकार का कोई अभिकरण या कोई अन्य संगठन वक्फ संपत्तियों या ऐसी संपत्तियों से, जिनके वक्फ संपत्ति होने का दावा किया गया है, संबंधित अभिलेखों, संपत्तियों के रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों की प्रतियां मुख्य कार्यपालक अधिकारी को, उससे इस आशय के लिखित अनुरोध पर, दस कार्य दिवसों के भीतर, प्रदान करेगा :

परंतु उपधारा (2) और उपधारा (3) में यथावर्णित कार्रवाई करने के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करेगा।''।

धारा 31 का संशोधन।

21. मूल अधिनियम की धारा 31 में, ''संसद् सदस्य होने'', शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य या किसी राज्य विधान-मंडल का सदस्य, यदि समुचित राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन ऐसा घोषित किया गया हो, होने''।

धारा 32 का संशोधन।

22. मूल अधिनियम की धारा 32 में,—

(I) उपधारा (2) में,—

(क) खंड (ञ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(ञ) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वक्फ की किसी स्थावर संपत्ति के पट्टे की मंजूरी देना:

परंतु ऐसी कोई मंजूरी बोर्ड के उपस्थित सदस्यों में कम से कम दो-तिहाई के बहुमत द्वारा ऐसे संव्यवहार के पक्ष में अपना मत दिए जाने पर ही दी जाएगी अन्यथा नहीं:

परंतु यह और कि जहां बोर्ड द्वारा ऐसी मंजूरी नहीं दी जाती है वहां ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध किया जाएगा;'';

(ख) खंड (ढ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(ढक) वक्फ भूमि या भवन का बाजार किराया, ऐसी रीति में, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अवधारित करना या अवधारित कराना;'';

(II) उपधारा (4) में, ''वाणिज्यिक केन्द्र, बाजार, आवासीय फ्लैटों के रूप में और उसी प्रकार के विकास की संभावना है'' शब्दों के स्थान पर, ''शैक्षिक संस्था, वाणिज्यिक केन्द्र, बाजार, रिहायशी या आवासीय फ्लैटों के रूप में और ऐसे अन्य विकास की संभावना है'' शब्द रखे जाएंगे;

(III) उपधारा (5) में, ''सरकार के पूर्व अनुमोदन से'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 33 का संशोधन।

23. मूल अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (1) में,—

(क) ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी,'' शब्दों के पश्चात् ''या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति'' शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) ''स्वयं या अपने द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति,'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 36 का संशोधन।

24. मूल अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (2) के परंतुक में, ''वाकिफ या'' शब्दों के स्थान पर, ''वाकिफ अथवा'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 37 का संशोधन।

25. मूल अधिनियम की धारा 37 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(2) बोर्ड ओक़ाफ़ के रजिस्टर में दर्ज संपत्तियों के ब्यौरे, वक्फ संपत्ति पर अधिकारिता रखने वाले संबंधित भू-अभिलेख कार्यालय को अग्रेषित करेगा।

(3) भू-अभिलेख कार्यालय, उपधारा (2) में यथा उल्लिखित ब्यौरे प्राप्त करने पर स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, या तो भू-अभिलेख में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा या धारा 36 के अधीन वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अपनी आपत्तियां बोर्ड को संसूचित करेगा।"।

धारा 44 का संशोधन।

26. मूल अधिनियम की धारा 44 में —

(क) उपधारा (2) में, "नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर, "तीस दिन" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) बोर्ड द्वारा बजट की किसी मद को वक्फ के उद्देश्यों और इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल समझे जाने की दशा में, वह ऐसी मद के परिवर्धन या हटाए जाने के लिए ऐसा निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।"।

धारा 46 का संशोधन।

27. मूल अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (2) में, "मई के प्रथम दिन" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "जुलाई के प्रथम दिन" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 47 का संशोधन।

28. मूल अधिनियम की धारा 47 में—

(I) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में "दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "पचास हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में "दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "पचास हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ग) में "राज्य सरकार" शब्दों के पश्चात् "बोर्ड को सूचित करते हुए" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(II) उपधारा (3) के पहले परंतुक में "दस हजार रुपए से अधिक किंतु पंद्रह हजार रुपए से कम" शब्दों के स्थान पर "पचास हजार रुपए से अधिक" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 51 का संशोधन।

29. मूल अधिनियम की धारा 51 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(1) वक्फ विलेख में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसी स्थावर संपत्ति का, जो वक्फ संपत्ति है, कोई पट्टा तब तक शून्य होगा, जब तक ऐसा पट्टा बोर्ड की पूर्व मंजूरी से न किया गया हो:

परंतु किसी मस्जिद, दरगाह, खानकाह, कब्रिस्तान या इमामबाड़े का पट्टा, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य में के किन्हीं अनप्रयुक्त कब्रिस्तानों के सिवाय जहां ऐसा कब्रिस्तान वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारंभ की तारीख के पूर्व पट्टे पर दिया जा चुका है, नहीं किया जाएगा।

(1क) वक्फ संपत्ति का कोई विक्रय, दान, विनिमय, बंधक या अंतरण आरंभ से ही शून्य होगा:

परंतु यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि किसी वक्फ संपत्ति को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विकसित किया जा सकता है, तो वह कारणों को लेखबद्ध करके, उस सपंत्ति का विकास कार्य, ऐसे अभिकरण के माध्यम से और ऐसी रीति में, जो बोर्ड द्वारा अवधारित किए जाएं, करा सकेगा और ऐसी वक्फ संपत्ति के विकास की सिफारिशों वाला एक संकल्प ला सकेगा जिसे बोर्ड की कुल सदस्य-संख्या के दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा:

परंतु यह और कि इस उपधारा की कोई बात भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 या भूमि अर्जन से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्रयोजन के लिए वक्फ संपत्तियों के किसी अर्जन पर प्रभाव नहीं डालेगी यदि ऐसा अर्जन बोर्ड के परामर्श से किया जाता है: 1894 का 1

परंतु यह भी कि,—

(क) अर्जन, उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 के उल्लंघन में नहीं होगा; 1991 का 42

(ख) वह प्रयोजन, जिसके लिए भूमि का अर्जन किया जा रहा है, निर्विवाद रूप से सार्वजनिक प्रयोजन होगा;

(ग) ऐसी कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है, जो उस प्रयोजन के लिए अधिक या कम उपयुक्त समझी जाएगी;

(घ) वक्फ के हित और उद्देश्य को पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखने के लिए प्रतिकर, प्रचलित बाजार मूल्य पर होगा अथवा अर्जित भूमि के स्थान पर उचित मुआवजे सहित, कोई उपयुक्त भूमि होगा।";

(ii) उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) का लोप किया जाएगा।

धारा 52 का संशोधन।

30. मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) में, "धारा 51" शब्द और अंकों के पश्चात् "या धारा 56" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे।

नई धारा 52क का अंत:स्थापन। बोर्ड की मंजूरी के बिना वक्फ संपत्ति के अन्य संक्रामण के लिए शास्ति।

31. मूल अधिनियम की धारा 52 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"52क. (1) जो कोई, ऐसी जंगम या स्थावर संपत्ति का, जो वक्फ संपत्ति है, बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी भी प्रकार की किसी रीति में, चाहे स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, अन्य संक्रामण करेगा या क्रय करेगा, या कब्जा लेगा, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा :

परंतु इस प्रकार अन्य संक्रामित वक्फ संपत्ति, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके लिए किसी प्रतिकर के बिना बोर्ड में निहित हो जाएगी।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा। 1974 का 2

(3) कोई न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान बोर्ड या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए परिवाद पर करने के सिवाय नहीं करेगा।

(4) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस धारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।"।

धारा 54 का संशोधन।

32. मूल अधिनियम की धारा 54 में—

(क) उपधारा (3) में, "तो वह, आदेश द्वारा, अधिक्रमणकर्ता से ऐसे अधिक्रमण को हटाने की अपेक्षा कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर "तो वह ऐसे अधिक्रमण को हटाए जाने हेतु बेदखली का आदेश प्रदान करने के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(4) अधिकरण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी से ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, उसके कारण अभिलिखित करके यह निदेश देते हुए कि वक्फ संपत्ति उन सभी व्यक्तियों द्वारा खाली की जाएगी जो उसके या उसके किसी भाग के अधिभोग में हों, बेदखली के आदेश करेगा और आदेश की एक प्रति वक्फ संपत्ति के किसी बाह्य द्वार पर या अन्य सहजदृश्य भाग पर चिपकवाएगा :

परंतु अधिकरण, बेदखली का कोई आदेश करने से पूर्व, उस व्यक्ति को सुने जाने का अवसर देगा जिसके विरुद्ध मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बेदखली का आवेदन किया गया है।

(5) यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (2) के अधीन आदेश चिपकाने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर बेदखली के आदेश का अनुपालन करने से इंकार करता है या

असफल रहता है, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति वक्फ संपत्ति से उस व्यक्ति को बेदखल कर सकेगा और उसका कब्जा ले सकेगा।''।

धारा 55 का संशोधन।

33. मूल अधिनियम की धारा 55 में,—

(क) ''उपधारा (3)'' शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर ''उपधारा (4)'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ख) ''उस उपखंड मजिस्ट्रेट को, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह भूमि, भवन, जगह या अन्य संपत्ति स्थित है, अधिक्रमणकर्ता को बेदखल करने के लिए आवेदन कर सकेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह भूमि, भवन, जगह या अन्य संपत्ति स्थित है, अधिक्रमणकर्ता को बेदखल करने के लिए अधिकरण के आदेश को निर्दिष्ट कर सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 55क का अंत:स्थापन। अप्राधिकृत अधिभोगियों द्वारा वक्फ संपत्ति पर छोड़ी गई संपत्ति का व्ययन।

34. मूल अधिनियम की धारा 55 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''55क. (1) जहां कोई व्यक्ति धारा 54 की उपधारा (4) के अधीन किसी वक्फ की संपत्ति से बेदखल किया गया है, वहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे से वक्फ की संपत्ति ली गई है, चौदह दिन की सूचना देने के पश्चात् और उस सूचना को उस परिक्षेत्र में परिचालित किए जाने वाले कम से कम एक समाचारपत्र में प्रकाशित करने के पश्चात् और वक्फ संपत्ति के सहजदृश्य भाग पर चिपकाकर सूचना की अंतर्वस्तुओं की उद्घोषणा करने के पश्चात् ऐसे परिसर पर शेष किसी संपत्ति को हट सकेगा या हटवा सकेगा या लोक नीलामी द्वारा उसका व्ययन कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई संपत्ति विक्रीत की जाती है, वहां हटाने, विक्रय करने से संबंधित व्ययों और ऐसे अन्य व्ययों, किराए, नुकसानी या खर्चों के बकायों के मद्दे राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगमित प्राधिकरण को शोध्य रकम, यदि कोई हो, की कटौती करने के पश्चात् विक्रय आगम ऐसे व्यक्ति को संदत्त किए जाएंगे जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी को उसका हकदार प्रतीत हो :

परंतु जहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी उस व्यक्ति के बारे में जिसको अतिशेष रकम संदेय है या उसका प्रभाजन करने के बारे में विनिश्चय करने में असमर्थ है तो वह ऐसा विवाद अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगा और उस पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।''।

धारा 56 का संशोधन।

35. मूल अधिनियम की धारा 56 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) ''तीन वर्ष से अधिक की किसी अवधि के लिए पट्टा या उपपट्टा'' शब्दों के स्थान पर ''तीस वर्ष से अधिक की किसी अवधि के लिए पट्टा'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) अंत में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''परंतु तीस वर्ष तक की किसी अवधि के लिए कोई पट्टा वाणिज्यिक क्रियाकलापों, शिक्षा या स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार के अनुमोदन से, ऐसी अवधि और प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं:

परंतु यह और कि किसी स्थावर वक्फ संपत्ति जो कि एक कृषि भूमि है, का तीन वर्ष से अधिक की अवधि का पट्टा वक्फ के विलेख या लिखत या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी शून्य होगा और उसका कोई प्रभाव नहीं होगा:

परंतु यह भी कि किसी वक्फ संपत्ति का पट्टा करने से पूर्व बोर्ड, पट्टे के ब्यौरे कम से कम एक प्रमुख राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचारपत्रों में प्रकाशित करेगा और बोली आमंत्रित करेगा।'';

(ख) उपधारा (2) में, ''एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से अनधिक की किसी अवधि के लिए पट्टा या उपपट्टा'' शब्दों के स्थान पर ''एक वर्ष से अधिक और तीस वर्ष से अनधिक की किसी अवधि के लिए पट्टा'' शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (3) में,—

(i) "या उपपट्ट्य" शब्दों का, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, लोप किया जाएगा;

(ii) अंत में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु बोर्ड, किसी वक्फ संपत्ति के तीन वर्ष से अधिक की किसी अवधि के लिए किसी पट्टे के संबंध में तुरंत राज्य सरकार को सूचना देगा और तत्पश्चात् वह उस तारीख से, जिसको बोर्ड राज्य सरकार को सूचना देता है, पैंतालीस दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी हो सकेगा।";

(घ) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(4) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किंतु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"।

धारा 61 का संशोधन।

36. मूल अधिनियम की धारा 61 की उपधारा (1) में, "जो आठ हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर, "जो खंड (क) से खंड (घ) के अननुपालन के लिए दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और खंड (ङ) से खंड (ज) के अननुपालन की दशा में, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 65 का संशोधन।

37. मूल अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(5) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड, किसी वक्फ का प्रशासन ग्रहण करेगा, यदि वक्फ बोर्ड के पास उसके समक्ष यह साबित करने के लिए साक्ष्य है कि वक्फ के प्रबंध तंत्र ने इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है।"।

धारा 68 का संशोधन।

38. मूल अधिनियम की धारा 68 में,—

(i) उपधारा (2) में, "प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट" और "मजिस्ट्रेट" शब्दों के स्थान पर "जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या उनके समकक्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5) और उपधारा (6) में "मजिस्ट्रेट" शब्द के स्थान पर, "किसी मजिस्ट्रेट" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 69 का संशोधन।

39. मूल अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) जहां बोर्ड का, वक्फ के समुचित प्रशासन के लिए कोई स्कीम विरचित करने के संबंध में जांच के पश्चात्, चाहे स्वप्रेरणा से या किसी वक्फ में हितबद्ध पांच से अन्यून व्यक्तियों के आवेदन पर समाधान हो जाता है तो वह युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और विहित रीति में मुतवल्ली या अन्य व्यक्तियों के साथ परामर्श करने के पश्चात्, आदेश द्वारा, वक्फ के प्रशासन के लिए ऐसी स्कीम विरचित कर सकेगा।"।

धारा 71 का संशोधन।

40. मूल अधिनियम की धारा 71 की उपधारा (1) में, "73" अंकों के स्थान पर, "70" अंक रखे जाएंगे।

धारा 72 का संशोधन।

41. मूल अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iii) में,—

(i) "निम्नलिखित सभी" शब्दों से पहले, "वक्फ के फायदे के लिए मुतवल्ली द्वारा सीधे खेती के अधीन भूमि के संबंध में" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपखंड (च) के परंतुक में, "दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "बीस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि पट्टे पर, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, दी गई वक्फ भूमि के संबंध में ऐसी कोई कटौती, चाहे वह बटाई हो या फसल में हिस्सा बांटना हो या उसका कोई अन्य नाम हो, अनुज्ञात नहीं की जाएगी।"।

धारा 77 का संशोधन।

42. मूल अधिनियम की धारा 77 की उपधारा (4) के खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(छ) मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अधीन सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आदेश किए गए अनुसार मुस्लिम स्त्रियों के भरण-पोषण का संदाय।"।

1986 का 25

धारा 81 का संशोधन।

43. मूल अधिनियम की धारा 81 में, "जो वह ठीक समझे" शब्दों के पश्चात् अंत में निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"और राज्य सरकार द्वारा संपरीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति और आदेश ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन में, जहां विधान-मंडल में दो सदन हैं अथवा ऐसे विधान-मंडल जिसमें एक सदन है, उस सदन में रखे जाने के तीस दिन के भीतर परिषद् के पास भेजेगी।"।

धारा 83 का संशोधन।

44. मूल अधिनियम की धारा 83 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी वक्फ या वक्फ संपत्ति या किसी अभिधारी की बेदखली से संबंधित किसी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के अवधारण के लिए या ऐसी संपत्ति के पट्टाकर्ता या पट्टेदार के अधिकारों या बाध्यताओं का अवधारण करने के लिए उतने अधिकरण का गठन करेगी जितने वह ठीक समझे और ऐसे प्रत्येक अधिकरण की स्थानीय सीमाएं और अधिकारिता परिनिश्चित करेगी।";

(ख) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(4) प्रत्येक अधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(क) ऐसा एक व्यक्ति, जो राज्य न्यायिक सेवा का जिला, सेशन या प्रथम वर्ग सिविल न्यायाधीश की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का पद धारण करने वाला सदस्य होगा, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) ऐसा एक व्यक्ति, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति के समतुल्य पंक्ति का राज्य सिविल सेवा का अधिकारी होगा, सदस्य;

(ग) ऐसा एक व्यक्ति, जिसके पास मुस्लिम विधि और विधि शास्त्र का ज्ञान है, सदस्य,

और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की नियुक्ति नाम से या पदनाम से की जाएगी।

(4क) पदेन सदस्यों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों से भिन्न अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें जिनके अन्तर्गत उन्हें संदेय वेतन और भत्ते भी हैं, वे होंगी, जो विहित की जाएं।"।

धारा 85 का संशोधन।

45. मूल अधिनियम की धारा 85 में, "सिविल न्यायालय" शब्दों के स्थान पर, "सिविल न्यायालय, राजस्व न्यायालय और कोई अन्य प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 86 का संशोधन।

46. मूल अधिनियम की धारा 86 के खंड (ख) में, "पूर्वतन मुतवल्ली" शब्दों के पश्चात्, "या किसी अन्य व्यक्ति" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 87 का लोप।

47. मूल अधिनियम की धारा 87 का लोप किया जाएगा।

धारा 90 का संशोधन।

48. मूल अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (3) में, "एक मास" शब्दों के स्थान पर "छह मास" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 91 का संशोधन।

49. मूल अधिनियम की धारा 91 की उपधारा (1) में, "अधिनिर्णय किए जाने के पूर्व कलक्टर को यह प्रतीत होता है कि अर्जनाधीन कोई संपत्ति" शब्दों के स्थान पर "अधिनिर्णय किए जाने के पूर्व, यदि कोई संपत्ति" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 97 का संशोधन।

50. मूल अधिनियम की धारा 97 में, निम्नलिखित परंतुक अंत में अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु राज्य सरकार ऐसा कोई निदेश जारी नहीं करेगी, जो किसी वक्फ विलेख या किसी वक्फ की प्रथा, पद्धति या रूढ़ि के प्रतिकूल हो।"।

धारा 99 का संशोधन।

51. मूल अधिनियम की धारा 99 में,—

(क) उपधारा (1) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि इस धारा के अधीन राज्य सरकार की शक्ति का प्रयोग तभी किया जाएगा, जब वित्तीय अनियमितताओं, कदाचार या इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हो।";

(ख) उपधारा (3) के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(क) अतिष्ठिति काल को, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, छह मास की एक और अवधि तक बढ़ा सकेगी और निरंतर अतिष्ठिति काल एक वर्ष से अनधिक का नहीं होगा; या"।

धारा 102 का संशोधन।

52. मूल अधिनियम की धारा 102 की उपधारा (2) में, "राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात्" शब्दों के स्थान पर, "परिषद् और राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात्" शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 104क का अंत:स्थापन।

53. मूल अधिनियम की धारा 104 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

वक्फ संपति के विक्रय, दान, विनिमय, बंधक या अंतरण का प्रतिषेध।

"104क. (1) कोई व्यक्ति, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी वक्फ विलेख में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का, जो वक्फ संपत्ति है, किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय, दान, विनिमय, बंधक या अंतरण नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संपत्ति का कोई विक्रय, दान, विनिमय, बंधक या अंतरण आरंभ से ही शून्य होगा।"।

नई धारा 104ख का अंत:स्थापन।

54. मूल अधिनियम की धारा 104क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

सरकारी अभिकरणों के अधिभोग में की वक्फ संपत्तियों का वक्फ बोर्डों को प्रत्यावर्तन।

"104ख. (1) यदि सरकारी अभिकरणों द्वारा किसी वक्फ संपत्ति का अधिभोग किया गया है तो यह अधिकरण के आदेश की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर बोर्ड या मुतवल्ली को वापस कर दी जाएगी।

(2) यदि संपत्ति लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, तो सरकारी अभिकरण, वर्तमान बाजार मूल्य पर अधिकरण द्वारा, यथास्थिति, किराए या प्रतिकर का अवधारण के लिए आवेदन कर सकेगा।"।

धारा 106 का संशोधन।

55. मूल अधिनियम की धारा 106 की उपधारा (1) में, "सरकार से परामर्श करने के पश्चात्" शब्दों के स्थान पर "परिषद् और सरकार से परामर्श करने के पश्चात्" शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 108क का अंत:स्थापन।

56. मूल अधिनियम की धारा 108 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

"108क. इस अधिनियम के उपबंधों का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात में होते हुए भी अध्यारोही प्रभाव होगा।"।

धारा 109 का संशोधन।

57. मूल अधिनियम की धारा 109 की उपधारा (2) में,—

(क) खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(i) धारा 3 के खंड (i) के अधीन मुतवल्ली के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा पूरी किए जाने के लिए अपेक्षित अर्हताएं;

(iक) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन सर्वेक्षण आयुक्त की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट हो सकेंगी;";

(ख) खंड (vi) में, "धारा 29 के" शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 29 की उपधारा (1) के" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(viक) वह अवधि जिसके भीतर मुतवल्ली या कोई अन्य व्यक्ति, धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन वक्फ संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेगा;

(viख) वे शर्तें, जिनके अधीन सरकार का कोई अभिकरण या कोई अन्य संगठन धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन अभिलेखों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों की प्रतियों का प्रदाय, कर सकेगा;";

(घ) खंड (xi) का लोप किया जाएगा;

(ङ) खंड (xxii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(xxiiक) धारा 83 की उपधारा (4क) के अधीन अध्यक्ष और पदेन सदस्यों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों से भिन्न अन्य सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें, जिनके अंतर्गत उन्हें संदेय वेतन और भत्ते भी हैं;"।

संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 28)

[20 सितम्बर, 2013]

संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2013 है ।

(2) यह 19 फरवरी, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

1959 का 10

धारा 3 का संशोधन ।

2. संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3 के खंड (खक) में उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ii) संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ;

(iiक) संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ;"।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 29)

[20 सितम्बर, 2013]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2013 है ।

(2) यह 10 जुलाई, 2013 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 7 का संशोधन ।

1951 का 43

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के खंड (ख) में, "निरर्हित से" शब्दों के पश्चात् "इस अध्याय के उपबंधों के अधीन और न कि किसी अन्य आधार पर" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 62 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (5) के परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज किया जा चुका है, इस उपधारा के अधीन मत देने पर प्रतिषेध के कारण, मतदाता होने से प्रविरत नहीं होगा ।"।

विधिमान्यकरण ।

4. किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उपबंध, सभी प्रयोजनों के लिए प्रभावी होंगे और सदैव से इस प्रकार प्रभावी हुए समझे जाएंगे मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हों । 1951 का 43

प्रेम कुमार मल्होत्रा,
सचिव, भारत सरकार।

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2015

क्र. 4181-क-इक्कीस-अ-विस-2015.—भारत के राष्ट्रपति के प्राधिकार से भारत का राजपत्र, असाधारण, दिनांक 8 मई 2014, भाग 2, अनुभाग 1क, खण्ड L सं. 2 में प्रकाशित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक-30) का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जाएगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा पुनः प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

परितोष कुमार तिवारी, उपसचिव.

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 30)

The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

(ACT No. 30 OF 2013)

रजिस्ट्री सं० डी०-221 REGISTERED NO. D.-221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2 — अनुभाग 1क
PART II — Section 1A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, गुरुवार, 8 मई, 2014/ 18 वैशाख, 1936 (शक) [खंड L
No. 2] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 8, 2014/VAISHAKHA 18, 1936 (SAKA) [Vol. L

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 8 मई, 2014/18 वैशाख, 1936 (शक)

दि राइट टू कंपेन्सेशन एंड ट्रांसपेरेन्सी इन लैंड एक्वीजिशन, रिहेबीलिटेशन एंड रिसेटलमेंट ऐक्ट, 2013 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है और यह राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उसका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा :—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, May 8, 2014/*Vaishakha* 18, 1936 *(Saka)*

The translation in Hindi of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 30)

[26 सितम्बर, 2013]

उद्योगीकरण, अनिवार्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास और नगरीकरण के लिए भू-स्वामियों तथा अन्य प्रभावित कुटुम्बों को कम से कम बाधा पहुंचाए बिना भूमि अर्जन के लिए मानवीय, सहभागी, सूचनाबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया, संविधान के अधीन स्थापित स्थानीय स्वशासी संस्थाओं और ग्राम सभाओं के परामर्श से, सुनिश्चित करने तथा उन प्रभावित कुटुम्बों को, जिनकी भूमि का अर्जन किया गया है या अर्जन किए जाने की प्रस्थापना है या जो ऐसे अर्जन से प्रभावित हुए हैं, न्यायोचित और ऋजु प्रतिकर देने और ऐसे प्रभावित व्यक्तियों के लिए, उनके पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनिवार्य भूमि अर्जन का समुच्चय परिणाम ऐसा होना चाहिए कि प्रभावित व्यक्ति ऐसे विकास में भागीदार बनें जिससे अर्जन के बाद की उनकी सामाजिक और आर्थिक प्रास्थिति में सुधार हो सके, तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का पर्याप्त उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु केंद्रीय सरकार उस तारीख से, जिसको भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार विधेयक, 2013 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीन मास के भीतर ऐसी तारीख नियत करेगी ।

अधिनियम का लागू होना ।

2. (1) इस अधिनियम के भूमि अर्जन, प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित उपबंध उस दशा में लागू होंगे, जब समुचित सरकार अपने स्वयं के उपयोग, अधिकार और नियंत्रण के लिए, जिसमें पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए हैं, और लोक प्रयोजन के लिए भी है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रयोजन भी हैं जिनके लिए, अर्थात्:—

(क) नौसेना, सेना, वायु सेना और संघ के सशस्त्र बलों से, जिनके अंतर्गत केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल भी हैं संबंधित सामरिक प्रयोजनों के लिए या भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा अथवा राज्य पुलिस, जनसाधारण की सुरक्षा के महत्वपूर्ण किसी कार्य के लिए; या

(ख) अवसंरचना परियोजनाओं के लिए, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्:—

(i) भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग (अवसंरचना अनुभाग) की तारीख 27 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं॰ 13/6/2009-आई॰एन॰एफ॰ में सूचीबद्ध सभी क्रियाकलाप या मदें, प्राइवेट अस्पतालों, प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं और प्राइवेट होटलों को छोड़कर;

(ii) कृषि प्रसंस्करण, कृषि में निवेशों के प्रदाय, भांडागारण, शीतागार सुविधाओं, कृषि और सहबद्ध क्रियाकलापों जैसे कि दुग्ध उद्योग, मत्स्य उद्योग के लिए विपणन अवसंरचना और मांस प्रसंस्करण से संबद्ध परियोजनाएं, जो समुचित सरकार द्वारा या किसी कृषि सहकारिता द्वारा या किसी कानून के अधीन स्थापित किसी संस्था द्वारा स्थापित की गई हों या उसके स्वामित्वाधीन हों;

(iii) औद्योगिक कोरिडोर अथवा खनन क्रियाकलाप, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में यथा अभिहित राष्ट्रीय विनिधान और विनिर्माण परिक्षेत्र के लिए परियोजना;

(iv) जल सिंचाई और जल संरक्षण अवसंरचना, स्वच्छता के लिए परियोजना;

(v) सरकार द्वारा प्रशासित, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षणिक और अनुसंधान स्कीमों या संस्थाओं के लिए परियोजना;

(vi) क्रीड़ा, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन, परिवहन, अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए परियोजना;

(vii) कोई अवसंरचना सुविधा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा संसद् में ऐसी अधिसूचना रखे जाने के पश्चात् इस संबंध में अधिसूचित की जाए;

(ग) परियोजना से प्रभावित कुटुंबों की परियोजना के लिए;

(घ) ऐसे आय समूहों के लिए, जो समुचित सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, गृह निर्माण की परियोजना के लिए;

(ङ) ग्रामीण स्थलों या नगरीय क्षेत्रों में किसी स्थल के योजनाबद्ध विकास या सुधार के लिए अथवा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि की व्यवस्था सम्बन्धी परियोजना के लिए;

(च) निर्धन या भूमिहीन व्यक्तियों या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों या सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकारी या राज्य के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम द्वारा आरंभ की गई किसी स्कीम के क्रियान्वयन के कारण विस्थापित या प्रभावित हुए व्यक्तियों के आवासीय प्रयोजनों की परियोजना के लिए,

भूमि का अर्जन करती है।

(2) इस अधिनियम के भूमि अर्जन, सहमति, प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित उपबंध उस दशा में लागू होंगे, जब समुचित सरकार निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए, अर्थात्:—

(क) उपधारा (1) में यथा परिभाषित लोक प्रयोजनार्थ, पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं के लिए, जहां भूमि का स्वामित्व सरकार में निहित बना रहता है;

(ख) उपधारा (1) में यथा परिभाषित लोक प्रयोजनार्थ, प्राइवेट कंपनियों के लिए,

भूमि का अर्जन करती है:

परंतु,—

(i) प्राइवेट कंपनियों के लिए अर्जन की दशा में, धारा 3 के खंड (ग) के उपखंड (i) और उपखंड (v) में यथा परिभाषित प्रभावित कुटुंबों के कम से कम अस्सी प्रतिशत कुटुंबों की पूर्व सहमति; और

(ii) पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं के लिए अर्जन की दशा में, धारा 3 के खंड (ग) के उपखंड (i) और उपखंड (v) में यथा परिभाषित प्रभावित कुटुंबों के कम से कम सत्तर प्रतिशत कुटुंबों की पूर्व सहमति,

ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, अभिप्राप्त की जाएगी:

परन्तु यह और कि सहमति अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया धारा 4 में निर्दिष्ट सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के साथ कार्यान्वित की जाएगी:

परंतु यह भी कि अनुसूचित क्षेत्रों में अर्जन के रूप में कोई भी भूमि ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों में विद्यमान भूमि अंतरण से संबंधित किसी विधि का (जिसके अंतर्गत किसी न्यायालय का ऐसा कोई आदेश या निर्णय भी है, जो अंतिम बन गया है) उल्लंघन करके अंतरित नहीं की जाएगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित उपबंध उन मामलों में लागू होंगे, जहां,—

(क) कोई प्राइवेट कंपनी धारा 46 के उपबंधों के अनुसार भूमि के स्वामी से प्राइवेट बातचीत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों या नगरीय क्षेत्रों में ऐसी सीमाओं के, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाएं, बराबर या उनसे अधिक भूमि का क्रय या अर्जन करती है;

(ख) कोई प्राइवेट कंपनी किसी लोक प्रयोजन के लिए इस प्रकार विहित किए गए किसी क्षेत्र के किसी भाग के अर्जन के लिए समुचित सरकार से अनुरोध करती है:

परंतु जहां प्राइवेट कंपनी लोक प्रयोजन के लिए भूमि के आंशिक अर्जन हेतु समुचित सरकार से अनुरोध करती है, वहां दूसरी अनुसूची के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियां संपूर्ण क्षेत्र के लिए, जिसके अंतर्गत प्राइवेट कंपनी द्वारा क्रय की गई और सरकार द्वारा संपूर्ण परियोजना के लिए अर्जित की गई भूमि भी है, लागू होंगी।

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्रशासक" से धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ख) "प्रभावित क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जो समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए ;

(ग) "प्रभावित कुटुंब" के अंतर्गत,—

(i) ऐसा कोई कुटुंब है, जिसकी भूमि या अन्य स्थावर संपत्ति का अर्जन किया गया है;

(ii) ऐसा कोई कुटुंब है, जिसके स्वामित्वाधीन कोई भूमि नहीं है किंतु ऐसे कुटुंब का कोई सदस्य या के सदस्य ऐसे कृषि श्रमिक, अभिधारी, जिसमें फलोपभोग अधिकार की किसी भी रूप में अभिधृति या धृति भी है, बटाईदार या कारीगर अथवा वह या वे हो सकते हैं जो भूमि के अर्जन से तीन वर्ष पूर्व तक प्रभावित क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, जिनकी जीविका का मुख्य स्रोत भूमि के अर्जन से प्रभावित हो गया है ;

(iii) ऐसी अनुसूचित जनजातियां और अन्य पारंपरिक वन निवासी हैं, जिन्होंने भूमि के अर्जन के कारण अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन मान्यताप्राप्त अपने किसी भी वन्य अधिकार को खो दिया है ;

2007 का 2

(iv) ऐसा कोई कुटुंब है, जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत, भूमि के अर्जन से तीन वर्ष पूर्व तक वनों या जलराशियों पर निर्भर रहा है और इसके अंतर्गत वन उपज बटोरने वाले, आखेटक, मत्स्यिक जनसमूह और केवट भी हैं और ऐसी जीविका भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित हुई है ;

(v) ऐसे कुटुंब का कोई सदस्य है, जिसे राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा अपनी स्कीमों में से किसी के अधीन भूमि सौंपी गई है और ऐसी भूमि अर्जन के अध्यधीन है ;

(vi) ऐसा कोई कुटुंब है, जो नगरीय क्षेत्रों में भूमि के अर्जन के पूर्व के पूर्ववर्ती तीन या उससे अधिक वर्ष तक किसी भूमि में निवास कर रहा है या जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत, भूमि के अर्जन से तीन वर्ष पूर्व तक ऐसी भूमि के अर्जन से प्रभावित हुआ है ;

(घ) "कृषि भूमि" से—

(i) कृषि या उद्यान कृषि ;

(ii) दुग्ध उद्योग, कुक्कुट-पालन उद्योग, मत्स्यपालन, रेशम उत्पादन, बीज की खेती, पशुधन का प्रजनन या नर्सरी में उगने वाली औषधीय जड़ी-बूटियों ;

(iii) फसलों, वृक्षों, घास का बढ़ना या उद्यान उत्पाद ; और

(iv) पशुओं के चरागाह,

के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई भूमि अभिप्रेत है ;

(ङ) "समुचित सरकार" से—

(i) किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के अर्जन के संबंध में, राज्य सरकार ;

(ii) किसी संघ राज्यक्षेत्र (पुडुचेरी के सिवाय) के भीतर स्थित भूमि के अर्जन के संबंध में, केंद्रीय सरकार ;

(iii) पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के अर्जन के संबंध में, पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार ;

(iv) एक से अधिक राज्यों में लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में, संबंधित राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों के परामर्श से, केंद्रीय सरकार ; और

(v) संघ के ऐसे प्रयोजन के लिए, जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, भूमि के अर्जन के संबंध में, केंद्रीय सरकार,

अभिप्रेत है :

परंतु किसी जिले के कलक्टर को, उस क्षेत्र के लिए जो उस क्षेत्र से, जिसे समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, अधिक नहीं है, उस जिले में किसी लोक प्रयोजन के संबंध में समुचित सरकार समझा जाएगा;

(च) "प्राधिकरण" से धारा 51 के अधीन स्थापित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(छ) "कलक्टर" से राजस्व जिले का कलक्टर अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत उपायुक्त तथा समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी कलक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए विशेष रूप से पदाभिहित कोई अधिकारी भी है;

(ज) "आयुक्त" से धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त अभिप्रेत है ;

(झ) "अर्जन की लागत" के अंतर्गत निम्नलिखित आता है —

(i) प्रतिकर की रकम जिसके अंतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा आदेशित तोषण, कोई वर्धित प्रतिकर तथा उस पर संदेय ब्याज और ऐसे प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा प्रभावित कुटुंबों को संदेय रूप में अवधारित कोई अन्य रकम भी है;

(ii) अर्जन की प्रक्रिया में भूमि तथा खड़ी फसलों को कारित नुकसान के लिए संदत्त किया जाने वाला डेमरेज ;

(iii) विस्थापित तथा प्रतिकूल रूप से प्रभावित कुटुंबों के व्यवस्थापन के लिए भूमि और भवन के अर्जन की लागत ;

(iv) पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्रों में अवसंरचना और सुख-सुविधाओं के विकास की लागत ;

(v) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की लागत ;

(vi) (अ) भूमि, जिसके अंतर्गत परियोजना स्थल की भूमि तथा परियोजना क्षेत्र के बाहर की भूमि, दोनों आती हैं, के अर्जन के लिए प्रशासनिक खर्च, जो प्रतिकर की लागत के ऐसे प्रतिशत से, जैसा समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिक न हो ;

(आ) भूमि के स्वामियों तथा अन्य प्रभावित कुटुंबों के, जिनकी भूमि का अर्जन किया गया है या अर्जन किए जाने का प्रस्ताव है अथवा ऐसे अर्जन से प्रभावित अन्य कुटुंबों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए प्रशासनिक खर्च ;

(vii) "सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन" करने का खर्च;

(ञ) "कंपनी" से अभिप्रेत है,—

1956 का 1 (i) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथापरिभाषित कोई कंपनी, जो सरकारी कंपनी से भिन्न हो ;

1860 का 21 (ii) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन या किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी तत्समान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी ;

(ट) "विस्थापित कुटुंब" से ऐसा कोई कुटुंब अभिप्रेत है, जिसका भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है ;

(ठ) किसी व्यक्ति के संबंध में "कार्य करने के लिए हकदार" के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति भी समझे जाएंगे, अर्थात्:—

(i) किसी ऐसे मामले के प्रति निर्देश से फायदा पाने वालों के रूप में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों के लिए न्यासी, उसी सीमा तक, जिस तक फायदा पाने वालों के रूप में हितबद्ध व्यक्ति उस दशा में कार्य कर सकता था, यदि वह निःशक्तता से ग्रस्त न होता;

(ii) अवयस्कों के संरक्षक और पागलों के लिए सुपुर्ददार या प्रबंधक, उस सीमा तक, जिस तक अवयस्क, पागल या अन्य विकृत चित्त व्यक्ति स्वयं उस दशा में कार्य कर सकते थे, यदि वे निःशक्तता से ग्रस्त न होते:

1908 का 5 परंतु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की पहली अनुसूची के आदेश 32 के उपबंध, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में किसी वादमित्र द्वारा या मामले के संरक्षक द्वारा किसी कलक्टर या प्राधिकारी के समक्ष उपसंजात होने वाले हितबद्ध व्यक्तियों की दशा में, यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे;

(ड) "कुटुंब" के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति, उस पर आश्रित उसकी पत्नी या पति, अवयस्क संतान, अवयस्क भाई और अवयस्क बहिनें हैं :

परन्तु विधवाओं और विवाह–विच्छिन्न स्त्रियों और कुटुंबों द्वारा अधित्यजित स्त्रियों को पृथक् कुटुंब माना जाएगा।

स्पष्टीकरण—किसी भी लिंग के वयस्क व्यक्ति को, चाहे उसकी पत्नी अथवा पति अथवा संतान या आश्रित हों या नहीं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक पृथक् कुटुंब माना जाएगा ;

(ढ) "भू-धृति" से किसी व्यक्ति द्वारा स्वामी, अधिभोगी या अभिधारी के रूप में या अन्यथा धारित कुल भूमि अभिप्रेत है ;

(ण) "अवसंरचना परियोजना" के अंतर्गत धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट कोई एक या अधिक मदें भी आएंगी;

(त) "भूमि" के अंतर्गत भूमि से उद्भूत होने वाले फायदे और भूबद्ध चीजें या भूबद्ध किसी चीज के साथ स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजें आती हैं ;

(थ) "भूमिहीन" से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग अभिप्रेत है, जिसे—

(i) तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य विधि के अधीन उस रूप में माना जाए या विनिर्दिष्ट किया जाए; या

(ii) उपखंड (i) के अधीन विनिर्दिष्ट न किए जाने वाले किसी भूमिहीन की दशा में, वह जो समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(द) "भू-स्वामी" के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है,—

(i) जिसका नाम संबंधित प्राधिकारी के अभिलेखों में भूमि या भवन या उसके किसी भाग के स्वामी के रूप में अभिलेखबद्ध है; या

(ii) जिसे अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पट्टा अधिकार दिए गए हैं ; या 2007 का 2

(iii) जो राज्य की किसी विधि के अधीन भूमि पर, जिसके अंतर्गत समनुदेशित भूमि भी है, वनाधिकार दिए जाने का हकदार है ; या

(iv) जिसे न्यायालय या प्राधिकरण के किसी आदेश द्वारा इस रूप में घोषित किया गया है ;

(ध) "स्थानीय प्राधिकारी" के अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित कोई नगर योजना प्राधिकरण (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो), संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन यथापरिभाषित कोई पंचायत और अनुच्छेद 243त में यथापरिभाषित नगरपालिका है ;

(न) "सीमांत कृषक" से ऐसा खेतिहर अभिप्रेत है जिसके पास एक एकड़ तक की असिंचित भू-धृति है या आधे एकड़ तक की सिंचित भू-धृति है ;

(प) "बाजार मूल्य" से धारा 26 के अनुसार अवधारित भूमि का मूल्य अभिप्रेत है ;

(फ) "अधिसूचना" से, यथास्थिति, भारत के राजपत्र या किसी राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ब) "पट्टा" का वही अर्थ होगा जो सुसंगत केंद्रीय या राज्य अधिनियमों या उनके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों में उसका है ;

(भ) "हितबद्ध व्यक्ति" से अभिप्रेत है—

(i) ऐसे सभी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन भूमि के अर्जन मद्धे दिए जाने वाले प्रतिकर में हित का दावा करते हैं ;

(ii) ऐसी अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वन निवासी, जिन्होंने अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन किन्हीं वन्य अधिकारों को खो दिया है; 2007 का 2

(iii) भूमि पर प्रभाव डालने वाले किसी सुखाचार में हितबद्ध कोई व्यक्ति;

(iv) सुसंगत राज्य विधियों के अधीन अभिधृति अधिकार रखने वाले व्यक्ति, जिनके अंतर्गत फसल में बटाईदार, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, भी हैं ; और

(v) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी जीविका के मुख्य स्रोत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ;

(म) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(य) "परियोजना" से ऐसी कोई परियोजना अभिप्रेत है जिसके लिए भूमि का प्रभावित व्यक्ति की संख्या को विचार में लिए बिना, अर्जन किया जा रहा है ;

(यक) "लोक प्रयोजन" से धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं;

(यख) "अपेक्षक निकाय" से ऐसी कंपनी, निगमित निकाय, संस्था या कोई अन्य संगठन या व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके लिए समुचित सरकार द्वारा भूमि का अर्जन किया जाना है और इसके अंतर्गत ऐसी समुचित सरकार भी है यदि भूमि का, ऐसी सरकार के अपने स्वयं के उपयोग के लिए या ऐसी भूमि का, लोक प्रयोजन के लिए, बाद में, यथास्थिति, किसी कंपनी, निगमित निकाय, संस्था या किसी अन्य संगठन को पट्टे, अनुज्ञप्ति के अधीन या भूमि अंतरण करने के किसी अन्य ढंग के माध्यम से अंतरण किए जाने के लिए, अर्जन किया जाता है ;

(यग) "पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जहां प्रभावित कुटुंबों को, जो भूमि के अर्जन के परिणामस्वरूप विस्थापित हो गए हैं, समुचित सरकार द्वारा पुनर्व्यवस्थापित किया जाता है ;

(यघ) "अनुसूचित क्षेत्र" से पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 2 में यथापरिभाषित अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत हैं; 1996 का 40

(यङ) "छोटा कृषक" से ऐसा खेतिहर अभिप्रेत है, जिसके पास दो एकड़ तक की असिंचित भू-धृति है या एक एकड़ तक की सिंचित भू-धृति है, किंतु किसी सीमांत कृषक की धृति से अधिक धृति है ;

अध्याय 2

सामाजिक समाघात और लोक प्रयोजन का अवधारण

अ. सामाजिक समाघात और लोक प्रयोजन के अवधारण के लिए प्रारंभिक अन्वेषण

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का तैयार किया जाना ।

4. (1) जब कभी समुचित सरकार का, किसी लोक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन करने का आशय हो, वह प्रभावित क्षेत्र में ग्राम स्तर पर या वार्ड स्तर पर, यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम के साथ परामर्श करेगी और उनके परामर्श से, ऐसी रीति में और ऐसी तारीख से, जो उस सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराएगी।

(2) समुचित सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन परामर्श तथा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के प्रारंभ होने संबंधी जारी की गई अधिसूचना, यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम को तथा जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट और तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी और प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रकाशित की जाएगी तथा समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी:

परंतु समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराने के प्रक्रम पर, यथास्थिति, पंचायत, ग्राम सभा, नगरपालिका या नगर निगम के प्रतिनिधि को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए:

परंतु यह और कि समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन को उसके प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाए।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट धारा 6 के अधीन विहित रीति में जनसाधारण को उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के अंतर्गत, अन्य मामलों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—

(क) इस बात का निर्धारण कि क्या प्रस्तावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है ;

(ख) प्रभावित कुटुंबों का और उनमें से उन कुटुंबों की संख्या का प्राक्कलन, जिनके विस्थापित होने की संभावना है ;

(ग) ऐसी सार्वजनिक और प्राइवेट भूमि, मकानों, बंदोबस्तों और अन्य समान संपत्तियों की सीमा, जिनके प्रस्तावित अर्जन से प्रभावित होने की संभावना है ;

(घ) क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक की ही है ;

(ङ) क्या किसी आनुकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन किए जाने पर विचार किया गया है और उसे साध्य नहीं पाया गया है ;

(च) परियोजना के सामाजिक समाघातों तथा उनको ठीक करने की प्रकृति और खर्च तथा इन खर्चों का परियोजना के समग्र खर्च पर परियोजना के फायदों की तुलना में समाघात के अध्ययन :

परंतु पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन, यदि कोई हो, साथ-साथ किया जाएगा और यह सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के पूरा होने पर निर्भर नहीं करेगा।

(5) समुचित सरकार, उपधारा (1) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का कार्य हाथ में लेते समय अन्य बातों के साथ उस समाघात पर विचार करेगी, जो कि परियोजना से विभिन्न घटकों पर जैसे कि प्रभावित कुटुंबों की जीविका, सार्वजनिक और सामुदायिक संपत्तियों, आस्तियों तथा अवसंरचना, विशिष्टतया सड़कों, लोक परिवहन, जल-निकास, स्वच्छता, पेयजल के स्रोतों, पशुओं के लिए जल के स्रोतों, सामुदायिक जलाशयों, चरागाह भूमि, बागानों, जन सुविधाओं पर जैसे कि डाकघर, उचित दर दुकानें, खाद्य भंडारण गोदाम, विद्युत प्रदाय, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, विद्यालय और शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण सुविधाएं, आंगनबाड़ी, बाल उद्यान, पूजा स्थल, पारम्परिक जनजातीय संस्थाओं और कब्रस्थान तथा श्मशान घाट के लिए भूमि, पर पड़ने की संभावना है ।

(6) समुचित सरकार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करने वाले प्राधिकारी से उपधारा (5) में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट घटक के लिए समाघात को ठीक करने के लिए अपनाए जाने वाले अपेक्षित सुधारक उपायों को सूचीबद्ध करते हुए एक सामाजिक समाघात प्रबंध योजना तैयार करने की अपेक्षा कर सकेगी और ऐसे उपाय, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की उस प्रभावित क्षेत्र में प्रवर्तित किसी स्कीम या कार्यक्रम के अधीन जो कुछ उपलब्ध कराया गया है उससे कम नहीं होंगे ।

सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए लोक सुनवाई ।

5. जब कभी धारा 4 के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण तैयार कराया जाना अपेक्षित हो, समुचित सरकार, लोक सुनवाई के लिए तारीख, समय और स्थान के बारे में पर्याप्त प्रचार करने के पश्चात्, प्रभावित कुटुंबों के मतों का सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में अभिलिखित और सम्मिलित किया जाना अभिनिश्चित करने के लिए प्रभावित क्षेत्र में लोक सुनवाई के किए जाने को सुनिश्चित करेगी ।

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का प्रकाशन ।

6. (1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट तथा धारा 4 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट सामाजिक समाघात प्रबंध योजना तैयार की जाए और, यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम को तथा जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट और तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाए और प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रकाशित की जाए और समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड की जाए।

(2) जहां कहीं भी पर्यावरण समाघात निर्धारण किया जाए वहां सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक प्रति पर्यावरणीय समाघात निर्धारण करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत समाघात निर्धारण अभिकरण को उपलब्ध कराई जाएगी:

परन्तु ऐसी सिंचाई परियोजनाओं की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे।

आ. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का विशेषज्ञ समूह द्वारा अंकन

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का विशेषज्ञ समूह द्वारा अंकन।

7. (1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन एक स्वतंत्र बहु-शाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा, जो कि उसके द्वारा गठित किया जाए, कराया जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित विशेषज्ञ समूह के अंतर्गत निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:—

(क) दो गैर-सरकारी सामाजिक वैज्ञानिक ;

(ख) यथास्थिति, पंचायत, ग्राम सभा, नगरपालिका या नगर निगम के दो प्रतिनिधि ;

(ग) पुनर्व्यवस्थापन संबंधी दो विशेषज्ञ ; और

(घ) परियोजना से संबंधित विषय में एक तकनीकी विशेषज्ञ ।

(3) समुचित सरकार विशेषज्ञ समूह के सदस्यों में से एक व्यक्ति को उस समूह का अध्यक्ष नामनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(4) यदि उपधारा (1) के अधीन गठित विशेषज्ञ समूह की यह राय है कि—

(क) उस परियोजना से कोई लोक प्रयोजन पूरा नहीं होता है; या

(ख) परियोजना के सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में संभाव्य फायदे अधिक नहीं हैं,

तो वह उसके गठन की तारीख से दो मास के भीतर इस आशय की सिफारिश करेगी कि परियोजना का तुरंत परित्याग कर दिया जाए और उसकी बाबत भूमि का अर्जन करने के लिए कोई और कदम नहीं उठाए जाएं:

परंतु ऐसी सिफारिश के आधारों को, विशेषज्ञ समूह द्वारा उसके ब्यौरे और ऐसे विनिश्चय के लिए कारण देते हुए, लेखबद्ध किया जाएगा :

परंतु यह और कि जहां समुचित सरकार, ऐसी सिफारिशों के बावजूद, अर्जन की कार्यवाही करना चाहती है तो वह यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे करने के उसके कारण लेखबद्ध किए जाएं।

(5) यदि उपधारा (1) के अधीन गठित विशेषज्ञ समूह की यह राय है कि—

(क) उस परियोजना से कोई लोक प्रयोजन पूरा होगा; और

(ख) संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक हैं,

तो वह उसके गठन की तारीख से दो मास के भीतर इस बारे में विनिर्दिष्ट सिफारिशें करेगी कि क्या अर्जित किए जाने के लिए प्रस्थापित भूमि की सीमा, जिसकी कि परियोजना के लिए आवश्यकता है, पूर्णतया यथार्थ-न्यूनतम सीमा तक की है और क्या इससे कम विस्थापित किए जाने संबंधी कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं हैं :

परंतु ऐसी सिफारिश के आधारों को विशेषज्ञ समूह द्वारा ऐसे विनिश्चय के ब्यौरे और कारण देते हुए अभिलिखित किया जाएगा ।

(6) उपधारा (4) और उपधारा (5) में निर्दिष्ट विशेषज्ञ समूह की सिफारिशें, यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम को तथा जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट और तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाएंगी और प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रकाशित कराई जाएंगी तथा समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कराई जाएंगी।

समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन संबंधी प्रस्थापनाओं की और सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट की परीक्षा।

8. (1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि,—

(क) प्रस्तावित अर्जन का ऐसा विधिसम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है जिसके कारण पहचान की गई भूमि का अर्जन आवश्यक हो गया है ;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट संभाव्य फायदों और लोक प्रयोजन का सामाजिक खर्चों और ऐसे प्रतिकूल सामाजिक समाघात की तुलना में अधिक प्रभाव होगा, जिसे सामाजिक समाघात निर्धारण, जो किया गया है, द्वारा अवधारित किया जाए ;

(ग) परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के केवल न्यूनतम क्षेत्र के अर्जन की प्रस्थापना की जाए ;

(घ) ऐसी कोई अनुपयोजित भूमि नहीं है, जिसका उस क्षेत्र में पूर्व में अर्जन किया गया है;

(ङ) पूर्व में अर्जित और अनुपयोजित पड़ी रही भूमि, यदि कोई हो, का उपयोग उस लोक प्रयोजन के लिए किया जाए और वह उसकी बाबत सिफारिशें करेगी।

(2) समुचित सरकार, कलक्टर की रिपोर्ट पर, यदि कोई हो तथा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन संबंधी विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट पर विचार करेगी और सभी रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् अर्जन के लिए ऐसे क्षेत्र की सिफारिश करेगी जिससे लोगों का न्यूनतम विस्थापन, अवसंरचना, पारिस्थितिकी में कम से कम विघ्न और प्रभावित व्यष्टियों पर न्यूनतम प्रतिकूल समाघात सुनिश्चित होता हो ।

(3) समुचित सरकार का विनिश्चय, यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम को तथा जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा और प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रकाशित किया जाएगा और समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा :

परंतु जहां धारा 2 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भूमि का अर्जन किए जाने की ईप्सा की जाती है, वहां समुचित सरकार यह भी अभिनिश्चित करेगी कि क्या प्रभावित कुटुंबों की पूर्व सहमति, जैसी धारा 2 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन अपेक्षित है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अभिप्राप्त कर ली गई है ।

सामाजिक सामाघात निर्धारण से छूट ।

9. जहां धारा 40 के अधीन अत्यावश्यकता संबंधी उपबंधों का अवलंब लेते हुए भूमि का अर्जन किए जाने की प्रस्थापना है वहां समुचित सरकार सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन कराने से छूट दे सकेगी ।

अध्याय 3

खाद्य सुरक्षा के रक्षोपाय के लिए विशेष उपबंध

खाद्य सुरक्षा के रक्षोपाय के लिए विशेष उपबंध ।

10. (1) उपधारा (2) में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन सिंचित बहु-फसली भूमि का अर्जन नहीं किया जाएगा ।

(2) ऐसी भूमि का इस शर्त के अधीन रहते हुए अर्जन किया जा सकेगा कि ऐसा आपवादिक परिस्थितियों में निरूप्य अंतिम उपाय के रूप में किया जा रहा है, जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट भूमि का अर्जन किसी जिले या राज्य में सभी परियोजनाओं के लिए किसी भी दशा में ऐसी सीमाओं से अधिक नहीं है, जो समुचित सरकार द्वारा सुसंगत राज्यीय विनिर्दिष्ट कारकों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अधिसूचित की जाएं।

(3) जब कभी बहु-फसलीय सिंचित भूमि उपधारा (2) के अधीन अर्जित की जाती है, तब खेती योग्य बंजर भूमि के समान क्षेत्र को कृषि के प्रयोजनों के लिए विकसित किया जाएगा या अर्जित की गई भूमि के मूल्य के बराबर रकम खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए कृषि में विनिधान करने के लिए समुचित सरकार के पास जमा कराई जाएगी ।

(4) ऐसे किसी मामले में, जो उपधारा (1) के अंतर्गत नहीं आता है, कृषि भूमि का अर्जन ऐसे किसी जिले या राज्य में की सभी परियोजनाओं के लिए किसी भी दशा में कुल

मिलाकर उस जिले या राज्य के कुल शुद्ध बुआई क्षेत्र की उस सीमा से अधिक नहीं होगा, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए :

परन्तु इस धारा के उपबंध ऐसी परियोजनाओं, जो दीर्घकालीन प्रकृति की हैं, जैसे कि रेल, राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कों, सिंचन नहरों, विद्युत लाइनों, आदि की दशा में लागू नहीं होंगे।

अध्याय 4

अधिसूचना और अर्जन

प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन तथा तदुपरि अधिकारियों की शक्ति ।

11. (1) जब कभी समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी क्षेत्र में की भूमि की किसी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, तब उस आशय की, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अर्जित की जाने वाली भूमि के ब्यौरों सहित, एक अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रारंभिक अधिसूचना कहा गया है) निम्नलिखित रीति में प्रकाशित की जाएगी, अर्थात् :—

(क) राजपत्र में ;

(ख) ऐसे क्षेत्र के परिक्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचारपत्रों में, जिनमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगा ;

(ग) यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम में तथा जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में;

(घ) समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा;

(ङ) प्रभावित क्षेत्रों में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने के ठीक पश्चात् ग्राम स्तर पर संबंधित ग्राम सभा या सभाओं, नगरपालिका क्षेत्रों की दशा में नगरपालिकाओं और संविधान की छठी अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों की दशा में स्वायत्त परिषदों को, भूमि अर्जन के सभी मामलों में, उक्त उपधारा के अधीन जारी की गई अधिसूचना की अंतर्वस्तुओं के बारे में, विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई बैठक में, सूचित किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में अंतर्वलित लोक प्रयोजन की प्रकृति का, उन कारणों का, जिनके कारण प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश का और धारा 43 के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनों के लिए नियुक्त प्रशासक की विशिष्टियों का एक कथन भी अन्तर्विष्ट होगा ।

(4) कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :

परंतु कलक्टर इस प्रकार अधिसूचित भूमि के स्वामी द्वारा किए गए आवेदन पर विशेष परिस्थितियों में, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, ऐसे स्वामी को इस उपधारा के प्रवर्तन से छूट प्रदान कर सकेगा :

परंतु यह और कि इस उपबंध का किसी व्यक्ति द्वारा, स्वयं जानबूझकर किए गए अतिक्रमण के कारण उसको हुए किसी नुकसान या क्षति की पूर्ति कलक्टर द्वारा नहीं की जाएगी ।

(5) उपधारा (1) के अधीन सूचना के जारी किए जाने के पश्चात् कलक्टर, धारा 19 के अधीन घोषणा जारी किए जाने के पूर्व, यथाविहित भूमि अभिलेखों को दो मास की अवधि के भीतर अद्यतन करने का कार्य अपने हाथ में लेगा और उसे पूरा करेगा ।

भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण और अधिकारियों की सर्वेक्षण करने की शक्ति ।

12. समुचित सरकार को अर्जित की जाने वाली भूमि की सीमा अवधारण करने में समर्थ बनाने के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसे अधिकारी के लिए, जिसे ऐसी सरकार द्वारा इस निमित्त साधारणतया या विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो, तथा उसके सेवकों और कर्मकारों के लिए—

(क) ऐसे परिक्षेत्र में की किसी भूमि में प्रवेश करना और उसका सर्वेक्षण करना तथा तलमापन करना ;

(ख) अवमृदा के भीतर खोदना या वेधन करना ;

(ग) यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या वह भूमि ऐसे प्रयोजन के अनुकूल है, आवश्यक अन्य समस्त कार्यों को करना ;

(घ) उस भूमि की, जिसे लिए जाने की प्रस्थापना है, सीमाएं और उस संकर्म की, यदि कोई हो, जो उस पर किया जाना प्रस्तावित है, आशयित रेखांक नियत करना; और

(ङ) ऐसे तलों को, ऐसी सीमाओं को और रेखा को चिह्न लगाकर और खाइयां खोदकर चिह्नांकित करना और जहां कि अन्यथा सर्वेक्षण पूरा नहीं किया जा सकता और तलमापन नहीं किया जा सकता और सीमाएं और रेखा चिह्नित नहीं की जा सकती वहां किसी खड़ी फसल, बाड़ या जंगल के किसी भाग को काटना और साफ करना,

विधिपूर्ण होगा :

परंतु भूमि की बाबत खंड (क) से खंड (ङ) के अधीन कोई कार्य भूमि के स्वामी की अनुपस्थिति में या स्वामी द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि पहले परन्तुक के अधीन विनिर्दिष्ट कार्यों को स्वामी की अनुपस्थिति में उस दशा में अपने हाथ में लिया जा सकेगा, यदि स्वामी को उस सर्वेक्षण के कम से कम साठ दिन पूर्व एक सूचना देकर ऐसे सर्वेक्षण के दौरान उपस्थित होने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर दिया गया हो :

परंतु यह भी कि कोई भी व्यक्ति किसी भवन के भीतर या निवास-गृह से संलग्न किसी घिरे आंगन या बाग में जब तक कि उसके अधिभोगी की सहमति न हो ऐसे अधिभोगी को ऐसा करने के अपने आशय की कम-से-कम सात दिन की लिखित सूचना पहले से दिए बिना प्रवेश नहीं करेगा।

नुकसानी के लिए संदाय ।

13. धारा 12 के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी कारित किसी नुकसानी के भुगतान का संदाय या निविदान धारा 12 के अधीन प्रवेश के समय करेगा और इस प्रकार संदत्त या निविदत्त रकम की पर्याप्तता के संबंध में कोई विवाद होने की दशा में, वह उस विवाद को तत्क्षण जिले के कलक्टर या अन्य मुख्य राजस्व अधिकारी के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट करेगा और ऐसा विनिश्चय अंतिम होगा ।

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का व्यपगत होना ।

14. जहां धारा 11 के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना, धारा 7 के अधीन विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत की गई सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के अंकन की तारीख से बारह मास के भीतर जारी नहीं की जाती है, वहां ऐसी रिपोर्ट के बारे में यह समझा जाएगा कि वह व्यपगत हो गई है और धारा 11 के अधीन अर्जन की कार्यवाहियां करने के पूर्व नए सिरे से सामाजिक समाघात निर्धारण कार्य किया जाना अपेक्षित होगा :

परंतु समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जो उसे न्यायोचित ठहराती हैं :

परंतु यह और कि अवधि बढ़ाए जाने संबंधी किसी विनिश्चय को अभिलिखित किया जाएगा और उसे अधिसूचित किया जाएगा तथा संबंधित प्राधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

आक्षेपों की सुनवाई।

15. (1) ऐसी किसी भूमि में, जिसे धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किया गया है और जिसकी किसी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के भीतर—

(क) अर्जित किए जाने के लिए प्रस्थापित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति ;

(ख) लोक प्रयोजन के लिए दिए गए औचित्य के प्रति ;

(ग) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति,

आक्षेप कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आक्षेप कलक्टर को लिखित रूप में किया जाएगा और कलक्टर आक्षेपकर्ता को, स्वयं या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा या किसी अधिवक्ता द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों को सुनने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जैसी भी वह आवश्यक समझे या तो उस भूमि की बाबत, जो धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित की गई है, एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न भागों की बाबत विभिन्न रिपोर्टें, जिसे या जिनमें आक्षेपों के संबंध में उसकी सिफारिशें अंतर्विष्ट हों, उसके द्वारा की गई कार्रवाई के अभिलेख तथा भूमि के अर्जन की अनुमानित लागत तथा उन प्रभावित कुटुंबों की, जिनका पुनर्व्यवस्थापन किए जाने की संभावना है, संख्या के बारे में विशिष्टियां देते हुए एक पृथक् रिपोर्ट के साथ उस सरकार के विनिश्चय के लिए प्रस्तुत करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए आक्षेपों पर समुचित सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

प्रशासक द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का तैयार किया जाना ।

16. (1) कलक्टर द्वारा धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन पर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, प्रभावित कुटुंबों का एक सर्वेक्षण कराएगा तथा उनकी जनगणना का कार्य हाथ में लेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित होगा :—

(क) ऐसी भूमि और स्थावर संपत्तियों की विशिष्टियां, जिनका प्रत्येक प्रभावित कुटुंब से अर्जन किया जा रहा है ;

(ख) ऐसे भूमि खोने वालों और भूमिहीनों की बाबत, जिनकी जीविका अर्जित की जा रही भूमि पर मुख्यतः निर्भर है, खो गई जीविका ;

(ग) ऐसे लोकोपयोगी और सरकारी भवनों की सूची जो प्रभावित हुए हैं या जिनके प्रभावित होने की संभावना है जहां कि प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन का कार्य अंतर्वलित है ;

(घ) ऐसी सुख-सुविधाओं और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के ब्यौरे, जिन पर प्रभाव पड़ा है या जिनके प्रभावित होने की संभावना है, जहां कि प्रभावित कुटुंबों का पुनर्व्यवस्थापन कार्य अंतर्वलित है ; और

(ङ) ऐसे किन्हीं सामान्य संपत्ति स्रोतों के ब्यौरे, जिनका अर्जन किया जा रहा है।

(2) प्रशासक, उपधारा (1) के अधीन सर्वेक्षण और जनगणना के आधार पर, विहित किए गए अनुसार एक प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार करेगा, जिसमें ऐसे प्रत्येक भू-स्वामी और भूमिहीन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियों की विशिष्टियां सम्मिलित होंगी, जिनकी जीविका मुख्य रूप से अर्जित की जा रही भूमियों पर निर्भर है और जहां प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन में निम्नलिखित अंतर्वलित है—

(i) पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में उपलब्ध कराए जाने वाले सरकारी भवनों की सूची ;

(ii) ऐसी लोक सुख-सुविधाओं और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के ब्यौरे, जो पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में उपलब्ध कराई जानी हैं ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा सम्मिलित होगी ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को प्रभावित क्षेत्र में व्यापक प्रचार द्वारा स्थानीय रूप में अवगत कराया जाएगा और संबंधित ग्राम सभाओं या नगरपालिकाओं में विचार-विमर्श किया जाएगा ।

(5) लोक सुनवाई, प्रभावित क्षेत्र में लोक सुनवाई के लिए तारीख, समय और स्थान के बारे में पर्याप्त प्रचार करने के पश्चात्, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी:

परंतु ऐसे मामले में जहां किसी प्रभावित क्षेत्र में एक से अधिक ग्राम सभाएं या नगरपालिकाएं अंतर्वलित हैं, वहां लोक सुनवाई ऐसी प्रत्येक ग्राम सभा और नगरपालिका में की जाएगी जहां कि उस ग्राम सभा या नगरपालिका की पच्चीस प्रतिशत से अधिक भूमि का अर्जन किया जा रहा हो :

परंतु यह और कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के साथ विचार-विमर्श पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा । 1996 का 40

(6) प्रशासक, लोक सुनवाई के पूरा होने पर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रारूप स्कीम लोक सुनवाई में किए गए दावों और आक्षेपों से संबंधित विनिर्दिष्ट रिपोर्ट के साथ कलक्टर को प्रस्तुत करेगा ।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का पुनर्विलोकन ।

17. (1) कलक्टर, धारा 45 के अधीन परियोजना स्तर पर गठित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति के पास प्रशासक द्वारा धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन प्रस्तुत की गई प्रारूप स्कीम का पुनर्विलोकन करेगा ।

(2) कलक्टर, प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को अपने सुझावों सहित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त को स्कीम के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा ।

अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार्वजनिक किया जाना।

18. आयुक्त, अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को, यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम तथा जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराएगा और वह प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रकाशित की जाएगी और समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार का प्रकाशन।

19. (1) जब समुचित सरकार का धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन दी गई रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि किसी विशिष्ट भूमि की किसी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, तो प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनों के लिए "पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र" के रूप में पहचान किए गए किसी क्षेत्र की घोषणा के साथ, इस आशय की एक घोषणा उस सरकार के सचिव के या उसके आदेशों को प्रमाणित करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन की जाएगी और उसी प्रारंभिक अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली किसी भूमि के भिन्न-भिन्न खंडों की बाबत, इस बात को विचार में लिए बिना कि एक रिपोर्ट दी गई है या विभिन्न रिपोर्टें (जहां कहीं अपेक्षित हों) दी गई हैं, समय-समय पर विभिन्न घोषणाएं की जा सकेंगी ।

(2) कलक्टर, उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा के साथ, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार ऐसी घोषणा के साथ प्रकाशित नहीं कर दिया जाता है :

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन कोई घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक अपेक्षक निकाय भूमि के अर्जन की लागत मद्दे ऐसी कोई रकम, पूर्णतः या भागतः जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, जमा नहीं कर देता है :

परंतु यह भी कि अपेक्षक निकाय रकम को तत्परता से जमा कराएगा जिससे समुचित सरकार धारा 11 के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर घोषणा को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके।

(3) ऐसी परियोजनाओं में, जहां कि भूमि प्रक्रमों में अर्जित की जाती है, अर्जन संबंधी आवेदन में ही पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के विभिन्न प्रक्रमों को विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा और सभी घोषणाएं इस प्रकार विनिर्दिष्ट प्रक्रमों के अनुसार की जाएंगी।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक घोषणा निम्नलिखित रीति में प्रकाशित की जाएगी, अर्थात्:–

(क) राजपत्र में;

(ख) उस क्षेत्र के परिक्षेत्र में परिचालित किए जा रहे दो दैनिक समाचारपत्रों में, जिनमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगा;

(ग) यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम में तथा जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में;

(घ) समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करके;

(ङ) प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक घोषणा में निम्नलिखित उपदर्शित होगा,–

(क) वह जिला या अन्य राज्यक्षेत्रीय प्रभाग, जिसमें भूमि स्थित है;

(ख) वह प्रयोजन, जिसके लिए उसकी आवश्यकता है, उसका अनुमानित क्षेत्र; और

(ग) जहां भूमि के लिए कोई योजना बनाई जानी होगी, वहां वह स्थान, जहां ऐसी योजना का बिना किसी खर्च के निरीक्षण किया जा सकेगा।

(6) उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगी कि भूमि किसी लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है और ऐसी घोषणा करने के पश्चात् समुचित

सरकार भूमि का, ऐसी रीति में जो इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट की जाए, अर्जन कर सकेगी ।

(7) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है :

परंतु इस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि की संगणना करने में, ऐसी किसी अवधि या किन्हीं अवधियों को अपवर्जित किया जाएगा, जिनके दौरान भूमि अर्जन की कार्यवाहियों को किसी न्यायालय के आदेश द्वारा किसी रोक अथवा व्यादेश के कारण रोक दिया गया हो :

परंतु यह और कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि को बढ़ाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जो उसे न्यायोचित ठहराती हैं :

परंतु यह भी कि अवधि बढ़ाए जाने संबंधी किसी विनिश्चय को अभिलेखबद्ध किया जाएगा और उसे अधिसूचित किया जाएगा तथा संबंधित प्राधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के चिह्नांकन सहित भूमि का चिह्नांकन किया जाना, उसका मापमान और रेखांकन किया जाना ।

20. कलक्टर तदुपरांत भूमि को, जब तक कि उसे धारा 12 के अधीन पहले से चिह्नांकित न किया गया हो, चिह्नांकित और उसका मापमान कराएगा और यदि उसका कोई रेखांक तैयार नहीं किया गया है तो उसका रेखांक तैयार कराया जाएगा ।

हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना ।

21. (1) कलक्टर, इस बात का कथन करते हुए कि सरकार का आशय उस भूमि का कब्जा लेने का है और यह कि ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे उसको किए जाएं, लोक सूचना अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा और ली जाने वाली भूमि पर या उसके निकट सुविधाजनक स्थानों पर लोक सूचना दिलवाएगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट लोक सूचना में उस भूमि की, जिसकी इस प्रकार आवश्यकता है, विशिष्टियों का कथन होगा और उस भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों से सूचना में वर्णित स्थान और समय पर, जो सूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् तीस दिन से अन्यून और छह मास से अनधिक का न हो कलक्टर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होने और उसमें भूमि में उनके अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के उनके दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापमानों के संबंध में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावों का, उनके आक्षेपों, यदि कोई हों, के साथ कथन करने की अपेक्षा की जाएगी ।

(3) कलक्टर किसी भी दशा में उपधारा (2) में निर्दिष्ट ऐसा कथन पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा लिखित में और हस्ताक्षरित रूप में किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(4) कलक्टर ऐसी भूमि के अधिभोगी पर, यदि कोई हो, और उन सभी व्यक्तियों पर, जिनकी बाबत यह ज्ञात हो या जिनके बारे में यह विश्वास हो कि वे उसमें हितबद्ध हैं, इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों के लिए कार्य करने के हकदार हैं, जो उस राजस्व जिले के भीतर, जिसमें भूमि स्थित है, निवास करते हैं या उनकी ओर से तामील प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता रखते हैं, उस आशय की सूचना की भी तामील करेगा ।

(5) यदि इस प्रकार हितबद्ध कोई व्यक्ति कहीं अन्यत्र निवास करता है और उसका ऐसा कोई अभिकर्ता नहीं है, तो कलक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि वह सूचना उसे उसके अंतिम ज्ञात निवास-स्थान, कारबार के पते या स्थान पर भेजी जाए और उसे कम से कम दो राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्रों में तथा अपनी वेबसाइट पर भी उसे प्रकाशित करेगा ।

नामों और हितों के बारे में कथन करने की अपेक्षा करने और उसे प्रवृत्त करने की शक्ति ।

22. (1) कलक्टर ऐसे किसी व्यक्ति से यह भी अपेक्षा कर सकेगा कि वह एक कथन सह-स्वत्वधारी, उप-स्वत्वधारी, बंधकदार, अभिधारी के रूप में या अन्यथा उस भूमि में या उसके किसी भाग में कोई हित रखने वाले ऐसे प्रत्येक अन्य व्यक्ति का नाम और ऐसे हित की प्रकृति और कथन की तारीख से पूर्ववर्ती पिछले तीन वर्षों में उस लेखे प्राप्त या प्राप्य भाटक और लाभ, यदि कोई हों और जहां तक साध्य हो, अंतर्विष्ट हों, वर्णित समय (ऐसा समय उस अपेक्षा की तारीख के पश्चात् के तीस दिन से अन्यून का नहीं होगा) और स्थान पर उससे करे या उसे परिदत्त करे।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिससे इस धारा के अधीन कथन करने और उसे परिदत्त करने की अपेक्षा की गई है, भारतीय दंड संहिता की धारा 175 और धारा 176 के अर्थांतर्गत ऐसा करने के लिए विधिक रूप से आबद्धकर समझा जाएगा । 1860 का 45

कलक्टर द्वारा जांच और भूमि अर्जन अधिनिर्णय ।

23. इस प्रकार नियत दिन को या ऐसे किसी अन्य दिन को, जिसके लिए जांच स्थगित की गई है, कलक्टर उन आक्षेपों के बारे में, यदि कोई हों, जो धारा 21 के अधीन दी गई सूचना के अनुसरण में हितबद्ध किसी व्यक्ति ने धारा 20 के अधीन किए गए मापमानों के संबंध में किए हैं और अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख पर भूमि के मूल्य और प्रतिकर तथा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का दावा करने वाले व्यक्तियों के संबंधित हितों के बारे में जांच करने के लिए अग्रसर होगा, और—

(क) भूमि के सही क्षेत्र के बारे में ;

(ख) धारा 31 के अधीन यथा पारित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय सहित धारा 27 के अधीन यथा अवधारित ऐसे प्रतिकर के बारे में, जो उसकी राय में भूमि के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए ; और

(ग) जिन व्यक्तियों के संबंध में यह ज्ञात है या विश्वास है कि वे भूमि में हितबद्ध हैं या उन व्यक्तियों में से उनमें जिनके संबंध में या जिनके दावों की उसे सूचना है, चाहे वे स्वयं उसके समक्ष उपस्थित हुए हों या नहीं, उक्त प्रतिकर के प्रभाजन के बारे में,

स्वहस्ताक्षरित अधिनिर्णय देगा।

कतिपय मामलों में 1894 के अधिनियम 1 के अधीन भूमि अर्जन की प्रक्रिया का व्यपगत हुआ समझा जाना।

24. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन आरंभ की गई भूमि अर्जन की कार्यवाहियों के ऐसे किसी मामले में ,— 1894 का 1

(क) जहां उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय नहीं किया गया है, वहां प्रतिकर का अवधारण किए जाने से संबंधित इस अधिनियम के सभी उपबंध लागू होंगे; या

(ख) जहां उक्त धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय किया गया है, वहां ऐसी कार्यवाहियां उक्त भूमि अर्जन अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसी प्रकार जारी रहेंगी मानो उक्त अधिनियम निरसित नहीं किया गया है।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन आरंभ की गई भूमि अर्जन की कार्यवाहियों की दशा में, जहां उक्त धारा 11 के अधीन अधिनिर्णय इस अधिनियम के प्रारंभ के पांच वर्ष या उससे अधिक वर्ष पूर्व किया गया है, किंतु भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है या प्रतिकर का संदाय नहीं किया गया है, वहां उक्त कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे व्यपगत हो गई हैं और समुचित सरकार, यदि वह ऐसा विकल्प अपनाती है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे भूमि अर्जन की कार्यवाहियां नए सिरे से आरंभ करेगी : 1894 का 1

परन्तु जहां अधिनिर्णय किया गया है और अधिकांश भू-धृतियों की बाबत प्रतिकर फायदाग्राहियों के खाते में जमा नहीं किया गया है, वहां अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सभी फायदाग्राही उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 के अधीन अर्जन के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिकर के हकदार होंगे।

वह अवधि, जिसके भीतर अधिनिर्णय किया जाएगा ।

25. कलक्टर, धारा 19 के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर अधिनिर्णय करेगा और यदि उस अवधि के भीतर कोई अधिनिर्णय नहीं किया जाता है तो भूमि के अर्जन की समस्त प्रक्रियाएं व्यपगत हो जाएंगी :

परंतु समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जो उसे न्यायोचित ठहराती हैं:

परन्तु यह और कि अवधि बढ़ाए जाने संबंधी किसी विनिश्चय को अभिलेखबद्ध किया जाएगा और उसे अधिसूचित किया जाएगा तथा संबंधित प्राधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

कलक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण ।

26. (1) कलक्टर, भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण और अवधारण करने में निम्नलिखित मानदंड अपनाएगा, अर्थात् :—

(क) उस क्षेत्र में, जहां भूमि स्थित है, यथास्थिति, विक्रय विलेखों या विक्रय के करारों के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य, यदि कोई हो ; या

1899 का 2

(ख) निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती सामीप्य क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत; या

(ग) प्राइवेट कंपनियों के लिए या पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं के लिए भूमि के अर्जन के मामले में धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन करार पाए गए प्रतिकर की सम्मत रकम ,

इनमें से जो भी अधिक हो :

परन्तु बाजार मूल्य के अवधारण की तारीख वह तारीख होगी, जिसको धारा 11 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है।

स्पष्टीकरण 1—खंड (ख) में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण, उस वर्ष के, जिसमें भूमि का ऐसा अर्जन किए जाने की प्रस्थापना है, ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती सामीप्य क्षेत्र में उसी प्रकार के क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेखों या विक्रय के करारों को हिसाब में रख कर किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2—स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण करने के लिए, ऐसे विक्रय विलेखों या विक्रय करारों की, जिनमें उच्चतम विक्रय कीमत का उल्लेख किया गया है, कुल संख्या के आधे को हिसाब में लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 3—इस धारा के अधीन बाजार मूल्य का तथा स्पष्टीकरण 1 या स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण करते समय इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जिले में किसी पूर्ववर्ती अवसर पर अर्जित भूमि के लिए प्रतिकर के रूप में संदत्त किसी कीमत को विचार में नहीं लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण 4—इस धारा के अधीन बाजार मूल्य का तथा स्पष्टीकरण 1 या स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण करते समय, ऐसी किसी संदत्त कीमत को, जो कलक्टर की राय में वस्तुतः विद्यमान बाजार मूल्य की सूचक नहीं है, बाजार मूल्य की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए कम किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसार संगणित बाजार मूल्य को पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कारक से गुणा किया जाएगा।

(3) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन बाजार मूल्य निम्नलिखित कारण से अवधारित नहीं किया जा सकता है कि,—

(क) भूमि ऐसे क्षेत्र में स्थित है, जहां भूमि संबंधी संव्यवहार उस क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन निर्बंधित है ; या

(ख) उसी प्रकार की भूमि के लिए उपधारा (1) के खंड (क) में यथावर्णित पूर्ववर्ती ठीक तीन वर्ष पूर्व के रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख या विक्रय-करार उपलब्ध नहीं हैं ; या

(ग) समुचित प्राधिकारी द्वारा बाजार मूल्य भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के अधीन विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, 1899 का 2

वहां संबंधित राज्य सरकार, ठीक लगे हुए क्षेत्रों में स्थित उसी प्रकार की भूमि की बाबत उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रीति में संगणित कीमत के आधार पर, उक्त भूमि की भू-क्षेत्र कीमत या प्रति यूनिट क्षेत्र न्यूनतम कीमत विनिर्दिष्ट करेगी :

परन्तु ऐसी दशा में, जहां अपेक्षित निकाय भूमि के अर्जन के लिए प्रतिकर के भागरूप भूमि के स्वामियों को (जिनकी भूमि का अर्जन किया गया है) अपने शेयर प्रस्थापित करता है, वहां किसी भी दशा में, ऐसे शेयर, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन इस प्रकार संगणित मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे:

परन्तु यह और कि अपेक्षित निकाय किसी भी दशा में, भूमि के किसी स्वामी को (जिसकी भूमि का अर्जन किया गया है) अपने ऐसे शेयर लेने के लिए बाध्य नहीं करेगा, जिनका मूल्य उपधारा (1) के अधीन संगणित भूमि के मूल्य में कटौती योग्य है :

परन्तु यह भी कि कलक्टर, किसी क्षेत्र में भूमि अर्जन की कोई कार्यवाहियां आरंभ करने के पूर्व, उस क्षेत्र में प्रचलित बाजार दर के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य को पुनरीक्षित और अद्यतन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा :

परन्तु यह भी कि समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शैक्षणिक संस्था की किसी भूमि या संपत्ति के अर्जन के लिए अवधारित बाजार मूल्य ऐसा होगा जिससे उनका अपने विकल्प की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो।

प्रतिकर की रकम का अवधारण ।

27. कलक्टर, अर्जन की जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य अवधारित करने पर, भूमि से संलग्न सभी आस्तियों को सम्मिलित करके, भूमि के स्वामी (जिसकी भूमि का अर्जन किया गया है) को संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर की संपूर्ण रकम की संगणना करेगा ।

वे मापदंड, जिन पर कलक्टर द्वारा अधिनिर्णय का अवधारण करने में विचार किया जाएगा।

28. कलक्टर, इस अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि के लिए अधिनिर्णीत किए जाने वाले प्रतिकर की रकम का अवधारण करने में निम्नलिखित पर विचार करेगा —

पहले, धारा 26 के अधीन यथा अवधारित बाजार मूल्य और पहली अनुसूची तथा दूसरी अनुसूची के अनुसार अधिनिर्णीत की रकम;

दूसरे, हितबद्ध व्यक्ति को ऐसी खड़ी फसलों और वृक्षों को, जो कलक्टर द्वारा उनका कब्जा लिए जाने के समय उस भूमि पर हों, कब्जे में लेने के कारण हुआ नुकसान;

तीसरे, कलक्टर द्वारा भूमि का कब्जा लेने के समय हितबद्ध व्यक्ति को, उस भूमि को उसकी अन्य भूमि से अलग किए जाने के कारण हुआ नुकसान (यदि कोई हो);

चौथे, कलक्टर द्वारा भूमि का कब्जा लेने के समय, हितबद्ध व्यक्ति को ऐसे अर्जन के कारण, जिससे उसकी अन्य जंगम या स्थावर संपत्ति पर किसी अन्य रीति में या उसके उपार्जनों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा हो, हुआ नुकसान (यदि कोई हो) ;

पांचवें, हितबद्ध व्यक्ति को कलक्टर द्वारा भूमि के अर्जन के परिणामस्वरूप अपना निवास-स्थान या कारबार के स्थान में परिवर्तन करने के लिए विवश होने की दशा में, ऐसे परिवर्तन के आनुषगिक युक्तियुक्त व्यय (यदि कोई हों) ;

छठे, धारा 19 के अधीन घोषणा के प्रकाशन के समय और कलक्टर द्वारा भूमि का कब्जा लिए जाने के समय के बीच भूमि से लाभों में कमी होने के परिणामस्वरूप होने वाला कोई वास्तविक नुकसान (यदि कोई हो); और

सातवें, ऐसा कोई अन्य आधार, जो प्रभावित कुटुंबों के लिए साम्यापूर्ण, न्याय के हित में और उनके लिए फायदाप्रद हो।

भूमि या भवन से संलग्न वस्तुओं के मूल्य का अवधारण।

29. (1) कलक्टर, ऐसी भूमि या ऐसे भवन से जिनका अर्जन किया जाना है संलग्न भवन और अन्य स्थावर संपत्ति या आस्तियों के बाजार मूल्य का अवधारण करने में सुसंगत क्षेत्र में किसी सक्षम इंजीनियर या ऐसे किसी अन्य विशेषज्ञ की ऐसी सेवाओं का जो उसके द्वारा आवश्यक समझी जाएं, उपयोग कर सकेगा ।

(2) कलक्टर, अर्जित भूमि से संलग्न वृक्षों और पौधों के मूल्य का अवधारण करने में, कृषि, वनविज्ञान, उद्यानकृषि, रेशम कीट पालन के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्तियों की सेवाओं का, जो उसके द्वारा आवश्यक समझी जाएं, उपयोग कर सकेगा ।

(3) कलक्टर, भूमि अर्जन की प्रक्रिया के दौरान नुकसानग्रस्त खड़ी फसलों के मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, कृषि के क्षेत्र में ऐसे अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की सेवाओं का, जो उसके द्वारा आवश्यक समझी जाएं, उपयोग कर सकेगा ।

तोषण का दिया जाना।

30. (1) कलक्टर, संदत्त किए जाने वाले संपूर्ण प्रतिकर का अवधारण करने पर, अंतिम अधिनिर्णय पर पहुंचने के लिए और शत-प्रतिशत प्रतिकर की रकम के समतुल्य "तोषण" की रकम अधिरोपित करेगा।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि तोषण की रकम, ऐसे व्यक्ति को, जिसकी भूमि का अर्जन किया गया है, संदेय प्रतिकर के अतिरिक्त होगी।

(2) कलक्टर, संदेय प्रतिकर की विशिष्टियों का ब्यौरा और पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिकर के संदाय के ब्यौरे देते हुए पृथक्-पृथक् अधिनिर्णय जारी करेगा ।

(3) धारा 26 के अधीन उपबंधित भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, कलक्टर प्रत्येक मामले में, उस भूमि की बाबत ऐसे बाजार मूल्य पर धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही प्रारंभ होने वाली और कलक्टर के निर्णय की तारीख तक या भूमि का कब्जा लेने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के लिए बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर संगणित रकम अधिनिर्णीत करेगा।

अध्याय 5

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

प्रभावित व्यक्तियों के लिए कलक्टर द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय ।

31. (1) कलक्टर, दूसरी अनुसूची में उपबंधित हकदारियों के निबंधनों के अनुसार प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय पारित करेगा ।

(2) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय में निम्नलिखित सभी सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(क) कुटुंब को संदेय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन रकम;

(ख) उस व्यक्ति का, जिसको पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय की रकम अंतरित की जानी हो, बैंक खाता संख्यांक;

(ग) विस्थापित कुटुंबों की दशा में, आबंटित किए जाने वाले गृह स्थल और गृह की विशिष्टियां;

(घ) विस्थापित कुटुंबों को आबंटित भूमि की विशिष्टियां;

(ङ) विस्थापित कुटुंबों की दशा में, एक बारगी जीवन-निर्वाह भत्ते और परिवहन भत्ते की विशिष्टियां;

(च) पशु शेड और छोटी दुकानों के लिए संदाय की विशिष्टियां;

(छ) शिल्पकारों और छोटे व्यापारियों के लिए एक बारगी रकम की विशिष्टियां;

(ज) प्रभावित कुटुंबों के सदस्यों को उपलब्ध कराए जाने वाले आज्ञापक नियोजन के ब्यौरे ;

(झ) ऐसे किन्हीं मत्स्य अधिकारों की, जो अन्तर्वलित हों, विशिष्टियां ;

(ञ) प्रदान की जाने वाली वार्षिकी और अन्य हकदारियों की विशिष्टियां;

(ट) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले विशेष उपबंधों की विशिष्टियां :

परन्तु यदि खंड (क) से खंड (ट) के अधीन विनिर्दिष्ट विषयों में से कोई विषय किसी प्रभावित कुटुंब को लागू नहीं होता है तो उसे "लागू नहीं होता" के रूप में उपदर्शित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, कीमत सूचकांक में बढ़ोतरी को हिसाब में लेते हुए, प्रभावित कुटुंबों को संदेय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन रकम की दर में वृद्धि कर सकेगी।

पुनर्व्यवस्थापित क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सुख-सुविधाओं का उपबंध।

32. कलक्टर, इस अधिनियम के अधीन यथापरिभाषित प्रत्येक पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में, तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी अवसंरचनात्मक सुविधाओं और मूलभूत न्यूनतम सुख-सुविधाओं के उपबंध को सुनिश्चित करेगा।

कलक्टर द्वारा अधिनिर्णयों को शुद्ध किया जाना।

33. (1) कलक्टर, किसी भी समय, किन्तु अधिनिर्णय की तारीख से छह मास के अपश्चात् या जहां उससे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन धारा 64 के अधीन प्राधिकरण को निर्देश करने की अपेक्षा की गई है वहां, ऐसा निर्देश करने के पूर्व, आदेश द्वारा, अधिनिर्णयों में की किन्हीं लिपिकीय या गणित संबंधी भूलों अथवा उसमें होने वाली गलतियों को, स्वप्रेरणा से या हितबद्ध किसी व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पर, शुद्ध कर सकेगा :

परन्तु ऐसी कोई शुद्धि, जिससे किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि उस व्यक्ति को मामले में अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

(2) कलक्टर इस प्रकार शुद्ध किए गए अधिनिर्णय में की गई किसी शुद्धि की सभी हितबद्ध व्यक्तियों को तुरन्त सूचना देगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन की गई शुद्धि के परिणामस्वरूप यह साबित हो जाता है कि किसी व्यक्ति को किसी अधिक रकम का संदाय कर दिया गया है, वहां इस प्रकार संदत्त आधिक्य रकम प्रतिसंदेय होगी और संदाय करने में कोई व्यतिक्रम या उससे इंकार की दशा में, उसकी वसूली समुचित सरकार द्वारा यथाविहित रूप में, की जा सकेगी।

जांच का स्थगन।

34. कलक्टर, ऐसे किसी कारण से, जो वह ठीक समझे, समय-समय पर, जांच को ऐसे किसी दिन के लिए स्थगित कर सकेगा, जो उसके द्वारा नियत किया जाए।

साक्षियों को समन करने और हाजिर कराने तथा दस्तावेज पेश कराने की शक्ति।

35. कलक्टर को, इस अधिनियम के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए, साक्षियों को, जिनके अन्तर्गत उनमें से कोई हितबद्ध पक्षकार भी हैं, उन्हीं साधनों द्वारा और यथाशक्य उसी रीति में, जो किसी सिविल न्यायालय की दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन उपबंधित है, समन करने, उनको हाजिर कराने और दस्तावेज पेश करने के लिए विवश करने की शक्ति होगी। 1908 का 5

अभिलेख, आदि मंगाने की शक्ति।

36. समुचित सरकार, धारा 30 के अधीन कलक्टर द्वारा अधिनिर्णय किए जाने के पूर्व किसी भी समय, किन्हीं कार्यवाहियों का (चाहे जांच के रूप में हों या अन्यथा) अभिलेख किन्हीं निष्कर्षों या पारित आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगा सकेगी और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगी या ऐसा निदेश ज़ारी कर सकेगी, जो वह ठीक समझे :

परन्तु समुचित सरकार उस व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना कोई ऐसा आदेश पारित नहीं करेगी या ऐसा निदेश जारी नहीं करेगी जिससे उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

कलक्टर का अधिनिर्णय कब अंतिम होगा ।

37. (1) अधिनिर्णय कलक्टर के कार्यालय में फाइल किए जाएंगे और इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय, कलक्टर और हितबद्ध व्यक्तियों के बीच, चाहे वे कलक्टर के समक्ष स्वयं उपस्थित हुए हों या नहीं, इस प्रकार अवधारित किए गए भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल तथा उससे संलग्न आस्तियों के बाजार मूल्य का और हितबद्ध व्यक्तियों के बीच प्रतिकर के प्रभाजन का अंतिम और निश्चायक साक्ष्य होगा।

(2) कलक्टर अपने अधिनिर्णयों की सूचना ऐसे हितबद्ध व्यक्तियों में से उनको तत्काल देगा, जो अधिनिर्णय किए जाने के समय व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए थे।

(3) कलक्टर, भूमि के अर्जन की दशा में की गई संपूर्ण कार्यवाहियों का सार, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यष्टि को दिए गए प्रतिकर की रकम भी है, इस अधिनियम के अधीन अंतिम रूप से अर्जित की गई भूमि के ब्यौरों के साथ, जनता के लिए खुला रखेगा और इस प्रयोजन के लिए सृजित वेबसाइट पर संप्रदर्शित करेगा।

अर्जित की जाने वाली भूमि का कब्जा लेने की शक्ति ।

38. (1) कलक्टर यह सुनिश्चित करने के पश्चात् भूमि का कब्जा लेगा कि प्रतिकर तथा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियों के पूर्ण भुगतान का प्रतिकर के लिए धारा 30 के अधीन किए गए अधिनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाली तीन मास की अवधि के भीतर और दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के धनीय भाग के लिए छह मास की अवधि के भीतर संदाय कर दिया गया है या निविदान कर दिया गया है :

परंतु दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची में के पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन पैकेज के घटकों का, जो अवसंरचनात्मक हकदारियों से संबंधित हैं, अधिनिर्णय की तारीख से अठारह मास की अवधि के भीतर उपबंध किया जाएगा :

परन्तु यह और कि सिंचाई या जल परियोजना, जो एक लोक प्रयोजन है, के लिए भूमि के अर्जन की दशा में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अर्जित भूमियों के निमज्जन के छह मास पूर्व पूरी की जाएगी।

(2) कलक्टर यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि प्रभावित कुटंबों को विस्थापित करने के पूर्व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया उसके सभी पहलुओं में पूरी की जाए।

बहुस्थानिक विस्थापनों की दशा में अतिरिक्त प्रतिकर।

39. कलक्टर, यथासंभव, ऐसे किसी कुटुंब को, जिसे समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अर्जन के प्रयोजनार्थ पहले ही विस्थापित किया जा चुका है, विस्थापित नहीं करेगा और यदि उसे इस प्रकार विस्थापित किया गया है तो वह इस अधिनियम के अधीन जो प्रतिकर अवधारित किया गया है उसके समतुल्य अतिरिक्त प्रतिकर का संदाय द्वितीय या उत्तरवर्ती विस्थापनों के लिए करेगा।

कतिपय दशाओं में भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में विशेष शक्तियां।

40. (1) अत्यावश्यकता की दशाओं में, जब कभी समुचित सरकार ऐसा निदेश दे, कलक्टर, यद्यपि ऐसा कोई अधिनिर्णय नहीं किया गया हो, धारा 21 में वर्णित सूचना के प्रकाशन से तीस दिन की समाप्ति पर किसी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक किसी भूमि का कब्जा ले सकेगा और ऐसा होने पर, ऐसी भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त, पूर्णतया सरकार में निहित हो जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन समुचित सरकार की शक्तियां भारत की रक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए या प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न किन्हीं आपातों के लिए या संसद् के अनुमोदन से किसी अन्य आपात के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्र तक निर्बंधित होंगी :

परन्तु कलक्टर इस उपधारा के अधीन किसी भवन या किसी भवन के भाग का कब्जा, उसके अधिभोगी को ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम अड़तालीस घंटे की सूचना या ऐसे अधिक समय की सूचना, जो ऐसे अधिभोगी को किसी अनावश्यक असुविधा के बिना ऐसे भवन से अपनी जंगम संपत्ति को हटाने में समर्थ बनाने के लिए युक्तियुक्त रूप से पर्याप्त हो, दिए बिना नहीं लेगा।

(3) कलक्टर, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी भूमि का कब्जा लेने के पूर्व ऐसी भूमि के लिए उसके द्वारा प्राक्कलित प्रतिकर के अस्सी प्रतिशत का उसके लिए हकदार हितबद्ध व्यक्तियों को संदाय निविदत्त करेगा।

(4) ऐसी किसी भूमि की दशा में, जिसको समुचित सरकार की राय में, उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबंध लागू होते हैं, समुचित सरकार यह निदेश दे सकेगी कि अध्याय 2 से अध्याय 6 के कोई या सभी उपबंध लागू नहीं होंगे और यदि वह ऐसा निदेश देती है तो धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् किसी भी समय धारा 19 के अधीन उस भूमि की बाबत घोषणा की जा सकेगी।

(5) धारा 27 के अधीन यथा अवधारित कुल प्रतिकर के पचहत्तर प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का कलक्टर द्वारा ऐसी भूमि और संपत्ति की बाबत, जिसके अर्जन के संबंध में इस धारा की उपधारा (1) के अधीन कार्यवाहियां आरंभ की जा चुकी हैं, संदाय किया जाएगा :

परन्तु यदि परियोजना ऐसी है जो भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और सामरिक हितों या विदेशी राज्यों के साथ संबंधों को प्रभावित करती है, तो किसी अतिरिक्त प्रतिकर का संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध।

41. (1) भूमि का कोई भी अर्जन, यथासंभव, अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं किया जाएगा।

(2) यदि ऐसा अर्जन होता है तो ऐसा केवल साध्य अंतिम अवलम्ब के रूप में किया जाएगा।

(3) अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भूमि के अर्जन या अन्यसंक्रामण की दशा में, संविधान की पांचवीं अनुसूची के अधीन के अनुसूचित क्षेत्रों में, यथास्थिति, संबंधित ग्राम सभा या पंचायतों या स्वशासी जिला परिषदों की पूर्व सहमति ऐसे क्षेत्रों में भूमि अर्जन के, जिनके अन्तर्गत अत्यावश्यकता की दशा में अर्जन भी है, सभी मामलों में इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन कोई अधिसूचना जारी करने के पूर्व समुचित स्तर पर अभिप्राप्त की जाएगी :

परंतु पंचायतों और स्वशासी जिला परिषदों की सहमति उन मामलों में अभिप्राप्त की जाएगी, जहां ग्राम सभा अस्तित्व में नहीं है या उसका गठन नहीं किया गया है।

(4) किसी अपेक्षक निकाय की ओर से भूमि के अर्जन को अंतर्वलित करने वाली ऐसी किसी परियोजना की दशा में, जिसमें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के कुटुंबों का अस्वैच्छिक विस्थापन अन्तर्वलित है, एक विकास योजना ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, उनमें भूमि संबंधी उन अधिकारों का, जो शोध्य हैं किन्तु जिनका परिनिर्धारण नहीं किया गया है, परिनिर्धारण करने तथा भूमि अर्जन सहित एक विशेष अभियान चलाकर अन्यसंक्रामित भूमि पर अनुसूचित जनजातियों और साथ ही अनुसूचित जातियों के हकों को बहाल करने संबंधी प्रक्रिया के ब्यौरे अधिकथित करते हुए, तैयार की जाएगी।

(5) विकास योजना में गैरवन्य भूमि पर पांच वर्ष की अवधि के भीतर वैकल्पिक ईंधन, चारे और गैरकाष्ठ वन्य उपज संसाधनों का विकास करने संबंधी एक ऐसा कार्यक्रम भी होगा, जो जनजातीय समुदायों और साथ ही अनुसूचित जातियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो।

(6) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों से भूमि का अर्जन किए जाने की दशा में, शोध्य प्रतिकर की कम से कम एक-तिहाई रकम का संदाय प्रभावित कुटुंबों को प्रारंभ में ही पहली किस्त के रूप में किया जाएगा और शेष रकम का संदाय भूमि का कब्जा ग्रहण किए जाने के पश्चात् किया जाएगा।

(7) अनुसूचित जनजातियों के प्रभावित कुटुंबों को अधिमानतः उसी अनुसूचित क्षेत्र में एक संहत ब्लाक में पुनःव्यवस्थापित किया जाएगा जिससे कि वे अपनी जातीय, भाषीय और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रख सकें।

(8) ऐसे पुनर्वासित क्षेत्रों को, जिनमें प्रधानतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग निवास करते हैं, उस सीमा तक, जो समुचित सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए, सामुदायिक और सामाजिक समूहन के लिए निःशुल्क भूमि मिलेगी।

(9) जनजातीय लोगों की भूमि या अनुसूचित जातियों के सदस्यों की भूमियों का तत्समय प्रवृत्त विधियों और विनियमों की अवहेलना करके किया गया कोई अन्यसंक्रामण अकृत और शून्य माना जाएगा और ऐसी भूमियों के अर्जन की दशा में, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी फायदे मूल जनजातीय भू-स्वामियों अथवा अनुसूचित जाति से संबद्ध भू-स्वामियों को उपलब्ध करवाए जाएंगे।

(10) प्रभावित अनुसूचित जनजातियों, अन्य पारंपरिक वन्य निवासियों और अनुसूचित जातियों को, जिनको प्रभावित क्षेत्र में नदी या तालाब या बांध में मछली पकड़ने के अधिकार प्राप्त हैं, सिंचाई या जल-विद्युत परियोजनाओं के जलाशय क्षेत्र में मछली पकड़ने के अधिकार दिए जाएंगे।

(11) जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रभावित कुटुंबों को जिले के बाहर पुनर्वासित किया जाता है, वहां उन्हें पचास हजार रुपए की एक बारगी हकदारी के साथ अतिरिक्त पच्चीस प्रतिशत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन फायदे संदत्त किए जाएंगे जिन्हें वे धनीय रूप में पाने के हकदार होंगे।

आरक्षण और अन्य फायदे।

42. (1) वे सभी फायदे, जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित क्षेत्रों में आरक्षण संबंधी उपलब्ध फायदे भी हैं, पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में भी मिलते रहेंगे।

(2) जब कभी अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध प्रभावित कुटुंबों को, जो संविधान की पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में या छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, उन क्षेत्रों के बाहर पुनर्वासित किया जाता है, तो उनके द्वारा इस अधिनियम के अधीन उपयोग किए जा रहे सभी कानूनी रक्षोपाय, हकदारियां और फायदे उन क्षेत्रों में भी, जहां उन्हें पुनर्वासित किया जाता है, इस बात पर विचार किए बिना कि पुनर्व्यवस्थापित क्षेत्र उक्त पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र या उक्त छठी अनुसूची में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्र है या नहीं, प्रदान किए जाते रहेंगे।

(3) जहां अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अधीन सामुदायिक अधिकारों का परिनिर्धारण किया जा चुका है, वहां उनको धनीय राशि में परिमाणित किया जाएगा और ऐसे संबद्ध व्यष्टिक को, जिसको भूमि के अर्जन के कारण विस्थापित किया गया है, ऐसे सामुदायिक अधिकारों में उसके हिस्से के अनुपात में उसका संदाय किया जाएगा।

2007 का 2

अध्याय 6

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया और रीति

प्रशासक की नियुक्ति।

43. (1) जहां समुचित सरकार का यह समाधान हो जाता है कि भूमि के अर्जन के कारण व्यक्तियों का अस्वैच्छिक विस्थापन होने की संभावना है, वहां राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस परियोजना के संबंध में, संयुक्त कलक्टर या अपर कलक्टर या उप कलक्टर की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी या राजस्व विभाग के समतुल्य पदधारी को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करेगी ।

(2) प्रशासक को, दक्षतापूर्वक कृत्य करने और विशेष समय-सीमा को पूरा करने में उसे समर्थ बनाने के लिए ऐसी शक्तियां, कर्तव्य और उत्तरदायित्व सौंपे जाएंगे, जो समुचित सरकार द्वारा विहित किए जाएं, तथा कार्यालय अवसंरचना उपलब्ध कराई जाएगी और उसकी ऐसे उतने अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा, जितने समुचित सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं, सहायता की जाएगी, जो उसके अधीनस्थ होंगे ।

(3) समुचित सरकार और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की विरचना, निष्पादन और मानीटरीकरण प्रशासक में निहित होगा।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त।

44. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए उस सरकार के आयुक्त या सचिव की पंक्ति के किसी अधिकारी को नियुक्त करेगी, जिसे पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त कहा जाएगा ।

(2) आयुक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों या योजनाओं की विरचना का पर्यवेक्षण करने और ऐसी स्कीमों और योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) आयुक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक संपरीक्षा कराने के लिए उत्तरदायी होगा ।

परियोजना स्तर पर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति।

45. (1) जहां ऐसी भूमि, जिसका अर्जन किए जाने की प्रस्थापना है, एक सौ एकड़ के बराबर या उससे अधिक है, वहां समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति को मानीटर करने और उसका पुनर्विलोकन करने के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक संपरीक्षा कराने के लिए कलक्टर की अध्यक्षता के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करेगी ।

(2) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति में, समुचित सरकार के अधिकारियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाली स्त्रियों की एक प्रतिनिधि ;

(ख) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों का एक प्रतिनिधि ;

(ग) क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी स्वैच्छिक संगठन का एक प्रतिनिधि ;

(घ) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का एक प्रतिनिधि ;

(ङ) परियोजना का भूमि अर्जन अधिकारी ;

(च) प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित पंचायतों या नगरपालिकाओं के अध्यक्ष या उनके नामनिर्देशिती ;

(छ) जिला योजना समिति का अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशिती;

(ज) संबंधित क्षेत्र का संसद् सदस्य और विधान सभा का सदस्य या उनके नामनिर्देशिती:

(झ) अपेक्षक निकाय का एक प्रतिनिधि ; और

(ञ) सदस्य-संयोजक के रूप में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक ।

(3) इस धारा में वर्णित प्रक्रिया के निर्वहन को विनियमित करने की प्रक्रिया और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति के उससे संबंधित अन्य विषय वे होंगे, जो समुचित सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी उपबंधों का विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न कतिपय व्यक्तियों की दशा में लागू होना ।

46. (1) जहां किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति प्राइवेट बातचीत के माध्यम से किसी क्षेत्र के लिए ऐसी सीमाओं के, जो समुचित सरकार द्वारा सुसंगत राज्य के उन विनिर्दिष्ट कारकों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अधिसूचित की जाएं जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन खर्च का संदाय किया जाना अपेक्षित है, बराबर या उससे अधिक भूमि क्रय कर रहा है, वहां वह जिला कलक्टर को उसे निम्नलिखित के बारे में सूचना देते हुए एक आवेदन फाइल करेगा,—

(क) क्रय करने का आशय ;

(ख) वह प्रयोजन, जिसके लिए ऐसा क्रय किया जा रहा है ;

(ग) क्रय की जाने वाली भूमियों की विशिष्टियां ।

(2) कलक्टर का यह कर्तव्य होगा कि वह उस मामले को इस अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित सभी सुसंगत उपबंधों के समाधान के लिए आयुक्त को निर्दिष्ट करे ।

(3) कलक्टर, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आयुक्त द्वारा अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के आधार पर, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियों को सम्मिलित करते हुए पृथक्-पृथक् अधिनिर्णय पारित करेगा ।

(4) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का पूर्णतया पालन न किए जाने की दशा में भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(5) विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के उपबंधों का अनुपालन किए बिना, भूमि का कोई क्रय आरंभ से ही शून्य होगाः

परंतु समुचित सरकार अपने राज्य में भूमि के विक्रय या क्रय के संबंध में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी उपबंधों का उपबंध कर सकेगी और उक्त प्रयोजन के लिए सीमाएं अथवा अधिकतम सीमा भी नियत करेगी।

(6) यदि ऐसी कोई भूमि किसी व्यक्ति द्वारा 5 सितंबर, 2011 को या उसके पश्चात् प्राइवेट बातचीत के माध्यम से क्रय की गई है, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसी सीमाओं से अधिक है और यदि उसी भूमि का इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष के भीतर अर्जन किया जाता है, तो ऐसी अर्जित भूमि के लिए संदत्त प्रतिकर का चालीस प्रतिशत हिस्सा मूल भू-स्वामियों के साथ बांटा जाएगा।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) "मूल भू-स्वामी" पद, 5 सितंबर, 2011 को जो भू-स्वामी है उसके प्रति निर्देश करता है;

(ख) "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" पद के अंतर्गत—

(i) समुचित सरकार ;

(ii) सरकारी कंपनी ;

1860 का 21

(iii) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन यथा रजिस्ट्रीकृत ऐसा व्यक्ति–संगम, न्यास या सोसाइटी, जो पूर्णतः या भागतः समुचित सरकार द्वारा सहायता पाती है या समुचित सरकार के नियंत्रणाधीन है,

से भिन्न कोई व्यक्ति आता है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन राशि का परिमाणन और जमा किया जाना।

47. जहां कलक्टर का यह मत है कि अपेक्षक निकाय की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी बाध्यताओं को धनीय राशि में परिमाणित किया जा सकता है, वहां वह ऐसी राशि का उन बाध्यताओं को पूर्णतया पूरा करने में, ऐसे किसी खाते में संदाय करने की अनुज्ञा देगा, जिसको धारा 43 के अधीन नियुक्त प्रशासक द्वारा कलक्टर के पर्यवेक्षणाधीन प्रशासित किया जाएगा।

अध्याय 7

राष्ट्रीय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मानीटरी समिति

राष्ट्रीय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मानीटरी समिति की स्थापना ।

48. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों या योजनाओं के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने और उनको मानीटर करने के लिए राष्ट्रीय या अंतरराज्यिक परियोजनाओं के लिए, जब कभी आवश्यक हो, एक राष्ट्रीय मानीटरी समिति का गठन कर सकेगी।

(2) समिति, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों और विभागों का उसमें प्रतिनिधित्व होने के अतिरिक्त, सुसंगत क्षेत्रों से प्रख्यात विशेषज्ञों को अपने साथ सहयोजित कर सकेगी ।

(3) समिति द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रियाएं और विशेषज्ञों को संदेय भत्ते ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

(4) केन्द्रीय सरकार समिति को उसके दक्ष कार्यकरण के लिए आवश्यक अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी ।

रिपोर्ट करने की अपेक्षाएं ।

49. राज्य और संघ राज्यक्षेत्र, राष्ट्रीय मानीटरी समिति को नियमित और समयबद्ध रीति में तथा तब भी, जब कभी भी अपेक्षित हो, इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में सभी सुसंगत सूचना उपलब्ध कराएंगे ।

राज्यीय पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मानीटरी समिति की स्थापना।

50. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों या योजनाओं के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने या उनको मानीटर करने के लिए एक राज्यीय मानीटरी समिति का गठन करेगी।

(2) समिति, राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों और विभागों का उसमें प्रतिनिधित्व होने के अतिरिक्त, सुसंगत क्षेत्रों से प्रख्यात विशेषज्ञों को अपने साथ सहयोजित कर सकेगी।

(3) समिति द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रियाएं और विशेषज्ञों को संदेय भत्ते ऐसे होंगे, जो राज्य द्वारा विहित किए जाएं।

(4) राज्य सरकार समिति को उसके दक्षतापूर्वक कार्यकरण के लिए आवश्यक अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी।

अध्याय 8

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण की स्थापना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण की स्थापना।

51. (1) समुचित सरकार, भूमि अर्जन, प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित विवादों के शीघ्र निपटारे का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण" के नाम से ज्ञात एक या अधिक प्राधिकरणों की, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए, स्थापना करेगी ।

(2) समुचित सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना में उन क्षेत्रों को भी विनिर्दिष्ट करेगी, जिनके भीतर प्राधिकरण द्वारा धारा 64 के अधीन उसे किए गए निर्देशों को या धारा 64 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन आवेदक द्वारा किए गए आवेदनों को ग्रहण करने और उनका विनिश्चय करने के लिए अधिकारिता का प्रयोग किया जा सकेगा ।

प्राधिकरण की संरचना।

52. (1) प्राधिकरण में केवल एक व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् पीठासीन अधिकारी कहा गया है) होगा जिसे समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार, एक प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को किसी दूसरे प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के कृत्यों का भी निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी ।

पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं ।

53. (1) कोई व्यक्ति किसी प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब,—

(क) वह जिला न्यायाधीश है या रहा है ; या

(ख) वह कम से कम सात वर्ष से अर्हित विधि व्यवसायी है ।

(2) किसी पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा ऐसे किसी उच्च न्यायालय के, जिसकी अधिकारिता में प्राधिकरण स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से की जाएगी ।

पीठासीन अधिकारी की पदावधि ।

54. किसी प्राधिकरण का पीठासीन अधिकारी, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए या उसके द्वारा पैंसठ वर्ष की आयु पूरी करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा ।

प्राधिकरण के कर्मचारिवृन्द।

55. (1) समुचित सरकार, प्राधिकरण को एक रजिस्ट्रार तथा उतने अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने वह सरकार ठीक समझे ।

(2) प्राधिकरण का रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी पीठासीन अधिकारी के साधारण अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे ।

(3) प्राधिकरण के रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें वे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

पीठासीन अधिकारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ।

56. किसी प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें (जिनके अंतर्गत पेंशन, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे भी हैं) वे होंगे, जो विहित किए जाएं :

परंतु उक्त पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात् उनके न तो वेतन और भत्तों में और न ही उनकी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उनके लिए अलाभप्रद रूप में परिवर्तन किया जाएगा ।

रिक्तियों का भरा जाना ।

57. यदि किसी प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद में, अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न किसी कारण से कोई रिक्ति होती है तो समुचित सरकार, उस रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करेगी और प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उसी प्रक्रम से जारी रखी जा सकेंगी, जिस प्रक्रम पर रिक्ति भरी जाती है ।

त्यागपत्र और हटाया जाना ।

58. (1) किसी प्राधिकरण का पीठासीन अधिकारी, समुचित सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

परंतु पीठासीन अधिकारी, जब तक समुचित सरकार द्वारा उसे अपना पद शीघ्र त्यागने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की समाप्ति तक या उसके उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा अपना पद ग्रहण करने तक या उसकी पदावधि की समाप्ति तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करता रहेगा ।

(2) किसी प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा किसी प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के मामले में ऐसी जांच किए जाने के

पश्चात्, जिसमें संबंधित पीठासीन अधिकारी को उसके विरुद्ध आरोपों के बारे में सूचित किया गया हो और उन आरोपों के संबंध में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिया गया हो, साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर समुचित सरकार द्वारा किए गए आदेश से ही उसके पद से हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(3) समुचित सरकार, नियमों द्वारा, पूर्वोक्त पीठासीन अधिकारी के कदाचार या अक्षमता के अन्वेषण के लिए प्रक्रियां विनियमित कर सकेगी ।

प्राधिकरण का गठन करने संबंधी आदेशों का अंतिम होना और उनसे उसकी प्रक्रियाओं का अविधिमान्य न होना।

59. किसी प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति करने संबंधी समुचित सरकार का कोई आदेश किसी रीति में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, और प्राधिकरण के समक्ष के किसी कार्य या कार्यवाही को मात्र इस आधार पर किसी भी रीति में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि प्राधिकरण के गठन में कोई त्रुटि है ।

प्राधिकरण की शक्तियां और उसके समक्ष कार्यवाही ।

60. (1) प्राधिकरण को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के प्रयोजनों के लिए, वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन निम्नलिखित विषयों की बाबत किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :— 1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज या अन्य तात्त्विक सामग्री का, जो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य हो, प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना ;

(ङ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ;

(च) अपने विनिश्चयों, निदेशों या आदेशों का पुनर्विलोकन करना ;

(छ) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

(2) प्राधिकरण को धारा 64 के अधीन उसे किए गए प्रत्येक निर्देश पर न्यायनिर्णयन करने की आरंभिक अधिकारिता होगी ।

(3) प्राधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधिकथित प्रक्रिया से आबद्धकर नहीं होगा, किंतु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों और इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए मार्गदर्शित होगा, प्राधिकरण को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी । 1908 का 5

(4) प्राधिकरण, धारा 64 के अधीन निर्देश प्राप्त करने के पश्चात् और संबंधित सभी पक्षकारों को ऐसे निर्देश की सूचना देने के पश्चात् तथा सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसे निर्देश का उसकी प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर निपटारा करेगा और तदनुसार अधिनिर्णय करेगा ।

(5) प्राधिकरण ऐसे अधिनिर्णय की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर संबंधित पक्षकारों को अधिनिर्णय की प्रतियां परिदत्त कराने की व्यवस्था करेगा ।

प्राधिकरण के समक्ष की कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाहियां होना ।

61. प्राधिकरण के समक्ष की सभी कार्यवाहियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थांतर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझा जाएगा और प्राधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और धारा 346 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा । 1860 का 45 1974 का 2

प्राधिकरण के सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना ।

62. प्राधिकरण के सदस्यों और अन्य अधिकारियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। 1860 का 45

सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जित होना।

63. किसी सिविल न्यायालय को (संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 227 के अधीन उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से भिन्न) भूमि अर्जन से संबंधित ऐसे किसी विवाद को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी, जिसकी बाबत कलक्टर या प्राधिकरण इस अधिनियम द्वारा या के अधीन सशक्त है, और किसी ऐसे मामले की बाबत किसी न्यायालय द्वारा कोई व्यादेश नहीं दिया जाएगा ।

प्राधिकरण को निर्देश।

64. (1) ऐसा कोई हितबद्ध व्यक्ति, जिसने अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं किया है, कलक्टर को लिखित आवेदन द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि कलक्टर द्वारा उस मामले को चाहे उसका आक्षेप, यथास्थिति, भूमि के माप के प्रति, प्रतिकर की रकम के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, जिसको वह संदेय है, अध्याय 5 और अध्याय 6 के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के अधिकारों के प्रति हो या हितबद्ध व्यक्तियों के बीच प्रतिकर के प्रभाजन के प्रति हो, प्राधिकरण के अवधारण के लिए निर्दिष्ट कर दिया जाए :

परंतु कलक्टर, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर समुचित प्राधिकारी को निर्देश करेगा :

परंतु यह और कि जहां कलक्टर ऐसा निर्देश इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करने में असफल रहता है, वहां आवेदक, यथास्थिति, प्राधिकरण को उससे यह अनुरोध करते हुए आवेदन कर सकेगा कि कलक्टर को तीस दिन की अवधि के भीतर उसे निर्देश करने का निदेश दिया जाए ।

(2) आवेदन में उन आधारों का कथन होगा, जिन पर अधिनिर्णय के प्रति आक्षेप किया गया है :

परंतु प्रत्येक ऐसा आवेदन,—

(क) यदि उसे करने वाला व्यक्ति उस समय कलक्टर के समक्ष, जब उसने अपना अधिनिर्णय दिया था, उपस्थित था या उसका प्रतिनिधित्व किया गया था तो कलक्टर के अधिनिर्णय की तारीख से छह सप्ताह के भीतर किया जाएगा ;

(ख) अन्य मामलों में, धारा 21 के अधीन कलक्टर से सूचना की प्राप्ति के छह सप्ताह के भीतर या कलक्टर के अधिनिर्णय की तारीख से छह मास के भीतर, इनमें से जो भी अवधि पहले समाप्त हो, किया जाएगा :

परंतु यह और कि कलक्टर उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी आवेदन को, एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के भीतर ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसे फाइल न किए जाने के लिए पर्याप्त कारण था ।

प्राधिकरण को कलक्टर का कथन।

65. (1) कलक्टर, निर्देश करने में, प्राधिकरण की जानकारी के लिए निम्नलिखित के बारे में स्वहस्ताक्षरित लिखित कथन करेगा,—

(क) भूमि की, उस पर किन्हीं वृक्षों, भवनों, खड़ी फसलों की विशिष्टियों सहित, अवस्थिति और सीमा ;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम, जिनके बारे में उसके पास यह समझने का कारण है कि वे ऐसी भूमि में हितबद्ध हैं ;

(ग) धारा 13 के अधीन नुकसानियों के लिए अधिनिर्णीत और संदत्त या निविदत्त रकम और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम;

(घ) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन संदत्त या जमा की गई रकम ; और

(ङ) यदि आक्षेप प्रतिकर की रकम के प्रति है तो वे आधार, जिन पर प्रतिकर की रकम अवधारित की गई थी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कथन के साथ हितबद्ध व्यक्तियों पर तामील की गई सूचनाओं और उनके द्वारा लिखित में किए गए या परिदत्त कथनों की विशिष्टियां देते हुए एक अनुसूची संलग्न की जाएगी ।

प्राधिकरण द्वारा सूचना की तामील ।

66. प्राधिकरण, तदुपरांत वह दिन विनिर्दिष्ट करते हुए, जिसको प्राधिकरण आक्षेप का अवधारण करने के लिए कार्यवाही करेगा, और उस दिन को, प्राधिकरण के समक्ष उनकी उपस्थिति का निदेश देने संबंधी सूचना की, निम्नलिखित व्यक्तियों पर, अर्थात् :—

(क) आवेदक पर ;

(ख) आक्षेप में हितबद्ध सभी व्यक्तियों पर, उनमें से ऐसे व्यक्तियों के सिवाय (यदि कोई हों) जो अधिनिर्णीत प्रतिकर का संदाय अभ्यापत्ति किए बिना प्राप्त करने के लिए सहमत हो गए हैं ; और

(ग) यदि आक्षेप भूमि के क्षेत्रफल या प्रतिकर की रकम के संबंध में है तो कलक्टर पर,

तामील कराएगा।

कार्यवाहियों की परिधि पर निर्बंधन ।

67. ऐसी प्रत्येक कार्यवाही में जांच की परिधि को, उन व्यक्तियों के हित पर विचार किए जाने तक निर्बंधित किया जाएगा जिन पर आक्षेप का प्रभाव पड़ता है।

कार्यवाहियों का सार्वजनिक होना ।

68. प्रत्येक ऐसी कार्यवाही सार्वजनिक रूप से की जाएगी और राज्य में किसी सिविल न्यायालय में विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार सभी व्यक्ति ऐसी कार्यवाही में (यथास्थिति) उपस्थित होने, अभिवाक् करने और कार्य करने के लिए हकदार होंगे ।

प्राधिकरण द्वारा अधिनिर्णय का अवधारण ।

69. (1) अर्जित की गई भूमि के लिए अधिनिर्णीत किए जाने वाले प्रतिकर की रकम का, जिसके अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियां भी हैं, अवधारण करने में प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि कलक्टर ने इस अधिनियम की धारा 26 से धारा 30 और अध्याय 5 के अधीन के उपबंधों के अधीन उपवर्णित मापदंडों का पालन किया है अथवा नहीं।

(2) प्राधिकरण, भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, जैसा ऊपर उपबंधित है, प्रत्येक मामले में ऐसी भूमि की बाबत धारा 11 के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उससे ही प्रारंभ होने वाली और कलक्टर के अधिनिर्णय की तारीख या भूमि का कब्जा लिए जाने की तारीख तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के लिए ऐसे बाजार मूल्य पर, बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से परिकलित रकम अधिनिर्णीत करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि की संगणना करने में, ऐसी किसी अवधि या अवधियों को अपवर्जित किया जाएगा, जिसके दौरान भूमि के अर्जन की कार्यवाहियां किसी न्यायालय के आदेश द्वारा किसी रोक या व्यादेश के कारण रोक दी गई थीं ।

(3) भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त जैसा ऊपर उपबंधित है, प्राधिकरण प्रत्येक मामले में संपूर्ण प्रतिकर की रकम पर एक सौ प्रतिशत का तोषण अधिनिर्णीत करेगा।

अधिनिर्णय का प्ररूप।

70. (1) इस अध्याय के अधीन प्रत्येक अधिनिर्णय लिखित में और प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उसमें धारा 28 के पहले खंड के अधीन अधिनिर्णीत रकम तथा उसी धारा के अन्य खंडों में से प्रत्येक के अधीन क्रमशः अधिनिर्णीत रकमों को भी (यदि कोई हों), उक्त रकमों में से प्रत्येक का अधिनिर्णय किए जाने के आधारों सहित विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 के खंड (2) तथा खंड (9) के अर्थांतर्गत प्रत्येक ऐसे अधिनिर्णय को क्रमशः डिक्री तथा प्रत्येक ऐसे अधिनिर्णय के आधारों के कथन को निर्णय समझा जाएगा। 1908 का 5

खर्चे ।

71. (1) प्रत्येक ऐसे अधिनिर्णय में, इस अध्याय के अधीन कार्यवाही में उपगत खर्चों की रकम का और उन व्यक्तियों का, जिनके द्वारा और उन अनुपातों का, जिनमें उनका संदाय किया जाना है, कथन होगा ।

(2) जब कलक्टर के अधिनिर्णय को मान्य नहीं ठहराया जाता है तो खर्चे का, जब तक कि संबंधित प्राधिकरण की यह राय न हो कि आवेदक का दावा बहुत ही अपरिमित है या कलक्टर के समक्ष अपना यह पक्षकथन रखने में उसने बहुत उपेक्षा बरती कि उसके खर्चों से कुछ कटौती की जानी चाहिए या उसे कलक्टर के खर्चों के कुछ भाग का संदाय करना चाहिए, संदाय साधारणतया कलक्टर द्वारा किया जाएगा।

कलक्टर को आधिक्य प्रतिकर पर ब्याज का संदाय करने का निदेश दिया जाना ।

72. यदि ऐसी राशि, जो संबंधित प्राधिकरण की राय में, कलक्टर द्वारा प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत की जानी चाहिए थी, उस राशि से अधिक है, जो कलक्टर ने प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत की है, तो संबंधित प्राधिकरण के अधिनिर्णय में यह निदेश दिया जा सकेगा कि कलक्टर द्वारा ऐसे आधिक्य पर उस तारीख से, जिसको उसने भूमि का कब्जा लिया था, ऐसे आधिक्य का प्राधिकरण को संदाय किए जाने की तारीख तक, नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का संदाय किया जाए :

परंतु संबंधित प्राधिकरण के अधिनिर्णय में यह भी निदेश हो सकेगा कि जहां ऐसे आधिक्य या उसके किसी भाग का उस तारीख से, जिसको कब्जा लिया गया था, एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राधिकरण को संदाय किया जाता है, वहां ऐसे आधिक्य की रकम या उसके भाग पर, जिसका उस समाप्ति की तारीख के पूर्व प्राधिकरण को संदाय नहीं किया गया है, एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज संदेय होगा ।

प्राधिकरण के अधिनिर्णय के आधार पर प्रतिकर की रकम का पुनः अवधारण ।

73. (1) जहां इस अध्याय के अधीन किसी अधिनिर्णय में, संबंधित प्राधिकरण, आवेदक को धारा 23 के अधीन कलक्टर द्वारा अधिनिर्णीत रकम से अधिक प्रतिकर की कोई रकम अनुज्ञात करता है, वहां धारा 11 के अधीन उसी प्रारंभिक अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली सभी अन्य भूमियों में हितबद्ध व्यक्ति और जो कलक्टर के अधिनिर्णय से व्यथित भी हैं, इस बात के होते हुए भी कि उन्होंने कलक्टर को कोई आवेदन नहीं किया था, संबंधित प्राधिकरण के अधिनिर्णय की तारीख से तीन मास के भीतर कलक्टर को लिखित आवेदन द्वारा यह अपेक्षा कर सकेंगे कि उनको संदेय प्रतिकर की रकम का, प्राधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम के आधार पर, पुनः अवधारण किया जाए:

परंतु तीन मास की अवधि की, जिसके भीतर इस उपधारा के अधीन कलक्टर को आवेदन किया जाएगा, संगणना करने में उस दिन को, जिसको अधिनिर्णय सुनाया गया था और उस समय को, जो अधिनिर्णय की प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय हो, अपवर्जित किया जाएगा ।

(2) कलक्टर, उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, हितबद्ध सभी व्यक्तियों को सूचना देने और उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जांच करेगा और आवेदकों को संदेय प्रतिकर की रकम का अवधारण करने संबंधी अधिनिर्णय करेगा ।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने उपधारा (2) के अधीन अधिनिर्णय स्वीकार नहीं किया है, कलक्टर से लिखित आवेदन करके यह अपेक्षा कर सकेगा कि कलक्टर द्वारा उस मामले को संबंधित प्राधिकरण के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किया जाए ।

उच्च न्यायालय को अपील ।

74. (1) धारा 69 के अधीन किसी प्राधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय से व्यथित अपेक्षक निकाय या कोई व्यक्ति, अधिनिर्णय की तारीख से साठ दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील फाइल कर सकेगा :

परंतु यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल न करने से पर्याप्त कारण से निवारित रहा था, तो वह साठ दिन से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के भीतर उसके फाइल किए जाने को अनुज्ञात कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट प्रत्येक अपील की सुनवाई यथासाध्य शीघ्रता से की जाएगी और उस अपील का निपटारा उस तारीख से, जिसको अपील उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जाती है, छह मास के भीतर करने का प्रयास किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "उच्च न्यायालय" से वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत है, जिसकी अधिकारिता के भीतर अर्जित की गई या अर्जित किए जाने के लिए प्रस्थापित भूमि स्थित है ।

अध्याय 9

प्रतिकर का प्रभाजन

प्रभाजन की विशिष्टियों का विनिर्दिष्ट किया जाना।

75. जब अनेक व्यक्ति हितबद्ध हैं तो यदि ऐसे व्यक्ति प्रतिकर के प्रभाजन से सहमत हैं तो ऐसे प्रभाजन की विशिष्टियों को अधिनिर्णय में विनिर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों के बीच अधिनिर्णय प्रभाजन की शुद्धता का निश्चायक साक्ष्य होगा ।

प्रभाजन के बारे में विवाद ।

76. जब प्रतिकर की रकम परिनिर्धारित कर दी गई है तो यदि उसके या उसके किसी भाग के प्रभाजन के बारे में या उन व्यक्तियों के बारे में, जिनको वह या उसका कोई भाग संदेय है, कोई विवाद उत्पन्न होता है तो कलक्टर ऐसे विवाद प्राधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगा ।

अध्याय 10

संदाय

प्रतिकर का संदाय या प्राधिकरण में उसका जमा किया जाना ।

77. (1) कलक्टर धारा 30 के अधीन कोई अधिनिर्णय करने पर उसके द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर का उसके लिए हकदार हितबद्ध व्यक्तियों को अधिनिर्णय के अनुसार संदाय निविदत्त करेगा और जब तक उन्हें उपधारा (2) में वर्णित एक या अधिक आकस्मिकताओं द्वारा निवारित न किया गया हो, उनके बैंक खातों में रकम जमा करके उसका उनको संदाय करेगा ।

(2) यदि प्रतिकर के लिए हकदार व्यक्ति उसे प्राप्त करने के लिए सहमति नहीं देता है या यदि भूमि का अन्यसंक्रामण करने के लिए कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है या यदि प्रतिकर प्राप्त करने के हक के बारे में या उसके प्रभाजन के बारे में कोई विवाद है तो कलक्टर प्रतिकर की रकम को उस प्राधिकरण में जमा करेगा, जिसको धारा 64 के अधीन निर्देश प्रस्तुत किया जाएगा :

परंतु हितबद्ध माना जाने वाला कोई व्यक्ति रकम की पर्याप्तता के बारे में अभ्यापत्ति के अधीन ऐसे संदाय को प्राप्त कर सकेगा :

परंतु यह और कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने अभ्यापत्ति न करके उससे भिन्न रूप में रकम प्राप्त की है, धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन करने के लिए हकदार नहीं होगा :

परंतु यह भी कि इसमें अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति के, जिसने इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत संपूर्ण प्रतिकर या उसके किसी भाग को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए विधिपूर्वक हकदार व्यक्ति को उसका संदाय करने के दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अन्यसंक्रामण करने के लिए अक्षम व्यक्ति की भूमियों की बाबत जमा किए गए धन का विनिधान ।

78. (1) यदि कोई धन धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन संबंधित प्राधिकरण में जमा किया जाता है और यह प्रतीत होता है कि वह भूमि, जिसकी बाबत वह अधिनिर्णीत किया गया था, ऐसे किसी व्यक्ति की है, जिसे उसका अन्यसंक्रामण करने की शक्ति नहीं थी, तो संबंधित प्राधिकरण,—

(क) वैसे ही हक और स्वामित्व की ऐसी शर्तों के अधीन, जिनके अधीन वह भूमि धारित की गई थी बाबत ऐसा धन जमा किया गया हो, धारित की जाने वाली अन्य भूमियों के क्रय में; या

(ख) यदि ऐसा क्रय तुरंत नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी सरकारी या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में, जो संबंधित प्राधिकरण ठीक समझे,

उस धन का विनिधान किए जाने का आदेश देगा और ऐसे विनिधान से उद्भूत होने वाले ब्याज या अन्य आगमों का उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को, जो तत्समय उक्त भूमि का कब्जा लेने के लिए हकदार हों, संदाय करने का निदेश देगा और ऐसे धन तब तक इस प्रकार जमा और विनिहित बने रहेंगे जब तक कि उनका,—

(i) पूर्वोक्तानुसार ऐसी अन्य भूमियों का क्रय करने में; या

(ii) उसके लिए पूर्णतः हकदार होने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को संदाय करने में,

उपयोजन न कर दिया जाए।

(2) जमा किए गए धन के सभी मामलों में, जिनको यह धारा लागू होती है, संबंधित प्राधिकरण निम्नलिखित मामलों के खर्चों का, अर्थात्:—

(क) यथा पूर्वोक्त ऐसे विनिधानों के खर्चों का;

(ख) ऐसी प्रतिभूतियों के, जिनमें ऐसे धन का तत्समय विनिधान किया गया है, ब्याज या अन्य आगमों के संदाय के लिए और ऐसे मूलधन का संबंधित प्राधिकरण के बाहर के संदाय आदेशों के और उनसे संबंधित सभी कार्यवाहियों के, उनको छोडकर, जो परस्पर विरोधी दावाकर्ताओं के बीच मुकदमेबाजी द्वारा हुए हों, खर्चों का,

जिनके अंतर्गत उनमें के सभी युक्तियुक्त प्रभार और उसके आनुषंगिक व्यय भी हैं, संदाय कलक्टर द्वारा किए जाने का आदेश देगा।

अन्य मामलों में जमा किए गए धन का विनिधान।

79. जब धारा 78 में वर्णित हेतुकों से भिन्न किसी हेतुक के लिए इस अधिनियम के अधीन संबंधित प्राधिकरण में कोई धन जमा किया गया है, तब प्राधिकरण, ऐसे धन में हितबद्ध या किसी हित का दावा करने वाले किसी पक्षकार के आवेदन पर उसका ऐसी सरकारी या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में, जो वह उचित समझे, विनिधान करने और ऐसी रीति में संदाय करने का आदेश कर सकेगा, जिससे उसके विचार में उसमें हितबद्ध पक्षकारों को वही या यथाशक्य उसके निकटतम फायदा देगा, जो ऐसी भूमि से, जिसकी बाबत ऐसा धन जमा किया गया है, उन्हें हुआ होता।

ब्याज का संदाय।

80. जब ऐसे प्रतिकर की रकम भूमि का कब्जा लेने पर या उसके पूर्व संदत्त या जमा नहीं की जाती है, तो कलक्टर अधिनिर्णीत रकम का, ऐसा कब्जा लेने के समय से उस समय तक जब उसका इस प्रकार संदाय या उसे जमा नहीं करा दिया जाता है; नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उस पर ब्याज सहित संदाय करेगा :

परंतु यदि ऐसे प्रतिकर या उसके किसी भाग का, उस तारीख से, जिसको कब्जा लिया जाता है, एक वर्ष की अवधि के भीतर संदाय या उसे जमा नहीं किया जाता है, तो प्रतिकर की ऐसी रकम या उसके भाग पर, जिसको ऐसी समाप्ति की तारीख के पूर्व संदत्त या जमा नहीं किया गया है, एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज संदेय होगा।

अध्याय 11

भूमि का अस्थायी अधिभोग

बंजर या कृष्य भूमि का अस्थायी अधिभोग, जब प्रतिकर के संबंध में मतभेद हो तब प्रक्रिया ।

81. (1) जब कभी समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी बंजर या कृष्य भूमि का अस्थायी कब्जा लेना और उपयोग करना किसी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है तब समुचित सरकार, उसका अधिभोग और उपयोग, ऐसे अधिभोग के प्रारंभ से तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधियों के लिए, जो वह ठीक समझे, उपाप्त करने का कलक्टर को निदेश दे सकेगी।

(2) कलक्टर तदुपरि ऐसी भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों को उस प्रयोजन की, जिसके लिए उसकी आवश्यकता है लिखित सूचना देगा और यथापूर्वोक्त ऐसी अवधि तक उस पर अधिभोग रखने और उसका उपयोग करने के लिए और उसमें से ली जाने वाली सामग्रियों (यदि कोई हों) के लिए उनको या तो कुल धनराशि के रूप में या मासिक या अन्य कालिक संदायों के रूप में उतने प्रतिकर का संदाय करेगा जितना क्रमशः उसके और ऐसे व्यक्तियों के बीच लिखित रूप में करार पाया जाए।

(3) यदि कलक्टर और हितबद्ध व्यक्तियों में प्रतिकर की पर्याप्तता या उसके प्रभाजन के संबंध में कोई मतभेद होता है, तो कलक्टर ऐसे मतभेद को प्राधिकारी के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट करेगा ।

प्रवेश करने और कब्जा लेने की शक्ति और प्रत्यावर्तन पर प्रतिकर ।

82. (1) कलक्टर, ऐसे प्रतिकर का संदाय किए जाने पर या ऐसे करार के निष्पादन पर या धारा 64 के अधीन निर्देश किए जाने पर, उस भूमि पर प्रवेश कर सकेगा और उसका कब्जा ले सकेगा और उक्त सूचना के निबंधनों के अनुसार उसका उपयोग कर सकेगा या उपयोग किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(2) कलक्टर उस अवधि के अवसान पर, हितबद्ध व्यक्तियों को उस नुकसान के लिए (यदि कोई हो) जो उस भूमि को पहुंचा हो और जिसके लिए करार द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, प्रतिकर का संदाय या उसका निविदान करेगा और वह भूमि उसमें हितबद्ध व्यक्तियों को प्रत्यावर्तित कर देगा :

परंतु यदि वह भूमि उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए ऐसी अवधि के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व वह उपयोग में लाई जाती थी, उपयोग में लाए जाने के लिए स्थायी रूप से अनुपयुक्त हो गई है और यदि हितबद्ध व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करें तो समुचित सरकार उस भूमि को अर्जित करने के लिए इस अधिनियम के अधीन ऐसे अग्रसर होगी मानो उसकी किसी लोक प्रयोजन के लिए स्थायी रूप से आवश्यकता हो ।

भूमि की दशा के संबंध में मतभेद ।

83. यदि कलक्टर और हितबद्ध व्यक्तियों में उस अवधि के अवसान पर उस भूमि की दशा के संबंध में या उक्त करार से संबंधित किसी विषय के संबंध में मतभेद है, तो कलक्टर ऐसे मतभेद को संबंधित प्राधिकारी के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट करेगा ।

अध्याय 12

अपराध और शास्तियां

मिथ्या जानकारी, असद्भावपूर्वक कार्रवाई, आदि के लिए दंड ।

84. (1) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अपेक्षा या निदेश के संबंध में कोई ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा जो मिथ्या या भ्रामक है या कोई मिथ्या दस्तावेज पेश करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(2) कोई मिथ्या दावा करके या कपटपूर्ण साधनों के माध्यम से उठाया गया कोई पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन संबंधित फायदा समुचित सरकार द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वसूल किए जाने के दायित्वाधीन होगा ।

(3) अनुशासनिक कार्यवाहियां, अनुशासन प्राधिकारी द्वारा ऐसे सरकारी सेवक के विरुद्ध की जा सकेंगी जो, यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध की बाबत असद्भावपूर्वक कार्रवाई का दोषी साबित होता है, ऐसे दंड के लिए, जिसके अंतर्गत जुर्माना भी है, दायी होगा जो अनुशासन प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाए।

अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

85. यदि कोई व्यक्ति प्रतिकर के संदाय या पुनर्वास या पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति छह मास के दंड से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

कंपनियों द्वारा अपराध ।

86. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने के निवारण के लिए सभी समयक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम तथा अपेक्षक निकाय है ; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

सरकारी विभागों द्वारा अपराध ।

87. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है वहां विभाग का प्रधान, ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा :

परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसे अपराध के किए जाने के निवारण के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी सरकारी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभाग के प्रधान से भिन्न किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान ।

88. महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम नहीं होगा ।

अपराधों का असंज्ञेय होना ।

89. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध को असंज्ञेय समझा जाएगा । 1974 का 2

अपराधों का कतिपय व्यक्तियों द्वारा फाइल की गई शिकायत पर ही संज्ञेय होना ।

90. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी अपराध का, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि वह अपेक्षक निकाय द्वारा किया गया है, संज्ञान, कलक्टर या समुचित सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी या प्रभावित कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा लिखित शिकायत पर करने के सिवाय नहीं करेगा।

अध्याय 13

प्रकीर्ण

मजिस्ट्रेट द्वारा अभ्यर्पण प्रवर्तित कराया जाना।

91. यदि इस अधिनियम के अधीन किसी भूमि का कब्जा लेने में कलक्टर का विरोध किया जाता है या उसके समक्ष अड़चन डाली जाती है, तो वह, यदि वह मजिस्ट्रेट है, उस भूमि का उसे अभ्यर्पित किया जाना प्रवर्तित करा लेगा और यदि वह मजिस्ट्रेट नहीं है तो वह मजिस्ट्रेट से या पुलिस के आयुक्त से आवेदन करेगा और, यथास्थिति, ऐसा मजिस्ट्रेट या आयुक्त कलक्टर को उस भूमि का अभ्यर्पण किया जाना प्रवर्तित कराएगा ।

सूचना की तामील ।

92. (1) धारा 66 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी भी सूचना की तामील किसी सूचना की दशा में उसमें वर्णित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और किसी अन्य सूचना की दशा में कलक्टर के आदेश द्वारा हस्ताक्षरित उसकी एक प्रति परिदत्त या निविदत्त करके की जाएगी ।

(2) सूचना की तामील, जब कभी ऐसा करना साध्य हो, उसमें नामित व्यक्ति पर की जाएगी ।

(3) जब ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जा सकता है तब तामील उसके कुटुंब के किसी ऐसे वयस्क सदस्य पर, जो उसी के साथ में निवास करता है, की जा सकेगी और यदि ऐसा वयस्क सदस्य नहीं पाया जा सकता है तो सूचना की तामील उस गृह के, जिसमें वह व्यक्ति, जो उस सूचना में नामित है, मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है, बाहरी द्वार पर उसकी प्रति लगाकर या पूर्वोक्त अधिकारी के या कलक्टर के कार्यालय में या न्यायसदन में के किसी सहजदृश्य स्थान पर और अर्जित की जाने वाली भूमि के किसी सहजदृश्य भाग में भी उसकी एक प्रति लगाकर की जा सकेगी :

परंतु यदि कलक्टर या न्यायाधीश ऐसा निदेश दे तो सूचना ऐसे पत्र में, जो उसमें नामित व्यक्ति के, जिसे उसमें संबोधित किया गया हो, अंतिम ज्ञात निवास-स्थान, पते या कारबार के स्थान पर डाक द्वारा भेजी जा सकेगी और कम से कम दो राष्ट्रीय समाचारपत्रों में और उसकी वेबसाइट पर भी उसे प्रकाशित किया जाएगा ।

अर्जन का पूरा किया जाना अनिवार्य न होना किंतु यदि अर्जन पूरा नहीं किया जाए तो प्रतिकर का अधिनिर्णीत किया जाना ।

93. (1) समुचित सरकार ऐसी किसी भूमि का, जिसका कब्जा नहीं लिया गया है अर्जन करने से प्रत्याहृत हो जाने के लिए स्वतंत्र होगी ।

(2) जब कभी समुचित सरकार ऐसा अर्जन करने से अपने को प्रत्याहृत कर ले, तब कलक्टर सूचना के या तद्धीन की गई किन्हीं कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप जो नुकसान स्वामी को पहुंचा है, उसके लिए शोध्य प्रतिकर की रकम अवधारित करेगा और हितबद्ध व्यक्ति को ऐसी रकम का उन सब खर्चों सहित संदाय करेगा जो उस व्यक्ति ने उक्त भूमि के संबंध में इस अधिनियम के अधीन की कार्यवाहियों के अभियोजन में युक्तियुक्त रूप से उठाए हों ।

गृह या भवन के एक भाग का अर्जन।

94. (1) इस अधिनियम के उपबंध किसी गृह, विनिर्माणशाला या अन्य भवन के केवल एक भाग के अर्जन के प्रयोजन के लिए प्रवर्तित नहीं किए जाएंगे, यदि स्वामी यह वांछा करता है कि ऐसा पूरा गृह, पूरी विनिर्माणशाला या पूरा भवन इस प्रकार अर्जित किया जाए :

परंतु यदि इस संबंध में कोई प्रश्न पैदा होता है कि क्या कोई ऐसी भूमि, जिसका इस अधिनियम के अधीन लिया जाना प्रस्थापित है इस धारा के अर्थांतर्गत किसी गृह, विनिर्माणशाला या भवन का भाग है या नहीं तो कलक्टर द्वारा ऐसे प्रश्न का अवधारण संबद्ध प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा और वह ऐसी भूमि का तब तक कब्जा नहीं लेगा जब तक कि उस प्रश्न का अवधारण न हो जाए ।

(2) उपधारा (1) के परंतुक के अधीन किए गए ऐसे निर्देश पर विनिश्चय करने में संबद्ध प्राधिकारी इस प्रश्न का ध्यान रखेगा कि क्या उस भूमि की, जिसे लेने की प्रस्थापना है, उस गृह, विनिर्माणशाला या भवन के पूर्ण और अविकल उपयोग के लिए युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा है ।

(3) यदि समुचित सरकार की, अर्जित की जाने वाली भूमि को उसकी अन्य भूमि से अलग किए जाने के कारण किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी दावे की दशा में यह राय है कि दावा अयुक्तियुक्त या अत्यधिक है तो वह, कलक्टर द्वारा अपना निर्णय दिए जाने के पूर्व, किसी भी समय उस संपूर्ण भूमि के अर्जन का आदेश दे सकेगी जिसका कि वह भूमि, जिसका अर्जन सर्वप्रथम ईप्सित था, एक भाग है।

(4) इस प्रकार अपेक्षित भूमि के किसी अर्जन की दशा में धारा 11 से धारा 19 के अधीन (जिनके अंतर्गत यह दोनों धाराएं भी आती हैं) कोई भी नई घोषणा या अन्य कार्यवाहियां आवश्यक नहीं होंगी; किंतु कलक्टर समुचित सरकार के आदेश की प्रति हितबद्ध व्यक्ति को अविलंब देगा और तत्पश्चात् धारा 23 के अधीन अपना अधिनिर्णय करने के लिए अग्रसर होगा ।

किसी स्थानीय प्राधिकारी या अपेक्षक निकाय के खर्चे पर भूमि का अर्जन ।

95. (1) जहां इस अधिनियम के उपबंध किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित किसी निधि के या किसी अपेक्षक निकाय के खर्चे पर भूमि अर्जित करने के प्रयोजन के लिए प्रवर्तित किए जाते हैं वहां ऐसे अर्जन के आनुषंगिक भूमि संबंधी प्रभार ऐसी निधि में से या अपेक्षक निकाय द्वारा संदत्त किए जाएंगे ।

(2) ऐसे मामलों में, जहां कोई कार्यवाही कलक्टर या संबंधित प्राधिकारी के समक्ष होती है, संबंधित स्थानीय प्राधिकारी या अपेक्षक निकाय हाजिर हो सकेगा और प्रतिकर की रकम का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य पेश कर सकेगा :

परंतु ऐसा कोई स्थानीय प्राधिकारी या अपेक्षक निकाय धारा 64 के अधीन संबंधित प्राधिकारी को निर्देश कराने की मांग करने का हकदार नहीं होगा ।

आय-कर, स्टांप-शुल्क या फीस से छूट ।

96. इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अधिनिर्णय या करार पर कोई आय-कर या स्टांप-शुल्क, धारा 46 के अधीन के सिवाय, उद्गृहीत नहीं किया जाएगा और ऐसे किसी अधिनिर्णय या करार के अधीन दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति उसकी किसी प्रति के लिए फीस का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा।

प्रमाणित प्रति का साक्ष्य के रूप में प्रतिग्रहण ।

97. इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में किसी ऐसे दस्तावेज की, जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, कोई प्रमाणित प्रति, जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 57 के अधीन दी गई प्रति भी है, ऐसे दस्तावेज में अभिलिखित संव्यवहार के साक्ष्य के रूप में प्रतिगृहीत की जा सकेगी ।

1908 का 16

अधिनियम के अनुसरण में की गई किसी बात के लिए वादों की दशा में सूचना ।

98. इस अधिनियम के अनुसरण में की गई किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कार्यवाही, ऐसे व्यक्ति को आशयित कार्यवाही की और उसके हेतुक की लिखित में एक मास पूर्व सूचना दिए बिना प्रारंभ नहीं की जाएगी और न पर्याप्त अभितुष्टि निविदत्त कर दिए जाने के पश्चात् अभियोजित की जाएगी ।

प्रयोजन में किसी परिवर्तन का अनुज्ञात न किया जाना।

99. ऐसे प्रयोजन या संबद्ध प्रयोजनों के संबंध में, जिसके लिए भूमि मूल रूप से अर्जित किए जाने की ईप्सा की गई है, कोई परिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परन्तु यदि अर्जित भूमि उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए उसका अर्जन किया गया था, किन्हीं अकल्पित परिस्थितियों के कारणवश किसी मूलभूत परिवर्तन के कारण अनुपयोगी हो गई है तो समुचित सरकार उस भूमि का किसी अन्य लोक प्रयोजन के लिए उपयोग कर सकेगी।

अनुज्ञा के बिना स्वामित्व में किसी परिवर्तन का अनुज्ञात न किया जाना।

100. समुचित सरकार की विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के बिना स्वामित्व में कोई परिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

अनुपयोजित भूमि का वापस किया जाना।

101. जब इस अधिनियम के अधीन अर्जित कोई भूमि कब्जा लेने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक अनुपयोजित रहती है, तो उसे प्रत्यावर्तन द्वारा, यथास्थिति, मूल स्वामी या स्वामियों या उनके विधिक वारिसों या समुचित सरकार के भूमि बैंक में, ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, वापस किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए "भूमि बैंक" से कोई ऐसी सरकारी इकाई अभिप्रेत है, जो सरकार के स्वामित्वाधीन की खाली, परित्यक्त, अनुपयोजित अर्जित भूमियों और कर-बकाया वाली संपत्तियों का उत्पादनकारी उपयोग में संपरिवर्तन करने पर ध्यान संकेन्द्रित करती है।

भूमि की कीमत में अंतर जब उसे बांटे जाने वाले उच्चत्तर प्रतिफल के लिए अंतरित किया जाता है ।

102. जब कभी इस अधिनियम के अधीन अर्जित किसी भूमि के स्वामित्व को प्रतिफल के लिए किसी व्यक्ति को अंतरित किया जाता है तो ऐसी भूमि पर कोई विकास न होने पर वर्धित भूमि मूल्य के चालीस प्रतिशत को उन व्यक्तियों के बीच, जिनसे भूमि अर्जित की गई थी या उनके वारिसों के बीच उस मूल्य के, जिस पर भूमियों का अर्जन किया गया था, अनुपात में अर्जन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर बांटा जाएगा:

परन्तु फायदा केवल उस प्रथम विक्रय या अंतरण पर प्रोद्भूत होगा जो अर्जन की कार्यवाहियों के पूरा होने के पश्चात् होता है।

उपबंधों का विद्यमान विधियों के अतिरिक्त होना ।

103. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में ।

समुचित सरकार का पट्टे पर लेने का विकल्प।

104. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार, जहां कहीं संभव हो, धारा 2 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी लोक प्रयोजन के लिए किसी भूमि का अर्जन करने के बजाय उसे पट्टे पर लेने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगी।

इस अधिनियम के उपबंधों का कतिपय दशाओं में लागू न होना या कतिपय उपांतरणों सहित लागू होना ।

105. (1) उपधारा (3) के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंध चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अर्जन से संबंधित अधिनियमितियों को लागू नहीं होंगे ।

(2) धारा 106 की उपधारा (2) के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों में किसी का लोप कर सकेगी या उनमें कुछ जोड़ सकेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश देगी कि पहली अनुसूची के अनुसार प्रतिकर के अवधारण और दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित इस अधिनियम के ऐसे कोई उपबंध जो प्रभावित कुटुंबों के लिए फायदाप्रद हों, चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के अधीन भूमि अर्जन के मामलों को लागू होंगे या, यथास्थिति, ऐसे अपवादों या उपांतरणों के साथ लागू होंगे जो प्रतिकर को कम नहीं करते हैं या इस

अधिनियम के प्रतिकर या पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित ऐसे उपबंधों को क्षीण नहीं करते हैं, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(4) उपधारा (3) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना, प्रारूप रूप में संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व संसद् के दोनों सदन उस अधिसूचना को जारी करने का अनुमोदन देने में सहमत न हों या दोनों सदन अधिसूचना में कोई उपांतरण करने में सहमत हों तो अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी या ऐसे उपांतरित रूप में ही जारी की जाएगी, जैसे दोनों सदन सहमति दें ।

अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति ।

106. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम की किसी अनुसूची को किसी भी रूप में प्रतिकर को कम किए बिना अथवा इस अधिनियम के प्रतिकर या पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित उपबंधों को क्षीण किए बिना संशोधित या परिवर्तित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना की प्रति, प्रारूप रूप में संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व संसद् के दोनों सदन उस अधिसूचना को जारी करने का अनुमोदन देने में सहमत न हों या दोनों सदन अधिसूचना में कोई उपांतरण करने में सहमत हों तो, यथास्थिति, अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी या ऐसे उपांतरित रूप में ही जारी की जाएगी, जैसे दोनों सदन सहमति दें ।

प्रभावित कुटुंबों के लिए अधिक फायदाप्रद किसी विधि को अधिनियमित करने की राज्य विधान-मंडलों की शक्ति ।

107. इस अधिनियम की कोई बात इस अधिनियम के अधीन उपवर्णित हकदारियों को बढ़ाने या परिवर्धित करने के लिए कोई ऐसी विधि अधिनियमित करने से किसी राज्य को निवारित नहीं करेगी जो इस अधिनियम के अधीन संदेय प्रतिकर से उच्चतर प्रतिकर प्रदत्त करता है या ऐसे पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए उपबंध करता है जो इस अधिनियम के अधीन उपबंधित से अधिक फायदाप्रद है ।

बेहतर प्रतिकर और पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन का फायदा लेने के लिए प्रभावित कुटुंबों का विकल्प ।

108. (1) जहां किसी राज्य सरकार द्वारा विरचित किसी राज्य विधि या नीति में भूमि के अर्जन के लिए इस अधिनियम के अधीन संगणित से अधिक प्रतिकर का उपबंध है वहां प्रभावित व्यक्ति या उसका कुटुंब या उसके कुटुंब का सदस्य अपने विकल्प पर ऐसी राज्य विधि या राज्य की ऐसी नीति के अधीन ऐसा उच्चतर प्रतिकर और पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन का फायदा चुन सकेगा।

(2) जहां राज्य सरकार द्वारा विरचित कोई राज्य विधि या नीति इस अधिनियम से भिन्न उस विधि या नीति के अधीन अधिक फायदाप्रद पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की प्रस्थापना करती है वहां प्रभावित व्यक्ति या उसका कुटुंब या उसके कुटुंब का सदस्य अपने विकल्प पर इस अधिनियम के बजाय ऐसी राज्य विधि या राज्य की ऐसी नीति के अधीन ऐसे पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन उपबंधों का फायदा चुन सकेगा।

नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति ।

109. (1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 2 की उपधारा (2) के पहले परन्तुक के अधीन पूर्व सहमति अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया;

(ख) धारा 2 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों या नगरीय क्षेत्रों में भूमि की सीमाएं;

(ग) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट करने की रीति और समय-सीमा ;

(घ) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट को तैयार करने और उसे प्रकाशित करने की रीति ;

(ङ) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन सर्वेक्षण करने और जनगणना करने की रीति और समय ;

(च) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रारूप तैयार करने की रीति ;

(छ) धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन लोक सुनवाई करने की रीति ;

(ज) धारा 19 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के अधीन अपेक्षक निकाय द्वारा रकम जमा किए जाने की रीति ;

(झ) ऐसी रीति जिसमें और ऐसी अवधि जिसके भीतर धारा 33 की उपधारा (3) के अधीन संदत्त की गई किसी आधिक्य रकम की वसूली की जा सकेगी;

(ञ) वह प्ररूप, जिसमें धारा 41 की उपधारा (4) के अधीन विकास योजना तैयार की जाएगी;

(ट) धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन प्रशासक की शक्तियां, कर्तव्य और उत्तरदायित्व ;

(ठ) धारा 45 की उपधारा (3) के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति की प्रक्रिया ;

(ड) धारा 48 की उपधारा (3) के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और विशेषज्ञों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते;

(ढ) धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन राज्यीय मानीटरी समिति द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रियाएं और विशेषज्ञों के संदेय भत्ते;

(ण) धारा 55 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण के रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ;

(त) धारा 56 के अधीन प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें (जिनके अंतर्गत पेंशन, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे भी हैं) ;

(थ) धारा 60 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन कोई अन्य विषय ;

(द) धारा 84 की उपधारा (2) के अधीन, मिथ्या दावा करके या कपटपूर्ण साधनों के माध्यम से पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी उठाए गए फायदों को वसूल करने की रीति ;

(ध) धारा 101 के अधीन प्रत्यावर्तन द्वारा अनुपयोजित भूमि को वापस करने की रीति ;

(न) जहां कहीं इस अधिनियम के उपबंधों में उपबंधित हों, प्रकाशन की रीति;

(प) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित हो या विनिर्दिष्ट किया जाए ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

110. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाना ।

111. इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल, जहां इसके दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पूर्व प्रकाशन ।

112. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा नियम बनाने की शक्ति पूर्ववर्ती प्रकाशन के पश्चात् बनाए गए नियमों की शर्तों के अधीन होगी ।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति ।

113. (1) यदि इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परंतु ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्ति।

1894 का 1

114. (1) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

1897 का 10

(2) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, उपधारा (1) के अधीन ऐसा निरसन, साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारणतया लागू होने पर ऐसे निरसनों के प्रभाव के बारे में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या उसे प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा।

पहली अनुसूची

[धारा 30 (2) देखिए]

भू-स्वामियों के लिए प्रतिकर

धारा 3 के खंड (ग) में निर्दिष्ट उन लोगों को, जिनकी भूमि अर्जित की गई है और अभिधारियों को समुचित सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले अनुपात में दिया जाने वाला न्यूनतम प्रतिकर पैकेज निम्नलिखित संघटकों से मिलकर गठित होगा :

क्रम संख्या	अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि की बाबत प्रतिकर पैकेज के संघटक	मूल्य अवधारण की रीति	मूल्य अवधारण की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	भूमि का बाजार मूल्य	धारा 26 के अधीन उपबंधित रूप में अवधारण किया जाएगा।	
2.	ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में वे कारक, जिनके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाना है	शहरी क्षेत्र से परियोजना की ऐसी दूरी के आधार पर, 1.00 (एक) से 2.00(दो) जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।	
3.	शहरी क्षेत्रों की दशा में, वे कारक, जिनके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाना है	1 (एक)।	
4.	भूमि या भवन से जुड़ी आस्तियों का मूल्य	धारा 29 के अधीन उपबंधित रूप में अवधारण किया जाएगा।	
5.	तोषण	क्रम संख्यांक 1 के सामने वर्णित भूमि के बाजार मूल्य के शत प्रतिशत के समतुल्य, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्रम संख्यांक 2 या शहरी क्षेत्रों के लिए क्रम संख्यांक 3 के सामने विनिर्दिष्ट कारक जमा स्तंभ (2) के अधीन क्रम संख्यांक 4 के सामने भूमि या भवन से जुड़ी आस्तियों के मूल्य से गुणित किया जाएगा ।	
6.	ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम अधिनिर्णय	क्रम संख्यांक 1 के सामने वर्णित भूमि का बाजार मूल्य, जिसे क्रम संख्यांक 2 के सामने विनिर्दिष्ट कारक से जमा स्तंभ (2) के अधीन क्रम संख्यांक 4 के सामने वर्णित भूमि या भवन से जुड़ी आस्तियों के मूल्य जमा स्तंभ (2) के अधीन क्रम संख्यांक 5 के सामने वर्णित तोषण से गुणित किया जाएगा ।	
7.	शहरी क्षेत्रों में अंतिम अधिनिर्णय	क्रम संख्यांक 1 के सामने वर्णित भूमि के बाजार मूल्य को क्रम संख्यांक 3 के सामने विनिर्दिष्ट कारक जमा स्तंभ (2) के अधीन क्रम संख्यांक 4 के सामने वर्णित भूमि या भवन से जुड़ी आस्तियों के मूल्य जमा स्तंभ (2) के अधीन क्रम संख्यांक 5 के सामने वर्णित तोषण से गुणित किया जाएगा।	
8.	सम्मिलित किए जाने वाले अन्य संघटक, यदि कोई हों।		

टिप्पण—ऐसी तारीख, जिसको स्तंभ (2) के अधीन वर्णित मूल्यों का अवधारण किया जाएगा, प्रत्येक क्रम संख्यांक के सामने स्तंभ (4) के अधीन उपदर्शित किया जाना चाहिए।

दूसरी अनुसूची

[धारा 31 (1), 38(1) और 105(3) देखिए]

ऐसे तत्वों के अतिरिक्त, जो पहली अनुसूची में उपबंधित हैं सभी प्रभावित कुटुंबों (ऐसे भू-स्वामी और कुटुंब दोनों जिनकी जीविका मुख्यतया अर्जित भूमि पर निर्भर है) के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के तत्व

क्रम संख्या	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियों के तत्व	हकदारी/उपबंध	क्या उपलब्ध कराया गया है या नहीं (यदि उपलब्ध कराया गया है तो ब्यौरा दें)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	विस्थापन की दशा में आवासन इकाइयों की व्यवस्था	(1) यदि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी मकान से वंचित किया जाता है, तो इंदिरा आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा। यदि शहरी क्षेत्रों में किसी मकान से वंचित किया जाता है तो एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा। (2) ऊपर सूचीबद्ध फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंब को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्र की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, भी विस्तारित किया जाएगा : परंतु शहरी क्षेत्रों में ऐसा कोई कुटुंब, जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प चुनता है, मकान निर्माण के लिए एक बार वित्तीय सहायता, जो एक लाख पचास हजार रुपए से कम की नहीं होगी, प्राप्त करेगा : परंतु यह और कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई प्रभावित कुटुंब ऐसा चाहे तो उसे निर्मित मकान के बदले, मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा: परंतु यह भी कि अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।	

(1)	(2)	(3)	(4)
		स्पष्टीकरण—शहरी क्षेत्रों में मकान यदि आवश्यक हो, बहुमंजिले भवन प्रक्षेत्र में उपलब्ध कराया जा सकेगा ।	
2.	भूमि के लिए भूमि	सिंचाई परियोजना की दशा में, यथासम्भव और अर्जित भूमि के लिए संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर के बजाय, प्रभावित क्षेत्र में की कृषि भूमि का स्वामित्व रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को जिसकी भूमि अर्जित की गई है या जिससे वह वंचित हो गया है या जो भूमि के अर्जन या हानि के परिणामस्वरूप सीमांत कृषक या भूमिहीन की प्रास्थिति में आ गया है, प्रभावित कुटुंब से संबंधित अधिकारों के अभिलेखों में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति के नाम से उस परियोजना के, जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, प्रभाव क्षेत्र में न्यूनतम एक एकड़ भूमि आबंटित की जाएगी : परन्तु प्रत्येक ऐसी परियोजना में, उन व्यक्तियों को, जो अपनी भूमि से वंचित हो रहे हैं और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के हैं, अर्जित क्षेत्र के समतुल्य या ढाई एकड़ भूमि, जो भी कम हो, उपलब्ध कराई जाएगी।	
3.	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	यदि भूमि को शहरीकरण के प्रयोजनों के लिए अर्जित किया जाता है तो विकसित भूमि का बीस प्रतिशत भाग आरक्षित रखा जाएगा और उसकी भूमि अर्जन परियोजना से प्रभावित कुटुंबों को, उनकी अर्जित भूमि के क्षेत्र के अनुपात में और अर्जन की लागत तथा विकास के खर्च के बराबर कीमत पर, प्रस्थापना की जाएगी : परंतु यदि भूस्वामित्व परियोजना से प्रभावित कुटुंब इस प्रस्थापना का लाभ उठाना चाहता है तो उसे जो भूमि अर्जन प्रतिकर पैकेज संदेय है उससे समतुल्य राशि की कटौती की जाएगी।	
4.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प।	समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित कुटुंबों के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपबंध किया गया है: (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना	

(1)	(2)	(3)	(4)
		में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना; या (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपए का एक बारगी संदाय; या (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्त कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपए प्रति मास का संदाय किया जाएगा।	
5.	विस्थापित कुटुंबों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन-निर्वाह अनुदान	ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक तीन हजार रुपए प्रतिमास के समतुल्य जीवन निर्वाह भत्ता मासिक तौर पर दिया जाएगा । इस रकम के अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित किए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग पचास हजार रुपए के समतुल्य रकम प्राप्त करेंगे । अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापन की दशा में, यथा संभव, प्रभावित कुटुंबों को वैसे ही पारिस्थितिक क्षेत्र में पुनर्वासित किया जाएगा जिससे जनजातीय समुदायों के आर्थिक अवसरों को, उनकी भाषा, संस्कृति और सामुदायिक जीवन को परिरक्षित रखा जा सके।	
6.	विस्थापित कुटुंबों के लिए परिवहन खर्च	ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को, जो विस्थापित हुआ है, कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन खर्च के रूप में पचास हजार रुपए की एक बारगी वित्तीय सहायता दी जाएगी।	
7.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए, एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा, न्यूनतम पच्चीस हजार रुपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए ।	
8.	कारीगरों, छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बारगी अनुदान	किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है,	

(1)	(2)	(3)	(4)
		ऐसी रकम की एकबारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रुपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।	
9.	मछली पकड़ने का अधिकार	सिंचाई या जल विद्युत परियोजनाओं के मामलों में प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।	
10.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपए का एक बारगी "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा ।	
11.	स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	(1) प्रभावित कुटुंबों को आबंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।	
		(2) प्रभावित कुटुंबों को आबंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।	
		(3) आबंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।	

तीसरी अनुसूची

[धारा 32 (2), 38(1) और 105(3) देखिए]

अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उपबंध

जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध करवाई जाएं कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सके ।

युक्तियुक्त वासयोग्य और सुनियोजित व्यवस्थापन के लिए ऐसी न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन, जो समुचित हों, उपलब्ध कराना उचित होगा :—

क्रम सं.	भूमि के अर्जनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई/ उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रस्तावित अवसंरचनात्मक सुख–सुविधाओं के संघटक	भूमि के अर्जनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई अवसंरचनात्मक सुख-सुविधाओं के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)
1.	सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़कों और पक्की सड़क के समीपस्थ सभी मौसमों में उपयुक्त सड़क–लिंक और मार्गाधिकार तथा सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।	
2.	वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पूर्व उचित जल निकासी और स्वच्छता योजनाओं का निष्पादन किया जाना।	
3.	भारत सरकार द्वारा विहित सन्नियमों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेय जल के एक या अधिक आश्वासित स्रोत।	
4.	पशुओं के लिए पेय जल की व्यवस्था ।	
5.	राज्य में स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चरागाह ।	
6.	उचित कीमत दुकान की युक्तियुक्त संख्या ।	
7.	यथोचित पंचायत घर ।	
8.	बचत खाता खोलने की सुविधाओं के साथ ग्राम स्तर पर यथोचित डाकघर ।	
9.	बीज सह उर्वरक भंडारण की समुचित सुविधा, यदि आवश्यक हो।	
10.	पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों को आबंटित कृषि भूमि के लिए मूलभूत सिंचाई सुविधाएं, यदि सिंचाई परियोजना से संबंधित न हो तो सहकारिता का विकास करके या किसी सरकारी स्कीम या विशेष सहायता द्वारा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएं ।	
11.	विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिएं ।	

(1)	(2)	(3)
12.	स्थल पर रहने वाले जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रस्तान या श्मशान घाट ।	
13.	स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिनके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन स्थल ।	
14.	प्रत्येक गृहस्थी के लिए और सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन) ।	
15.	शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाड़ी ।	
16.	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय।	
17	दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र ।	
18.	भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ।	
19.	बच्चों के लिए क्रीड़ास्थल ।	
20.	प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र ।	
21.	प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चबूतरा ।	
22.	परंपरागत जनजातीय संस्थाओं के लिए अलग भूमि का चिन्हित किया जाना।	
23.	वन में रहने वाले कुटुंबों को, जहां संभव हो, गैर-काष्ठ वनोत्पाद संबंधी उनके वन्य अधिकार और सामान्य संपत्ति संसाधन, यदि वे व्यवस्थापन के नए स्थान के समीप उपलब्ध हों, उपलब्ध कराए जाएं और यदि ऐसे कोई कुटुंब बेदखली के ऐसे स्थान के समीप के क्षेत्र में की ऐसे वन या सामान्य संपत्ति में अपनी पहुंच या प्रवेश को जारी रख सकता है तो वे आजीविका के पूर्वोक्त स्रोतों के अपने पूर्व अधिकारों के उपभोग को जारी रख सकेंगे ।	
24.	व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था का यदि आवश्यक हो, उपबंध किया जाना चाहिए।	
25.	सन्नियमों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।	

टिप्पण—क्रम सं॰ 1 से 25 के सामने स्तंभ (2) में वर्णित अवसंरचनात्मक सुख–सुविधाओं के प्रत्येक संघटक के ब्यौरे स्तंभ (3) में भूमि के अर्जनकर्ता द्वारा उपदर्शित किए जाने चाहिएं ।

चौथी अनुसूची
(धारा 105 देखिए)

भूमि अर्जन और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन को विनियमित करने वाली अधिनियमितियों की सूची

1. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) ।
2. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) ।
3. दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 14) ।
4. भारतीय ट्राम अधिनियम, 1886 (1886 का 11) ।
5. भूमि अर्जन (खान) अधिनियम, 1885 (1885 का 18) ।
6. भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) ।
7. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) ।
8. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) ।
9. स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 का 30) ।
10. विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्व्यवस्थापन (भूमि अर्जन) अधिनियम, 1948 (1948 का 60) ।
11. कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) ।
12. विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) ।
13. रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) ।

प्रेम कुमार मल्होत्रा,
सचिव, भारत सरकार।

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

शुद्धि-पत्र

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2015

क्र. एफ ए 6-42-1995-1-पांच.—इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए 6-42-1995-1-पांच (54), दिनांक 17 दिसम्बर 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 559, दिनांक 17 दिसम्बर 2013 में प्रकाशित हुई है, की अनुसूची-एक के अनुक्रमांक 10 के कॉलम (3) में वरिष्ठ निज सहायक का "वेतनमान—9300-34800+ग्रेड पे 3200" अंकित है, के स्थान पर "वेतनमान—9300-34800+ग्रेड पे 4200" प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2015

एफ. 12—2/2014/सात/2ए.—

भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है जो उक्त अधिनियम की धारा 112 द्वारा अपेक्षित किए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात्:—

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 है।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है।

(3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.– (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013);

(ख) 'प्ररूप' से अभिप्रेत है इन नियमों से अनुलग्न प्ररूप;

(ग) 'ग्रामीण क्षेत्र' से अभिप्रेत है नगरीय क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र;

(घ) 'धारा' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(ङ) 'नगरीय क्षेत्र' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के अधीन नगरीय क्षेत्र के रूप में परिभाषित क्षेत्र।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किए शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो कि अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

3. सामाजिक समाघात निर्धारण दल का चयन.– (1) कलक्टर, प्रत्येक परियोजना के लिए सरकारी पदधारियों/या सामाजिक समाघात निर्धारण में स्रोत, भांगीदारों और व्यवसाईयों की योग्य संस्थाओं में से सामाजिक समाघात निर्धारण दल (एस आई ए) का गठन करेगा और जहां वह आवश्यक समझता है, उन्हें दल की सहायता के लिए भी नियुक्त किया जा सकेगा, दल का प्रमुख डिप्टी कलक्टर की पद श्रेणी से निम्न पदश्रेणी का नहीं होगा, किन्तु वह कलक्टर के कार्यालय की भू–अर्जन शाखा का प्रभारी नहीं होगा।

(2) कलक्टर, अध्ययन की प्रक्रिया के दौरान दल के किसी भी सदस्य को बदल सकेगा।

(3) यदि किसी भी प्रकम पर यह पाया जाता है कि दल का कोई सदस्य या दल के सदस्य के परिवार का कोई सदस्य अपेक्षक निकाय या परियोजना के अन्य पणधारी से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई लाभ प्राप्त करता है तो उक्त सदस्य अयोग्य हो जाएगा।

4. सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए अधिसूचना.– कलक्टर, सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के कार्यान्वयन के लिए अधिनियम की धारा 4 के अधीन इन नियमों में संलग्न प्ररूप–क में यथा उल्लिखित अधिसूचना जारी करेगा ।

5. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन.– (1) सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार संचालित किया जाएगा ।

(2) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट सरकार को इन नियमों से अनुलग्न प्ररूप–ख में, सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्ररूप–ग के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

6. सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए जन सुनवाई .– (1) जनसुनवाई, कलक्टर के विवेक पर एक या अधिक स्थानों पर आयोजित की जा सकेगी।

(2) सामाजिक समाघात प्रतिवेदन रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना का प्रारूप प्रभावित क्षेत्र में हिन्दी में पुस्तिका रूप में परिचालित किया जाएगा और यथास्थिति पंचायत, नगर पालिका या नगर पालिक निगम तथा जिला कलक्टर के कार्यालयों में भी उपलब्ध कराया जाएगा । सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना के प्रारूप की एक प्रति अपेक्षक निकाय को भी उपलब्ध कराई जाएगी ।

(3) जन सुनवाई के पश्चात् सामाजिक समाघात निर्धारण दल प्राप्त फीडबैक तथा जन सभाओं में एकत्रित जानकारी का विश्लेषण करेगा तथा सारांश को अपने विश्लेषण के साथ कलक्टर को प्रस्तुत की जाने वाली सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में समाहित करेगा ।

(4) अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के साथ परामर्श, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (क्र. 40 सन् 1996) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

7. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का किसी विशेषज्ञ समूह द्वारा आंकलन.– अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन गठित विशेषज्ञ समूह सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगा और अपने गठन की तारीख से दो माह के भीतर तदर्थक अपनी अनुशंसाएं देगा।

8. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट, सामाजिक समाघात प्रबंध योजना और विशेषज्ञ समूह की अनुशंसाओं का प्रकाशन.– सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट, सामाजिक समाघात प्रबंध योजना और विशेषज्ञ समूह की अनुशंसाएं हिन्दी में तैयार कर संबंधित जिले की वेबसाइट में अपलोड करके प्रकाशित की जाएंगी और यथास्थिति, पंचायत, नगर पालिका, नगर पालिक निगम और कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेटतथा तहसीलदार के कार्यालयों को उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे प्रकाशन की सूचना प्रभावित क्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी और प्रभावित क्षेत्र में किन्हीं दृश्यमान स्थलों पर चस्पा की जाएगी।

9. पूर्व सहमति अभिप्राप्त करना.– धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए,–

(क) कलक्टर प्ररूप–घ में सूचना जारी करेगा;

(ख) सूचना, यथास्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के सूचना पटल पर या नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पालिका या नगर पालिक निगम के सूचना पटल पर तथा कलक्टर कार्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाएगी।

(ग) सहमति या असहमति प्ररूप–ङ में सूचित की जाएगी।

(घ) सहमति या अन्यथा की प्रस्तुति के लिए नियत समय के अवसान के बाद, कलक्टर अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित सहमति प्राप्त हुई या नहीं, के संबंध में अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

10. प्रशासक की शक्ति, कर्तव्य और दायित्व.– प्रशासक निम्नानुसार शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों तथा दायित्वों का निर्वहन करेगा :–

(क) प्रभावित परिवारों की गणना और सर्वेक्षण का संचालन करना;

(ख) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रारूप तैयार करना;

(ग) नियम 9 में यथाविहित रीति में प्रारूप स्कीम को प्रकाशित करना;

(घ) प्रारूप स्कीम पर जन सुनवाई का आयोजन करना और संचालन करना;

(ङ) प्रारूप स्कीम पर सुझाव और टिप्पणी देने के लिए अपेक्षक निकाय को अवसर प्रदान करना;

(च) यथोचित रूप से उपांतरित प्रारूप स्कीम को अनुमोदन के लिए कलक्टर को प्रस्तुत करना;

(छ) प्रभावित क्षेत्र में अनुमोदित पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम प्रकाशित करना;

(ज) पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय तैयार करने में कलक्टर की सहायता और सहयोग करना;

(झ) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के कार्यान्वयन को मानीटर करना और उसका पर्यवेक्षण करना;

(ञ) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के कार्यान्वयन उपरांत अंकेक्षण (पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट) में सहयोग करना; और

(ट) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए कोई अन्य कार्य करना जिसका कि किया जाना अपेक्षित हो या जो कलक्टर द्वारा उसे सौंपे जाएं ।

11. प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण तथा जनगणना.– (1) प्रशासक, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन या तो अपने स्वयं के कर्मचारीवृंद के द्वारा या किसी अन्य अभिकरण को बाह्यस्रोतों के माध्यम से प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण करवाएगा या जनगणना का जिम्मा लेगा । सर्वेक्षण और जनगणना का कार्य सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट और शासकीय अभिलेखों से संग्रहीत आंकड़ों के माध्यम से कराया जाएगा और आंकड़ों का सत्यापन आवश्यकतानुसार मैदानी सर्वेक्षण के दौरान किया जाएगा ।

(2) जहां विनिर्दिष्ट पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन चुनने का विकल्प उपलब्ध है वहां प्रभावित परिवार की सहमति परिवार के मुखिया से लिखित एवं हस्ताक्षरित कथन के रूप में सर्वेक्षण के दौरान अभिप्राप्त की जाएगी।

(3) यह कार्य प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से जहां तक व्यावहारिक हो, तीस दिवस की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाएगा। कलक्टर ऐसी अवधि जितनी वह ठीक समझे, बढ़ा सकेगा।

12. पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रारूप तैयार किया जाना.– (1) पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक सर्वेक्षण पूर्ण होने की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन स्कीम का प्रारूप तैयार करेगा।

(2) जहां सहमति अंतर्ग्रस्त है, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन की स्कीम का प्रारूप प्रभावित परिवारों और अपेक्षक निकाय के बीच तय की गई पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की शर्तों और निबंधनों को विचार में लेते हुए तैयार किया जाएगा।

(3) प्रशासक द्वारा तैयार किए गये पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के प्रारूप में, धारा 16 की उपधारा (2) में उल्लेखित विशिष्टियों के अतिरिक्त, सभी निर्माण कार्यों जिसमें स्कीम के अधीन किया जाने वाला अधोसंरचना विकास सम्मिलित हैं, को पूर्ण करने के लिए समय सीमा उपदर्शित की जाएगी ।

13. प्रशासक द्वारा जन सुनवाई.– (1) प्रशासक धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन जन सुनवाई के लिए स्थान, दिनांक एवं समय नियत करेगा।

(2) जन सुनवाई सभी ग्राम सभाओं में जहां भूमि के अर्जन द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित सदस्य पच्चीस प्रतिशत से अधिक हैं, संचालित की जाएगी :

परन्तु अनुसूचित क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम सभा में जन सुनवाई संचालित की जाएगी।

(3) जन सुनवाई की तारीख और स्थान पंद्रह दिन पूर्व लोक अधिसूचना द्वारा सभी प्रभावित ग्रामों/नगर पालिकाओं/नगर पालिक निगम के प्रभावित वार्ड में उद्घोषित एवं प्रचारित की जाएगी और ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय के वार्ड प्रतिनिधियों को सीधे संसूचित की जाएगी तथा जिले की वेबसाइट पर जानकारी अपलोड की जाएगी।

14. अपेक्षक निकाय द्वारा निक्षेप जमा कराया जाना.– अपेक्षक निकाय द्वारा अर्जन के खर्चे की अनुमानित राशि की पचास प्रतिशत राशि कलक्टर के पास जमा की जाएगी। यदि अपेक्षक निकाय इसे जमा करने में विफल होता है तो अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अंतर्गत कोई घोषणा नहीं की जाएगी :

परन्तु यदि अपेक्षक निकाय राज्य सरकार है तो अनुमानित राशि कलक्टर की मांग के अनुसार जमा की जाएगी।

15. आधिक्य राशि की वसूली.– जहां धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन किए गये सुधार के परिणामस्वरूप यह सिद्ध होता है कि किसी व्यक्ति को अधिक राशि का भुगतान किया गया है, ऐसी भुगतान की गई आधिक्य राशि वापिस करने के दायित्वाधीन होगी और किसी व्यतिक्रम या भुगतान से इन्कार करने की दशा में ऐसी राशि भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जाएगी। ऐसी राशि की वसूली के लिए मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के अध्याय ग्यारह में यथाविहित प्रकिया और उसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन किया जाएगा।

16. ग्राम सभा की पूर्व सहमति.– संविधान की पांचवी अनुसूची के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों में, भूमि के अर्जन के सभी मामलों में संबंधित ग्राम सभा की पूर्व सहमति प्ररूप–च में अभिप्राप्त की जाएगी।

17 विकास योजना का स्वरूप.– अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के परिवारों के अस्वेच्छिक विस्थापन के लिए विकास योजना धारा 41 की उपधारा (4) के अधीन तैयार की जाएगी।

18 मिथ्या दावा करके प्राप्त किए गये लाभों की वसूली.– यदि मिथ्या दावा करके या कपटपूर्ण साधन के माध्यम से कोई पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन लाभ प्राप्त किया जाता है तो यह वसूली के दायित्वाधीन होगा और उसके भुगतान से किसी इन्कार की दशा में यह भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किया जाएगा । ऐसी राशि की वसूली के लिए मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के अध्याय ग्यारह में यथाविहित प्रकिया और उसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन किया जाएगा।

प्ररूप–क

(नियम 4 देखिए)

राज्य सरकार, प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम/वार्ड स्तर पर, यथास्थिति, संबंधित पंचायत/नगर पालिका/नगर पालिक निगम के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(1) परियोजना विकासक का नाम

(2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन

(3) अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण

(4) भूमि के विवरण

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र

(ड.) अर्जित होने वाला क्षेत्र

(5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण

(6) परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र

(7) क्या ग्राम सभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है

(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख

कलक्टर

जिला.....

प्ररूप–ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1. परियोजना का नाम
2. लोक प्रयोजन
3. स्थल
4. परियोजना का क्षेत्र
5. विकल्प जिन पर विचार किया गया
6. परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित
7. परियोजना निर्माण के चरण
8. परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे
9. परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि
10. भूमि का मूल्य
11. प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियम की धारा 3 के खंड (ग) के अनुसार)
12. परिसम्पत्तियां–

    लोक सम्पत्ति– भूमि ..... भवन.....अन्य

    निजी सम्पत्ति– भूमि ..... भवन.....अन्य
13. विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या

    जिनकी भूमि अर्जित हुई –

ग्राम/वार्ड	परिवारों की संख्या			
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	योग

    जिनके मकान अर्जित हुए –

ग्राम/वार्ड	परिवारों की संख्या			
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	योग

14. सामाजिक समाघात

    (क) समाघातों का विवरण

    (ख) समाघातों की संकेतक सूची
15. विकल्प जिन पर विचार किया गया

    (क) यदि हां – तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई?

    (ख) यदि नहीं – तो क्यों?
16. निष्कर्ष

प्ररूप–ग

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय –

(1) प्रभावित परिवारों की जीविका

(2) लोक और सामुदायिक परिसम्पत्तियॉं

(3) आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें, लोक परिवहन

(4) जल–मल निकासी एवं स्वच्छता

(5) पेयजल के स्रोत

(6) पशुओं के लिए जलस्रोत

(7) सामुदायिक तालाब

(8) जन सुविधाएं (जैसे– पोस्ट ऑफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वांस्थ्य सुविधाएं, स्कूल, आंगनवाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं श्मशान)

(9) वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा ।

(10) अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाइयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा ।

प्ररूप–घ

(नियम 9 देखिए)

पूर्व सहमति प्राप्त करने के लिए प्ररूप

1. परियोजना का नाम
2. परियोजना का प्रयोजन
3. अनुमानित पूर्णता अवधि (महीनों में)
4. प्रभावित क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण (ग्राम, ग्रामों की संख्या, वार्ड आदि)
5. परियोजना के लिए अपेक्षित अनुमानित भूमि
   (क) सरकारी भूमि,
      (एक) वन भूमि;
      (दो) गैर वन भूमि;
   (ख) निजी भूमि :
   (ग) निजी सम्पत्ति (भूमि से भिन्न) :
   (घ) लोक सम्पत्ति (भूमि से भिन्न) :

6. प्रभावित परिवारों की संख्या (भूमि या अन्य स्थावर सम्पत्ति के धारक)
7. प्रभावित परिवार द्वारा सहमति या सहमति से इन्कार प्ररूप–ङ में कलक्टर को दिनांक... ..... (दिनांक जो सूचना जारी किए जाने से 2 सप्ताह से कम की नही होनी चाहिए) या उसके पूर्व निम्न पते पर जमा कर प्रस्तुत की जाएगी :–

.....

.....

.....

प्ररूप–ङ

(नियम 9 देखिए)

सहमति या सहमति से इन्कार के लिए प्ररूप

मै.....आयु.....वर्ष.....पुत्र/पुत्री/पत्नि .....निवासी..... ..... परियोजना ..... से निम्नानुसार प्रभावित हूँ :–

(क) मै प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में स्थावर सम्पत्ति का धारक हूँ

(ख) मैं प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में किसी स्थावर सम्पत्ति का धारक नहीं हूं, किन्तु मैं प्रभावित परिवार हूं और मेरे निम्नानुसार अन्य हित हैं :–

.....

.....

.....

2. मैं उपरोक्त परियोजना के लिए अपनी सहमति व्यक्त करता हूं।

अथवा

मैं निम्न कारणों से उपरोक्त परियोजना के लिए अपनी सहमति देने से इन्कार करता हूं :

.....

.....

.....

हस्ताक्षर

नाम

दिनांक

प्ररूप–च

(नियम 16 देखिए)

ग्राम सभा संकल्प के लिए फार्मेट

हम, ग्राम सभा..... ग्राम पंचायत ..... तहसील.....जिला .....के अधोहस्ताक्षरकर्ता सदस्य प्रशासन और अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर यह कथन करते हैं कि यह ग्राम सभा प्रस्तावित ..... परियोजना पर, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, सहमति/असहमति देती है;

(1) ..... हैक्टर निजी भूमि का अर्जन

(2) परियोजना के लिए ..... हैक्टर शासकीय भूमि का अंतरण; और

(3) परियोजना के लिए ..... हैक्टर वन भूमि का अंतरण

दिनांक

ग्राम सभा के सदस्यों के
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

दिनांक

संकल्प की प्राप्ति पर
पदाभिहित जिला अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी– जो लागू न हो उसे काट दें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2015

कमांक एफ. 12–2/2014/सात/2ए. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना कमांक एफ. 12–2/2014/सात/2ए. दिनांक3/9/2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. सिंह, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 3rd September 2015

F. 12-2-2014-VII-2A.—
In exercise of the powers conferred by section 109 of the Right to Fair Compensation and Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby makes the following Rules, the same having been previously published as required by section 112 of the said Act, namely:-

RULES

1. **Short title, extent and commencement.**- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2015.

(2) They shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) 'Act' means the Right to Fair Compensation and Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013);

(b) 'Form' means forms appended to these rules;

(c) 'Rural Area' means the area other than urban area;

(d) 'Section' means the section of the Act;

(e) 'Urban Area' means the area defined as urban area under the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

(2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Selection of the social impact assessment team.**- (1) The Collector shall constitute the Social Impact Assessment (SIA) team for each project from amongst Government officials/or qualified institutions in social impact assessment resource, partners and practitioners which may also be

appointed to assist the team where he feels necessary. The team leader shall not be below the rank of Deputy Collector but he shall not be in charge officer of the land acquisition section of the office of the Collector.

(2) The Collector may change any team member during the process of study.

(3) If, it is found at any stage that any team member or any family member of the team member receives any benefit directly or indirectly from the requiring body or any other stakeholder of the project, the said member shall be disqualified.

4. Notification for social impact assessment.- The Collector shall issue the Notification under section 4 of the Act, for carrying out the Social Impact Assessment Study as mentioned in Form-A appended to these rules.

5. Social impact assessment study.- (1) The social impact assessment study shall be conducted in accordance with sub-section (1) of section 4.

(2) The social impact assessment report shall be submitted to the Government in Form-B alongwith the Social Impact Management Plan in Form-C appended to these rules.

6. Public hearing for social impact assessment.- (1) Public hearings may be conducted at one or more places at the discretion of the Collector.

(2) The draft of social impact assessment report and the Social Impact Management Plan shall be circulated in the affected area in booklet form in Hindi language and shall be made available to the Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and also to the offices of the District Collector. A copy of the draft of social impact assessment report and the social impact management plan shall be provided to the requiring body.

(3) The social impact assessment team, after public hearing, shall analyse, the feedback recovery and information gathered in the public meetings and incorporate the gist alongwith their analysis in the social impact assessment report to be submitted to the Collector.

(4) Consultation with the Gram Sabhas in the Scheduled areas shall be in accordance with the provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 (No. 40 of 1996)

7. Appraisal of social impact assessment report by an expert group.- The Expert Group constituted under sub-section (1) of section 7 of the Act shall evaluate the social impact assessment report and shall make its recommendation to that effect within a period of two months from the date of its constitution.

8. Publication of social impact assessment report, social impact management plan and recommendations of expert group. - The social impact assessment report, social impact management plan and recommendations of expert group prepared in Hindi shall be published by way of uploading them in the website of district concerned and shall be made available to Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be and to the offices of the Collector, the Sub-Divisional Magistrate and the Tahasildar, also the notice of such publication shall be publicized in two daily newspapers circulated in the affected area and also affixing at some conspicuous places in the affected area.

9. Obtaining prior consent.- For the purpose of obtaining prior consent of affected families as required under sub-section (2) of section 2,-

(a) Collector shall issue a notice in Form-D.

(b) The notice shall be displayed on the notice board of Gram Panchayat, Janpad Panchayat and Zila Panchayat for rural areas and notice board of Municipality or Municipal Corporation for urban areas, as the case may be and also on the notice board at the Collectorate.

(c) The consent or denial to consent shall be conveyed in Form-E.

(d) After expiry of the time for submission of consent or otherwise, Collector shall record his findings as to whether the requisite consent under sub-section (2) of section 2 of the Act has been received or not.

10. Power, duties and responsibilities of the administrator.- The Administrator shall exercise the powers and perform the duties and have the responsibilities as follows-

(a) to conduct a survey and undertake a census of the affected families;
(b) to prepare a draft rehabilitation and resettlement scheme;
(c) to publish the draft scheme in same manner as prescribed in rule 9;
(d) to organize and conduct public hearings on the draft scheme;
(e) to provide an opportunity to the requiring body to make suggestions and comments on the draft scheme;
(f) to submit the modified draft scheme suitably to the Collector for approval;
(g) to publish the approved rehabilitation and resettlement scheme in the affected area;
(h) to help and assist the Collector in preparing the rehabilitation and resettlement award;
(i) to monitor and supervise the implementation of the rehabilitation and resettlement award;
(j) to assist in post-implementation audit of rehabilitation and resettlement; and
(k) any other work required to be done or assigned to him by the Collector for rehabilitation and resettlement.

11. Survey and census of affected families.- (1) Administrator, Rehabilitation and Resettlement under sub-section (1) of section 16 of the Act shall conduct a survey and undertake a census of the affected families either by his own staff or by out-sourcing from any agency. The survey and census work may be conducted by way of collecting data from the social impact assessment study report and Government records and verification of data as necessary during field survey.

(2) Where the option of choosing specific rehabilitation and resettlement entitlement is available, option of the affected families shall be obtained during the survey which shall be in the form of written statement signed by the Head of the affected family.

(3) This work shall be completed as far as practicable within a period of thirty days from the date of publication of the preliminary notification. The Collector may extend such period as he deems fit.

12. Preparation of draft rehabilitation and resettlement scheme.- (1) The Administrator Rehabilitation and Resettlement Scheme shall prepare the draft of rehabilitation and resettlement Scheme within a period of thirty days from the date of completion of survey.

(2) Where consent is involved, the draft of rehabilitation and resettlement scheme shall be prepared by taking into account the negotiated terms and conditions of rehabilitation and resettlement Scheme reached between the requiring body and the affected families.

(3) The draft of rehabilitation and resettlement Scheme prepared by the Administrator shall in addition to the particulars mentioned in sub-section (2) of section 16, indicate the time plan for completion of all construction works including the infrastructural developments to be provided as per the Scheme.

13. Public hearing by administrator.- (1) The Administrator shall fix a date, time and venue for public hearing under sub-section (5) of Section 16.

(2) Public hearings shall be conducted in all Gram Sabhas where more than twenty five percent of the members are directly or indirectly affected by the acquisition of the land:

Provided that the public hearing shall be conducted in each and every Gram Sabha in Scheduled Areas.

(3) The date and venue of the public hearing must be announced and publicized fifteen days in advance through public notifications in all the affected village/municipality/affected ward of Municipal Corporation and through direct communication with Gram Panchayat or Municipal Ward representatives and by uploading the information on the website of the district.

14. Deposits to be made by the requiring body.- Fifty percent of the estimated amount of the cost of acquisition shall be deposited by the requiring body

with the Collector. If requiring body fails to deposit the same, no declaration shall be made under sub-section (2) of Section 19 of the Act:

Provided that if the requiring body is the State Government, the deposits of the estimated amount may be made as per demand of the Collector.

15. **Recovery of excess amount.**- Where any excess amount is proved to have been paid to any person as a result of the correction made under sub-section (1) of Section 33, the excess amount so paid shall be liable to be refunded and in case of any default or refusal to pay, the said amount shall be recovered as an arrears of land revenue. The procedure for recovery of such amount shall be followed as prescribed in Chapter XI of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and rules made thereunder.

16. **Prior consent of Gram Sabha.**- In all cases of acquisition of land in Scheduled Area under the Fifth Schedule of the Constitution, prior consent of the concerned Gram Sabha shall be obtained in Form-F.

17. **Form of development plan.**- The development plan for involuntary displacement of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes families in Scheduled Areas, under sub-section (4) of Section 41, shall be prepared.

18. **Recovery of benefits availed by making false claim.**- If any rehabilitation and re-settlement benefit is availed by making a false claim or through fraudulent means, it shall be liable to be recovered and in case of any refusal to pay the same, shall be recovered as an arrears of land revenue. The procedure for recovery of such amount shall be followed as prescribed in Chapter XI of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and rules made thereunder.

FORM – A
(see rule 4)

The State Government intends to acquire the following lands in consultation with the concerned Panchayat / Municipality / Municipal Corporation, as the case may be, at village / ward level, in the affected area and carry out a Social Impact Assessment study for public purpose. The study shall

be undertaken as per the provisions of section 4 of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013)

(1) Name of project developer :

(2) Purpose of proposed acquisition of land:

(3) Details of Social Impact Assessment team to undertake the study:

(4) Land details:-

(a) District
(b) Tehsil
(c) Village
(d) Total affected area
(e) Area to be acquired

(5) Brief description of the proposed project:

(6) The project area and the affected areas:

(7) Whether consent of Gram Sabhas and/or land owners is required?

(8) The date of completion of Social Impact Assessment

Collector

District .....

FORM – B
(see rule 5)
SOCIAL IMPACT ASSESSMENT REPORT

1- Name of the Project
2- Public purpose
3- Location
4- Area of the Project
5- Alternatives considered
6- Background of the project, including developer's background and governance
7- Phases of project construction
8- Maps showing area of impact under the project
9- Total land requirement for the project.
10-Land prices
11-Number of families affected (according to clause (c) of Section 3 of the Act)
12-Properties-
Public property- land.....buildings.....other.....
private property- land.....buildings.....other.....
13-Number of families likely to be displaced

- Whose land acquired

village/ward	No. of families			
	Scheduled Castes/	Scheduled Tribes	Others	Total

- Whose house acquired

village/ward	Number of families			
	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Others	Total

14-**Social Impacts:**

(a) Description of impacts

(b) Indicative list of impacts

15-**Alternatives considered:**

(a) If yes- why the present proposal is preferred

(b) If no- why?

16-**Conclusion:**

FORM-C
(See rule-5)

SOCIAL IMPACT MANAGEMENT PLAN

Ameliorative measures required to be undertaken for addressing the impact on:

(1) Livelihood of the affected families
(2) Public and community properties
(3) Assets and infrastructure particularly roads and public transport
(4) Drainage and sanitation
(5) Sources of drinking water
(6) Sources of water for cattles
(7) Community ponds
(8) Public utilities (such as post offices, fair price shops, electricity supply, health care facilities, schools, anganwadis, children parks and burial and cremation grounds)
(9) Measures that Requiring Body has stated it shall introduce in the Project Proposal
(10) Additional measures that Requiring Body has stated it shall undertake in response to the findings of the Social Impact Assessment process and public hearings

FORM-D
(See rule-9)

FORM FOR SEEKING PRIOR CONSENT

(1) Name of the project

(2) Purpose of the project

(3) Estimated completion time (in months)

(4) Brief description of area affected (Village, Number of Village, Ward etc.).

(5) Estimated Land required for the project -

(a) Government land,

(i) Forest land;

(ii) Non-Forest land.

(b) Private land :

(c) Private property (other than land) :

(d) Public Property (other than land):

(6) Number of affected families (holders of land or other immovable property):

(7) The consent or refusal to consent by affected family shall be submitted in Form-E to the Collector on or before ..... (date which shall not be less than 2 weeks from the issue of this notice) by depositing at the following address .

.....

.....

.....

FORM-E
(See rule-9)

FORM FOR CONSENT OR DENIAL OF CONSENT

I .....,aged about .....years, son of ....., resident of ....., is affected from the ..... project as:-

(a) I am a holder of immovable property in the proposed project area;

(b) I do not hold any immovable property in the proposed project area but I am affected family and have other interests as

.....

.....

2. I express my consent for the above project.

or

I refuse to give my consent for the above project for t

.....

.....

Singnature

Name

Date :

FORM-F
(See rule-16)

FORMAT FOR GRAM SABHA RESOLUTION

We, the undersigned members of the Gram Sabha of _____within_____ Panchayat of _____ Tehsil in District _____, states that on the basis of information supplied by the administration and officials, this Gram Sabha, hereby certifies that it ***consents / *refuses to consent** to the proposed _____ project, which shall involve;

(1) acquisition of _____ hectares of private land;

(2) transfer of _____ hectares of Government land to the project; and

(3) transfer of _____ hectares of forest land to the project.

Date:

Signatures/thumb impressions of Gram Sabha members

Date:

Signature of Designated District Officer on receipt of the Resolution

N.B.- *-Strike out whichever is not applicable.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. SINGH, Principal Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.